खण्ड-374, अंक-9
मंगलवार, 29 माघ, शक संवत् 1907
(18 फरवरी, 1986 ई0)

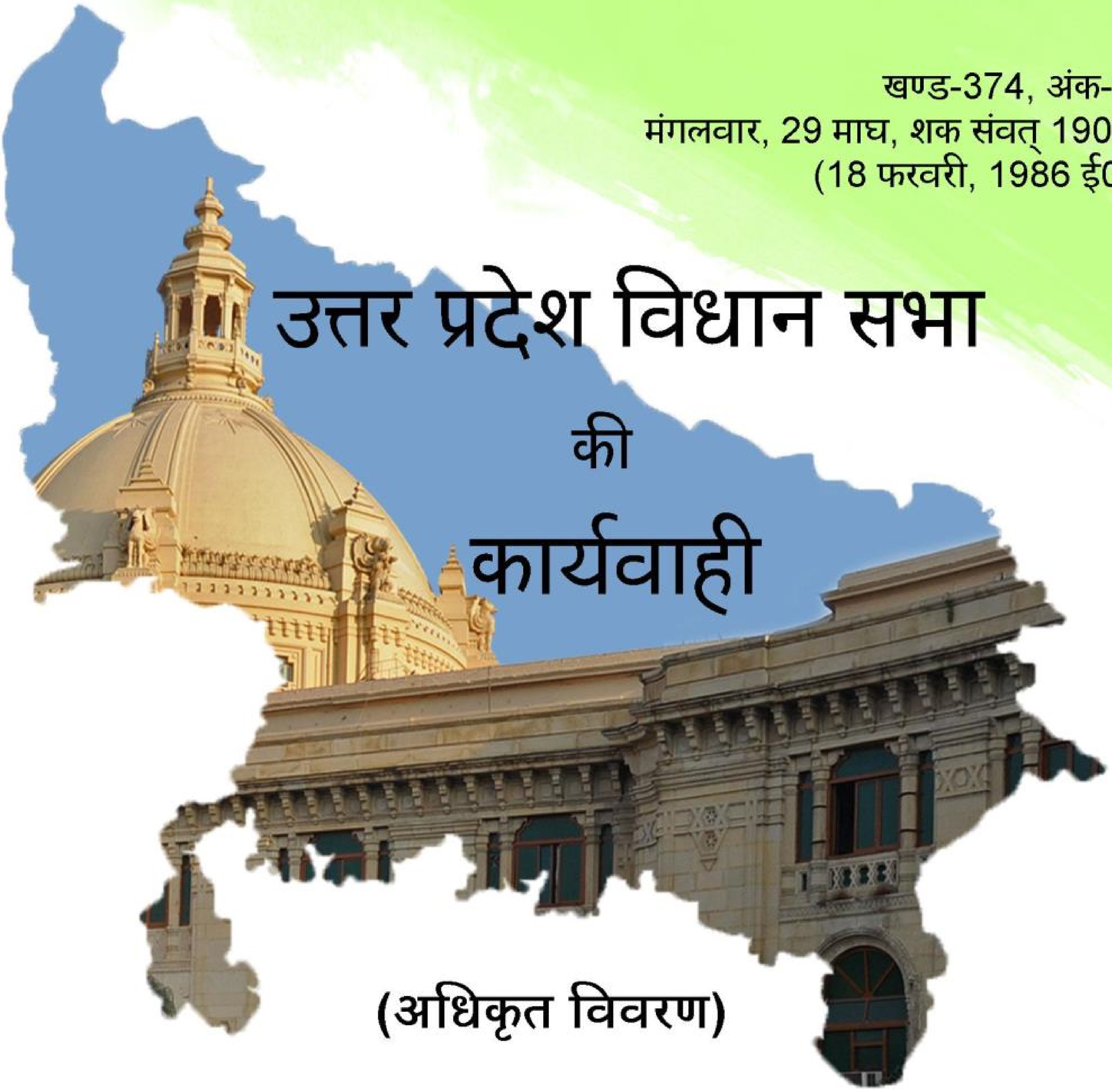

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–82
श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सदन में बिल्ला लगा कर आने पर आपत्ति ..	82–83
श्री मुहम्मद आजम खां के निवास पर कार्य सूची और प्रश्नों के उत्तर कई दिन से न मिलने तथा आज के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न 2 को स्थगित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	83–86
व्यवस्था के प्रश्न	86–87
श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति सम्बन्धी कार्यवाही के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के आदेश के विषय में व्यवस्था का प्रश्न	87
तहसील दातागंज बदायूं में रामगंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87–88
हरदोई जनपद के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों को नियुक्त किये जाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
बलिया जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में मतभेद के कारण जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
मोहल्ला करनलगंज, इलाहाबाद निवासी शीतल हरिजन की पैतृक सम्पत्ति पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	89
तहसील बांसी व नौगढ़ जनपद बस्ती में नीलगायों के प्रकोप से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89
प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89–90
जनपद अलीगढ़ के कतिपय सीमान्त ग्रामों की कृषि भूमि का यमुना नदी के कटाव से निकली भूमि पर हरियाणा राज्य के कृषकों द्वारा जबरन कब्जा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90–91
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	91–92
श्री फजलुल बारी विधायक को रायबरेली शहर में पुलिस द्वारा दो घंटे हिरासत में रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	92–93
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1986..... (सदन के पटल पर रखा गया)	93

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 (सदन के पटल पर रखा गया) 93
जनपद फैजाबाद की कतिपय ग्राम सभाओं में राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी) 93
श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग 94
जनपद गाजीपुर में रिक्शा चालक श्री मुन्ना की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य 94–103
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी) 103–104
सदन में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के मौजूद न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 104–105
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 105–118
वित्तीय वर्ष 1986–87 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) .. 118–141
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 141
नस्थियां 142–145

विधान सभा प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक १८ फरवरी, १९८६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
आर० एन० पाठक, श्री	कानपुर	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	रजनी कान्त दत्त, श्री	वाराणसी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
केशरी सिंह, कर्नल	बस्ती	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर-
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद-
धनराज यादव, श्री	बस्ती	सतीश अजमानी, श्री	गोरखपुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सन्तन बडथ्वाल	चमोली
पुष्पा देवी, श्रीमती	बदायूं	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
पूरन सिंह माहरा, श्री	अल्मोड़ा	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
बसंत सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बुधपाल सिंह खुर्जावाले, श्री	बुलन्दशहर	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

नोट : श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कुमारी सरस्वती अम्माल, श्रम राज्यमंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री।

विधान सभा

विद्यार्थी सहायता केंद्र

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ फरवरी, १९८६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजाजीपुरम् (लखनऊ) रेलवे क्रासिंग के पास पीताम्बर खेड़ा से कर्नासी गांव तक उद्योग श्रृंखला लगाने हेतु अधिगृहीत की गई भूमि

**१—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् (लखनऊ) रेलवे क्रासिंग के बाद पीताम्बर खेड़ा से लेकर कर्नासी गांव तक भूमि उद्योग श्रृंखला लगने हेतु उद्योग विभाग द्वारा अधिगृहीत की गई है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण कार्य को रोक दिया गया है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम अंतार दीक्षित)—

राजाजी पुरम् लखनऊ रेलवे क्रासिंग के पास पीताम्बर खेड़ा से लेकर कर्नासी गांव तक उद्योग श्रृंखला लगाने हेतु कोई भूमि अधिगहीत नहीं की गयी है । उक्त भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु जांच कराने पर पाया गया कि उक्त भूमि का अधिकांश भाग आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और कुछ भाग हरित पट्टी तथा महायोजना मार्ग के अन्तर्गत है ।

चूंकि उक्त भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक नहीं है इस कारण उद्योग श्रृंखला हेतु उसका अधिग्रहण नहीं किया जा सका ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि राजाजी पुरम् रेलवे क्रासिंग के पास पीताम्बर खेड़ा से कर्नासी तक की जो भूमि है, वह नगर महापालिका के अन्तर्गत आती है या लखनऊ जिला प्रशासन के अन्तर्गत आती है ?

श्री रामअंतार दीक्षित—

यह भूमि एल० डी० ए० के अन्तर्गत आती है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

एल० डी० ए० नगर महापालिका का एक हिस्सा है, एल० डी० ए० अलग से कोई एक विभाग नहीं है । फिर भी मैं आपकी बात को सत्य जानकर यह जानना चाहती हूं कि किस सन् से यह भूमि एल० डी० ए० के अन्तर्गत है ?

श्री रामअंतार दीक्षित—

जिस वक्त यह मास्टर प्लान बनाया उसी वक्त से यह एल० डी० ए० के अन्तर्गत है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

अब यह बता दें कि मास्टर-प्लान किस सन् में बना था ?

श्री रामअंतार दीक्षित—

मास्टर-प्लान अब से ५ साल पहले बना था ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मेरा स्पष्ट प्रश्न है, यह जो भूमि है जिसको मंत्री जी ने कहा कि मास्टर-प्लान के अन्तर्गत आई है और ५ साल पहले आई है, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह प्रश्नगत भूमि सन् १९५६ में मास्टर-प्लान में आई है या ५ वर्ष पहले ?

श्री रामअंतार दीक्षित—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मंत्री जी यह बता दें कि यह भूमि कितने एकड़ है ?

श्री रामआँतार दीक्षित—

यह प्रश्न से सन्दर्भित नहीं है। आपका प्रश्न है कि क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजाजी पुरम रेलवे क्रासिंग के बाद पीताम्बर खेड़ा से लेकर कनौसी गांव तक भूमि उद्योग श्रृंखला लगने हेतु उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहीत की गई है ? उसका जवाब है वहां उद्योग लगाने हेतु कोई अधिग्रहीत नहीं की गई है। फिर प्रश्न है कि यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है ? उसका उत्तर मैंने दिया है। तीसरा प्रश्न है कि यदि नहीं तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण कार्य को रोक दिया गया है ? उसका जवाब दिया है कि चूंकि उक्त भूमि का भू उपयोग औद्योगिक नहीं है इसके कारण इसको रोक दिया गया है। इन्हें अपने मूल प्रश्न के अतिरिक्त यदि कोई सूचना चाहिए तो आप नया प्रश्न करके पूछ सकती हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि क्या इस सम्बन्ध में उद्योग लगाने हेतु भूमि चयन समिति की बैठक हुयी थी, इसके बारे में मेरी निजी जानकारी है कि नगर पालिका के अधिकारियों ने और तत्कालीन उद्योग मंत्री जी ने और जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों ने इसको देखा है। उनका कहना है कि "दिस इज गोल्ड माइन फार अस"। यह जमीन हमारे लिये सोने की खान है। तो मैं जानना चाहती हूं कि इस भूमि के सम्बन्ध में क्या कोई चयन समिति की बैठक उद्योग विभाग में हुयी है ?

श्री रामआँतार दीक्षित—

इसके सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराया गया था। यह भूमि लगभग २५० एकड़ है जिसका ४० प्रतिशत भाग ऊसर है और शेष भूमि में दो फसलें होती हैं, गेहूं और धान। इस भूमि का सर्वेक्षण कराया गया था।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि क्या यह भूमि किसी बैठक में संदर्भित हुयी थी, उद्योग लगाने के लिये ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, अगर संदर्भित न की गयी होती तो सर्वेक्षण क्यों कराया गया। इसका सर्वेक्षण कराया गया था।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि हरित पट्टी तथा कुछ भाग महायोजना मार्ग के अंतर्गत है तो मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा समय में हरित पट्टी का क्या स्वरूप है और क्या महायोजना मार्ग पीताम्बर खेड़ा और कनौसी गांव में होकर निकल रहा है ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, यह प्रश्न पूरी जमीन से सम्बन्धित है। कौन सी सड़क किसके पास से निकलती है इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री शारदा प्रताप—

जैसा कि आपने अभी अपने उत्तर में बताया हरित पट्टी का मौजूदा स्वरूप क्या है और महायोजना मार्ग क्या पीताम्बर खेड़ा और कनौसी गांव के बीच से होकर निकल रहा है।

श्री राम आँतार दीक्षित—

प्रश्न को दोहरा दें।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं जो यह हरित पट्टी है इसका मौजूदा स्वरूप क्या है ? जिसे आप हरित पट्टी कह रहे हैं वहां तमाम मकान बने हैं। क्या यह महायोजना मार्ग जो निकल रहा है यह पीताम्बर खेड़ा और कनौसी से होकर निकल रहा है ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

इसकी जानकारी कर ली जायगी ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो जमीनें उद्‌योग विभाग के लिये या आवास के लिये अधिगृहीत की जाती हैं तो क्या उनका मुआवजा बाजार भाव पर देने की घोषणा करेंगे ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, मैंने पहले बताया कि इसमें ४० प्रतिशत भाग ऊसर है । दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि मुआवजा तो नियमानुसार पेमेंट किया ही जाता है ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मुआवजा बाजार भाव पर नहीं दिया जाता है । चाहे उद्‌योग के लिये या आवास के लिये जमीन ली जाती है, बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिया जाता है । क्या मंत्री जी घोषणा करेंगे कि मुआवजा बाजार भाव पर दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी घोषणा क्या कर सकते हैं । वह तो नियमानुसार दिया जाता ही है ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, फिर माननीय मंत्री जी बता दें कि नियम क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

नियम इस प्रश्न में नहीं बताया जा सकता है, इसके लिए दूसरा सवाल करना पड़ेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि संदर्भित भूमि एल०डी०ए० की है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एल०डी०ए० से पूर्व उस भूमि के स्वामित्व की स्थिति क्या थी ? उस भूमि का स्वामी कौन था?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इस संदर्भ में सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या हमारी बात को सत्य मानते हुए यह भूमि सन् १९५६ में नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत ली गयी थी और उस वक्त से लेने के बाद आज तक न तो उस भूमि पर कोई कार्यक्रम बना है और न ही आगे बनने वाला है । वैसे मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी जहां एक ओर बहुत उत्साही हैं, वह उद्‌योग लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई गुमराहियत जरूर है । इसलिए हमारी बात को सत्य मानते हुए क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? और दूसरी बात मान्यवर, यह भूमि २८० एकड़ न होकर टोटल भूमि लगभग ४८० एकड़ है, जिसकी अधिकतर भूमि ऊसर है और किसानों के पास स्वयं कोई सिंचाई साधन न होने के कारण वह बेचारे भूखों मर रहे हैं तो क्या माननीय मंत्री जी मामले की जांच करायेंगे और आवश्यक कार्यार्थ विभाग को आदेश भी देंगे ताकि भूमि का उपयोग सही तरीके से हो सके?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, यह भूमि जिस कार्य के लिए अर्जित की गयी है उस भूमि का उपयोग वैसा ही किया जायेगा और जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का संदर्भ मा० सदस्या ने दिया कि इच्छुक हैं तो इस सिलसिले में मैं यह बताना चाहूंगा कि ऐसा ही एक प्लान २४० एकड़ भूमि पर सरोजनी नगर में चल रहा है और दूसरा एक ऐसा ही प्लान २४० एकड़ भूमि पर दूसरी जगह अमौसी में लगाया गया है ।

डिप्टी डायरेक्टर (यूनानी) के रिक्त पदों की पूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही

**२—श्री मुहम्मद आजम खां (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिप्टी डायरेक्टर यूनानी का पद १९८२

से सृजित होने पर भी अभी तक क्यों नहीं भरा गया है तथा यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद एवं तकमील-उत्ततिब कालेज, लखनऊ का प्रान्तीयकरण २ जुलाई, १९८२ को होने के बाद भी अध्यापकों का नियमितीकरण क्यों नहीं हुआ तथा इन कालेजों में प्रवेश क्षमता ४० होने के बावजूद ५ वर्ष से आधे से अधिक सीटें खाली रहने का क्या कारण है?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

डिप्टी डायरेक्टर (यूनानी) के पद को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। पद लोकसेवा आयोग के विचार क्षेत्र में है और नियमित चयन हेतु अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों, जिनमें से प्रोन्नत से यह पद भरा जाना है, की ज्येष्ठता निर्धारण अन्तिम न होने के कारण पद भरे जाने में विलम्ब हुआ है।

इन कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है।

यूनानी कालेजों में प्रवेश हेतु प्रति वर्ष अभ्यर्थियों की संख्या के कम होने, सी० पी० एम० टी० की प्रवेश अर्हता के लिए न्यूनतम अंक न प्राप्त करने तथा प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट विज्ञान के साथ-साथ उर्दू/अरबी, परशियन में इण्टर अथवा समकक्ष अर्हता के न होने के कारण सीटें खाली रह जाती हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

होमगार्ड्स में कार्यरत दैनिक जवानों के नियमितीकरण के प्रस्ताव पर विचार

★१—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स में वर्षों से कार्यरत दैनिक जवानों के नियमितीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? क्या शासन उनकी दयनीय आर्थिक दशा को देखते हुए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों की भांति उत्तर प्रदेश में भी उनकी सेवा की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए नियमित करने पर विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

जी नहीं।

होम गार्ड अवैतनिक स्वयं सेवक होते हैं और समस्त राज्यों में भारत सरकार की नीति एवं निर्देशन के अनुसार उनका संगठन स्थापित किया गया है। समस्त राज्यों में उक्त संगठन की रूप रेखा भी एक ही है। अतः इस प्रदेश में उनको नियमित करने का औचित्य नहीं बनता है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मा० मंत्री जी ने अपने उत्तर में बात को कुछ छिपाया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ बात बताई नहीं गयी है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि होमगार्ड्स के ऊपर एक सर्वेक्षण एवं नीति निर्देशन अगर भारत सरकार की तरह उत्तर प्रदेश सरकार में भी है और उसके अन्तर्गत होमगार्ड्स एक्ट, १९६३ की स्थापना की गयी और उसके अन्तर्गत सन् १९७७ और १९७९-८० में शासन से एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अन्तर्गत १०० होम गार्ड्स को पुलिस संरक्षण में सेवा का अवसर प्रदान किया गया और उसी के अनुसार उन्हें वेतन भी दिया गया? यदि हां, तो क्या जो शेष रह गये हैं उनके नियमितीकरण पर भी शासन विचार करेगा?

श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मा० शाही जी सदन के अंदर किसी प्रकार का बिल्ला लगाकर आए हैं। सदन के अंदर इस प्रकार की कोई चीज लगाकर नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री शाही जी यह क्या आपने लगाया है ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

यह मान्यवर, किसी पार्टी का चिन्ह नहीं है। मैं हरि का भक्त हूं, उनकी याद में यह लगाया है। जिस तरह लोग माला आदि पहनते हैं, वैसे ही मैंने इसको ग्रहण किया है। इसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, माला की दूसरी बात है, यह बिल्ला नजर आ रहा है जिसे सदन के अन्दर पहनकर नहीं आना चाहिए। शाही जी, किसी का बैज हो, उसे लगाकर हाउस के अन्दर नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, हृदय की भावना हृदय के अन्दर ही होनी चाहिए, सदन के अन्दर बैज लगाकर नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

दिल के अन्दर जो कुछ भी हो, उसको दिखाना नहीं चाहिए। हाउस के अन्दर बैज लगाकर नहीं आना चाहिए।

(व्यवधान)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न—१

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, यह होम गार्ड्स की संस्था स्वयं सेवी और राष्ट्र सेवी है। इसमें स्वेच्छा से लोग भर्ती होते हैं। इसमें हमारा लक्ष्य यह है कि सारे समाज को इस तरह से ट्रेन्ड किया जाय कि वह स्वयं अपने प्रदेश की किसी इमर्जेन्सी में, किसी आपातकाल में सुरक्षा कर सकें। लक्ष्य हमारा यह है कि सारा समाज जब ट्रेन्ड हो जायगा, तो वह स्वयं अपने को गाइड कर लेगा। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कितने आई० पी० एस० अधिकारी ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स में कार्यरत हैं ? यदि उनको वेतन दिया जाता है, तो इनकी पुस्तिका के अनुसार युद्ध के समय शांति-व्यवस्था करने में, डकैतों के मुठभेड़ में नियुक्त कर दिये जाते हैं। उनको वेतन न देने का क्या कारण है ? ऐसे दैनिक स्वयं सेवकों की संख्या कितनी है ?

श्री राम नरेश शुक्ल—

मान्यवर, उन्हें दैनिक वेतन नहीं दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है आनरेरिया जिसे कहते हैं।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, कितने आई० पी० एस० अधिकारी होम गार्ड्स में कार्यरत हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय राम आसरे वर्मा को बुला लिया है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जब कर्तव्य पालन का अवसर आता है, तो उस समय होम गार्ड्स से उसी तरह का काम लिया जाता है, जिस प्रकार से पुलिस से लिया जाता है, और इन पर डंडा चलाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारी ही नियुक्त किये

जाते हैं। मान्यवर, सरकार की यह नीति है कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी ३ वर्ष तक लगातार काम कर लेता है, तो उसको नियमित कर दिया जाता है। क्या शासन की इस नीति के मुताबिक तीन साल से कार्यरत होम गार्ड्स के कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए शासन विचार करेगा ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री श्याम सुन्दर उपाध्याय) --

मान्यवर, उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, १९६३ का अगर माननीय वर्मा जी अध्ययन करें, तो बात स्पष्ट हो जायगी। यह होम गार्ड्स इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। इसमें ग्रामीण अंचलों में और विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं सेवक भर्ती होते हैं, वह राष्ट्र सेवा की भावना से उद्वेलित होकर समाज सेवा के उद्देश्य से उसमें भर्ती होते हैं। इसमें वेतन का प्रश्न नहीं उठता है। चूंकि वह राष्ट्र प्रेम की भावना से इसमें काम करते हैं, इसलिए शासन इनको पहले ८ रु० प्रति दिन दैनिक भत्ता देता था, और अब इसको बढ़ाकर १५ रु० कर दिया गया है। यह कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं कि इनका विनियमितीकरण कर दिया जाय। ये तो स्वेच्छा से भर्ती होते हैं। अगर वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और आगे काम करना चाहते हैं, तो उनको आगे काम करने की अनुमति दे दी जाती है। इसलिए इसमें विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि होम गार्ड्स के स्वयंसेवकों को जो पैसा दिया जाता है क्या उनका कोई खाता खुलवाकर पास बुक में जमा किया जाता है या अधिकारी लोग आधा देते हैं और आधा पैसा अपने पास रख लेते हैं ? अधिकारी लोग कटौती कर लेते हैं पूरा पारिश्रमिक उनको नहीं मिलता है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या मा० मंत्री जी कोई कदम उठायेंगे कि उनको पूरा पारिश्रमिक मिले और उनका खाता खुलवाकर उसमें उनका पैसा जमा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सवाल से सम्बन्धित नहीं है। अगर कोई ऐसी शिकायत है तो आप लिखकर दे दीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि लोग स्वेच्छा से अपने को पेश करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज जो प्रदेश में तमाम बेरोजगार हैं तो क्या सरकार उनको होम गार्ड में सेवा का अवसर देने को तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ट्रेनिंग होती है, तमाम लोगों को उसमें कैसे लिया जा सकता है। हर एक आदमी उसमें कैसे जा सकता है। आपको प्रश्न से सम्बन्धित सवाल पूछना चाहिए।

श्री अवधेश प्रसाद—

इस तरह से सबको सेवा का अवसर इसमें मिलेगा।

श्री राम नरेश शुक्ल—

जैसा कि मैंने पहले बताया था इस प्रदेश में एक लाख बारह हजार होम-गार्ड्स हैं और जैसा मैंने पहले कहा कि यह तीसरे वर्ष एक तरह से अलग होते हैं। अगर उनकी इच्छा हो तो रहें और अगर उनकी इच्छा न हो तो न रहें। तो जो जगह खाली होती रहती है उसमें आवश्यकता पड़ने पर अगर भर्ती की जरूरत होती है तो और भर्ती की जाती है। जैसे जब चुनाव आये तो उस समय हमने २० हजार और भर्ती किये थे तो यह तो आवश्यकतानुसार भर्ती होती

रहती है और हमारी नीयत यह भी है कि सारे समाज को भी हम ट्रेन्ड करें क्योंकि यह होमगार्ड्स जो होते हैं यह अपना काम भी करते हैं चाहे खेती का हो, चाहे रोजगार का हो या चाहे नौकरी का हो। सचिवालय के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो होमगार्ड्स का भी काम करते हैं और दैनिक पारिश्रमिक लेते हैं। पूरी व्यवस्था इस प्रकार की है।

श्रीमती चारुशीला—

आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहती हूं कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ३ वर्ष के बाद भी करते हैं। जब तक उनकी इच्छा हो करें लेकिन मेरी जानकारी है कि मुजफ्फरनगर में ऐसे होमगार्ड्स हैं जो कि कार्य करने में सक्षम हैं और कार्य करना भी चाहते हैं परन्तु उन्हें कार्य नहीं करने दिया जाता है। यह अत्याचार क्यों होता है? यह सही है कि उनको जो भत्ता दिया जाता है अधिकारी लोग उनको आधा काटकर देते हैं। उनका पेट काटते हैं। इसलिए इसकी इन्क्वायरी माननीय मंत्री जी करवायें और उनको करवाना चाहिए, यह मैं प्रार्थना करती हूं।

श्री राम नरेश शुक्ल—

प्रश्न का पहला हिस्सा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरे का जवाब दे दें।

श्री राम नरेश शुक्ल—

जहां तक दूसरे हिस्से का प्रश्न है . .

(व्यवधान)

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आपके निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ। साम्प्रदायिक भावना को भड़काने के लिये आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नोत्तरकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह—

जब मैं होमगार्ड्स को देखता हूं, तो उनकी वर्दी चुस्त नहीं लगती है। क्या मंत्री जी अच्छी वर्दी की व्यवस्था करेंगे ताकि होमगार्ड्स के जवान अच्छे लगें?

श्री राम नरेश शुक्ल—

पता नहीं माननीय सदस्य को वर्दी क्यों अच्छी नहीं लगती, वर्दी तो अच्छी है।

जिला चमोली के गैरसैंण ब्लाक में सिलकोट टी इस्टेट में वृक्षों का अवैध कटान

*२—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वन अधिनियम, १९८० के लागू होने के बाद भी जिला चमोली के गैरसैंण ब्लाक के सिलकोट टी इस्टेट में एक हजार से अधिक वृक्षों का अवैध कटान ६ दिसम्बर, ८५ से ३ जनवरी, ८६ तक किया गया? यदि हां, तो यह अवैध कटान किस अधिकारी की आज्ञा से किस के द्वारा किया गया? क्या ऐसे लोगों और अधिकारियों को दंडित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

जी नहीं। उक्त इस्टेट में विभिन्न व्यास एवं प्रजातियों के केवल ४५५ वृक्षों का अवैध कटान दिसम्बर ८५ और जनवरी ८६ के बीच किया गया है। अवैध कटान किसी अधिकारी की अनुमति के बिना सिलकोट टी इस्टेट के प्रबन्धक द्वारा कराया गया है। उक्त प्रबन्धक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण

अधिनियम १९७६ की धारा ४/१० के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया है। इस कटान के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधान लागू नहीं होते। चूंकि किसी अधिकारी का दोष नहीं पाया गया है अत: किसी अधिकारी को दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, आप मंत्री जी के उत्तर को देखने का कष्ट करें। मैंने यह प्रश्न किया था कि एक हजार पेड़ काटे गये। मंत्री जी ने स्वीकार किया ४५५ पेड़ काटे गये। मैं इसलिये इस बात को उठा रहा हूं और माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां एक पेड़ काटने के लिये मोटर रोड और पेय जल योजना को बन्द कर दिया गया है। मान्यवर, पुल के एक तरफ का अवेटमेंट बन गया है लेकिन ३ मीटर वन विभाग की बिना पेड़ की जमीन पड़ जाने के कारण दूसरी तरफ नहीं बन पा रहा है १९८० के अधिनियम के माध्यम से। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो ४५५ पेड़ काटे गये क्या वह १९८० अधिनियम के तहत नहीं आते हैं? क्या वहां पर कोई पाबन्दी नहीं है? क्या मंत्री जी १९८० के अधिनियम को शिथिल करके हमारे यहां के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के आदेश देंगे?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, यह पेड़ कटान का जो मामला है, तो जो १९८० का अधिनियम है, वह एक प्रकार से लैण्ड ट्रान्सफर का केस है। जिसमें भारत सरकार से हमको आज्ञा लेनी पड़ती है। लेकिन यह मामला १९७६ एक्ट का है, जिसमें पेड़ों की कटान हुई है। सन १९८० के एक्ट के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य ने कहा उस सिलसिले में उस नियम को शिथिल करने के लिये ताकि जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उनमें देर न हो, उसके लिये भारत सरकार को लिखा गया है। आशा है कि इस नियम को शिथिल करने की कार्यवाही शीघ्र होगी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, हमारे यहां पर्वतीय अंचल में वन विभाग की ऐसी नादिरशाही कहनी चाहिये, है कि हमारी अपनी जो जमीन है, उसमें भी एक पेड़ काटना है तो बिना आज्ञा के नहीं काटा जा सकता। जबकि ४५५ पेड़ कट गये। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किन अधिकारियों के द्वारा ४५५ पेड़ काटने की आज्ञा दी गयी। जहां अपने घरों के सामने लगे पेड़ों को काटने की आज्ञा नहीं दी जाती है, तो ४५५ पेड़ों को काटने की आज्ञा जिन अधिकारियों ने दी है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे १९७६ एक्ट में?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य शायद मेरे जवाब को सुन नहीं पाए। मैंने बताया कि १९७६ एक्ट के अन्तर्गत हमने जांच कराई, मैजिस्ट्रेट ने जांच की, वन अधिकारी ने जांच की और उसके उपरान्त जो दोषी व्यक्ति पाया गया, उसके खिलाफ केस दायर किया गया। उसने न्यायालय से जमानत ले ली। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, प्रश्न इतना ही नहीं है, इसलिये इस पर और गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय पर्वतीय अंचल के विकास से सम्बन्धित है। जांच तब की गयी, जब प्रश्न किया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पेड़ों की कटान के समय वहां जो अधिकारी उपस्थित थे, उनके सामने सारा का सारा जंगल काट डाला गया और उन्होंने देखा नहीं। इसमें स्वयं वन विभाग के लोग शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहता

हूं कि बिना वन विभाग के अधिकारियों के कोई भी गाड़ी वहां से बाहर जा ही नहीं सकती, न कोई पेड़ बाहर जा सकता है। वन विभाग के रेंजर से लेकर डी० एम० ओ० तक इसमें शामिल हैं। जब प्रश्न किया गया तो माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी हुई। मैं जानना चाहता हूं कि जनहित में सड़क तो बन नहीं सकती, पानी का नल नहीं लग सकता, लेकिन पेड़ कट रहे हैं। क्या मा० मंत्रीजी ऐसी स्थिति को देखते हुए और हमारे यहां की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब कोई कार्यवाही करेंगे जिससे हमारा रुका हुआ विकास कार्य पूरा हो सके। क्या मा० मंत्री जी इस संबंध में आश्वासन देंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय सदस्य के यहां जो कार्य रुका हुआ होगा, उसे यदि माननीय सदस्य बता देंगे तो उस पर हम शीघ्र कार्यवाही करवा देंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, क्या मा० मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपका स्वयं अनुभव है कि सन् १९८० का अधिनियम निर्माण कार्य में बाधक है। केन्द्रीय सरकार से नियमों को शिथिल करने के लिये सिफारिश की है। तो जिन अधिकारियों पर १९८० का वन अधिनियम लागू करने की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से नल नहीं लग पा रहा है, पुल नहीं बन पा रहा है, सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो जिन अधिकारियों के दायित्व के अन्तर्गत ये ४०० पेड़ कट गये। उन अधिकारियों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, यह प्रश्न घूम फिर कर वहीं आ गया जो डा० नौटियाल जी ने किया था। मैं मा० सदस्य को बताना चाहता हूं कि १९८० का अधिनियम अलग है और १९७६ का अलग है। मा० सदस्य ने दोनों को जोड़ दिया है। सन् १९८० के नियम में जो विकास कार्य करना चाहते हैं, तो बीच में पेड़ पड़ते हैं, उनको काटने की परमीशन भारत सरकार से लेनी होती है। १९७६ का एक्ट यह है कि जब हमारे पेड़ का कटान कोई इलीगल तरीके से करता है, तो उनके खिलाफ हम मुकदमा दायर करते हैं। जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, जो अधिकारी गलत पाया जाता है, उसको सस्पेंड करते हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यही लोग भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा करते हैं, इसलिए इस तरह के केसेस आते हैं। यह बताया नहीं कि क्या कार्यवाही हुई, जिस अधिकारी ने गल्ती की उसका नाम क्या है, किसके द्वारा जांच हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी ने बताया तो मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हुई।

श्री सुखलाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से अधिकारी हैं, जिन्होंने लापरवाही बरती है। इन्होंने १९७६ के एक्ट का हवाला दिया, १९८० के एक्ट का हवाला दिया। वन विभाग में तमाम भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्या माननीय लालबहादुर शास्त्री का अनुकरण करके त्याग-पत्र देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष—

जब कोई प्रश्न ही नहीं बनता, तो उत्तर क्या दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, किसके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुआ था, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, इसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करायी गयी। नन्दन सिंह स्टेट मैनेजर को दोषी पाया गया, उनके खिलाफ रिपोर्ट की गयी। उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, वह जमानत पर हैं। मुकदमा अदालत के विचाराधीन हैं।

संजय पेपर मिल, खलीलाबाद के दूषित उत्प्रवाह से आमी नदी के जलप्रदूषण को रोकने हेतु किये गये उपाय

*२—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी हैं कि खलीलाबाद स्थित संजय पेपर मिल का दूषित एवं विषैला पदार्थ आमी नदी में गिराया जा रहा हैं जिसके फलस्वरूप नदी का जल प्रदूषित हो गया हैं और उक्त नदी में पानी पीने वाले पशु, पक्षी और मछलियां तक मरती जा रही हैं? यदि हां, तो प्रदूषण रोकने के लिए सरकार की ओर से अब तक कौन-कौन से उपाय उठाए गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम आँतार दीक्षित—

संजय पेपर मिल, खलीलाबाद का दूषित उत्प्रवाह आमी नदी को प्रदूषित कर रहा हैं। नदी में पानी पीने वाले पशु पक्षी और मछलियों के मरने की कोई सूचना उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। उद्योग की उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९७४ के अन्तर्गत दिनांक २१-५-८५ को इस प्रतिबन्ध के साथ दी हैं कि वह उत्प्रवाह के पूर्ण शुद्धिकरण की व्यवस्था जून १९८५ तक कर लें। उद्योग के दिनांक २३-७-८५ को किये गये निरीक्षण से ज्ञात हुआ हैं कि उद्योग का उत्प्रवाह प्रदूषणकारी हैं तथा उद्योग को आंशिक शुद्धिकरण व्यवस्था उत्प्रवाह के यथेष्ठ शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त नहीं हैं। अतः उद्योग को जल अधिनियम की धारा ३२(१) के अन्तर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु रेस्ट्रेनिंग आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा जल अधिनियम के प्राविधानों का पालन न करने के आरोप में उद्योग के विरुद्ध जल अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोजनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने का प्रस्ताव बोर्ड के विचाराधीन हैं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया हैं कि विषैला पदार्थ नदी में गिर रहा हैं। जिससे स्वभाविक हैं कि मछलियां मरेंगी, पशु-पक्षी मरेंगे। माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानते हुए, अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हुए क्या कोई उच्चाधिकार प्राप्त आयोग का गठन करेंगे, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और मुआवजा दिलवायेगी?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इसकी जांच प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों से करा दी जायेगी।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

मान्यवर, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम १९७४ और जल अधिनियम की धारा ३२(१) में जो प्राविधान किया गया हैं, अगर उसका उल्लंघन कोई कारखाने का मालिक करता हैं, तो सरकार उसके विरुद्ध आर्थिक दण्ड लगाकर कार्यवाही कर सकती हैं और जो नुकसान इससे हुआ हैं, उसको सरकार वसूल कर सकेगी?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, मैंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया हैं। उनके खिलाफ अभि-

योजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

कौन सी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई?

श्री राम आँतार दीक्षित—

अभियोजन की जो कार्यवाही इस में निहित है वही की गई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभियोजन की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्या अभियोजन की कार्यवाही शुरू करने से पहले उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, १९७४ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण बोर्ड ने उक्त मिल को नोटिस दी थी? दूसरा क्या इस नदी के जल का परीक्षण कराया गया था? इन दोनों के बाद ही तो अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई होगी। जल परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसे बताने का कष्ट करें। और जो नोटिस दी गई है, वह कब दी गई, उसकी तिथि बताने का कष्ट करें?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जल दूषित हो गया है। मैं उसी जिले से चुनकर आया हूं। मेरी जानकारी को सत्य मानते हुए कि जो भी उस जल को ग्रहण कर रहा है, वही बीमार पड़ जा रहा है और मर जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी तत्काल कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे, जिससे मिल मालिक दूषित पदार्थ को नदी में न गिरा सकें।

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इसके लिए अभियोजनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, जब यह फैक्ट्री बनी होगी, तो उसे लाईसेन्स दिया गया होगा। उस समय कुछ शर्तें रखी गयी होंगी कि वह वेस्ट पदार्थ की समुचित व्यवस्था करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसका परिणाम यह हुआ कि नदी का पानी प्रदूषित होता जा रहा है। और लोग मर रहे हैं।

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि जब यह फैक्ट्री इन्सटाल हुई थी और लाइसेंस दिया गया था उस समय यह शर्त थी कि जो गन्दगी है 'वेस्ट' है, उसके लिए टैंक बनवायेंगे, लेकिन वह नहीं किया, तो क्या उनके लाइसेंस को आज ही से निरस्त करने के आदेश देंगे।

श्री राम आँतार दीक्षित—

अभियोजन प्रारम्भ कर दिया गया है, उसके अनुसार ही कार्यवाही की जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा प्रश्न निश्चयात्मक था कि जब लाइसेन्स मिला तब एक शर्त थी। उन्होंने एग्रीमेन्ट किया था कि जो 'वेस्ट' होगा, उसके लिए एक टैंक बनवायेंगे, तभी लाइसेन्स दिया गया। उस शर्त को वे पूरा नहीं कर रहे हैं, जिससे नदी में पानी जा रहा है। लाइसेन्स देने की जो नियमावली है चूंकि उसका वाइलेशन उन्होंने किया है, क्या उस लाइसेन्स को निरस्त करने के आदेश देंगे।

श्री राम आँतार दीक्षित—

उन्होंने सैप्टिक टैंक बनाये हैं लेकिन उसके बाद भी पानी प्रदूषित हो रहा है, इसीलिए उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि जब लाइसेन्स दिया था प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड ने तो उसमें यह शर्त लगाई गयी थी कि पानी को स्वच्छ करके ही नदी में डाला जायगा, उसका स्पष्ट उल्लंघन मिल ने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसको सही मानते हुए कि पशु और पक्षी मर रहे हैं, जिसको माननीय मंत्री जी स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार कर रहे हैं कि—'उद्योग के दिनांक २३-७-८५ को किये गये निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि उद्योग का उत्प्रवाह प्रदूषणकारी है तथा उद्योग की आंशिक शुद्धिकरण व्यवस्था उत्प्रवाह के यथेष्ट शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त नहीं है।' इन विरोधाभासों को देखते हुए मा० मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य की सूचना को सही मानते हुए और उत्तर को सही मानते हुए क्या मा० मंत्री जी तत्काल उसके लाइसेंस को निलम्बित करके फैक्ट्री बन्द करवाने की कृपा करेंगे, जब तक कि प्रदूषण नियंत्रण का वे पूरा प्रबन्ध न कर लें ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मैंने पहले ही उत्तर के सम्बन्ध में कहा कि आंशिक शुद्धिकरण की व्यवस्था की है, पूर्ण शुद्धिकरण की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए अभियोजन चलाया गया है। अभियोजन की कार्यवाही जब कर रहे हैं तो एक साथ दूसरी कार्यवाही उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिये हैं, उनकी विसंगतियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि एक उत्तर में मा० मन्त्री जी कहते हैं कि अभियोजनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। दूबारा एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। माननीय शतरुद्र प्रकाश ने सवाल किया कि किसी भी न्यायिक कार्यवाही जो कोर्ट में होती है, उससे पहले विभागीय कार्यवाही हुई होगी, तो माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सूचना की आवश्यकता है। माननीय मन्त्री जी के पास तारीख होगी जिस तारीख को मामला न्यायालय में गया। अभियोजनात्मक कार्यवाही को किस तिथि को न्यायालय में सन्दर्भित किया है, उसे बता दें ? मेरा स्पष्ट आरोप है कि सरकार उस मिल मालिक को शैल्टर दे रही है। तो क्या आप उद्योग विभाग से लाइसेन्स को निरस्त कराने के बारे में संस्तुति करेंगे ? यदि माननीय मन्त्री जी इन दोनों बातों का उत्तर नहीं देते हैं तो मान्यवर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस सवाल को स्थगित करा दें।

श्री राम आंतार दीक्षित—

इस सम्बन्ध में अधिनियम के पालन करने के दौरान अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी और इसकी निश्चित सहमति बोर्ड ने ३१-१-८६ को दे दी है और उसके बाद उद्योग विभाग ने मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अभियोजन की कार्यवाही क्या भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी है या किसी अधिनियम के प्राविधानों के तहत यह प्रारम्भ की गयी है। या फिर दोनों के अन्तर्गत यह कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है या केवल एक के ही जरिये इसे प्रारम्भ किया गया है ? क्या कारण है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है, इसका क्या कारण है ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, मैंने प्रदूषण बोर्ड के प्रस्ताव को माननीय गुप्ता जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूरा पढ़ कर सुना दिया है। न्यायालय में मुकदमा किस सन्दर्भ में चलाया जाता है, यह माननीय सदस्य भी जानते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

किस कानून के अन्तर्गत यह चलाया गया ? क्या आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया या फिर कोर्ट के एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि किस धारा के अन्तर्गत यह मुकदमा चलाया गया है ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, इसमें आई० पी० सी० के अन्तर्गत मुकदमा नहीं चलाया जाता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड के किस एक्ट के तहत किस धारा के तहत यह मुकदमा चलाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

बोर्ड की सूचना इनके पास नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि बोर्ड ने किस अधिनियम के अन्तर्गत यह मुकदमा चलाया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उनपे इसकी सूचना नहीं होगी।

श्री राम आँतार दीक्षित—

मेरे पास सब सूचनायें हैं लेकिन यदि आप अनुमति दें तो मैं उनको बतला दूं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, बतलाने दीजिये।

श्री राम आँतार दीक्षित—

धारा ३२ (१) सी के अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

धारा ३२ बगैर नोटिस दिये, बिना जल का परीक्षण कराये शुरू ही नहीं होता है।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मैं मन्त्री जी से केवल एक बुनियादी बात जानना चाहता हूं कि जब फैक्ट्री को लाइसेन्स दिया जाता है तो उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं और यह भी तय है कि उन शर्तों का उल्लंघन भी होता है। जिस तरह से खलीलाबाद फैक्ट्री का प्रश्न आया है इसी तरह से उत्तर प्रदेश की और तमाम फैक्ट्रियां हैं जो कि प्रदूषण को फैला रही हैं, तो अभियोजन की कार्यवाही से न तो समस्या का समाधान होता है और न जो लोग इसकी शर्तों का उल्लंघन करते हैं उनको सजा ही मिल पाती है। क्या इन सारी चीजों को देखते हुए कि पर्यावरण की समस्या का निदान हो सके और इसका उल्लंघन करने वालों को दोषी करार दिया जा सके, तो क्या इस संबंध में अभियोजन के अतिरिक्त और कोई कार्यवाही करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री राम आँतार दीक्षित—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के कथन से अक्षरशः सहमत हूं। पर्यावरण की समस्या है और हम इस सन्दर्भ में जितनी सम्भव कार्यवाही है उतनी करने का प्रयास कर रहे हैं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन

★१—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या सरकार को मालूम है कि २० सूत्रीय कार्यक्रम की जो मीटिंगें जिला

तथा प्रदेश स्तर पर होती है उसमें सरकारी अधिकारियों, विधायकों तथा सांसदों के अलावा सभी मेम्बर कांग्रेस (ई) के ही होते हैं। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोगों को नहीं लिया जाता ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोगों को मेम्बर बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)—

शासन द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभावकारी तथा समयबद्ध ढंग से कार्यान्वियन हेतु राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं तथा इसमें कार्यक्रम से सम्बन्धित विभागों के मंत्रीगण, कुछ सांसदों तथा विधायकों के अतिरिक्त अन्य उन्हीं व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आस्था रखते हैं। इस समिति में दो सरकारी अधिकारियों को भी सम्मिलित किया गया है।

जिला स्तर पर गठित समितियों के अध्यक्ष जिले के प्रभारी मन्त्री हैं। इनमें बिना किसी दलगत भावना के जिले के समस्त सांसदों तथा समस्त विधायकों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। इन समितियों में दो सरकारी अधिकारियों को भी क्रमशः सदस्य तथा सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य उन्हीं व्यक्तियों को इन समितियों में सम्मिलित किया गया है जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में आस्था रखते हैं।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो आस्था रखने वाली बात कही गयी है, तो आस्था रखने का क्राइटेरिया क्या है कि इसके पास आस्था है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिन लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिन्होंने क्षेत्र में रहकर समाज के लिये कार्य किया है, यही है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो लोग इसमें आस्था रखते हैं, उन्हीं को मौका दिया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी लोग कांग्रेस (आई) के लोग हैं और यह लोग हर मामले में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पास कौन सा पैमाना है जिससे वह यह समझ लेते हैं कि अपोजीशन के सदस्यों के पास आस्था नहीं है और अपोजीशन के लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिले में अपोजीशन का सवाल ही नहीं है। इसके लिये प्रभारी मन्त्री बनाये गये हैं। इसमें विरोध पक्ष का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सूत्र चाहे ५ हों, २० हों या ५० हों, सवाल तो देश और प्रदेश के विकास का है। मान्यवर, योजनायें बनायी गयी हैं, उससे सम्बन्धित कार्यक्रम बनाये गये हैं, जिससे प्रदेश की जनता का हित हो। एक पार्टी की व्यवस्था है, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो भी योजनायें बनायी जायें, चाहे वह किसी सूत्र में हों उनमें हर एक व्यक्ति को नियमों के तहत प्रतिनिधित्व कराने की कृपा करेंगे ? और क्या किसी एक पार्टी का ख्याल किये बिना जनता

के किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह राजनैतिक भावनाओं से प्रेरित बात नहीं है प्रदेश स्तर पर इस कमेटी में हर प्रकार के व्यक्ति हैं। मान्यवर, इस कार्यक्रम को सफल करने में जनता का सक्रिय सहयोग है इसलिये थोड़ा सा शासकीय अधिकारियों से हट कर जनता के आदमी इसमें रखे गये हैं, जिसमें विधायक भी हैं और सांसद भी हैं चाहे वह किसी भी दल के हों। इसमें भेदभाव की बात नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूंछना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम है या कांग्रेस पार्टी का। और यदि ऐसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, को छोड़कर जो अन्य पार्टी के आपके मेम्बर हैं इन समितियों के क्या सूबे के किसी जिले में कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी के मेम्बर इसमें शामिल हैं ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, ५७ जिलों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अलावा जितने भी सांसद हैं जितने भी विधायक हैं सबके सदस्य मेम्बर हैं।

(श्री शारदा नन्द अंचल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अंचल जी आप बैठिये, नेता विरोधी दल बोलने के लिये खड़े हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है कि सांसद और विधायकों के अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के लोग इन समितियों में मेम्बर हैं या नहीं और यदि हैं, तो क्या अन्य पार्टी के भी हैं ? यही मेरा सवाल है ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न पहले किया था, मैं क्षमा चाहता हूं कि उसका उत्तर मैं नहीं दे पाया कि यह राजनीतिक कार्यक्रम है या राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में उन सब व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्य है, जिनका इसमें विश्वास है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, शासन से हटकर वह सारे सामाजिक कार्यकर्ता जिनको राष्ट्रीय कार्यक्रम के विकास में विश्वास है, उनको हम आमंत्रित करते हैं। अब आप यह पूछेंगे कि क्या राजनीतिक पार्टी से इसका सम्बन्ध है या नहीं ? मैं उत्तर देना चाहता हूं कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है इसलिए राजनीतिक आधार पर उसमें सदस्य नहीं हैं। केवल उन व्यक्तियों को लिया गया है जिनका इसमें विश्वास है। कांग्रेस के बारे में कहा गया है। कांग्रेस पार्टी वह है जिसका अपना राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम में १०० साल का इतिहास है।

(मेजों की थपथपाहट)

ऐसे लोग इसमें हैं, जिनको २० सूत्रीय कार्यक्रम में विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप आमंत्रित तो हैं ही, सदस्य आप हैं ही।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरा एक सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष—

राणा जी, आप बैठें।

(श्री राम सरन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सरन—

मान्यवर, राणा जी को बोलने दें, यह मेरी रिक्वेस्ट है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मैंने पुकार दिया, आप पहले प्रश्न करें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह आपका २० सूत्री कार्यक्रम है, इसमें कितना अर्सा और लगेगा जिससे यह ४२० सूत्री हो जाय ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक सवाल पूछना चाहता हूं . . .

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

कितनी देर तक इस सवाल में चर्चा होगी। यह सवाल हो गया आगे भी सवाल है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। . . .

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं . . .

(श्री फरीद महफूज किदवई के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप यह चाहते हैं कि घंटे भर तक इसी सवाल पर चर्चा हो। यदि यह बात है तो फिर ठीक है। आप चलायें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, पीछे भी आप नजर डालें। ..

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने राणा जी को बुला लिया है। आप बैठें . . .

(व्यवधान)

ठीक है, पीछे वाले भी बोलें, आगे वाले भी बोलें, इधर वाले भी बोलें और उधर वाले भी बोलें लेकिन कब तक यह चलेगा। . . . . (व्यवधान। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर यह सवाल कितनी देर तक चलेगा ? मैंने राणा जी को पुकार लिया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

पीछे वालों को भी मौका दें। . . . (व्यवधान) हम लोग पीछे बैठे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ी। जो पीछे बैठे हैं वह क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी आगे बैठ जायें। यह मेरी व्यवस्था नहीं है कि आप पीछे बैठें। आप आगे बैठें।

श्री विजय सिंह राणा—

मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है। यह आपने मान लिया। और आपने यह भी मान लिया कि इसमें कांग्रेस के लोग इसलिये रखे गये हैं कि उनकी आस्था इस पर वर्षों से इतिहास से जुड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी मेरे गुरू रहे हैं। उनकी आस्था कांग्रेस ने परख ली है और तभी उनको मन्त्री बनाया गया है। इससे पहले उनकी आस्था हमारे साथ जुड़ी हुई थी तब कोई आस्था नहीं थी लेकिन जैसे ही वे कांग्रेस में गये और मन्त्री बन गये तब से उनकी आस्था इसमें जुड़ गई, क्या यह सही है ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं उस व्यक्तिगत बात पर नहीं जाना चाहता और उससे प्रश्नों के अमूल्य समय को नहीं खोना चाहता हूं। किनका विश्वास है, किनका नहीं है इससे पहले

भी यह बात सदन में आ चुकी है और जिनका विश्वास है उनको लिया जायेगा। उसी आश्वासन के फलस्वरूप यह तय किया जायेगा कि इसमें कौन लिये जांय। मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल को प्रदेश के २० सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तत्कालीन नेता विरोधी दल को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिये पत्र लिखे गये कि हम शासन स्तर से उन्हें शामिल करना चाहते हैं, कृपया इस सम्बन्ध में वे अपनी सहमति भेजें। मान्यवर, ४ रिमाइन्डर्स मेरे पास हैं। अगर विश्वास था सम्मानित नेता विरोधी दल का इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में, तो कम से कम इतनी तो शालीनता बरतते कि हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं और उसमें शामिल होना तो दूर रहा, पत्र का जवाब भी नहीं देते और दोषी हमें ठहराते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। (व्यवधान) २० सूत्री कार्यक्रम प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है या कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है . . .

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, इसमें मुझे आपत्ति है। (व्यवधान) इस प्रश्न को आप देख लें इसमें लिखा है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय शब्द इसमें लिखा है . .

श्री उपाध्यक्ष—

तो जब प्रश्न शासन के पास गया था, तब रिजेक्ट कर देना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

दूसरा यह कि जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस २० सूत्री कार्यक्रम कमेटी के उपाध्यक्ष होते हैं तथा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें होते हैं। यदि यह उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है तो क्यों नहीं इसमें केवल विधान सभा सदस्य, एम० पी०, विधान परिषद् के सदस्य और अगर आवश्यकता महसूस हो तो गैर राजनैतिक लोग, बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रोफेसर, शिक्षक, जिनका विकास के कामों में रुचि हो ऐसे लोगों की २० सूत्री कार्यक्रम की कमेटी बनायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

केवल मान्यवर, विचार ही नहीं प्रदेश स्तर की २० सूत्री कार्यक्रम कमेटी में बुद्धिजीवी और पत्रकार भी शामिल किये गये हैं (व्यवधान) और लोग भी इसमें हैं।

श्रीमती सरोज वर्मा—

माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि नेता विरोधी दल से हमने कहा था कि आप २० सूत्री कार्यक्रम में शामिल हों लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। तो माननीय मन्त्री जी को मालूम नहीं है कि इनके पूर्व जो मुख्य मन्त्री थे उन्होंने मेरे पास पत्र भेजा था कि आपको २० सूत्री कार्यक्रम में नियुक्त किया जाता है जिसका मैंने जवाब दिया था लेकिन आज तक मीटिंग की कोई सूचना मेरे पास नहीं आई है।

दूसरा सवाल यह है कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अगर कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता तो हमें आपसे शिकायत नहीं थी। जब यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या पूरा विपक्ष राष्ट्रीय हित की बात नहीं करता है और केवल कांग्रेस ही सोचती है। तो क्या उसमें विपक्ष के लोगों को सदस्य बनायेंगे ताकि आपके गलत कामों पर यहां पर अंकुश लगता है उसमें भी अंकुश लगे ?

श्री हुकुम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीया सदस्य सरोज वर्मा जी ने खुद ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। हर माननीय सदस्य कहता है कि हमको नहीं पूछते हैं, हमको नहीं पूछते हैं तो आप पूछते रहिये और एक ही प्रश्न हो रहा है (व्यवधान) जबरदस्ती हो रही है। हाऊस चलाना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इस पर आप सब को सोचना चाहिये। बार-बार एक ही सवाल और एक ही जवाब हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि अगर यह कार्यक्रम केवल राजनीति से जुड़ा होता तो सम्मानित सदस्या के पास प्रस्ताव क्यों गया होता। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जिनका विश्वास इस कार्यक्रम में है उनको सदस्य बनाया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

वह तो विधायक हैं।

श्री हुकुम सिंह—

यह प्रदेश स्तर पर सदस्य होने की बात है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यक्रम में इनका विश्वास है इसलिए इनको निमंत्रित किया गया।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कांग्रेस पार्टी का दबाव कायम रखने के लिये कांग्रेस (आई) के अध्यक्षों को इसमें मनोनीत किया गया। यदि नहीं, तो जो इसमें अन्य माननीय सदस्य विश्वास रखते हैं, क्या उनका इसमें मनोनयन करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिनका विश्वास है उनका मनोनयन किया जा रहा है। प्रश्न के पहले भाग का मैं खंडन करता हूं।

[मंगलवार, १८ फरवरी, १९८६ हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री सन्त बख्श रावत, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जांच

★१—श्री शारदा प्रताप—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सन्त बख्श रावत तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक २१-२-८४ को नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सन्दर्भ में जिसका उत्तर संसदीय कार्य मन्त्री जी के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या २०१०(ख)/आठ—४—१०२/(४४) बी/८४ गृह (पुलिस) अनुभाग—४, दिनांक १५-३-८४ द्वारा दिया गया है, उससे सम्बन्धित मामले की जांच क्या किसी अधिकारी द्वारा कराई गयी है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन लोगों के बयान लिए गए हैं ? क्या पुलिस ने फर्जी सूचना भिजवाकर शासन को गुमराह किया है ? क्या इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट, सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सन्त बख्श रावत तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक २१-२-८४ को दी गयी नियम ३०१ की सूचना में उल्लिखित मामलों की जांच क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज द्वारा की गई। इस जांच के दौरान जांच अधिकारी ने २७ व्यक्तियों के बयान लिए जिनकी सूची संलग्न है। जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं हुए और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल पाई गई। क्षेत्राधिकारी द्वारा इस मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की गई है। जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना लोक हित में नहीं होगा।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया है वह पिछली विधान सभा के तत्कालीन सदस्य श्री संत बख्श रावत द्वारा नियम ३०१ के अन्तर्गत उन्होंने उठाया था। उसमें यह था कि थानाध्यक्ष, बंथरा, लखनऊ द्वारा किये जा रहे अत्याचार और उत्पीड़न से वहां की जनता में भय व्याप्त था, जिससे नियम ३०१ में इस मामले को उठाया। क्षेत्र से पांच हलफनामें ५-४-८४ को विधान सभा अध्यक्ष को श्री रावत ने उनकी फोटोस्टेट कापी दाखिल किया था। जो फेहरिस्त दी गयी है उसमें २७ लोगों, श्री सुबराती खां आयु ५५ वर्ष, थाना बंथरा, मैंक . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप नाम न पढ़ें और अब प्रश्न करें, विस्तार में न जांय।

श्री शारदा प्रताप—

कई लोगों के एफीडेविट हैं। क्षेत्राधिकारी मोहनलालगंज द्वारा मामले की जांच करायी गयी है और जो यह जांच रिपोर्ट आयी है वह बिल्कुल फर्जी है। जो २७ नाम दिये हैं, उसमें कुछ तो पुलिस के दलाल हैं और कुछ प्रताड़ित व्यक्ति हैं, जिन्होंने एफीडेविट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न करें।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, थानाध्यक्ष और अधिकारी के विरुद्ध जी० ओ० है कि वह कोई भी उद्घाटन, शिलान्यास नहीं कर सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि जांच सही नहीं हुई है और सम्बन्धित लोगों ने शपथ पत्र देकर पुन: जांच की मांग किया है। तो क्या मन्त्री जी इस पूरे प्रकरण की सी० आई० डी० जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इसमें दो बिन्दु ऐसे थे, जो हरिजनों से सम्बन्धित थे, इसलिए उनमें हरिजन सेल के द्वारा जांच कराई गई और सीधे डी० आई० जी० हरिजन सेल की देख-रेख में जांच हुई और उन्होंने यह आख्या प्रस्तुत की कि जो आरोप लगाए गये हैं, उनमें कोई भी आरोप ठीक नहीं पाया गया और पुलिस की सारी कार्यवाही नियमानुकूल थी। तो उसमें कोई भी पुलिसकर्मी या एस० ओ० दोषी नहीं पाया गया, इसलिए सी० आई० डी० जांच का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री शारदा प्रताप—

अभी आपने इसकी जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में कहा है कि उसे सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा। जबकि इसका कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और यह मामला फर्जी है तो इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर न रखने का क्या औचित्य है और उसमें सरकार क्यों कतरा रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

इस तरह की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जाती है, यह नियमानुसार नहीं होगा।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १४२ पर)

श्री गुलाब चन्द्र, अवर अभियन्ता, अनुरक्षण खंड नं० १, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के विरुद्ध माननीय विधायकों के शिकायती-पत्र

*२—श्री राज किशोर सिंह तथा श्री सरदार सिंह—

क्या सार्वजनिक निमार्ण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुलाब चन्द्र सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनुरक्षण खण्ड-१) जोकि सचिवालय कालोनी महानगर में अवर अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अनियमितताओं के बारे में माननीय विधायकों के दिनांक २८-९-८५, १-१०-८५, ३-१०-८५, ७-१०-८५ एवं १७-१०-८५ के पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

श्री गुलाब चन्द्र, अवर अभियन्ता, अनुरक्षण खंड नं०-१, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के खिलाफ निम्नलिखित तिथियों के माननीय विधायकों के ७ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे :—

१—दिनांक २८-९-८५

२—दिनांक १-१०-८५

३—दिनांक ३-१०-८५

४—दिनांक ३-१०-८५

५—दिनांक १५-१०-८५

६—दिनांक १७-१०-८५

७—दिनांक १७-१०-८५

उपरोक्त शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गई और जांच के फलस्वरूप शिकायती बिन्दु सत्यापित नहीं पाये गये। अतः श्री गुलाब चन्द्र अवर अभियन्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

★३—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[९वें शुक्रवार के ता० प्र० स० १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पुलिस थानों के निरीक्षण करने पर विचार

*४—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के प्रथक्करण के बाद पुलिस थानों में अलिखित रूप से कई-कई दिनों तक बन्द रखे जाने वाले विचाराधीन बन्दियों पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने, जी० डी० एवं सी० डी० की सत्यता प्रमाणित करने, हवालातियों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकने और उन्हें समय से न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्यवाही को प्रभावी बनाने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारियों को भी पुलिस थानों का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

एम० जी० ओ० उत्तर प्रदेश के पैरा ४०३—४०४ के अनुसार पुलिस थानों के निरीक्षण की जो शक्तियां जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, तथा कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को दी गई हैं वे ही अभी पर्याप्त हैं।

गंगा नदी के प्रदूषण के निवारण हेतु स्वीकृत योजना

*५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगा प्रदूषण मुक्त करने का संकलन समिति ने हरिद्वार और ऋषिकेश के सम्बन्ध में उ० प्र० जल निगम की कोई एक करोड़ बीस लाख की योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो योजना की पूरी रूप रेखा क्या है तथा वह कब तक पूरी होनी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गंगा नदी के प्रदूषण के निवारण हेतु भारत सरकार ने हरिद्वार के लिये रु० ३९.५४ लाख की तथा ऋषिकेश के लिये रु० ५६.६६ लाख की अर्थात कुल रुपये छियानवे लाख बीस हजार की एक योजना स्वीकृत की है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान सीवेज प्रणाली का सुधार, गन्दे नालों के पानी को, वर्तमान अथवा नव निर्मित सीवर में गिराना वर्तमान पम्पिंग स्टेशनों का पुनरोद्धार पम्पिंग प्लान्ट्स का निर्माण, सीवर का बिछाया जाना, वर्तमान पम्पिंग स्टेशनों की क्षमता का बढ़ाया जाना आदि कार्य सम्मिलित हैं। योजना के कार्य दिनांक ३१-३-८६ तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

देवरिया जनपद में कालोनी बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र तथा ली गई अग्रिम धनराशि

*६—श्री सूर्यप्रताप शाही—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में देवरिया के निकट आवास विकास परिषद द्वारा कालोनी बनाए जाने हेतु वर्ष ८०-८१ में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आवेदन-पत्र और अग्रिम धनराशि ली गयी थी ? यदि हां, तो आवास विकास परिषद द्वारा उस कालोनी का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन उसके शीघ्र निर्माण कराने का आदेश आवास विकास परिषद को देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, देवरिया जनपद में प्रश्नगत कालोनी बनाये जाने हेतु वर्ष १९८०-८१ में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आवेदन पत्र और अग्रिम धनराशि ली गई थी। नगर की आवासीय समस्या को हल करने हेतु परिषद द्वारा भरौली बाजार योजना बनाई गई है जिसका प्रकाशन गजट में दिनांक ३०-५-८१ को करा दिया गया था। भूमि अध्याप्ति अधिनियम १८९४ की धारा-७ के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवास विकास परिषद से कुछ सूचनायें अपेक्षित हैं, जिनके प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जायगा।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा -७ के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति प्रदान किए जाने के उपरान्त तथा भूमि का कब्जा आवास एवं विकास परिषद को मिलने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव होगा।

मेरठ रेन्ज के डी० आई० जी० श्री के० एम० एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच

*७—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ रेंज के डी० आई० जी० जेल श्री के० एम० एल० श्रीवास्तव के विरुद्ध कीट नाशक दवाओं के क्रय में विजिलेन्स विभाग ने जांच में उन्हें वर्ष १९८४-८५ में दोषी ठहराया है तथा उन पर मुकदमा चलाने की संस्तुति की है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मामले में सतर्कता अधिष्ठान से प्राप्त आख्या का परीक्षण शासन के सतर्कता विभाग द्वारा किया जा रहा है।

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में कर्मचारियों का विनियमितीकरण

*८—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में वरिष्ठ कुशल एवं अनुभवी कर्मचारियों के रहते हुए भी कार्यालय अधीक्षक, भंडार नायक, केन्द्र प्रभारी तथा वायरमैन के पदों पर अनुभवहीन तथा कनिष्ठ कर्मचारियों का विनिमितीकरण किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि मूल पद एवं वेतनमान में विनियमितीकरण न करके अपग्रेड करके विनिमितीकरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

तिलहर सहकारी चीनी मिल में कार्यालय अधीक्षक, भण्डारनायक, केन्द्र प्रभारी तथा वायर मैन के पदों पर वरिष्ठता, अनुभव एवं कार्यकुशलता के आधार पर ही कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है।

नियमितीकरण के पश्चात् कर्मचारियों को नियमित पद का ही वेतनमान दिया गया जिसके फलस्वरूप कतिपय कर्मचारियों को उनको पूर्व में मिल रहे वेतनमान से उच्च वेतनमान मिला।

बिलोचपुरा रोड, भदेंवां वार्ड, लखनऊ में सीवर लाईन को पूरा किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि

*९—श्री नरेश चन्द्र—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जल संस्थान के पीछे बिलोचपुरा रोड, भदेंवां वार्ड, लखनऊ में स्थित है, सड़क अभी तक इस लिए नहीं बन पाई है क्योंकि उसमें सीवर पड़ना बाकी है, जल संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें जल निगम से उक्त कार्य करने की धनराशि नहीं दी गयी है जबकि जल निगम अधिकारियों के अनुसार उक्त राशि स्वीकृति की जा चुकी है इसके बावजूद अभी तक उक्त सड़क पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? इसका क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राजेन्द्र नगर वार्ड में ऐशबाग आई. टी. कालोनी से पुरानी बस्ती होकर बिलोचपुरा तक जाने वाली सीवर लाइन को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा रु० ७,४३,४०० की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उसमें से रु० ५.०० लाख लखनऊ जल संस्थान को अवमुक्त किया जा चुका है।

सीवर कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

खांडसारी इकाइयों को लाइसेंस देने व नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध

*१०—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार खांडसारी उद्योग पर कोई ऐसी नई पाबन्दी नहीं लगायेगी जो उस पर पिछले वर्ष नहीं थी ताकि किसानों को गन्ने का उचित मूल्य एवं अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पिछले पेराई सत्र की अपेक्षा वर्तमान सत्र में खांडसारी इकाइयों को लाइसेन्स देने व उनका नवीकरण करने के सम्बन्ध में कोई विशेष नया प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। केवल खांडसारी एवं गुड़ को प्रदेश से बाहर परमिट पर ही निर्यात करने का प्रतिबन्ध ४-१-८६ को लगाया गया था, जो २६ जनवरी, १९८६ से हटा लिया गया है?

तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

*११—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजियाबाद, तहसील मुख्यालय दादरी में मुन्सिफ कोर्ट की कब तक स्थापना हो जायगी ? उक्त कोर्ट की स्थापना अब तक न होने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है और इस पर माननीय उच्च न्यायालय की आख्या मांगी गई है।

माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर ही इस मामले में शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

जौनपुर मड़ियाहूं स्थित सिंचाई विभाग के गोदाम से प्लास्टिक पाइप की चोरी की जांच

*१२—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सिंचाई विभाग जौनपुर मड़ियाहूं स्थित सिंचाई विभाग के गोदाम से श्री के० डी० गुप्ता अवर अभियन्ता की मिली भगत से ५० हजार रुपए मूल्य की प्लास्टिक पाइप

की चोरी के सम्बन्ध में थाना मड़ियाहूं में जनपद जौनपुर में अपराध संख्या ३०३/८४ पर धारा ३७९/४११ भा० दं० विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया था ? क्या यह सही है कि पाइप बरामद कर लिए गये थे? क्या उपरोक्त मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी है? यदि हां, तो किस आधार पर?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं, पाइप बरामद नहीं हुए थे।

जी हां। विवेचना में मामला चोरी का होना नहीं पाया गया।

वाद संख्या ६४५/८५ सरकार बनाम सोनी आदि निवासी ग्राम—पसौंरा की विभागीय जांच तथा कृत कार्यवाही

*१३—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाद संख्या ६४८/८५ सरकार बनाम सोनी आदि निवासी ग्राम पसौंरा धारा ३०७/१०९/५०४ भा० दं० वि० थाना टोड़ी फतेहपुर जनपद झांसी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या ५ झांसी ने दिनांक १२-५-८५ के अपने आदेश में थानाध्यक्ष टोड़ी फतेहपुर एवं उप अधीक्षक, गरौठा के विरुद्ध उक्त वाद में फाइनल रिपोर्ट लगाने में विवेचना में सन्देहास्पद भूमिका खड़ा करने के संबंध में भर्त्सना करते हुए घोर निन्दा पास किया है ? क्या न्यायालय से उक्त आदेश की प्रतिलिपि गृह विभाग उ० प्र० को मिली है ? यदि हां, तो इस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी कृपया की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वाद सं० ६४८/८५ सरकार बनाम सोनी आदि निवासी ग्राम-पसौंरा धारा ३०६/१०९/५०४ भा० द० वि० थाना टोडी, फतेहपुर जनपद झांसी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट श्री ए० के० श्रीवास्तव ने अपने आदेश दिनांक १२-६-८५ में अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी करने के आदेश किये तथा थानाध्यक्ष व क्षेत्राधिकारी गरौठा के विरुद्ध मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाये जाने पर प्रतिकूल टिप्पणी की।

उपरोक्त आदेश की प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी को १५-६-८५ को प्राप्त हुई तथा उसी दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी द्वारा पुलिस रेग्युलेशन के पैरा ५०९ के अन्तर्गत जांच किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया गया।

उपरोक्त वाद वर्तमान समय में सेशन्स कोर्ट, झांसी में विचाराधीन है। चूंकि विभागीय जांच तथा न्यायालय में चल रही कार्यवाही का विषय एक ही है इस लिए न्यायालय के निर्णय के उपरान्त जांच के कार्य को अन्तिम रूप देकर दोषी पाये गये पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही संभव हो सकेगी।

श्री नैन सिंह, ग्राम गोहरनी थाना शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में फौजदारी की घटना

*१४—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नैन सिंह, ग्राम गोहरनी थाना शामली जनपद मुजफ्फरनगर ने एक फौजदारी की घटना की सूचना दिनांक १२-५-८५ को थाने में दी थी तथा इसी सूचना को उन्होंने पुलिस कप्तान को (जो उन्हें १५-५-८५ को प्राप्त हुई) देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि यह प्राथमिकी शामली थाने पर एक माह बाद दिनांक १२-६-८५ को अपराध संख्या १०७-ए, धारा १४७/१४८/३२४/३२३/३३६ आई० पी० सी० में दर्ज की गयी ? यदि हां, तो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट एक माह बाद दर्ज किए जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

श्री नैनसिंह का प्रार्थना-पत्र, दिनांक १४-५-८५, रजिस्ट्री डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को प्राप्त हुआ । इस पर जांच एवं कार्यवाही के आदेश पारित हुए । थाना शामली पर दिनांक १२-६-८५ को इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर अपराध पंजीकृत हुआ । अपराध पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब के लिये तत्कालीन निरीक्षक प्रभारी, थाना शामली के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं ।

शास्त्री नगर सड़क कानपुर के निर्माण के सम्बन्ध में जांच

*१५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने २ अप्रैल, १९८१ को लखनऊ में प्रेस कांफ्रेंस में यह घोषणा की थी कि शास्त्री नगर सड़क कानपुर के निर्माण में खराब सामान लगाने के मामले में चीफ इंजीनियर, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, एवं अवर अभियन्ता को निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर के अतिरिक्त किसी अन्य इंजीनियर को निलम्बित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)—

तत्कालिक राज्य मंत्री, नगर विकास ने इस मामले में मुख्य नगर अभियन्ता/अभियन्ता, एवं अवर अभियन्ता को निलम्बित करने के आदेश दिये थे । तदनुसार मुख्य अभियन्ता को आदेश दिनांक २ अप्रैल, १९८१ के द्वारा निलम्बित कर दिया गया और प्रशासक से पूछा गया कि इस कार्य से कौन अन्य अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता सम्बन्धित थे ।

सम्पूर्ण मामला तकनीकी था अतः प्रशासक ने शासन से अनुरोध किया कि पहले इसकी सार्वजनिक निर्माण विभाग के तकनीकी सेल से जांच करा ली जाए जिसके बाद ही किसी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार हो सकता है । यह जांच अभी तक नहीं हो पाई है और इस कारण किसी अन्य अभियन्ता को निलम्बित नहीं किया जा सका ।

श्री आजाद सिंह सिरोही व कुशल पाल सिंह को थाना पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा मारने के उद्देश्य से ले जाने के विरुद्ध पंजीकृत अपराध

*१६—श्री किरनपाल सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७-८-८५ की सुबह श्री आजाद सिंह सिरोही तथा उनके साथी श्री कुशल निवासीगण क्रमशः फतेहपुर व सैदपुर, जनपद बुलन्दशहर के थाना पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद की पुलिस मारने के उद्देश्य से जबरिया उठाकर ले गयी थी जिसकी बाबत जनपद बुलन्दशहर के पुलिस अधीक्षक ने उक्त मामले में पिलखुवा की पुलिस के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराया था ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक १७-८-८५ को थाना पिलखुवा, जनपद गाजियाबाद की पुलिस द्वारा सर्वश्री आजाद सिंह सिरोही व कुशल पाल सिंह को थाना गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत काली नदी के पुल से संदिग्धावस्था में थाना पिलखुवा जनपद गाजियाबाद ले जाया गया था जहां आवश्यक पूंछतांछ के उपरान्त उन्हें छोड़ दिया गया था ।

श्री आजाद सिंह सिरोही के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर के

आदेशानुसार थाना पिलखुवा जनपद गाजियाबाद, की पुलिस के विरुद्ध थाना गुलावठी, जनपद बुलन्दशहर पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा ३०७/३९२/३९७/३६४/३३६/३२३/३४२ भा० दं० वि० पंजीकृत हुआ था जो अभी विवेचनाधीन है।

प्रदेश में सरकारी उपाय निगम लिमिटेड का गठन

*१७—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश में एक सरकारी उपाय निगम लिमिटेड है और प्रदेश के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष हैं ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपए की पूंजी से इस निगम को कब गठित किया गया था और अब तक इसकी क्या उपलब्धियां रही हैं ? इसका सालाना बजट कितने रुपये का है ? क्या इसकी बैलेंससीट तैयार की गई है ? यदि हां, तो कब से कब तक की तैयार हो गयी है ?यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक तैयार की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, उपाय लिमिटेड का गठन २८ अप्रैल, १९७७ को किया गया था जिसमें उ० प्र० शासन द्वारा अभी तक केवल १५.०० लाख रु० अंशपूंजी के रूप में लगाये गये हैं। निगम द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कारोबार चालू नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप इसका कोई वार्षिक बजट नहीं बनता है। निगम की बैलेन्सशीट नियमानसार १९७७-७८ से १९८४-८५ तक तैयार की गयी है।

आजमगढ़ जनपद गोठी, थाना दोहरीघाट में मछली को मारने के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही

*१८—श्री विष्णुदेव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद गोठी, थाना दोहरीघाट में दिनांक ५-४-८५ को तथाकथित सवर्णों ने धोबियों की पाली मछली को हथियारों से लैस होकर मार लिया है, जिसकी रिपोर्ट दिनांक ५-४-८५ को थाना दोहरीघाट जनपद आजमगढ़ में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक ५-४-८५ को श्री सहजानन्द राय, ग्राम प्रधान गोठी ने थाना दोहरीघाट में यह रिपोर्ट दर्ज करायी कि केदार नाथ गुप्ता निवासी ग्राम गोठी ने अपने बहुत से आदमियों के साथ चोरी व जबरदस्ती से लगभग ८० कुन्तल मछली मरवा लिया है।

अपराध संख्या ६९/८५ अन्तर्गत धारा ४६७/४६८/४२०/३७९ भा०द०वि० कायम होकर विवेचना आरम्भ हुई। जिस पोखरी से मछली निकाली गई थी उसके स्वामित्व का विवाद संयुक्त संचालक चकबन्दी आजमगढ़ में विचाराधीन है। अस्तु जांच स्थगित हुई। न्यायालय के निर्णयोपरान्त यथावश्यक विवेचना पुनः हो सकती है।

पंजाबी मार्केट की दुकानें कब्जादारों को हस्तान्तरित किए जाने के आदेश

*१९—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासन ने दिनांक १-२-८४ को नगरपालिका बरेली को यह आदेश दिए थे कि पंजाबी मार्केट की दुकानें कब्जादारों को हस्तान्तरित कर दी जायें जिसके अनुसार १३७ दुकानें दे दी गयीं किन्तु शेष २७ दुकानों का मूल्य १९७५ में जमा करने के बाद भी हस्तान्तरित नहीं की गयीं ? यदि हां, तो यह दुकानें कब तक हस्तान्तरित कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नगत आदेश दिनांक १-२-७४ को जारी हुए थे न कि दिनांक १-२-८४ को।

२७ दुकानों का उस समय हस्तान्तरण नहीं किया जा सका, क्योंकि उनमें से २१ दुकानदारों का स्वर्गवास हो गया था और ६ दुकानदारों द्वारा निर्धारित मूल्य जमा नहीं किया गया। अब दिनांक १६-८-८५ को उक्त शासनादेश के अधीन वर्तमान दर पर २७ दुकानें भी हस्तान्तरित करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जनपद मुरादाबाद के थाना नौगांवा सादात के क्राइम से सम्बन्धित क्षेत्र विकास समिति अमरोहा का प्रस्ताव

*२०—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि १३ अप्रैल, १९८५ को क्षेत्र विकास समिति रोहा की ओर से एक प्रस्ताव जनपद मुरादाबाद के थाना नौगांवा सादात के क्राइम के सम्बन्ध में जिलाधिकारी व एस० एस० पी०, मुरादाबाद के माध्यम से सरकार को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव के मुद्दे क्या थे तथा सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद मुरादाबाद के थाना नौगांवा सादात के क्राइम से सम्बधित क्षेत्र विकास समिति अमरोहा का कोई प्रस्ताव दिनांक १३-४-८५ जिलाधिकारी तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के माध्यम से सरकार को नहीं भेजा गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

स्थानीय लखनऊ पालीटैक्निक लखनऊ पर छात्रों का विभिन्न मदों की बकाया धनराशि

१—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय लखनऊ पालीटैक्निक लखनऊ पर छात्रों का विभिन्न मदों का लगभग ५० हजार रुपया बकाया है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, बकाया है।

सम्बन्धित तत्कालीन प्रधानाचार्यों में से एक का संस्था से लियन समाप्त कर दिया गया है एवं दूसरे जिनकी समय कालिक नियुक्ति थी, की अवधि में वृद्धि नहीं दी गयी। अतः प्रश्न नहीं उठता।

टाउन एरिया गढ़ी पुख्ता जिला मुजफ्फरनगर के सचिव प्रमोद पुरी के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

२—श्री अमीर आलम खां—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक ७-८-८५ का पत्र टाउन एरिया गढ़ी पुख्ता, जिला मुजफ्फरनगर के सचिव प्रमोद पुरी के भ्रष्टाचार, नाजायज तरीके से भंगियों से पैसा वसूलना, मकानों के कर कम करके पैसा वसूलना आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सचिव का स्थानान्तरण कर, जांच कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा श्री प्रमोद पुरी, सचिव, का टाउन एरिया गढ़ीपुख्ता से टाउन एरिया बनत को स्थानान्तरित करके शिकायती पत्र की जांच अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) से स्थल पर करायी गयी। जांच में शिकायती-पत्र में अंकित आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बी० एन० त्रिपाठी द्वारा अलीगंज स्कीम में स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

३—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० एन० त्रिपाठी ने डी-३१

सेक्टर एच अलीगंज स्कीम में १९८२-८३ में भूतल एवं प्रथम तल पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत फ्रंट सेट, रियर तथा साइड सेट बैक में निर्माण किया है किन्तु इनके विरुद्ध एल० डी० ए० द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, श्री वी० एन० त्रिपाठी ने केवल साइड सेट बैक में स्कूटर गैराज बनाया है, जो स्वीकृत भवन चित्र के विपरीत है। इनके विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २७(१) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। अतः किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

लखनऊ मास्टर प्लान में संशोधनों का वितरण

४—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान में ३१ मार्च, १९८५ तक कौन-कौन से संशोधन किये गये हैं और क्या मंत्री जी उक्त संशोधनों की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

लखनऊ मास्टर प्लान में ३१ मार्च, १९८५ तक किये गए संशोधन का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं० १४३ पर।)

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्रीराम प्रकाश का अवैधानिक निर्माण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्री राम प्रकाश, ३८, गन्ने वाली गली, लखनऊ का २५ अगस्त, १९८२ का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि श्रीमती ईश्वरी देवी के पति स्वर्गीय श्री युधिष्ठिर मेहता ने ६८-ए, गौतमबुद्ध मार्ग, लखनऊ पर दो दुकानें एवं उनके ऊपर एक बड़े हाल का निर्माण भवन-चित्र स्वीकृत कराये बिना वर्ष १९७८ में करवा लिया था किन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो श्रीराम प्रकाश के उक्त शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

पक्ष द्वारा जो शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था वह नियमानुसार नहीं पाया गया और पक्ष से कहा गया कि संशोधित मानचित्र प्रस्तुत करें एवं जिस अंश का शमन किया जाना सम्भव नहीं है उसे पहले गिरा दें।

श्री राम प्रकाश, सेक्रेटरी एन्टी करप्शन, सोसायटी, नई बस्ती, लखनऊ का अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में दी गई नोटिस तथा कृत कार्यवाही

६—श्री रामआसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को श्री राम प्रकाश सेक्रेटरी एंटी करप्शन सोसायटी नई बस्ती, लखनऊ का दिनांक १५ दिसम्बर, १९८३ का कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि श्री जी० पी० शुक्ला ने डा० डिसूजा रोड, लखनऊ पर जो लखनऊ महायोजना में आवासीय प्रयोग हेतु आरक्षित है, पर एक शापिंग काम्प्लेक्स का अनाधिकृत निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, १८७३ की धारा-२७, उप-धारा-१ के अधीन प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में नोटिस दी गई थी। और यह मामला सक्षम अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय में सुनवाई हेतु विचाराधीन रहा, और पक्ष के अनुरोध पर शमन के आदेश दिये गये। पक्ष द्वारा शमन के चित्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर तकनीकी जांच आदि की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अब्दुल रहमान अली उर्फ कल्लू, मोहल्ला मसकगंज, वार्ड वजीरगंज, लखनऊ को भवन गिराने की नोटिस

७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल रहमान अली उर्फ कल्लू पुत्र श्री अब्दुल खालिक मोहल्ला मसकगंज (लल्लू मल्ल रोड) वार्ड वजीरगंज, लखनऊ को भवन गिराने का नोटिस संख्या ४११/एल०डी०ए०/डब्लू० जी०, दिनांक १५-७-७८ दिया गया था जिसकी उन्होंने अपील की थी जो ३१-१-७९ को खारिज हो गयी तथा उनका रिवीजन भी ७ सितम्बर, १९८२ को आदेश सं० ४९१८, दिनांक ७ सितम्बर, १९८२ द्वारा खारिज कर दिया गया किन्तु उक्त अनाधिकृत निर्माण नहीं तोड़ा गया है ? क्या मंत्री जी उसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने की कार्यवाही इसलिए सम्भव नहीं हो सकी क्योंकि पक्ष ने निर्माण तोड़ने के आदेश के विरुद्ध सिविल जज, मोहनलालगंज के न्यायालय में वाद दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। जो कि अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अब स्थगन आदेश खारिज होने के पश्चात् ही कार्यवाही समाप्त हो सकेगी।

श्री शंकर धवन, निवासी दीनदयाल, लखनऊ द्वारा अपने भवन के मानचित्र स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही

८—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शंकर धवन, निवासी दीन दयाल नगर, लखनऊ ने अपना भवन मानचित्र १४-११-७९ को ५० रु० मानचित्र शुल्क के साथ रसीद सं० ४८, पुस्तक सं० २१२ जमा किया था, जिस पर नगर अभियन्ता द्वारा १७-३-८० को यह आपत्ति लगाई गयी थी कि प्रार्थी को कच्ची लेन का विकास चार्ज देना होगा और श्री शंकर धवन ने अपने पत्र दि० १५-१२-८० द्वारा यह सूचित भी कर दिया था कि वह विकास चार्जेज देने के लिए तैयार है किन्तु उनका मानचित्र अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनका मानचित्र कब तक स्वीकार कर दिया जायगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

जांचोपरान्त विकास शुल्क के अतिरिक्त कुछ टेक्निकल आपत्तियां पाई गई। जिससे पक्ष को अवगत करा दिया गया। टेक्निकल आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत किया जा सकता है।

लखनऊ महायोजना में आवासीय उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में दुकानों का निर्माण

९—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लक्ष्मी प्रकाश ने वर्ष १९८३ में लखनऊ महायोजना में आवासी उपयोग हेतु आरक्षित क्षेत्र में दुकानों का निर्माण कर लिया था अतः उनके विरुद्ध श्री आर० सहाय, स्पेशल जुडीशियल मैजिस्ट्रेट, लखनऊ के न्यायालय में उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम,

१९७३ की धारा १६ व २६ के अन्तर्गत केस नं० २२६/१९८३ दायर किया गया था किन्तु यह केस इसलिए वापस लेना पड़ा कि श्री लक्ष्मी प्रकाश का मानचित्र लखनऊ महायोजना के भू-उपयोग सम्बन्धी प्रस्तावों की अवहेलना करके स्वीकृत कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

जी नहीं, चूंकि पक्ष को अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध धारा २७ के अन्तर्गत 'कारण बताओ' नोटिस दी गयी थी और साथ ही धारा २६ के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के संबन्ध में प्रसीक्यूशन किया गया था। इस बीच पक्ष ने एक प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी दुकानें पहले से सन् १९५३ से बनी हुई थी।यह मामला चूड़ी वाली गली का है चूंकि अभी भी दुकानें हैं इसलिए विकास प्राधिकरण के सचिव द्वारा अध्यक्ष/आयुक्त, लखनऊ को नान कन्फार्मिंग भू-उपयोग के सम्बन्ध में छूट प्राप्त करने की अनुशंसा पर अध्यक्ष/आयुक्त ने नान कन्फार्मिंग यूज आफ लैंड पर स्वीकृत प्रदान की। इस प्रकार पूर्व में स्वीकृत किया गया भवन मानचित्र रेगुलराइज्ड हो गया।

अत: किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वैयक्तिक सहायकों के पद हेतु परीक्षा को निरस्त किये जाने का कारण

१०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जो वैयक्तिक सहायकों के पद हेतु परीक्षा दिनांक १७, १८ मार्च, १९८५ को ली गयी थी वह परीक्षा निरस्त कर दी गयी ? यदि हां, तो निरस्त किये जाने का क्या कारण है तथा पुन: दिनांक ८, ९ जून, १९८५ को वैयक्तिक सहायकों के पद हेतु जो परीक्षा ली गयी उसका परीक्षाफल अभी तक घोषित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या परीक्षाफल शीघ्र घोषित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, उक्त परीक्षा कतिपय शिकायतों के कारण निरस्त की गई। पुन: ली गई परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हो चुका है।

अभियोजन शाखा में उप निदेशकों के सृजित पद तथा रिक्त पद

११—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० शासन के अभियोजन शाखा में उप निदेशकों के कुल कितने पद सृजित हैं, उनमें से कितने पद कितने वर्षों से रिक्त हैं ? इन रिक्तियों के कारण क्या हैं ? क्या अभियोजन अधिकारियों ने शासन को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो इन नियुक्तियों में विलम्ब करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभियोजन शाखा में उप-निदेशक अभियोजन के कुल ५ पद सृजित हैं।

२ पद रिक्त हैं। उप-निदेशक, अभियोजन, वाराणसी का पद श्री आर० के० सिंह दिनांक १-१०-८४ एवं उप-निदेशक अभियोजन, बरेली परिक्षेत्र का पद श्री जे० पी० गोविल के दिनांक ३१-७-८५ को सेवा निवृत्त होने के कारण रिक्त हैं किन्तु सुचारु रूप से कार्य की व्यवस्था दोनों पदों पर कर दी गई है।

सेवा नियमावली पर आयोग से अनुमोदन न प्राप्त होने के कारण वह अभी प्रख्यापित नहीं हुई है। सेवा नियमा-

बली के अभाव में अभियोजन शाखा में प्रोन्नति हेतु नियमित ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (साधारण वेतनमान) उपलब्ध न होने से प्रश्नगत पदों पर नियमित प्रोन्नति नहीं की जा सकी है।

जी हां।

सेवा नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त नियमित चयन से ये रिक्तयां भरी जा सकेंगी। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान), वाराणसी उपनिदेशक अभियोजन, वाराणसी परिक्षेत्र का कार्य तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (ज्येष्ठ वेतनमान), बरेली उपनिदेशक अभियोजन, बरेली परिक्षेत्र का कार्य कर रहे हैं। वे अपने पदों के साथ-साथ उप-निदेशक के पदों का कार्य पूरी तरह से सम्पादित कर रहे हैं। अतः इन नियुक्तियों में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। इसलिए किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

काली जी बाजार ट्रस्ट स्कीम चौक, लखनऊ में पार्क बनाने के सम्बन्ध में दिये गये आदेश

१२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि काली जी बाजार ट्रस्ट स्कीम चौक, लखनऊ में पार्क बनाने के सम्बन्ध में जनता की मांग पर मन्त्री जी द्वारा ६ मई, ८५ को आदेश दिए गये थे? यदि हां, तो उन आदेशों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक पार्क बना दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त पार्क के सम्बन्ध में स्थल का निरीक्षण कराया गया और उक्त स्थल पर पार्क के लिए कोई उपयुक्त स्थल न होने के कारण पार्क का बनाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री बी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव द्वारा विदेशी संस्था से किया गया कांट्रेक्ट, विदेश जाने हेतु सरकार द्वारा दी गई सहमति

१३—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० एन० सिंह, सचिव, उ० प्र० शासन, आवास विभाग द्वारा सितम्बर, अक्टूबर, ८३ में अवकाश लेकर किसी विदेशी संस्था से कोई प्रोजेक्ट कांट्रेक्ट किया गया था? यदि हां, तो क्या उन्होंने इसकी पूर्व स्वीकृति शासन से प्राप्त की थी? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कांट्रेक्ट से उन्होंने कितनी धनराशि प्राप्त की और इसका विवरण शासन को दिया एवं इस धनराशि पर कोई कर अदा किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। श्री बी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ने किसी विदेशी संस्था से स्वयं कोई प्रोजेक्ट कांट्रेक्ट नहीं किया था वरन् विश्व बैंक के अनुरोध पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार की सहमति से "अर्बन लैण्ड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइसिंग, कास्टिंग एवं डिजाइन" में रिसर्च माडल के टेस्टिंग के निमित्त २६ अगस्त, १९८३ से ६ अक्टूबर, १९८३ तक कन्सलटेण्ट के रूप में कार्य किया था।

श्री बी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव को उक्त कार्य हेतु दिनांक २६-८-८३ से ६-१०-८३ तक बिना वेतन असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था।

उपर्युक्त एसाइनमेण्ट में श्री सिंह को ६,४७५ यू० एस० डालर की धनराशि प्राप्त हुई। चूंकि कथित अवधि में उन्हें बिना वेतन अवकाश स्वीकृत किया गया था अतः उनसे प्राप्त धनराशि का विवरण शासन द्वारा नहीं मांगा गया। श्री बी० एन० सिंह ने उक्त आय की विवरणी नियमानुसार आयकर विभाग को प्रस्तुत कर दी थी।

१४—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु देश के बाहर जाने के लिये भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी ? यदि हां, तो उक्त श्री सिंह के मामले में उ० प्र० शासन द्वारा भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गयी ? यदि हां, तो कब ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भारत सरकार ने उक्त कार्य के संपादन हेतु देश से बाहर जाने के लिए स्वयं प्रस्ताव किया था जिस पर राज्य सरकार ने जून, १९८३ में तथा भारत सरकार ने जुलाई, १९८३ में सहमति दी थी।

जनपद मैनपुरी की टाउन एरिया फरिहा के विनय कुमार लिपिक के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच

१५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी की टाउन एरिया फरिहा के विनय कुमार, लिपिक के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रेवती सिंह, निवासी फरिहा ने वर्ष १९८३ व १९८४ व १९८५ में शिकायती-पत्र उनको एवं जिलाधीश, मैनपुरी को डाक द्वारा भेजे एवं अप्रैल, ८५ में इसी सम्बन्ध में स्थानान्तरण का मांग-पत्र मा० जेल मन्त्री की प्रबल संस्तुति के साथ जिलाधीश मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है और उक्त शिकायती-पत्रों पर अब तक किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में संदर्भित पत्र न तो शासन को और न ही जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ। जेल मन्त्री की संस्तुति का पत्र भी जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु श्री रेवती राम गुप्ता का एक शिकायती पत्र दि० २२-४-८४ जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ था जिस पर परगनाधिकारी, जसराना द्वारा जांच कराने पर शिकायतें असत्य एवं निराधार पायी गयीं।

संदर्भित पत्र प्राप्त न होने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कबीर अहमद, सहायक वन संरक्षक, तत्कालीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, पूरनपुर (पीलीभीत) द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारणों की जांच

१६—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० वन निगम के अन्तर्गत डिवीजनल सेल्स मैनेजर (डी० एस० एम०) पूरनपुर (पीलीभीत) (श्री कबीर अहमद) जिनकी सर्विस लगभग १८ वर्ष की है, ने वन निगम के अधिकारियों से प्रताड़ित होकर जुलाई, ८५ में नौकरी से इस्तीफा दे दिया है ? यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ? क्या कारणों की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री कबीर अहमद, सहायक वन संरक्षक, तत्कालीन प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, पूरनपुर (पीलीभीत) जो उत्तर प्रदेश वन निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं, द्वारा अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण सरकारी कार्य करने में अपने आपको असमर्थ पाने का उल्लेख करते हुए राजकीय सेवा से अपना त्याग-पत्र जो प्रमुख वन संरक्षक को सम्बोधित था, जुलाई, ८५ में प्रेषित किया था, परन्तु इसी के पश्चात् उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक २८-७-८५ द्वारा अपना त्याग-पत्र वापिस भी ले लिया, अतः उनका त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया गया। यह त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिया गया था और वन निगम के अधिकारियों से प्रताड़ित होने का इसमें कोई उल्लेख नहीं था।

अतएव कारण की जांच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री कृष्ण प्रसाद आदि के विरुद्ध थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर में पंजीकृत मुकदमा

१७—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण प्रसाद आदि के विरुद्ध थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर में अपराध सं० ११३/८५ धारा १४७/३२३/३३६/४३५/४३६ भा० द० वि० का मुकदमा श्री कैलाश नाथ उपाध्याय ने कायम किया है ? क्या उक्त मुल्जिमानों के विरुद्ध थाना सिंगारामऊ व बदलापुर में इसी तरह से अन्य और मुकदमें कायम हैं ? यदि हां, तो उन सबमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार श्री कृष्ण प्रसाद आदि के विरुद्ध थाना बदलापुर, जनपद जौनपुर में श्री कैलाश नाथ उपाध्याय द्वारा प्रश्न में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत मु० अ० सं० ११३/८५ नहीं वरन् मु० अ० सं० ४३/८५ पंजीकृत कराया गया है जिसमें विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त अभियोग के अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिंगरामऊ व बदलापुर में अन्य कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुनहरी लाल का श्री रिसाल सिंह, निवासी खेरिया शिकमी गोहाना, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध अवैध बन्दूक रखने से सम्बन्धित शिकायती पत्र तथा लाइसेन्स की निरस्ति

१८—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुनहरी लाल के शिकायती-पत्र दि० १-६-७९ के आधार पर परगनाधिकारी, जसराना ने श्री रिसाल सिंह पुत्र पूसे सिंह निवासी खेरिया शिकमी गोहाना, थाना फरिहा, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध अवैध बंदूक रखने के संबन्ध में दि० १४-८-८० को मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश थाना इंचार्ज फरिहा को दिया ? यदि हां, तो क्या मुकदमा थानाध्यक्ष, फरिहा ने पंजीकृत किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनहरी लाल का श्री रिसाल सिंह, पुत्र पूसे सिंह, निवासी खेरिया शिकमी गोहाना, थाना फरिहा, जनपद मैनपुरी के विरुद्ध अवैध बन्दूक रखने से सम्बन्धित तथाकथित शिकायती पत्र दिनांक १-६-७९ अथवा उसकी प्रतिलिपि परगनाधिकारी, जसराना के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

१९—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि जिलाधिकारी, मैनपुरी ने श्री रिसाल सिंह को बन्दूक का लाइसेन्स वर्ष १९८४ में किस तारीख को निरस्त किया और अपील आयुक्त महोदय के यहां किस तारीख को की ? यदि हां, तो इस बीच बन्दूक कहां रही ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार जिला मजिस्ट्रेट मैनपुरी के आदेश दिनांक १७-७-८४ द्वारा श्री रिसाल सिंह की इकनाली कारतूसी बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त किया गया व दिनांक ३१-७-८४ को सम्बन्धित बन्दूक को जमा कराने के आदेश पुलिस को दिये गये। इसी बीच अनुज्ञायी ने दिनांक ८-८-८४ को आयुक्त आगरा मण्डल के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। आयुक्त ने दिनांक १४-८-८४ को स्थगन आदेश पारित कर दिया। इस अवधि में बन्दूक अनुज्ञायी के पास बनी रही।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई बाराबंकी द्वारा जनपद हरदोई के केन्द्र माधोगंज से गन्ने की खरीद तथा भुगतान

२०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य चीनी

निगम इकाई, बाराबंकी द्वारा जनपद हरदोई के केन्द्र माधवगंज से वर्ष ८४-८५ में गन्ना की खरीद की गयी ? यदि हां, तो कृषकों को इसका भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं,, तो क्यों ? यह कब तक करा दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० इकाई बाराबंकी द्वारा जनपद हरदोई के केन्द्र माधौगंज से पेराई सत्र १९८४-८५ में सहकारी गन्ना विकास समिति (ग्रोवर्स) हरदोई के माध्यम से रु० ३१,३५७.९७ के गन्ने की खरीद की गयी थी जिसका सम्पूर्ण भुगतान उक्त समिति को कर दिया गया है। दिनांक १-२-८६ की स्थिति के अनुसार इस धन-राशि में से गन्ना समिति रु० ३०,०८७.९५ का भुगतान कृषकों को कर चुकी है तथा रु० १,२७०.०२ का भुगतान अवशेष है, जिसका कारण कृषकों का भुगतान न लेने आना है। समिति स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाता है।

जनपद बाराबंकी के सुबेहा थाना के अन्तर्गत पुलिस द्वारा लूटपाट किए जाने के सम्बन्ध में कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक का प्रार्थना-पत्र

२१—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के सुबेहा थाना के अन्तर्गत ग्राम मल्लाहन पुरवा के निवासी श्री राम का एक प्रार्थना-पत्र पुलिस द्वारा लूटपाट किए जाने से सम्बन्धित कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक द्वारा अग्रसारित जुलाई ८५ के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

भूखण्ड संख्या २२४/२ मौजा बरगवां, जनपद लखनऊ पर पार्क बनवाने हेतु निवासियों का प्रार्थना-पत्र

२२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नजूल प्लाट संख्या २२४/२ बरगवां, जनपद लखनऊ पर एक पार्क बनवाने हेतु प्रेमनगर के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र प्रशासक, लखनऊ को लगभग ८ माह पूर्व मिला था और उसका सर्वे भी कराया गया था ? यदि हां, तो अब तक पार्क न बनवाए जाने का क्या कारण है तथा पार्क कब तक बनवा दिया जायगा जिससे नजूल प्लाट पर अनधिकृत कब्जे न हो सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में संदर्भित ८ माह पूर्व का पत्र नगर महापालिका, लखनऊ में नहीं प्राप्त हुआ बल्कि वहां के नागरिकों का एक पत्र दिनांक ३०-१-८६ का प्राप्त हुआ था। संदर्भित भूखण्ड संख्या २२४/२ मौजा बरगवां महापालिका सम्पत्ति है और धनाभाव व स्थल की परिस्थितियों-वश पार्क का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

२३—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक ३०-७-८५ को अता० प्र० सं० २२ द्वारा उत्तरित।]

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बम्बई में अतिथि गृह बनाने हेतु भूखण्ड खरीदने का कथित प्रस्ताव

२४—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग द्वारा बम्बई में अथिति गृह बनाने हेतु कोई भूखण्ड खरीदा गया है ? यदि हां, तो कब खरीदा गया ? उसमें निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा बम्बई में अतिथि गृह बनाने हेतु कोई भूखण्ड

नहीं खरीदा गया है। अतः उसमें निर्माण कार्य कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में कार्यरत पति-पत्नी कर्मचारियों द्वारा वसूल किया गया किराया भत्ता

२५—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राज्य सम्पत्ति मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कार्यरत पति-पत्नी कर्मचारियों दोनों से एक ही मकान का डबल किराया वसूल किया जाता है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

जनपद पौड़ी के मुख्यालय पौड़ी पर जिला कोषागार में अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति की मांग

२६—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी के मुख्यालय पौड़ी पर जिला कोषागार में जगह एवं स्टाफ की कमी के कारण जनता को भारी कठिनाई हो रही है और वर्षों से वहां का सारा कार्य एक ही कोषाधिकारी देखता है तथा इससे उत्पन्न अव्यवस्था के कारण इस कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले लगभग ३८,००० पेंशन भोगियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब वहां पर आवश्यक व्यवस्था तथा अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कोषागार पौड़ी से सम्बद्ध पेन्शनरों की संख्या में तथा अन्य कार्यों में वृद्धि होने के कारण इसी वित्तीय वर्ष १९८५-८६ में कोषागार पौड़ी के लिये १० लिपिक वर्गीय अतिरिक्त पद स्वीकृत कर दिये गये हैं।

जनपद रामपुर की कतिपय चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान

२७—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर स्थित स्टेट शुगर कारपोरेशन को रामपुर यूनिट तथा रुद्र विलास चीनी मिल एवं जनपद बरेली की केशर शुगर वर्क्स बहेड़ी किसान सहकारी चीनी मिल, सेमीखेड़ा तथा एच० आर० शुगर फैक्ट्री, बरेली पर वर्ष ८४-८५ का किसानों को गन्ना मूल्यों का कितना-कितना बकाया है? इनमें से कौन-कौन सी चीनी मिल ऐसी हैं जिनके पास धन उपलब्ध होने के बाद भी उन्होंने उक्त भुगतान नहीं किया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अविलम्ब उक्त गन्ना मूल्य का भुगतान करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद रामपुर स्थित राज्य चीनी निगम की यूनिट रामपुर तथा रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल एवं जनपद बरेली की केसर शुगर वर्क्स बहेड़ी, किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा तथा एच० आर० शुगर फैक्ट्री बरेली पर पेराई सत्र १९८४-८५ का दिनांक ३१-१-८६ की स्थिति के अनुसार किसानों के गन्ना मूल्य का कोई धन बकाया नहीं है। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती।

शहर पीलीभीत में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की पेंशन स्वीकृत किये जाने का आधार

२८—श्री तेज बहादुर गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद पीलीभीत में शहर पीलीभीत के कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी इस समय पेंशन ले रहे हैं। इन लोगों ने कौन-कौन सन् में और किस-किस जेल में कितने-कितने दिनों की जेल यात्राएं की हैं और कितने पेंशनर्स ऐसे हैं

जिन्होंने जेल नहीं काटी और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ? जिन्होंने जेल नहीं काटी वह पेंशन किस आधार पर पा रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शहर पीलीभीत के कुल २८ सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से २४ सेनानियों को जेल में सजा भोगने के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई है। उनके जेल में रहने का विवरण संलग्न † है। शेष २ सेनानियों को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सदस्य होने के आधार पर तथा २ को नियम १२ के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई है।

गन्ना सेवा वर्ग -२ से वर्ग -१ के पद पर पदोन्नति के नियम

२९— श्री तेज बहादुर गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना विकास निरीक्षकों के पद से श्रेष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों अर्थात वर्ग —२ से वर्ग —१ में पदोन्नति के लिये ऐसा नियम है कि पदोन्नतियों की स्वीकृति लोक सेवा आयोग द्वारा लेना अनिवार्य है ? यह नियम कब से लागू किया गया है तथा जनवरी १९८२ से जब तक कितने गन्ना विकास निरीक्षकों की पदोन्नति कर कर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के पदों पर नियुक्त किये गये ? क्या इनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग-२ से वर्ग—१ के पद पर सेवा नियमावली के अधीन लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति करने का नियम है। यह नियमावली सन् १९७९ से प्रभावी है।

वर्ष १९८२ से अब तक चार गन्ना विकास निरीक्षकों की पदोन्नति ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के पद पर तदर्थ रूप से की गयी है। इन चार पदोन्नत कर्मचारियों में से दो कर्मचारियों की पदोन्नति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के निर्णय के अनुपालन में की गयी है तथा दो कर्मचारियों की पदोन्नति तदर्थ रूप से ज्येष्ठता के आधार पर की गयी है। इन तदर्थ पदोन्नतियों के अनुमोदन कराने की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से की जा रही है।

टेलीप्रिंटर आपरेटरों की अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नति की नीति

३०—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि सचि० प्रशा० (अधि०) अनु०-४ के आदेश संख्या ७४९७ दि० २७-९-८० द्वारा नियुक्त स्थायी टेलीप्रिंटर आपरेटरों में से क्रमांक १ व २ पर नियुक्त आपरेटरों को सचि० प्रशा० (अधि०) अनुभाग-३ के आदेश सं० ३८४९ दि० २३-८-८० द्वारा अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नत कर आदेश सं० ५३४१ दि० ३०-११-८१ द्वारा प्रत्यावर्तित किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी भी टेलीप्रिंटर आपरेटर को शासनादेश संख्या ३८८० दि० १४-८-८० का लाभ देकर अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन सभी टेलीप्रिंटर आपरेटरों को वर्ष १९८० की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित टेलीप्रिंटर आपरेटरों के अतिरिक्त दिनांक २९-१-८६ को एक टेलीप्रिन्टर आपरेटर की अवर वर्ग सहायक के पद पर पदोन्नति की गयी है।

† छापी नहीं गई।

इस संवर्ग से सचिवालय में अवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नति की नीति पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। नीति निर्धारण के पश्चात् ही शेष के सम्बन्ध में निर्णय होगा।

३१—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव प्र० (अधि०) अनु०-४ के आदेश सं० १२५८० दि० ८-१०-८० द्वारा क्रमांक २६ एवं ३२ पर नियुक्त व्यक्तियों को वर्ष १९८५ में अवर वर्ग सहायक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया है जबकि उसी शासनादेश द्वारा नियुक्त उनसे वरिष्ठ अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

क्रमांक २६ व ३२ पर उल्लिखित व्यक्तियों की नियुक्ति सचिवालय प्रशासन विभाग के अधीन सचिवालय कन्ट्रोल पोस्ट में टेलेक्स आपरेटर के पद पर की गयी थी और इसीलिये सचिवालय प्रशासन विभाग में निर्धारित नीति के अनुसार उनकी पदोन्नति अवर वर्ग सहायक के पद पर की गयी। प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश के द्वारा नियुक्ति शेष आपरेटरों की नियुक्ति टेलीप्रिन्टर सेल में टेलीप्रिन्टर आपरेटर के पद पर की गयी थी, जिन्हें बाद में राजस्व विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया था। राजस्व विभाग में इनकी प्रोन्नति अवर वर्ग सहायक के पद पर नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके यहां लागू नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं था। अतः शेष व्यक्तियों की प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

रामपुर गन्ना विकास एवं सहकारी समिति, रामपुर में कृषकों द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच

३२—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर गन्ना विकास एवं सहकारी समिति रामपुर के तत्कालीन सचिव ने कुछ कृषकों को पिराई सीजन १९८३-८४ के गन्ना सप्लाई के मूल्य का भुगतान करते समय उनसे ब्याज लिया है जबकि नियमों में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है बल्कि इसके विपरीत देर से दिए गये गन्ना मूल्य पर श्रमिकों को ब्याज दिया जाना चाहिए था ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जांच कराकर अवैधानिक कार्य के लिए तत्कालीन सचिव को दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पेराई सत्र १९८३-८४ में रामपुर गन्ना विकास एवं सहकारी समिति रामपुर में कुछ कृषकों के प्रार्थना-पत्र पर गन्ने की पर्चियां धरोहर रख कर नकद ऋण ब्याज पर दिये जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच के लिये उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद को निर्देशित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विभागों को नई परियोजना प्रारम्भ न करने के दिये गये शासकीय निर्देश

३३—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में सभी विभागों को ऐसे शासकीय निर्देश जारी किये गये हैं कि वर्ष १९८५-८६ एवं १९८६-८७ में कोई नई परियोजना प्रारम्भ न की जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

वित्त एवं नियोजन राज्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

राज्य के वित्तीय संसाधनों की विषम स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तथा छठी योजनाकाल तक सृजित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वर्ष १९८५-८६ व १९८६-८७ में यथा संभव कोई नई परियोजना प्रारम्भ न करने के आदेश दिये गये हैं। नवीन केन्द्रीय पुरोनिधानित परियोजनाओं और विश्व

बैंक एवं अन्य वाह्य श्रोतों से सहायता प्राप्त नवीन परियोजनाएं आरम्भ करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वर्तमान चालू कार्यक्रमों के आवश्यकतानुसार विस्तार का भी प्राविधान किया गया है। इस प्रकार की परियोजनायें आरम्भ नहीं की जायेंगी जो मुख्यतया अतिरिक्त पदों के सृजन से सम्बन्धित हैं। जिन विभागों में भवन एवं अन्य परियोजनाओं के चालू कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन-राशि की आवश्यकता हो, उन विभागों में नवीन परियोजनाएं केवल अपरिहार्य परिस्थिति में ही आरम्भ की जायेगी।

शिवालय कोइरीपुर टाउन एरिया, जनपद सुल्तानपुर से रेलवे स्टेशन तक पक्की सड़क रामगंज बाजार, जनपद प्रतापगढ़ तक बनाने की योजना

३४—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवालय कोइरीपुर टाउन एरिया जनपद सुल्तानपुर से रेलवे स्टेशन तक पक्की सड़क रामगंज बाजार, जनपद प्रतापगढ़ तक बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू होगा तथा कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में अधिकारियों और ठेकेदारों के उत्पीड़न विषयक शिकायती-पत्र

३५—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मऊनाथ भंजन जनपद आजमगढ़ में अधिकारियों व ठेकेदारों की मिली-भगत से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी है ? इस सम्बन्ध में दिनांक ४-४-८५ को श्री बदरुज्जमा अन्सारी, अध्यक्ष, जनता पार्टी, मऊनाथ भंजन के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १०-४-८५ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

श्री बदरुज्जमा अन्सारी, अध्यक्ष, जनता पार्टी, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के पत्र दिनांक ४-४-८५ जिसमें नगरपालिका मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन करने तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किये जाने विषयक आरोप लगाये गये थे, के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक ७-४-८५ प्राप्त हुआ था। शिकायती पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गयी है।

आजमगढ़ जनपद के हाटा नाले पर ग्राम लखनौर-बैरिया डीह के बीच सार्वजनिक मार्ग (सड़क) पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

३६—श्री विष्णु देव—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद के हाटा नाले पर ग्राम लखनौर-बैरिया डीह के बीच सार्वजनिक मार्ग (सड़क) पर पुल बनाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक ४-५-८५ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी, हां।

यह जिला सेक्टर का कार्य है। इस प्रस्ताव पर जिला समिति द्वारा विचार किया जाना है।

मधुबन बाजार, जनपद आजमगढ़ के जल-निकासी की योजना

३७—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुबन बाजार, जनपद

आजमगढ़ के जल निकासी की योजना बनिया बांध मोड़ से दुबारी मोड़ तक सड़क के किनारे नाली निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दि० १५-५-८५ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारियों से आख्या एवं आगणन मांगा गया है।

३८—श्री विष्णु देव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ग्राम दुआरी, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के संबन्ध में पत्र

३९—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुआरी, तहसील घोसी, जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि संख्या ५२४५ रकबा ८० कड़ी व नं० ५२४९ रकबा ९० कड़ी, जो कीमती जमीन है, पर सम्बन्धित जूनियर इंजीनियर व सहायक अभियन्ता की सांठ-गांठ से एक ठेकेदार द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके जबरदस्ती मकान बनवाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक २५-६-८५ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, उक्त पत्र की प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता पूर्वी क्षेत्र, सा० नि० वि० वाराणसी को भेज दी गयी थी और उनसे कहा गया है कि मामले में जांच कराकर यथोचित कार्यवाही करावें।

जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी के ग्रामों में पेयजल समस्या

४०—श्री विष्णु देव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जनपद के तहसील घोसी में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें ग्रामीण जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है तथा ऐसे कितने ग्राम हैं जहां पीने के पानी की समस्या है ? इस समस्या के निदान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ के तहसील घोसी में कुल १९७ ग्राम पेयजल की दृष्टि से समस्याग्रस्त पाये गये हैं। १०७ समस्याग्रस्त ग्रामों को इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प लगा कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष ९० समस्याग्रस्त ग्रामों को सप्तम पंच वर्षीय योजना में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

४१—श्री विष्णु देव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

आजमगढ़ की टाउन एरिया जीयनपुर के जमादार श्री मुल्तान अहमद का त्याग पत्र

४२—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के टाउन एरिया जीयनपुर के जमादार मुल्तान अहमद के टाउन एरिया जीयनपुर के वकसी तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रताड़ित व अपमानित होकर त्याग-पत्र देने के संबन्ध में उक्त जमादार का रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक २४-७-८५ माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। श्री मुल्तान अहमद दिनांक १-१२-१९८४ से जमादार के पद पर दैनिक वेतनक्रम में कार्यरत् हैं। श्री अहमद का त्यागपत्र टाउन एरिया जीयनपुर कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ और न ही टाउन एरिया द्वारा उनकी सेवायें समाप्त की गयीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मधुबन, जनपद आजमगढ़ में शहीद स्मारक का शिलान्यास तथा निर्माण हेतु कृत कार्यवाही

४३—श्री विष्णु देव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मधुबन जनपद आजमगढ़ में जहां १९४२ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर १५ अगस्त, १९४२ को बीसों व्यक्ति गोली खाकर शहीद हो गये थे और सन् १९८४ में उन शहीदों की स्मृति में माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने मधुबन में शहीद स्मारक का शिलान्यास किया था? यदि हां, तो वहां पर अब तक शहीद स्मारक के लिए शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मधुबन जिला आजमगढ़ में जिस स्थान पर वर्ष १९४२ के आन्दोलन में कुछ व्यक्ति शहीद हुए थे, स्मारक का शिलान्यास मा० पंडित कमलापति त्रिपाठी के कर कमलों द्वारा अगस्त, १९८४ में किया गया था। यह स्थान एक भव्य स्मारक के निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः घटनास्थल के समीप ही कुछ अतिरिक्त भूमि को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि स्मारक का निर्माण सम्भव हो सके। वांछित भूमि अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

श्री जय प्रकाश वरनवाल, पत्रकार बिल्थरा रोड़, जनपद बलिया का पुलिस थाना उचाव, जनपद बलिया द्वारा उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायती-पत्र

४४—श्री विष्णु देव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जय प्रकाश वरनवाल पुत्र श्री मुरत वरनवाल, पत्रकार बिल्थरा रोड, जनपद बलिया का पुलिस थाना उचाव, जनपद बलिया द्वारा फर्जी १३४/८४/३२४ आई० पी० सी० मुकदमें में फंसाने तथा उत्पीड़न सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक १४-७-८४ माननीय मुख्य मन्त्री उ० प्र० श्रीयुत पुलिस महानिरीक्षक, उ० प्र०, श्रीयुत पुलिस अधीक्षक, बलिया के नाम भेजा, उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें किसी मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी द्वारा जांच की मांग की गयी है? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी तथा विपक्षी एक ही खानदान के हैं जो आपसी रंजिशवश एक दूसरे के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र दिया करते हैं। प्रार्थी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा ३२४ भा० दं० वि० में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है।

४५—श्री विष्णु देव—

[दिनांक १४-२-८६ को अता० प्र० सं० १५४ द्वारा उत्तरित]

तहसील गरौठा, जनपद झांसी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

४६—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद केन्द्र से गरौठा तहसील

मुख्यालय की दूरी सौ किलोमीटर से अधिक होने के कारण गरौठा तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय स्थापित किये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील गरौठा, जनपद झांसी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की आख्या मांगी गई। उच्च न्यायालय ने मार्च, १९८५ में सूचित किया कि गरौठा में न्यायालय कक्ष, आवासिक भवन, हवालात एवं मालखाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा वहां पर एक न्यायालय के लिए पर्याप्त कार्यभार भी नहीं है। इन कारणों से माननीय उच्च-न्यायालय ने इस प्रस्ताव की संस्तुति नहीं की और उच्च न्यानालय के विचारों को ध्यान में रखते हुए शासन ने इस प्रस्ताव को फिलहाल समाप्त कर दिया।

ग्राम सभा, गरौठा खास एवं गरौठा खुर्द को मिलाकर घोषित की गयी गरौठा टाउन एरिया

४७—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि झांसी जनपद की गरौठा टाउन एरिया जो ग्राम सभा, गरौठा खास एवं गरौठा खुर्द को मिला कर घोषित की गयी है, में एक किलोमीटर की त्रिज्या मानकर टाउन एरिया क्षेत्र बना दिया गया है? इन दोनों पूर्व ग्राम सभाओं की जमींदारी उन्मूलन एक्ट से प्रशासनिक भूमि टाउन एरिया गरौठा भूमि प्रबन्ध समिति में शामिल न कर पास के ग्रामों की भूमि प्रबन्ध समिति को हस्तान्तरित कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तथा कथित ग्राम सभाओं के क्षेत्रों को त्रिज्या मानकर नहीं बल्कि स्थल की स्थिति के अनुसार टाउन एरिया कमेटी गरौठा में सम्मिलित किया गया है।

ग्राम सभा गरौठा खास एवं गरौठा खुर्द की बैठकों में सर्व सम्मति से पारित प्रस्तावों के अनुसार उक्त ग्राम सभाओं का वह क्षेत्रफल जो टाउन एरिया कमेटी गरौठा की सीमा क्षेत्र से बाहर पड़ता है, को समीपवर्ती ग्राम सभाओं में भूमि प्रबन्धक समिति नियमावली के नियम ७ तथा जमीनदारी विनाश अधिनियम की धारा ११७(ए) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

झांसी जनपद को सीधे जालौन जनपद से जोड़ने हेतु बेतवा नदी के कोटरा घाट पर रपटे का निर्माण कार्य

४८—कुंवर मानवेंद्र सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद को सीधे जालौन जनपद से जोड़ने हेतु गुरसराय कोटरा मार्ग पर बेतवा नदी के कोटरा घाट पर रिपटा बनाया जाना शासन के निर्माण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या रिपटा निर्माण का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर दिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

धनाभाव के कारण रपटे का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष १९८५-८६ में प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

उ० प्र० जल निगम द्वारा अपनी स्वतंत्र इकाई खोलने के सम्बन्ध में विचार

४९—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल निगम केन्द्र सरकार या प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों से प्रति नियुक्ति पर जल भूवैज्ञानिक भू-

मौतिकविदों को लेकर अपनी स्वतंत्र इकाई खोल रहा है ? यदि हां, तो भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के कार्यरत होते हुए ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग अथवा सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के द्वारा कार्य कराने में जल निगम के कार्यों में विलम्ब होता था। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण के साथ ही साथ नलकूप छिद्रण के समय लागिंग की भी बहुधा आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य सुचारु रूप से तब ही सम्भव हो सकता है जब जल निगम की अपनी स्वतंत्र इकाई हो।

झांसी जनपद की गुरसराय टाउन एरिया को नगरपालिका घोषित किए जाने पर विचार

५०—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि झांसी जनपद की गुरसराय टाउन एरिया को नगरपालिका घोषित किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक घोषित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां।

यू० पी० म्युनिस्पैल्टीज एक्ट १९१६ की धारा ४(१) की अपेक्षानुसार टा० ए० कमेटी गुरसराय (झांसी) को नगरपालिका घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रथम अधिसूचना दिनांक १६-११-८५ को जारी करके जनता से आपत्तियां/सुझाव दिनांक २५-१२-८५ तक आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचारोपरान्त अन्तिम अधिसूचना जारी करने पर विचार किया जायगा।

बांदा नगरपालिका क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा व्यक्तियों को जल मूल्य अदा करने हेतु दिया गया कथित नोटिस

५१—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा नगरपालिका क्षेत्र में जल संस्थान द्वारा कितने व्यक्तियों को कई वर्षों का जल मूल्य अदा करने हेतु वर्ष १९८५ में नोटिस दी गई है और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके वहां नल का कनेक्शन तक नहीं है ? जिनके यहां कनेक्शन नहीं है उन्हें जल मूल्य वसूली हेतु नोटिस दिये जाने का क्या औचित्य है ? क्या शासन उनसे नोटिस वापस लेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९८५ में जल मूल्य अदा करने हेतु कोई नोटिस नहीं भेजा गया। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल हेतु बनाए जाने वाले गहरे नलकूपों का स्थल चयन

५२—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पेयजल हेतु बनाए जाने वाले गहरे नलकूपों का स्थल चयन राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग के भूवैज्ञानिकों द्वारा विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त कराया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

नलकूप के स्थल चयन में जल निगम के विशेषज्ञों के अलावा निगम द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तकनीकी संस्थाओं से भी सलाह ली जाती है जिसमें राज्य भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग भी शामिल है।

जिला आजमगढ़ में पेंशन प्राप्तकर्ता सेनानियों की मृत्यु तथा आश्रितों को दाह संस्कार हेतु स्वीकृत की गई धनराशि

५३—श्री विष्णु देव—

क्या कारागार एवं राजनैतिक पेंशन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष ८४ में आजमगढ़ जनपद में कितने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशन पाते रहे, की मृत्यु हुई है और उनमें कितनों के आश्रितों को दाह संस्कार के लिए शासन की ओर से सहायता प्राप्त हुई है ? क्या मन्त्री जी ऐसे आश्रितों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९८४ के अन्त तक जिला आजमगढ़ में पेंशन प्राप्तकर्ता सेनानियों में से ३७ की मृत्यु हुई है तथा निम्नलिखित ३ स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को अन्तिम संस्कार हेतु सहायता स्वीकृत की गई है :—

१—श्री जीतेन्द्र दत्त शर्मा, पुत्र स्व० श्री जीयाराम शर्मा।

२—श्री रामचन्द्र, पुत्र सवरू, ग्राम—बलभद्रपुर, तहसील —घोसी, जनपद—आजमगढ़।

भूतपूर्व हेड कान्सटेबल स्व० श्री अताउल्ला खां की पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में पत्र

५४—श्री विष्णु देव—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोफिया खातून उर्फ सफीहन बीबी मु० बसबाड़ा, पो० व थाना घोसी, जनपद आजमगढ़ को उनके पति स्व० श्री अताउल्ला खां एच०सी० नं० ३६०७१ के समस्त भुगतान व उनकी पेंशन के संबन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक २४-६-८५ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। भूतपूर्व हेड कान्स० स्व० श्री अताउल्ला खां की पत्नी श्रीमती सोफिया खातून का पारिवारिक पेंशन प्रकरण पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करके दिनांक २३-१-८६ को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भुगतानादेश निर्गत करने हेतु भेजा जा चुका है। श्री खां की निलम्बन अवधि (अधिवर्षता आयु प्राप्त होने तक) का वेतन तथा भत्ते की कुल धनराशि रु० २१७६४.५० का भुगतान दिनांक २-१-८६ को किया जा चुका है।

५५-५६—श्री राम आसरे वर्मा—

[दि० ११-२-८६ को अता० प्र० स०—४३ द्वारा उत्तरित।]

सहायक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त पद हेतु चयन

५७—डक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिन ४६० सहायक अभियोजन अधिकारियों के रिक्त पद हेतु चयन हुआ था उनमें से सभी परीक्षार्थियों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं तो क्या मन्त्री जी बाकी परीक्षार्थियों की नियुक्ति दिलाने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। केवल २५७ परीक्षार्थियों की ही नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है।

परीक्षा में सफल शेष अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त करने के बारे में परीक्षण किया जा रहा है।

लखनऊ स्थित मोहान रोड का निर्माण

५८—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की जानकारी में है कि लखनऊ स्थित मोहान रोड (बुलाकी अड्डा से बावली पुलिस

चौकी तक) बिल्कुल टूटी-फूटी जर्जर एवं खतरनाक स्थित में है जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है ? क्या मंत्री जी मोहान रोड को यथाशीघ्र ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह मार्ग अभी नगर महापालिका, लखनऊ के अधीन है। धनाभाव के कारण उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग में नहीं लिया गया है। अत: सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए उसे ठीक कराना अभी सम्भव नहीं है।

५९—श्री राज किशोर सिंह—

[दि० ११-२-८६ को अता० प्र० सं०—२ द्वारा उत्तरित।]

श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक अभिलेखों में हेर-फेर करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

६०—श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि श्री राम बरन पुत्र श्री सालिक, ग्राम कोलवा रुदौली बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र जनपद बाराबंकी के कतिपय विधायकों की संस्तुति सहित जो श्री हरि प्रसाद त्रिपाठी द्वारा सार्वजनिक अभिलेखों में हेर-फेर करने के सम्बन्ध में है, दिनांक ३० अगस्त, १९८५ को गृह सचिव एवं दिनांक ३१ अगस्त, १९८५ को जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित श्री राम-बरन पुत्र श्री सालिक, ग्राम कोलवा रुदौली, बाराबंकी से दिनांक ३१-७-८५ व ३०-८-८५ को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए।

जांच अपर उप विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी द्वारा कराई गई।

जांच से अभिलेखों में कोई हेरा-फेरी करने का तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

जनपद मुरादाबाद के अमरोहा नगर-पालिका में प्रभारी अधिकारी का रिक्त पद

६१—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अम-रोहा नगर की नगरपालिका प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है और उस नगरपालिका में काफी समय से प्रभारी अधिकारी (ओसो) का स्थान रिक्त पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रभारी अधि-कारी की नियुक्ति कब तक की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां, नगर पालिका, अमरोहा प्रथम श्रेणी की नगर पालिका है, किन्तु वहां के परगना मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अत: प्रभारी अधिकारी का पद रिक्त होने अथवा उस पर किसी की नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, अमरोहा को अमरोहा चीनी मिल द्वारा गृहकर का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

६२—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में नगर-पालिका, अमरोहा का शुगर फैक्ट्री, अम-रोहा पर कुछ टैक्स बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष का तथा कितना बकाया है तथा वह टैक्स नगरपालिका को दिलाए जाने हेतु सरकार क्या कार्य-वाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगरपालिका, अमरोहा द्वारा उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई, अमरोहा चीनी मिल से गृहकर की मांग की जा

रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

१—३१-३-८२ तक रु० १,२१,९२२,९१ ।

२—१-४-८२ से ३१-३-८५ तक रु० २,२७,२५० ६२ नगर पालिका, अमरोहा की उक्त मांग पर अमरोहा चीनी मिल को आपत्ति है । इस मांग के सम्बन्ध में विवाद माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या ९५६/८२ यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन बनाम चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद एवं अन्य में पारित आदेश के अन्तर्गत चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के समक्ष अभी विचाराधीन है । नगर पालिका, अमरोहा को गृहकर का भुगतान उक्त विवाद में न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा ।

अमरोहा शुगर मिल द्वारा उत्पादित की गयी चीनी तथा लाभ व हानि के आंकड़े

६३—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल, अमरोहा ने वर्ष ८१-८२ से वर्ष ८४-८५ तक प्रति वर्ष कितना उत्पादन किया तथा इन वर्षों में फैक्ट्री को कितना लाभ तथा हानि हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अमरोहा शुगर मिल के वर्ष १९८१-८२ से १९८४-८५ तक प्रतिवर्ष उत्पादित की गयी चीनी की मात्रा एवं लाभ अथवा हानि के आंकड़े निम्नवत् हैं :—

वर्ष	उत्पादित चीनी की मात्रा (कु० में)	फैक्ट्री में हानि (लाख रु० में)	मुख्यालय के लाभ हानि अन्तरित करने के पश्चात् हानि
1981–82	266790	137.14	140.80
1982–83	260605	124.38	127.03
1983–84	186330	242.67	242.55
1984–85	182710	111.90 (अनुमानित)	112.09 (अनुमानित)

अमरोहा चीनी मिल में गन्ना कृषकों का बकाया मूल्य

६४—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में शुगर मिल, अमरोहा पर वर्ष ८४-८५ का गन्ना किसानों का कुछ धन बकाया है ? सरकार उस बकाया धनराशि को कब तक अदा करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद की उ० प्र० राज्य चीनी निगम लि० यूनिट अमरोहा पर वर्ष १९८४-८५ का दिनांक ३१-१२-८५ की स्थिति के अनुसार गन्ना किसानों का कोई धन गन्ना मूल्य का बकाया नहीं है ।

ग्राम पनासा, जिला इलाहाबाद के निवासी श्री रंग बहादुर पाण्डेय व श्री श्याम बहादुर पाण्डेय के विरुद्ध दर्ज मुकदमें

६५—कुंवर रेवती रमण सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र ८५ के ४थे मंगलवार के लिए प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अता० प्र० सं० १३७ के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री रंग बहादुर पाण्डेय व श्री श्याम

बहादुर पाण्डेय, निवासी पनासा, थाना करछना, इलाहाबाद के विरुद्ध कौन-कौन दफा में मुकदमें चल रहे हैं ? इनके लाइसेन्स २५-५-८५ से निरस्त किए गये हैं तो केवल रंग बहादुर पाण्डेय की बन्दूक १४-६-८५ को ही क्यों रखवाई गयी जबकि इन दोनों के पास रायफल भी हैं ? उसे जब्त करने में क्या कठिनाई है ? क्या मुख्य मन्त्री जी को ज्ञात है कि श्याम बहादुर पाण्डेय के पास रिवाल्वर भी है ? अगर हां, तो उन्हें कब प्राप्त हुआ और उसे भी क्यों नहीं जब्त किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि पुलिस के कर्मी इसमें ढील दे रहे हैं जिससे कि वे कोर्ट से स्थगन ले लें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पनासा, इलाहाबाद निवासी श्री रंग बहादुर पाण्डे के विरुद्ध धारा ३८४, ५०६, १४७, १४८, १४९, ३०७, ३०२ व ३२३ भा० द० वि० के अन्तर्गत व उपर्युक्त ग्राम के निवासी श्री श्याम बहादुर पाण्डे के विरुद्ध धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ३०२, ३५३, १८६, १८८ भा० द० वि० के अन्तर्गत विभिन्न मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं ।

श्री रंग बहादुर पाण्डे के पास न तो राइफल का लाइसेन्स है और न ही राइफल है अत: अन्य प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम बहादुर पाण्डे का राइफल उच्च न्यायालय के आदेश से शस्त्र व्यवसायी के पास दिनांक २४-७-८५ से जमा है । अत: उक्त राइफल की जब्ती की कार्यवाही वर्तमान में सम्भव नहीं है ।

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री श्याम बहादुर पाण्डे के पास कोई रिवाल्वर नहीं है अत: अन्य प्रश्न नहीं उठता । पुलिस के विरुद्ध मामले में ढील दिये जाने के आरोप सही नहीं हैं ।

जिला बरेली के थाना फतेहगंज पुरी के इंचार्ज द्वारा की गई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

६६—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४-७-८५ को जिला बरेली के थाना फतेहगंज पुरी के इंचार्ज ने एक व्यक्ति ग्राम खेड़ा बछेड़ा, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार करके उसे २३-७-८५ तक हवालात में रखा जिसकी सूचना उसके पिता द्वारा २६-७-८५ को तार द्वारा पुलिस अधीक्षक, बरेली तथा पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक २४-७-८५ को जिला बरेली, थाना फतेहगंज पुर्वी के इन्चार्ज द्वारा ग्राम खेड़ा बछेड़ा, थाना जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया । श्री रौनक अली नामक व्यक्ति का एक तार दिनांक २६-७-८५ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायत की गयी थी कि उनके लड़के लड्डन उर्फ शमशाद अली को ग्राम खेड़ा बछेड़ा स्थित मकान से दिनांक २४-७-८५ को कोतवाली पुलिस द्वारा बिना किसी कारण के गिरफ्तार किया गया और अभी तक छोड़ा नहीं गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली द्वारा कराई गई जांच से विदित हुआ है कि उपर्युक्त लड्डन उर्फ शमशाद अली, निवासी ग्राम खेड़ा बछेड़ा, थाना जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर को दिनांक २७-७-८५ को कुमार टाकीज के पास थाना कोतवाली जनपद बरेली के उप निरीक्षक द्वारा कच्ची शराब सहित बन्दी बनाया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग सं० ८१९, धारा ६० आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

श्री लड्डन उर्फ शमशाद अली को गिरफ्तारी के पश्चात् दिनांक २७-७-८५ को न्यायालय ए० सी० जे० एम० बरेली में पुलिस द्वारा पेश किया गया तथा उसी दिन जमानत पर रिहा किया गया।

थाना रामनगर के ग्राम अमरा कटेहरा निवासी सर्वश्री शिवसरन अवस्थी व रामेश्वर यादव के शस्त्र लाइसेन्स हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र

६७—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत थाना रामनगर के ग्राम अमरा कटेहरा निवासी सर्वश्री शिवसरन अवस्थी व रामेश्वर यादव ने क्रमश: ३० सितम्बर, ७८, जनवरी, फरवरी, ७९ में बन्दूक लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र दिया था तथा लाइसेन्स प्राप्त होने में विलम्ब होने पर श्री शिवसरन अवस्थी ने दिनांक ३१-७-८२ को जिलाधिकारी, बाराबंकी को पंजीकृत डाक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रेषित करके गांवमें डकैती होने की शंका प्रकट किया था फिर भी किसी को बन्दूक लाइसेन्स अभी तक नहीं दिया गया और दिनांक २७/२८ अप्रैल, ८४ की रात में उक्त रामेश्वर यादव के घर डकैती हो गयी ? यदि हां, तो वे कौन सी कानूनी दिक्कतें थीं जिनके कारण उपरोक्त लोगों को लाइसेन्स अब तक नहीं दिए गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित सर्वश्री शिव सरन अवस्थी व रामेश्वर यादव के शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे।

श्री शिव सरन अवस्थी द्वारा १९७८ में शस्त्र लाइसेन्स हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच प्रचलित थी। इसी बीच उन्होंने दो और प्रार्थना-पत्र दिये, जिनमें उनके कथन में विरोधाभास होने के कारण गहराई से पुन: जांच कराना अनिवार्य हो गया। अत: उनके प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

श्री रामेश्वर यादव द्वारा फरवरी १९७९ में लाइसेंस हेतु दिया गया प्रार्थना-पत्र जांचोपरांत दिनांक २०-३-१९८० को अस्वीकृत कर दिया गया।

सर्वश्री शिव सरन अवस्थी व रामेश्वर यादव द्वारा वर्ष १९८४ में दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर जांच पूरी कर ली गयी है परन्तु प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र के नये लाइसेन्स जारी नहीं किये जा रहे हैं।

६८—श्री भगवती सिंह विशारद—

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

जनपद मुरादाबाद की अमरोहा तहसील के बन्दी गृह में बन्दियों को रखने की क्षमता

६९—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की अमरोहा तहसील में बन्दी गृह में कितने बन्दी रखने का स्थान है और माह जून, १९८५ में उस बन्दी गृह में एक साथ कितने बन्दी रखे गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मुरादाबाद की तहसील अमरोहा के बन्दी गृह में आठ बन्दियों को रखने की क्षमता है। माह जून—१९८५ में एक साथ कभी भी आठ बन्दियों से अधिक बन्दी नहीं रखे गये।

जनपद आजमगढ़ में कस्बा कोपागंज से सियात इब्राहिमाबाद मुख्य मार्ग पर निर्माण कार्य

७०—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में कस्बा कोपागंज से सियात इब्राहिमाबाद मुख्य मार्ग पर जयरामगढ़ से नकटा

कुडेसर होते हुये सियाह इब्राहिमाबाद तक पक्की सड़क बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह कार्य जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत आता है। इस मार्ग के निर्माण की स्वीकृति जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा इस कार्य हेतु जिला योजना में धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा विद्यालय कठघराशंकर व लाँबासाथ का भवन निर्माण

७१—श्री विष्णु देव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा विद्यालय कठघराशंकर व लाँबासाथ के भवन निर्माण का कार्य इसी वर्ष सम्पन्न हुआ है और इनकी छतें टपक रही हैं ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कर्मचारी को दंडित करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद में बेसिक शिक्षा विद्यालय कठघराशंकर का भवन निर्माण इसी वर्ष पूरा हुआ है किन्तु इसकी छत टपक नहीं रही है। बेसिक शिक्षा विद्यालय, लाँबासाथ का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। अतः उसकी छत टपकने का प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के न्यायालय में श्री महताब सिंह यादव, एडवोकेट द्वारा दायर किये गये मुकदमें के सम्बन्ध में कार्यवाही

७२—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९८५ के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—५४ के प्रत्युत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घटना से सम्बन्धित धारा ३९५, ३९७ व ५०४ आई० पी० सी० के अन्तर्गत वाद संख्या १६२/८४ न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के यहां श्री महताब सिंह यादव एडवोकेट द्वारा दायर किए गये मुकदमें में उपरोक्त धाराओं में प्राग्दर्शन में पुलिस कर्मी दोषी पाए गए हैं ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

घटना से सम्बन्धित वाद संख्या १०८५/८५ वर्तमान समय में अतिरिक्त मुन्सिफ मजिस्ट्रेट—II के न्यायालय के विचाराधीन है। न्यायालय के अन्तिम फैसले के पहले कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

७३—श्री मित्रसेन—

[दिनांक ११-२-८६ को अता०प्र०सं०—७ द्वारा उत्तरित।]

थाना बीकापुर, फैजाबाद में राजनैतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध झूठी एवं मनगढ़न्त दर्ज रिपोर्ट की शिकायत की जांच

७४—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९८५ के सातवें मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—४० के प्रत्युत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? शिकायत के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे और जांच के समय प्रश्नकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

डी० जी० सी० (क्रिमनल) फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर की गई जांच

७५—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९८५ के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—६३ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिकायती-पत्र के किन-किन बिन्दुओं की जांच कराई गयी और क्या शिकायतकर्ता को भी जांच के दौरान साक्ष्य के रूप में आहूत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९८५ के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या—६३ के उत्तर के सन्दर्भ में किये गये प्रश्न के बारे में यह सूचित करना है कि डी० जी० सी० (क्रिमनल) फैजाबाद के विरुद्ध माननीय सदस्य के शिकायती-पत्र पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, फैजाबाद से जांच करायी गयी थी। जिलाधिकारी से प्राप्त सूचना के अनुसार शिकायती-पत्र के सभी बिन्दुओं पर गोपनीय छानबीन की गई थी। इसलिये शिकायतकर्ता को साक्ष्य हेतु नहीं बुलाया गया।

बांदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में की गई अनियमितताओं विषयक शिकायती पत्र

७६— श्री मित्रसेन —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री किशोर सिंह चौहान अनुसचिव के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या २६७/एम० ए० एल०/२३-६-८५ सा० नि० वि० अनुभाग—६ उत्तर प्रदेश शासन दिनांक १७ अक्टूबर, १९८४ के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित रा० नि० उ० प्र० द्वारा निर्मित बांदा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण में की गयी अनियमितताओं विषयक शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा कब किस अधिकारी को जांच सुपुर्द की गयी ? अब तक जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सन्दर्भित शिकायतें टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में हैं। उसकी जांच श्री एस० सी० बंसल, महाप्रबन्धक, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० द्वारा कराई गई। मुख्य-मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार हैं :—

१—वाउचर नं०—६९६ तथा वाउचर नं०—४१० में फर्जी भुगतान किया गया,

२—फ्लड लाइट, ६०० केजी० कांटों तथा १६२ एम० एम० केबिल के क्रय में अनियमिततायें एवं धन का गोलमाल,

३—फ्लोर बीम की वेल्डिंग में अनियमितता,

४—फेब्रिकेशन में अनियमितता।

५—निगम के नियमों के विरुद्ध ओवर-टाइम का पैसा निकालकर निगम को नुकसान पहुंचाना।

जांच उक्त श्री एस० सी० बंसल, महाप्रबन्धक, उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० को दिनांक २६-१०-८४ को सुपुर्द की गयी।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला न्यूसारी, जनपद उत्तरकाशी के लापता होने की घटना

७७—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला न्यूसारी, जनपद उत्तरकाशी दिनांक ५-७-८५ से लापता हैं ? क्या यह सही है कि वह अन्तिम बार जन-

पद टिहरी के लम्बा गांव नामक स्थान पर देखे गए थे तथा पटवारी लम्बा गांव तहसील प्रतापनगर जनपद टिहरी द्वारा इस सम्बन्ध में दरियाफ्त हाल खोली गयी थी ? क्या यह भी सही है कि ग्राम नैंपड़ तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी के पटवारी द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के पास से उक्त भट्ट का छोटा रेडियो, एक स्वेटर तथा एक कोट बरामद किया गया था और तत्पश्चात् उपरोक्त दोनों पटवारियों ने मामला पुलिस को स्थानान्तरित कर दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा उपरोक्त श्री भट्ट का पता लगाने तथा अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला न्यूसारी, जनपद उत्तरकाशी, दिनांक ७-५-८३ (न कि दिनांक ५-७-८५) से लापता है, जिन्हें अन्तिम बार दिनांक ७-५-८३ को ही जनपद टिहरी गढ़वाल के स्थान लम्बगांव में देखा जाना वादी श्री जगदीश प्रसाद जो कि श्री लक्ष्मी प्रसाद भट्ट के सगे भाई हैं, द्वारा बताया गया था। उक्त घटना की सूचना वादी द्वारा चौकी पटवारी लम्बगांव को दिनांक १४-५-८३ को दी गई थी, जिसके आधार पर दरयाफ्त हाल प्रारम्भ की गई। यह सत्य है कि ग्राम नैंपड़ तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी के पटवारी द्वारा उक्त श्री भट्ट का छोटा रेडियो, एक स्वेटर तथा एक कोट बरामद किया गया था परन्तु वह किसी संदिग्ध व्यक्ति से नहीं अपितु न्यूसारी स्थित प्राइमरी पाठशाला के कमरे से बरामद किया गया था, जिसमें श्री भट्ट रहा करते थे। तीन माह तक सुराग न लग पाने के कारण यह विवेचना राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को स्थानांतरित की गई थी। पुलिस द्वारा विवेचना तत्परता से की गई और श्री भट्ट को तलाशने का हर-सम्भव प्रयास किया गया। कोई सफलता प्राप्त न होने पर दिनांक ३१-१०-८३ को विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई जोकि न्यायालय द्वारा दिनांक ७-३-८४ को स्वीकृत की जा चुकी है।

२३वां वृत सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक शिकायती-पत्र

७८—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती सरकार के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव) के पत्र संख्या १०६८ दिनांक १८-५-८३ के सन्दर्भ में २३वां वृत्त सा० नि० वि०, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक गम्भीर शिकायती-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और आरोप-पत्र में मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या थीं और उसकी जांच कब और किससे कराई गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री मित्रसेन, विधायक के पत्र दिनांक ३०-४-८३ की प्रतिलिपि तथा उससे संलग्न दो पम्पलेट्स को मूलरूप में भेजते हुए मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र) सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी से जांच कराके शासन को आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। मुख्य अभियन्ता से प्राप्त सूचना के अनुसार शासन स्तर से मूलरूप में भेजे गए पम्पलेट्स उनकी पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। अतः उक्त पैम्पलेट्स के खोने के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करके दाण्डिक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

हां श्री जमुना प्रसाद सिंह, सदस्य जिला कौंसिल, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, फैजाबाद के दो खुले पत्र दिनांक १-९-८२ व १५-११-८२ के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता, २३वां वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद से जांच करायी

गयी। जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है।

शिकायती पत्रों में मुख्य आरोप फैजाबाद जनपद के विभिन्न खण्डों में मार्गों के निर्माण के लिए माल सम्पूर्ति कटाई आदि कार्यों के लिए फर्जी भुगतान, भवन कार्यों में भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित थे।

थाना कोतवाली, फैजाबाद में श्री विजय कुमार, ग्राम भिटारी, थाना इनायत नगर की ओर से अंकित कराई गई रिपोर्ट

७९—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के थाना कोतवाली में अपराध संख्या निल ए धारा ३२३, ३२५, ५०४, ५०६ सम्बन्धित थाना इनायत नगर दिनांक ३०-४-८४ को श्री विजय कुमार पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद, ग्राम भिटारी, थाना इनायत नगर की ओर से कोई रिपोर्ट अंकित कराई गयी है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि सूचनाकर्ता द्वारा तहरीर में घटना की तिथि १०-४-८४ दर्शायी गयी है किन्तु थाना कोतवाली द्वारा रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण में जानबूझ कर उलझाने की दृष्टि से घटना की तिथि २-४-८४ लिखा गया है? यदि हां, तो उक्त मुकदमें को उलझाने की दृष्टि से लिखे गए गलत तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

थाना कोतवाली, फैजाबाद में दिनांक ३०-४-८४ को श्री विजय कुमार पुत्र रघुनाथ प्रसाद, ग्राम भिटारी, थाना इनायत नगर की ओर से अपराध संख्या निल—ए धारा ३२३, ३२५, ५०४, ५०६ भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। उनके द्वारा घटना की तिथि १०-४-८४ दर्शाई गई थी। किन्तु रिपोर्ट के संक्षिप्त विवरण में तिथि २-४-८४ लिखी गई है, इस सम्बन्ध में आरक्षी लेखक एवं उप निरीक्षक के विरुद्ध जांच प्रचलित है।

थाना खंडासा, जनपद फैजाबाद में पड़ी डकैती की घटना को चोरी में अंकित किये जाने से पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

८०—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र ८५ के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० संख्या ५५ के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५/१६ मार्च, ८५ व २१/२२ मार्च, ८५ की घटनाओं में जांचोपरान्त कौन लोग दोषी पाए गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, दोषी लोगों को गिरफ्तार कर चालान न किए जाने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक १५/१६ मार्च, ८५ की घटना के सम्बन्ध में विवेचना से अभियुक्तों का कुछ पता न चल पाने के कारण अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गयी।

दिनांक २१/२२ मार्च, ८५ की घटना के सम्बन्ध में विवेचना से कुल ११ अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से कुल ५ अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा २ अभियुक्तों ने न्यायालय में, आत्मसमर्पण किया। शेष ४ अभियुक्तों के विरुद्ध ८२/८३ द० प्र० सं० की कार्यवाही की जा रही है। ६ अभियुक्त १६९ द० प्र० सं० के अन्तर्गत रिहा किये गये एक की कार्यवाही शिनाख्त शेष है।

८१—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र ८५ के द्वितीय मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं० ५५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९/२० मार्च,

१९८५ की घटना के अभियोग को दर्ज न किए जाने के जांचोपरान्त कौन-कौन दोषी पाए गये तथा उन दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मामले की जांच चल रही है। जांचोपरान्त दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री चौहरबा सिंह, निवासी ग्राम नेवाजपुर, जनपद बाराबंकी की पुत्री मिथिलेश कुमारी की हत्या

८२—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि श्री चौहरबा सिंह पुत्र तनडोही सिंह, निवासी ग्राम नेवाजपुर, थाना रुदौली, जनपद बाराबंकी की पुत्री मिथिलेश कुमारी की शादी, श्री शिव वरदान सिंह, पुत्र शमशेर सिंह, निवासी ग्राम घौराहा, मधरपुर कछलापुर, थाना असन्दरा, जिला बाराबंकी के साथ हुई जिसकी हत्या दहेज न मिलने के कारण शिव वरदान सिंह, पुत्र शमशेर सिंह के परिवार वालों ने २० जनवरी, ८५ को कर दी है तथा जिसके सम्बन्ध में मिथिलेश कुमारी के पिता चौहरबा सिंह ने २८ जनवरी, ८५ को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

दिनांक २०-१-८५ को संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु हुई थी।

श्री चौहरवा सिंह, द्वारा दिनांक २८-१-८५ को पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को प्रार्थना-पत्र दिया गया था।

मामला अप० सं० ९/८५ थाना रुदौली में पंजीकृत किया गया।

विवेचनोपरान्त आरोप पत्र शमशेर सिंह व शिव वरदान सिंह के विरुद्ध दिनांक २२-१२-८५ को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

ग्राम तुलसीराम उर्फ बिछिया में खड़ंजा, नाली, हैन्डपाइप, बिजली आदि विकास कार्यों को कराये जाने हेतु स्वीकृत योजना

८३—श्री सैय्यद जावेद अली 'सब्जपोश'—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका गोरखपुर में विकास खण्ड की जो ४७ ग्राम सभायें महापालिका में सम्मिलित की जा चुकी हैं क्या इन ४७ ग्राम सभाओं को नगर महापालिका की सुविधायें मिलेंगी ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम ज० तुलसीराम उर्फ बिछिया में सड़क पर खड़ंजा, हरिजन बस्ती में खड़ंजा, पुल का निर्माण, नालियां व शौचालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

विकास खण्ड के जो ४७ गांव नगर महापालिका की सीमा में सम्मिलित किए गये हैं। इन गांवों में नगर महापालिका द्वारा सभी नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

ग्राम तुलसीराम उर्फ बिछिया में खड़न्जा, नाली, हैन्डपाइप, बिजली आदि विकास कार्यों को कराये जाने के लिए योजना स्वीकृत की जा चुकी है, धन उपलब्ध होते ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। पुल निर्माण के लिये निविदा मांगा गया था परन्तु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुआ अतः पुनः कार्यवाही की जा रही है। शौचालय का निर्माण लो कास्ट सेनीटेशन योजना के अन्तर्गत किया जायेगा।

उत्तरी गोरखपुर वन प्रभाग के मधवलिया रेन्ज में हुये वृक्षों के अवैध कटान तथा घास की अवैध बिक्री

८४—श्री सैय्यद जावेद अली 'सब्जपोश'—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरी गोरखपुर वन प्रभाग विशेषकर

मधवलिया रेन्ज में अवैध लकड़ी की कटाई एवं घास की अवैध बिक्री के सम्बन्ध में सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

उत्तरी गोरखपुर वन प्रभाग के मधवलिया रेंज में हुए वृक्षों के अवैध कटान से सम्बन्धित दोषी राजि अधिकारी को निलम्बित कर उन्हें आरोपित किया जा चुका है और अन्य दोषी कर्मचारियों को आरोपित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

मधवलिया रेंज में घास की अवैध बिक्री के मामले की जांच जारी है । जांच पूरी होने पर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

८५—श्री सैय्यद जावेद अली 'सब्जपोश'—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन को विनियमित करने के सम्बन्ध में नियमावली

८६—श्री सैय्यद जावेद अली 'सब्जपोश'—

क्या राजनैतिक पेंशन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच साल से अधिक अवधि के लिए जेल गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाणित करने पर ऐसे व्यक्तियों को, जो कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिए हैं, क्या राजनीतिक पेंशन देने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशन को विनियमित करने के सम्बन्ध में बनाई गई नियमावली में किसी बात के होते हुए भी सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, स्वतंत्रता संग्राम में उसके सेवा कार्य को देखते हुए, "स्वतंत्रता संग्राम पेंशन" स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर सकती है ।

इस व्यापक प्राविधान के होते हुए सरकार पांच साल से अधिक अवधि के लिए जेल गये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रमाणित करने पर ऐसे व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिये हैं, राजनैतिक पेंशन देने पर अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं समझती ।

विकास खण्डों के ग्रामों में सड़क, हरिजन बस्तियों में खड़न्जा एवं विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान किये जाने पर विचार

८७—श्री सैय्यद जावेद अली 'सब्जपोश'—

क्या नगर विकास मन्त्री को यह जानकारी है कि विकास खण्डों के ग्रामों में सड़क, सड़क पर खड़न्जा, हरिजन बस्तियों में खड़न्जा, हरिजन व निर्बल वर्ग आवास, हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की जाती है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि टाउन एरिया में बसे हुए हरिजनों को इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है ? क्या सरकार पिपराइच टाउन एरिया जनपद गोरखपुर के हरिजनों को यह सब सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

टाउन एरिया कमेटी, पिपराइच में पांच हरिजन बस्तियों में उक्त सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

धन की उपलब्धता पर टाउन एरिया द्वारा उक्त सुविधायें प्रदान की जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर महापालिका वाराणसी द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा लिपिक श्री प्रकाश प्रधान द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

८८—श्री सूर्यप्रताप शाही—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका वाराणसी द्वारा कुछ कर्मचारियों को सेवा के लिए नियमानुकूल चयनित किया गया था ? यदि हां, तो वे सेवारत हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से उनके स्थान पर तदर्थ एवं दैनिक वेतन भोगी जो चयनित कर्मचारियों से कनिष्ठ हैं, की नियुक्ति की गयी हैं और वरिष्ठ एवं चयनित कर्मचारियों को सेवामुक्त कर दिया गया हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका, वाराणसी द्वारा पंचवार्षिक कर निर्धारण के कार्य हेतु कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गयी थी। परन्तु पंचवार्षिक कर निर्धारण स्थगित होने के फलस्वरूप इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं। जब कर निर्धारण का कार्य शासनादेश के अनुपालन में पुनः आरम्भ हुआ तो उक्त कर्मचारियों की नियुक्ति पुनः की गयीं। तदोपरान्त शासन द्वारा पुनः कर निर्धारण का कार्य स्थगित करने के कारण इन्हें फिर सेवा से पृथक कर दिया गया। यह कहना सही नहीं हैं कि उक्त कर्मचारियों के स्थान पर तदर्थ तथा दैनिक वेतन पर नियुक्ति की गयी हैं।

८९—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन नगर विकास मन्त्री श्री राम सिंह खन्ना को द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत श्री प्रकाश प्रधान आदि ने कोई आवेदन-पत्र दिनांक ४ जनवरी, ८४ को दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तत्कालीन नगर विकास मन्त्री श्री राम सिंह खन्ना को इन लिपिकों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था परन्तु पद रिक्त न होने के कारण इन्हें समायोजित नहीं किया जा सका।

वाराणसी नगर महापालिका में सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों को समायोजित किये जाने पर विचार

९०—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में वाराणसी नगर महापालिका के प्रशासक के आदेश दि० ३१-५-८३ में सेवा से पृथक किए गए कर्मचारी श्री गोपाल दास आदि सात द्वितीय श्रेणी लिपिकों ने पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त वाराणसी के यहां अपील प्रस्तुत की थी जिसे उन्होंने स्वीकार करते हुए २२ नवम्बर, ८४ को प्रशासक का आदेश निरस्त करते हुए निर्णय दिया था कि सेवामुक्त कर्मचारियों को सेवामुक्त कर उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी तदर्थ सेवा में बनाए रखना उचित नहीं हैं तथा अपीलकर्ताओं को भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर प्राथमिकता के आधार पर समायोजित किया जाय ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सेवा से पृथक किये गये कर्मचारियों में सर्वश्री गोपाल दास, आदि ७ द्वितीय श्रेणी लिपिकों ने प्रशासक के आदेश दिनांक ३१-५-८३ के विरुद्ध आयुक्त, वाराणसी के यहां अपील प्रस्तुत की थी तथा इनकी अपील स्वीकार करते हुये यह आदेशित किया गया कि अपीलकर्ताओं को भविष्य में होने वाली रिक्तियों में प्राथमिकता के आधार पर

समायोजित किया जाए। इन ७ कर्मचारियों में से एक कर्मचारी सेवाकाल में ही त्याग-पत्र देकर चला गया था। बाकी ६ कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर कार्य करने हेतु रख लिया गया है।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा, दूबारी को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में विचार

९१—श्री विष्णु देव—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दूबारी, जनपद आजमगढ़ को जिसकी जनसंख्या करीब १०,००० (दस हजार) है को टाउन एरिया का दर्जा देने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा दूबारी को टाउन एरिया बनाने के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचनायें जिलाधिकारी, आजमगढ़ एवं निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त होते ही परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायगा।

जनपद देवरिया में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलिस के वर्तमान कार्य व्यवहार के सम्बन्ध में की गई शिकायत की जांच

९२—श्री सूर्य प्रताप शाही—

प्रथम सत्र १९८४ के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्रश्न संख्या १५५ के सम्बन्ध में क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १५ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उस जांच में कौन सी वास्तविकता सामने आई तथा जांच अधिकारी कौन था।

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रथम सत्र १९८४ को तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—१५५ के उत्तर में १५ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नहीं वरन् १५ बिन्दु, पुलिस की कार्यवाहियों के विषय में थे और उत्तर में अवगत कराया गया था कि उक्त १५ मामलों में पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। जांच तत्कालीन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई थी।

जनता शासनकाल में सेतु निगम द्वारा देवरिया जनपद में पुल का निर्माण

९३—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता शासन काल के दौरान वर्ष १९७८ से ८० तक देवरिया जिले में सेतु निगम द्वारा किन-किन स्थानों पर सेतुओं का निर्माण हुआ? क्या उन सेतुओं के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग (गंडक समादेश) ने अनुदान दिया था? क्या उन सेतुओं पर पथकर की वसूली होती है? यदि हां, तो किन कारणों से? क्या शासन के पास उन सेतुओं से पथकर की वसूली समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या अन्य सेतुओं की भांति पकहाघाट, महुआपाया घाट पर निर्मित सेतु से पथकर की वसूली समाप्त करने पर शासन विचार करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९७८ से ८० (१७-८-८०) तक जनता शासनाकाल में सेतु निगम द्वारा देवरिया जनपद में एक पुल का निर्माण सलेमपुर-मझौली मार्ग पर छोटी गंडक नदी पर नदावर घाट पर किया गया था।

जी हां।

जी हां।

पथकर की वसूली शासन की निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है।

जी नहीं।

पकहाघाट एवं महुआपाटन घाट पर निर्मित सेतुओं से पथकर की वसूली शासन की निर्धारित नीति के अनुसार की जा रही है और उसे समाप्त करना सम्भव नहीं है।

देवरिया जनपद में अमर ज्योति जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट के विरुद्ध कार्यवाही

९४—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में अमर ज्योति जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकरण संख्या ५१४५ था, वर्ष १९८० से ८५ के बीच में कार्यरत थी ? यदि हां, तो उसकी शाखाएं किन-किन स्थानों पर थी ? क्या शासन को इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि उसका निदेशक श्री रामनेत्र यादव, अपनी शाखाओं को बन्द कर गरीब मजदूरों का लाखों रुपया लेकर भाग गया ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

क्षेत्रीय अमर ज्योति जनरल फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड देवरिया नामक कम्पनी, रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज, उत्तर प्रदेश, कानपुर कार्यालय में पंजीकरण संख्या ५१४५ दिनांक ५-१२-१९८० को पंजीकृत हुयी थी। जांच के समय कम्पनी का कार्यालय बन्द पाये जाने के फलस्वरूप वर्ष १९८० से १९८५ तक कम्पनी के कार्यरत होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। छान-बीन के फलस्वरूप उपलब्ध सूचना के अनुसार कम्पनी की शाखायें निम्न स्थानों पर थीं :—

१—एक शाखा देवरिया नगर में गोरखपुर-देवरिया राजमार्ग पर हेडपोस्ट आफिस के पास कार्यरत थी।

२—दूसरी शाखा थाना तरयासुजान जनपद देवरिया के तमकुही राज में कार्यरत थी।

छान-बीन के फलस्वरूप उपलब्ध सूचना के आधार पर शासन को ऐसी सूचना नहीं प्राप्त हुयी है कि कम्पनी के निदेशक, श्री राम नेत्र यादव (प्रश्नगत कम्पनी के पंजीकृत अभिलेखों के अनुसार प्रबन्धक का नाम राम श्रीनेत्र यादव है) शाखाओं को बन्द कर गरीब मजदूरों का लाखों रुपया लेकर भाग गये। किन्तु उक्त कम्पनी के कर्मचारियों एवं आर० एस० यादव मालिक के विरुद्ध श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव एडवोकेट दीवानी कचहरी देवरिया ने थाना कोतवाली देवरिया में दिनांक ७-१२-१९८३ को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी थी जिसके फलस्वरूप कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा संख्या अ० सं० ५१८/८३ धारा ४०६/४२० भा० द० वि० तथा धारा ३/४ प्राइज चिट्स एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट १९७८ कायम किया गया जिसकी विवेचना देवरिया जनपद की विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा की जा रही है। अब तक की विवेचना से इस अभियोग में प्रकाश में आये पांच अभियुक्तों को पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया। वे सभी न्यायालय में जमानत पर हैं। प्रबन्धक राम श्री नेत्र यादव ने दिनांक २०-१-१९८४ को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा जमानत पर हैं।

मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ में घटी घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

९५—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊनाथ भंजन (आजमगढ़) में दिनांक २० जुलाई की घटी घटनाओं के सम्बन्ध में भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भूतपूर्व विधायक प्रोफेसर रामजी सिंह द्वारा दि० १९ अगस्त, ८५, २४ अगस्त, ८५ के पत्र मिले हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

बरेली जनपद से श्री शीतला पाल सिंह अधिशासी अधिकारी तथा श्री जगदीश नारायण सक्सेना अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण

९६—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि श्री शीतला पाल सिंह जो चतुर्थ श्रेणी के अधिशासी अधिकारी हैं, का स्थानान्तरण नगरपालिका टनकपुर हुआ था, को तृतीय श्रेणी की नगरपालिका बहेड़ी, जिला बरेली में ही रोका गया है और जगदीश नारायण सक्सेना जो बरेली में ४ श्रेणी के अधिशासी अधिकारी हैं, जिनका स्थानान्तरण तृतीय श्रेणी की ही नगर-पालिका फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा से नगरपालिका बहेड़ी, जिला बरेली हुआ था, के आदेशों को व्यावर्तित कर एक चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका सहसवान जिला बदायूं भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां ।

श्री जगदीश नारायण सक्सेना श्रेणी-३ के अधिशासी अधिकारी हैं और उन्हें उनके अनुरोध पर नगर पालिका, सह-सवान स्थानान्तरित किया गया, जो श्रेणी-३ की ही नगर पालिका है ।

खेल निदेशालय से कथित जाली प्रमाण-पत्र

९७—डा० दिनेश जौहरी—

क्या खेल मन्त्री को जानकारी है कि खेल निदेशालय से काफी मात्रा में झूठे प्रमाण-पत्र दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल, हरदोई में जमा श्री राम प्रकाश सक्सेना की धनराशि का भुगतान

९८—डा० दिनेश जौहरी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल हरदोई जो सरकार के नियन्त्रण में है, को प्रशासन द्वारा २.६० करोड़ तथा चीनी निगम द्वारा ५५ लाख रुपये की सहायता दिए जाने के उपरान्त भी श्री राम प्रकाश सक्सेना, निवासी मुहल्ला मलकपुर, बरेली को उनकी १५,५०९.३४ रु० की डिपाजिट राशि को जो वर्ष १९७८ में एक वर्ष के लिए मिल में जमा किया था का भुगतान आज तक नहीं हुआ है ? जबकि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि सारे भुगतान मई, १९८५ तक हो जायेंगे क्या सरकार इस पर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लक्ष्मी शुगर एण्ड आयल मिल्स लि० हरदोई के चीनी उपक्रम का अधिग्रहण चीनी उपक्रम (अर्जन) (संशोधन) अध्यादेश १९८४ के अन्तर्गत दिनांक २८-१०-८४ को किया गया और चीनी मिल समस्त देनदारियों से मुक्त होकर तात्कालिक प्रभाव से उ० प्र० राज्य चीनी निगम में निहित हो गई । हरदोई चीनी मिल में श्री राम प्रकाश सक्सेना द्वारा वर्ष १९७८ में एक वर्ष के लिये जमा की गई कथित धनराशि अधिग्रहण पूर्व की है । अतः उसका भुगतान राज्य चीनी निगम अथवा शासन द्वारा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

किसान सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर में उत्पन्न तनाव

९९—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि चीनी मिल पूरनपुर के परिसर में एक सुरक्षा गार्ड द्वारा १० अक्टूबर के आस-

पास गोली चला दिए जाने के परिणाम स्वरूप तनाव व्याप्त हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उस मामले की जांच कराई एवं दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रधान प्रबंधक किसान सहकारी चीनी मिल ने दि० १२-१०-८५ को समय लगभग ८.३५ बजे प्रातः थाना पूरनपुर पर इस आशय की लिखित सूचना अंकित कराई कि दिनांक १२-१०-८५ को ए० टी० वी० कम्पनी, जो चीनी मिल में मशीनरी फिट करा रही थी, के पूरन सिंह तथा अन्य व्यक्ति बैरियर तोड़ कर जीप से मिल का सामान चुरा कर ले जा रहे थे, तब सुरक्षा गार्ड ने सामान ले जाने से रोका। इसके बाद लगभग १-०० बजे रात्रि में वे लोग प्रधान प्रबन्धक के निवास पर गये और सुरक्षा गार्ड से मार-पीट कर अन्दर घुसने का प्रयास किया। इस पर सुरक्षा गार्ड ने डराने के लिये हवाई फायर किया। इससे चीनी मिल के अधिकारियों व कर्मचारियों में तनाव पैदा हो गया था, किन्तु सूचना मिलने के तुरन्त बाद स्थानीय पुलिस द्वारा स्थिति पर काबू पा लिया गया था। इस सूचना पर थाना पूरनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या ३१९, के अंतर्गत धारा १४७/३५२/४२७ भा० द० वि० नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना से आरोप सिद्ध होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक २५-१०-८५ को प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त पूरन सिंह डिप्टी मैनेजर ए.टी.वी. कम्पनी की सूचना दि० १२-१०-८५ के आधार पर थाना पूरनपुर पर एक एन.सी.आर. ३४२, धारा ३५२/५०४/५०६ भा० द० वि० प्रधान प्रबंधक चीनी मिल के विरुद्ध तथा सुरक्षा गार्ड के विरुद्ध पंजीकृत की गई। इस मामले में विवेचना से आरोप प्रमाणित न होने पर दि० २५-१०-८५ को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई।

बरेली जनपद में ट्रान्सपोर्ट नगर की स्थापना

१००—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह किस स्थान पर बनेगा और कब तक बनकर तैयार हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। बरेली जनपद में बरेली-रामपुर रोड पर स्थित ग्राम मथुरापुर एवं जौहरपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाये जाने की योजना विचाराधीन है। इसके कार्यान्वियन में अभी समय लगने की सम्भावना है।

बरेली जनपद की सेमीखेड़ा चीनी मिल में नियुक्ति हेतु चयन समिति

१०१—डा० दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के अन्तर्गत सेमीखेड़ा चीनी मिल में कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु चीनी मिल खुलने के उपरान्त कोई चयन समिति का गठन किया गया ? यदि हां, तो इस चयन समिति में कितने कर्मचारियों को नियुक्त किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इस चयन समिति द्वारा अब तक कुल ३८३ कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है।

१०२—डा० दिनेश जौहरी—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

बरेली जनपद की प्रति व्यक्ति आय

१०३—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में प्रति व्यक्ति आय क्या है तथा शेष प्रदेश के ५७ जिलों में प्रति व्यक्ति आय क्या है ? बरेली एवं शेष प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितना अन्तर है ? इस अन्तर को समाप्त करने हेतु शासन क्या कर रहा है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

शुद्ध उत्पाद के अनुमान के अनुसार वर्ष १९८२-८३ में बरेली जनपद के लिये प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति अनुमान ८०० रुपये था।

प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति ५६ जिलों का अनुमान निम्नवत् था :—

१—बरेली	रु० ८००.००
२—आगरा	रु० ६८५.००
३—अलीगढ़	रु० ८८९.००
४—बिजनौर	रु०९८३.००
५—बदायूं	रु० ८५५.००
६—बुलन्दशहर	रु० ९८९.००
७—एटा	रु० ८४२.००
८—इटावा	रु० ७७९.००
९—फर्रुखाबाद	रु० ७५९.००
१०—मैनपुरी	रु० ८१६.००
११—मथुरा	रु० १४३४.००
१२—मेरठ	रु० ११४३.००
१३—गाजियाबाद	रु० १४२७.००
१४—मुरादाबाद	रु० ७६४.००
१५—मुजफ्फरनगर	रु० १०१८.००
१६—पीलीभीत	रु० ११६८.००
१७—रामपुर	रु० ६६८.००
१८—सहारनपुर	रु० १०७४.००
१९—शाहजहांपुर	रु० ८२६.००
२०—बाराबंकी	रु० ८२१.००
२१—फतेहपुर	रु० ८०५.००
२२—हरदोई	रु० ६४३.००
२३—कानपुर (नगर)	रु० १०३०.००
कानपुर (देहात)	
२४—खीरी	रु० ८६१.००
२५—लखनऊ	रु० ६८९.००
२६—रायबरेली	रु० ७७४.००
२७—सीतापुर	रु० ८४४.००
२८—उन्नाव	रु० ६९६.००
२९—इलाहाबाद	रु० ८९०.००
३०—आजमगढ़	रु० ६४५.००
३१—बहराइच	रु० ५८१.००
३२—बलिया	रु० ५९५.००
३३—बस्ती	रु० ५६३.००
३४—देवरिया	रु० ६९४.००
३५—फैजाबाद	रु० ६१२.००
३६—गाजीपुर	रु० ६४९.००
३७—गोंडा	रु० ६०४.००
३८—गोरखपुर	रु० ५७४.००
३९—जौनपुर	रु० ५३५.००
४०—मिर्जापुर	रु० १०००.००
४१—प्रतापगढ़	रु० ७०७.००
४२—सुल्तानपुर	रु० ५७७.००
४३—वाराणसी	रु० ७१३.००
४४—अल्मोड़ा	रु० ९६३.००
४५—पिथौरागढ़	रु० १३९६.००
४६—देहरादून	रु० ७६५.००
४७—गढ़वाल	रु० ९८४.००
४८—चमोली	रु० १५०८.००
४९—नैनीताल	रु० १४२०.००
५०—टेहरी गढ़वाल	रु० ८४३.००
५१—उतरकाशी	रु० २०२०.००
५२—बांदा	रु० १००३.००
५३—हमीरपुर	रु० १००७.००
५४—जालौन	रु० ७६३.००
५५—झांसी	रु० ९२८.००
५६—ललितपुर	रु० ८५०.००

बरेली जनपद की प्रति व्यक्ति जिला शुद्ध उत्पाद से २४ जनपद का प्रति व्यक्ति जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद कम था शेष ३१ जनवरी का अधिक था।

अन्तर्जनपदीय विषमताओं को दूर करने हेतु जिला योजनाओं के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

नगर महापालिका, बरेली के विद्यालयों के भवन के मरम्मत की योजना

१०४—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली महापालिका के अनेक प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल के भवन खस्ता व जर्जर हालत में हैं जिनके गिरने से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या नगर महापालिका बरेली द्वारा उनके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका, बरेली में कुल १७ प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें से ७ भवनों की पूर्ण मरम्मत तथा शेष १० भवनों की मामूली मरम्मत की आवश्यकता है।

नगर महापालिका द्वारा इन भवनों के मरम्मत की कोई योजना नहीं है। सभी स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन हैं। शासन के शिक्षा विभाग से इस कार्य हेतु अनुदान प्राप्त होने पर ही महापालिका द्वारा भवनों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराया जा सकता है।

नगर महापालिका द्वारा दो प्राइमरी स्कूलों बिहारीपुर मठिया एवं जसौली की मरम्मत हेतु रु० १,४५,२१५/- का प्रस्ताव बेसिक शिक्षा अधिकारी को ६-२-८६ को भेजा गया है।

बरेली न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था

१०५—डा० दिनेश जौहरी—

क्या न्याय मन्त्री को जानकारी है कि बरेली न्यायालय के परिसर में वकीलों के बैठने के उचित स्थान उपलब्ध नहीं हैं एवं वकालतखाने भी बाकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जिससे जाड़ा, गर्मी व बरसात में वादकारों को बैठने में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी वादकारों के बैठने के लिए शीघ्र ही उचित स्थान उपलब्ध करा देंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली में दीवानी न्यायालय के परिसर में वकीलों के बैठने के लिए स्थान उपलब्ध है। वर्ष १९६३ में लायर्स एसोसियेशन बरेली को चैम्बर्स के निर्माण हेतु २८३.३३ वर्ग गज भूमि पट्टे पर दी गयी थी परन्तु लायर्स एसोसियेशन ने उक्त भूमि पर केवल एक कमरे के निर्माण के अतिरिक्त चैम्बर्स का निर्माण अभी तक नहीं कराया है। कतिपय अधिवक्तागण दीवानी न्यायालय के प्रांगण में स्वत: अस्थायी छप्पर शेड डालकर बैठ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुराने वकालतखाना में दीवानी न्यायालय तथा कलेक्ट्रेट दोनों में अधिवक्तागण संयुक्त रूप से बैठ रहे हैं।

नगरिया परीक्षित क्षेत्र का बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय क्षेत्र के रूप में नियमन

१०६—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली महानगर में स्थित नगरिया परीक्षित आवासी क्षेत्र बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जा चुका है जिसका महापालिका द्वारा प्लेंटेबिल सर्वे भी करा लिया गया है एवं निवासियों के तलपट मानचित्र भी जमा कर दिए हैं किन्तु अभी तक यह क्षेत्र नियमित नहीं किया गया है और न ही तलपट मानचित्र पास किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मन्त्री जी शीघ्र ही इस क्षेत्र को नियमित कर तलपट मानचित्र पास करा देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरिया परीक्षित क्षेत्र बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत कालोनी के रूप में मान्यता प्राप्त/घोषित की जा

चुकी है और यहां के निवासियों ने तलपट मानचित्र भी जमा कर दिया था, किन्तु अभी तक यह कालोनी निम्न कारणों से आवासीय क्षेत्र के रूप में नियमित नहीं की जा सकी है :—

१—महायोजना में इस क्षेत्र का अधिकांश भू-उपयोग लघु एवं सेवा उद्योग में वर्णित है तथा इसी भू-खण्ड की उत्तर दिशा की ओर दूसरा भू-उपयोग कृषि हरित पट्टिका में भी अंकित है।

२—उस स्थल से महायोजना में एक सड़क पूरब से पश्चिम की ओर ६० मीटर चौड़ी प्रस्तावित है और तलपट मानचित्र प्रस्तुत करने वालों ने इस प्रकार अपने तलपट मानचित्र में उक्त मार्ग को दर्शाते हुए अपना तलपट मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव तलपट मानचित्र प्रस्तुत करने वालों को उपर्युक्त आपत्तियों से अवगत करा दिया गया है। आपत्तियों के निराकरण अथवा भू-उपयोग परिवर्तन के उपरान्त ही कालोनी का विधिवत् नियमितीकरण आवासीय कालोनी के रूप में सम्भव हो सकता है या भू-उपयोग परिवर्तन न होने की दशा में महायोजना में वर्णित भू-उपयोग के रूप में कालोनी का विकास सम्भव होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र बरेली में स्थित एयर फोर्स अड्डे से मिला हुआ है और कालोनी के नियमितीकरण में एयर फोर्स के समीपवर्ती भागों के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही नियमितीकरण सम्भव हो सकता है।

१०७—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

१०८—श्री उमेश्वर प्रताप सिंह—

[४थे सोमवार में अता० प्र० सं०—१५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इटावा जनपद में सरकार बनाम गजफ्फर अली आदि से सम्बन्धित मुकदमा

१०९—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इटावा के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नं०-२ की अदालत में अपराध संख्या ११२६ सन् १९७८, सरकार बनाम गजफ्फर अली आदि के नाम से मुकदमा विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या मुकदमा स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी को उस समय जेल में भेजे जाने के कारण कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण एवं प्रबल विरोध प्रकट करने के फलस्वरूप कायम किया गया था? यदि हां, तो उस समय के अन्य मुकदमों की भांति इस मुकदमें को भी वापस न लिए जाने के क्या कारण हैं और मुकदमा कब तक वापस ले लिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी हां।

चूंकि इस मुकदमें में हिंसा मार-पीट व आगजनी की कार्यवाही निहित है। अतः शासन ने विचारोपरान्त जनहित में इस मुकदमें को वापस लेना उपयुक्त नहीं समझा।

जिला परिषद, मिर्जापुर से सेवा निवृत ओवरसियर श्री बाल कृष्ण अग्रवाल की पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान

११०—श्री विजय सिंह राणा—

क्या वित्त मन्त्री को ज्ञात है कि परीक्षक स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में नवम्बर ७६ में जिला परिषद के मिर्जापुर से सेवा निवृत्त ओवरसियर श्री बालकृष्ण अग्रवाल की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान का मामला सत्यापन हेतु सन्दर्भित है? यदि हां, तो इसमें पेंशन एवं ग्रेच्युटी की कुल कितनी धनराशि देय है तथा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सत्यापन करने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा इस मामले में अनावश्यक ढील डाल कर इस प्रकरण को लम्बित रखने हेतु उक्त अधिकारी को क्या दण्ड दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष १९७६ में सेवा निवृत्त श्री बालकृष्ण अग्रवाल ओवरसियर, जिला परिषद, मिर्जापुर के पेंशन का प्रकरण निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अपूर्ण रूप से प्रथम बार मार्च १७, १९८३ को प्राप्त हुआ था। कमियों की पूर्ति हेतु निदेशालय द्वारा बार-बार लिखे जाने पर जिला परिषद मिर्जापुर से वांछित सूचना अपूर्ण रूप से निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को दिनांक १८-७-८५ को उपलब्ध हो सकी। निदेशक ने अपने पत्र दिनांक ३१-१-८६ में सेवा निवृत्त कर्मचारी को देय रुपये २५८०/- आनुतोषिक तथा १-११-७६ से देय रुपये ६४.३० प्रतिमाह पेंशन की पुष्टि इस प्रतिबन्ध के साथ कर दी है कि कर्मचारी को भुगतान किये जाने से पूर्व पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति करा ली जाय।

श्री बालकृष्ण अग्रवाल ओवरसियर के पेंशन प्रकरण के सत्यापन हेतु विलम्ब में निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेदार नहीं है। अतएव दण्ड दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

नगर महापालिका बरेली की सफाई मजदूर कल्याण समिति की अंतिम बैठक, निर्णयों का क्रियान्वयन

१११—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महापालिका में सफाई कर्मचारी कल्याण कोष समिति की बैठक कितने वर्ष से नहीं बुलाई गयी है और मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों के कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नगर महापालिका बरेली की सफाई मजदूर कल्याण समिति की अन्तिम बैठक दिनांक ६-३-८२ को हुई थी।

उक्त बैठक में लिए गये निर्णयों का कार्यान्वयन हो चुका है, केवल एक निर्णय जिसके अनुसार वर्ष १९८२-८३ में खाद की बिक्री से प्राप्त धनराशि का १/४ भाग उक्त समिति के कल्याण कोष में जमा किया जाना था, का आंशिक अनुपालन हुआ है। नगर महापालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दिनांक १०-९-८३ को रु० ३०००/- तथा १२-६-८४ को रु० ३०००/- ही जमा किया जा सका। शेष धनराशि को जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है।

११२—डा० दिनेश जौहरी—

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

बरेली नगर की मलिन बस्तियों की सफाई, विद्युतीकरण एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना

११३—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार ने बरेली नगर की कितनी मलिन बस्तियों की सफाई, विद्युतीकरण एवं पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ? वह बस्तियां कौन-कौन सी हैं ? क्या मन्त्री जी भी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र शुरू हो पायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगर महापालिका बरेली की १८ मलिन बस्तियों (संलग्न सूची अनुसार) की सफाई, विद्युतीकरण एवं पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना शासन द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गई है।

संलग्न सूची में क्रम संख्या १ से १२ तक दर्शायी गई मलिन बस्तियों में

निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा क्रमांक १३ से १८ तक की मलिन बस्तियों के निर्माण कार्य के टेण्डर मांगे जा चुके हैं ?

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४४ पर।)

बरेली नगर की सड़कों हेतु व्यय की गई धनराशि

११४—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष ८३-८४ एवं ८४-८५ में कितना धन बरेली नगर की सड़कों के लिए खर्च किया गया ? क्या नगर की सड़कों की दशा देखते हुए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली नगर की सीमा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगभग ४४ कि०मी० लम्बे मार्ग हैं जिनपर वर्ष १९८३-८४ एवं १९८४-८५ में क्रमश: १४.४५ लाख रु० व ९.५० लाख रु० का व्यय किया गया।

धन का आवंटन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जितना सम्भव है किया जा रहा है।

११५—डा० दिनेश जौहरी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

नगर महापालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी श्री मनोहर लाल की करेन्ट लग जाने से मृत्यु, आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने की मांग

११६—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक ११-९-८५ को नगर महापालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी श्री मनोहर लाल का देहान्त बिहारीपुर मठिया के पास बिजली से टूटे हुए तारों के करेंट लग जाने से हो गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पत्नी को उनके स्थान पर महापालिका में नियुक्ति दिलायेगी एवं उनके छोटे-छोटे बच्चों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

इनके स्थान पर नियुक्ति हेतु उनके पुत्र श्री दिलीप कुमार एवं उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी ने आवेदन पत्र दिया था। वास्तविक पत्नी का प्रश्न विवाद ग्रस्त होने के कारण तथा जिलाधिकारी, बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर उनके पुत्र श्री दिलीप कुमार को नगर महापालिका बरेली में सफाई कर्मचारी के पद पर दिनांक १८-१-८६ को नियुक्त कर दिया गया है।

मृतक के मरणोपरान्त लाभों के भुगतान हेतु उत्तराधिकारियों से सक्सेशन सार्टीफिकेट देने को कहा गया है।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा टीन के ड्रम में अंग्रेजी के बी० डी० ए० शब्द का प्रयोग

११७—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि बरेली विकास प्राधिकरण ने इस वर्ष जो वृक्षारोपण किया है, उसमें वृक्षों की सुरक्षा हेतु जो टीन के ड्रम लगाए गए हैं, उस पर बरेली विकास प्राधिकरण को हिन्दी में न लिखकर अंग्रेजी में बी० डी० ए० लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में अंग्रेजी को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बरेली विकास प्राधिकरण ने टीन के ड्रम (ट्री गार्ड) वृक्षों की सुरक्षा हेतु लगाये हैं उनमें बी० डी० ए० शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देने के कारण नहीं बल्कि आम जनता में इसी नाम से प्रचलन होने के कारण प्रयोग किया गया। भविष्य में सतर्कता बरती जायेगी।

जनपद बरेली की तहसील आंवला में स्थित रामनगर को पर्यटन केन्द्र घोषित किये जाने की योजना

११८—डा० दिनेश जौहरी—

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की तहसील आंवला में स्थित पौराणिक महत्व स्थली रामनगर को पर्यटन केन्द्र घोषित कर उसके विकास की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी नहीं ।

जनपद बरेली की तहसील आंवला में स्थित राम नगर के पर्यटन विकास की योजना को वर्ष १९८४-८५ की जिला योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भेजा गया था, किन्तु जिला समिति द्वारा जिला योजना में सम्मिलित नहीं किया गया ।

११९—डा० दिनेश जौहरी—

[२रे बुधवार में अता० प्र० सं०—१२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरेली में लोक सेवा आयोग एवं सिविल सेवा की परीक्षा हेतु केन्द्र खोले जाने के विषय में मांग पत्र

१२०—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को बरेली में लोक सेवा आयोग एवं सिविल सेवा की प्रवेश परीक्षा हेतु केन्द्र खोले जाने के विषय में मांग पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि, हां, तो क्या परीक्षा केन्द्र इसी वर्ष खोल दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

अभ्यर्थियों की संख्या और प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विचारोपरान्त बरेली जनपद में केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं पाया गया ।

जनपद पीलीभीत के हरिपुर रेन्ज तथा बराही रेन्ज के जंगलों में शेरनी द्वारा व्यक्तियों को मारने की सूचना

१२१—डा० दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पीलीभीत के हरिपुर रेन्ज के जंगल में एक शेर १० अक्तूबर, १९८५ तक १६ लोगों एवं असंख्य मवेशी मार चुका है ? यदि हां, तो शेर को आदमखोर घोषित कर पकड़ने या मार दिए जाने में देरी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद पीलीभीत के हरिपुर रेन्ज तथा बराही रेन्ज के जंगल में जुलाई १९८५ से १० अक्तूबर, १९८५ तक शेरनी द्वारा क्रमशः तीन-तीन व्यक्तियों को कुल छः व्यक्तियों को मारने की सूचना प्राप्त हुई है तथा १६ व्यक्तियों को मारे जाने की सूचना सही नहीं है । असंख्य मवेशियों के मारने की कोई सूचना नहीं है । उक्त क्षेत्र में क्रियाशील शेरनी को आदमखोर घोषित कर जीवित पकड़ने की कार्यवाही अक्तूबर, १९८५ से ही की जा रही है, परन्तु सफलता नहीं मिल पाई । तदुपरान्त दिसम्बर, १९८५ में इस शेरनी को गोली मारकर नष्ट करने के आदेश दिये गये । इस प्रकार शेरनी को आदमखोर घोषित कर पकड़ने या मार दिए जाने के प्रयासों में कोई देरी नहीं की गई है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के अन्तर्गत सेमी खेड़ा चीनी मिल में कार्य में लगाये गये व्यक्ति व उनके वेतन पर व्यय

१२२—डा० दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के अन्तर्गत सेमी खेड़ा चीनी मिल में वर्ष १९८४-८५

में कितने व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया और उन पर कितना धन वेतन आदि के रूप में खर्च हुआ ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी चीनी मिल सेमी खेड़ा (बरेली) में वर्ष १९८४-८५ में कुल ५९४ व्यक्तियों को कार्य पर लगाया गया। उनके वेतन आदि पर रु० २६.२६ लाख खर्च हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

१—वेतन	२४.२४
२—यात्रा भत्ता	१.६७
३—चिकित्सा व्यय	०.२५
४—अवकाश नकदीकरण	०.१०
योग	२६.२६

जनपद बरेली के अन्तर्गत नेकपुर एवं सेमीखेड़ा चीनी मिलों में लाभ व हानि

१२३—डा० दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के अन्तर्गत नेकपुर एवं सेमीखेड़ी चीनी मिल में वर्ष ८४-८५ में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है ? क्या सरकार पूरा लेखा-जोखा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बरेली के अन्तर्गत नेकपुर एवं सेमीखेड़ा चीनी मिलों में वर्ष १९८४-८५ के लेखों का सम्परीक्षण अभी नहीं हुआ है। अतः उक्त चीनी मिलों को वर्ष १९८४-८५ में अनुमानित आधार पर क्रमशः ७६.३९ लाख रुपये एवं २६८.९४ लाख रुपये की हानि का आकलन किया गया है।

चूंकि उक्त दोनों चीनी मिलों के लेखे-जोखों का सम्परीक्षण अभी तक नहीं हुआ है, अतः इन्हें इस समय सदन के पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

१२४— डा० दिनेश जौहरी)

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

आर० के० सचान प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तर पीलीभीत वन विभाग के विरुद्ध शिकायतों की जांच

१२५—डा० दिनेश जौहरी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० के० सचान प्रभागीय वन अधिकारी उत्तर पीलीभीत वन विभाग के विरुद्ध कितनी शिकायतें उनके कार्यालय में उच्च अधिकारियों को प्राप्त हुई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री आर० के० सचान, प्रभागीय वनाधिकारी उत्तर पीलीभीत वन प्रभाग के विरुद्ध चार हरे साल के वृक्षों के कटान के लिए अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में एक शिकायत क्षेत्रीय प्रबन्धक, केन्द्रीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम से वन संरक्षक, केन्द्रीय वृत्त के कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिस पर जांच की जारही है।

बरेली महापालिका द्वारा सफाई कर्मचारी कल्याण कोष में कूड़ा, मैले व खाद की बिक्री से जमा की गयी धनराशि

१२६—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों से बरेली महापालिका ने सफाई कर्मचारी कल्याण कोष में कूड़ा व मैले व खाद की बिक्री की आय का १/४ भाग, जो इस कोष में जमा किया जाना अनिवार्य है, नहीं किया तो उसके क्या कारण और वह आगे उक्त कोष में कब तक जमा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बरेली महापालिका को गत तीन वर्षों में कूड़ा मैला व खाद की बिक्री से कितना लाभ हुआ और उसमें से

कितना रुपया उस कोष में जमा करा दिया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सफाई कर्मचारी कल्याण कोष में, कूड़ा, मैले व खाद की बिक्री का १/४ भाग नगर महापालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पूरी धनराशि जमा नहीं करायी जा सकी।

नगर महापालिका द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे हैं जिसके उपरान्त कल्याण कोष में बकाया रकम यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

गत तीन वर्षों में खाद के ठेके से नगर महापालिका को रु० २,४५,१७५ की आय हुई है। सफाई कर्मचारी कल्याण कोष में रु० ५,००० जमा कराया गया है।

जिला बरेली, थाना प्रेमनगर में वर्तमान पुलिस इन्सपेक्टर के कार्यभार सम्भालने की तिथि से डकैती, चोरी हत्या की घटनाएं

१२७—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बरेली में थाना प्रेमनगर में वर्तमान पुलिस इन्स्पेक्टर ने जिस तिथि से कार्यभार संभाला है, तब से दिनांक ३१—९—८५ तक उक्त थाने के क्षेत्र में कहां-कहां अपहरणों, हत्याओं, डकैतियों और चोरियों की वारदातें हुई हैं ? उनमें से किस-किस मामले में चालान किये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में वर्तमान प्रभारी निरीक्षक के कार्यभार सम्भालने की तिथि १७-४-८४ से दिनांक ३०-९-८५ तक अपहरण की कोई वारदात नहीं हुई है, हत्या की १२, डकैती की २ तथा चोरी की १९३ वारदातें हुई हैं।

इन घटनाओं के घटित होने के स्थानों तथा उनमें से चालान किये गये मामलों का विवरण संलग्न है।

राजकीय निर्माण निगम, बरेली में कार्यरत कर्मचारी, कार्यकाल की अवधि

१२८—डा० दिनेश जौहरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में राजकीय निर्माण निगम में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने कर्मचारी दैनिक भत्ता पर कार्यरत हैं ? उनको कार्य करते हुए कितने दिन हो गये हैं ? क्या उनका कार्यकाल २४० दिन पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उन्हें स्थायी कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुल २८ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके नाम व कार्यकाल की अवधि संलग्न तालिका में अंकित है। इनमें से कोई भी व्यक्ति दैनिक भत्ते पर नहीं है। संलग्न तालिका के क्रमांक १ से ७ तक पर उल्लिखित दैनिक वेतन पर कार्यरत ७ कर्मचारियों का कार्यकाल यद्यपि २४० दिन हो चुका है, तथापि उन्हें स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४५ पर।) पर।)

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सेमी खेड़ा बरेली में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति

१२९—डा० दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा, बरेली के प्रधान प्रबन्धक

छापी नहीं गई।

द्वारा अप्रैल, सन् १९८५ तक विभिन्न पदों हेतु कितने कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र दिये गये तथा कितने कर्मचारी नियुक्ति-पत्र पाने से वंचित रह गये ? क्या सरकार जिन कर्मचारियों ने २४० दिन कार्य दिवसों में कार्य किया है, उन्हें इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा २५-बी के अनुसार नियुक्ति-पत्र दिलाने तथा समायोजित कराने के विषय में कोई प्रक्रिया अपना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

किसान सहकारी चीनी मिल्स, लि०, सेमीखेड़ा (बरेली) में अप्रैल, १९८५ तक 'चयन समिति' के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल ३४७ कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी। नियुक्त किये गये समस्त कर्मचारियों को प्रधान प्रबन्धक, द्वारा नियुक्ति पत्र दिये गये। 'चयन समिति' के माध्यम से नियुक्त कोई भी कर्मचारी नियुक्ति पत्र पाने से वंचित नहीं रहा।

'इण्डस्ट्रियल डिस्पयूट एक्ट १९४७' की धारा २५-बी में छटनी एवं बैठकी (ले आफ) की दृष्टि से कर्मचारी की लगातार सर्विस का उल्लेख किया गया है। उक्त धारा में नियुक्ति किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उक्त धारा के अनुसार कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिलाने या समायोजित करने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्म दिग्विजय पाल सिंह एण्ड कम्पनी के साझेदार को भुगतान किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

१३०—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली विकास प्राधिकरण में ठेका लेकर भवन-निर्माण कराने वाली एक फर्म दिग्विजय पाल सिंह एण्ड कम्पनी के एक साझीदार को अधिकारियों की सांठ-गांठ से ३, १/२ लाख रुपया का भुगतान करा दिया ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में मोहल्ला बाग अहमद अली खां तालाब के प्लाटों की नीलामी तथा रजिस्ट्रेशन कराने की मांग

१३१—डा० दिनेश जौहरी—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बरेली में मोहल्ला बाग अहमद अली खां तालाब के प्लाटों की नीलामी दिनांक २६-१२-७४ को बरेली नगरपालिका द्वारा की गयी थी, जिसकी श्रीमती मुजामिल खातून पत्नी श्री अजीज अहमद एवं अन्य नागरिकों ने चौथाई धनराशि जमा कर दी थी, और उनको कब्जा भी दे दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि ग्यारह साल बीत जाने पर भी अभी तक महापालिका द्वारा खरीदारों के नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, जिससे वे इस पर पक्का मकान आदि नहीं बना पा रहे हैं ? क्या मंत्री जी भू-स्वामियों के नाम नीलाम जमीन का रजिस्ट्रेशन शीघ्र करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परन्तु एक चौथाई धन जमा करने पर इन लोगों को कब्जा नहीं दिया गया था।

नियमों के अनुसार शासन की स्वीकृति मांगी गयी थी। शासन द्वारा आयुक्त, बरेली मण्डल की संस्तुति के आधार पर नीलामी को निरस्त करने के आदेश दिनांक ८-१-८२ को पारित किये गये थे। बाद में पुनः खरीदारों के प्रत्यावेदन एवं प्रशासक की संस्तुति के आधार पर इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। प्रशासक से कुछ सूचना मांगी गयी है जिसके प्राप्त होने के उपरान्त इस सम्बन्ध

में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा। जब तक अन्तिम निर्णय नहीं ले लिया जाता और पूर्ण धन जमा नहीं करा लिया जाता रजिस्ट्रेशन का प्रश्न नहीं है।

झांसी जनपद में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न मदों हेतु दी गयी धनराशि

१३२—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के पर्यटन विभाग को वित्तीय वर्ष १९८२-८३, १९८३-८४, १९८४-८५ व १९८५-८६ में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री प्रमोद कुमार—

झांसी जनपद में पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष १९८२-८३, ८३-८४, ८४-८५ एवं ८५-८६ में विभिन्न मदों हेतु दी गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष १९८२—८३

(१) स्थापना सम्बन्धी	रु०	१,३५,७००
(२) प्रचार संबंधी	रु०	१,१७,९६१
(३) पर्यटक आवास गृह झांसी का निर्माण	रु०	५०,०००

वर्ष १९८३-८४

(१) स्थापना संबंधी	रु०	९९,५००
(२) प्रचार संबंधी	रु०	१,०७,५००
(३) पर्यटक आवास गृह झांसी का निर्माण	रु०	१६,१०,०००

वर्ष १९८४-८५

(१) स्थापना संबंधी	रु०	१,३१,५००
(२) प्रचार संबंधी	रु०	२७,०००
(३) पर्यटक आवास गृह देवगढ़ का निर्माण	रु०	८,३४,०००
(४) पर्यटक आवास गृह देवगढ़ का विद्युतीकरण	रु०	२५,०००
(५) पर्यटक आवास गृह झांसी का निर्माण	रु०	६,००,०००

वर्ष १९८५-८६

(१) स्थापना संबंधी	रु०	१,५३,०००
(२) निर्माण संबंधी	रु०	७,५०,०००

झांसी जनपद के वन विभाग को विभिन्न योजनाओं हेतु दी गई धनराशि

१३३—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के वन विभाग को वित्तीय वर्ष १९८२-८३, ८३-८४, ८४-८५ व ८५-८६ में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जनपद में वन विभाग को वित्तीय वर्ष १९८२-८३, १९८३-८४, १९८४-८५ तथा १९८५-८६ में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई:—

१९८२-८३	रुपये में
१—आयोजनेतर	१५,८३,०००
२—आयोजनागत	१०,९२,०००
३—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	१०,००,०००
योग—	३६,७५,०००

१९८३-८४

१—आयोजनेतर	१७,६१,०००
२—आयोजनागत	१२,७८,५००
३—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	९,६८,८००
४—लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि पैदावार में वृद्धि की सहायता योजना	४,००,०००
५—सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)	२०,००,०००
योग—	६४,०८,०००

१९८४-८५ (रुपये में)

१—आयोजनेतर	१९,६१,०००
२—आयोजनागत	११,६६,२००
३—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	६,१५,५००
योग—	३७,४२,७००

१९८५-८६

१—आयोजनेतर	२०,१७,०००
२—आयोजनागत	१६,७४,५००
३—सूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)	१,१४,०००
४—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	७,३६,०००
५—लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि पैदावार में वृद्धि की योजना	५०,०००
योग—	४५,११,५००

१३४—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[दि० १४-२-८६ को अता० प्र० सं०-१५५ द्वारा उत्तरित।]

१३५—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

झांसी जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न मदों हेतु देय धनराशि

१३६—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के सार्वजनिक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष १९८२-८३, ८३-८४, ८४-८५ व ८५-८६ में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

१३७—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[संदर्भ अपूर्ण होने के कारण निरस्त।]

मो० जहूर एवं मो० हुसैन, निवासी दलेल पुरवा, कानपुर के मकान को कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित कर लेने से अतिरिक्त मकान दिये जाने का प्रस्ताव

१३८—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो० जहूर एवं मो० हुसैन, निवासी ८९/३४ दलेलपुरवा, कानपुर का मकान कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष १९८३ में मलिन बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत अनधिकृत रूप से अर्जित कर लिया गया था ? यदि हां, तो उसके स्थान पर कानपुर स्थित विपत खटिक हाता में रिक्त भूमि को इनके नाम किए जाने का मामला इतने दिनों से लम्बित किए जाने का क्या कारण है ? उसे कब तक इनको दे दिया जायगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

गृह संख्या ८९/३३, दलेलपुरवा, कानपुर को उ० प्र० मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार एवं निपातन) अधिनियम १९६२ के अधीन वर्ष १९८३ में अर्जित किया गया था परन्तु उन्नयन कार्य एवं धारणाधिकार दिये जाने के दौरान इसी गृह से मिले हुए गृह संख्या ८९/३४, को भी भूल से उन्नत करके इस गृह में निवास कर रहे व्यक्तियों को धारणाधिकार भी दे दिया गया जब कि इसे अर्जित नहीं किया गया था।

इस गृह को अर्जित न किये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर मामले पर विचार किया गया और इस गृह के गृहस्वामी मो० जहूर एवं मो० हुसैन को विपत खटिक के अहाते में अर्जित भूखण्ड संख्या १४ व १५ दिये जाने का प्रस्ताव विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक ६-९-८५ में रखा गया। प्राधिकरण ने इस मामले में विधिक राय प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया जो प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायगा। प्राधिकरण द्वारा इस मामले में लिए गये निर्णय के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

उपकोषागार हापुड़, जनपद गाजियाबाद में गबन की शिकायत

१३९—श्री मनेजर सिंह—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९८४ में हापुड़ जनपद गाजियाबाद में सब ट्रेजरी में गबन की शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपकोषागार हापुड़ जनपद गाजियाबाद में दिसम्बर, १९८४ में कोई गबन नहीं हुआ था किन्तु जनवरी, १९८४ में २,२४,००० रु० के स्टाम्प का गबन हुआ था जिसकी पूरी वसूली शासन द्वारा कर ली गयी है।

जनपद मुजफ्फरनगर में मन्सूरपुर के पास मेरठ-रुड़की मार्ग पर यूकेलिप्टस के सूखे पेड़

१४०—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में मन्सूरपुर के पास मेरठ रोड पर एवं रुड़की रोड पर कुछ पेड़ (यूकेलिप्टस) के सूख गये हैं ? यदि हां, तो यह पेड़ किस कारण से सूखे हैं ? क्या यह सही है कि उक्त पेड़ चीनी मिल व खंडसारी उद्योग के प्रदूषण से सूखे हैं ? यदि हां, तो सरकार क्या संबंधित चीनी मिल के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जनपद मुजफ्फरनगर में मन्सूरपुर के पास मेरठ-रुड़की मार्ग पर यूकेलिप्टस के कुल ५५ वृक्ष, जिनमें से ५० वृक्ष २० सेन्टीमीटर व्यास से कम के थे और शेष ५ वृक्ष २०—३० सेन्टीमीटर व्यास के थे, सूखे पाये गये थे। इतने छोटे व्यास वर्ग के वृक्ष सामान्य सूखे से भी सूख सकते हैं। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि चीनी मिल व खण्डसारी उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित साव के कारण ही ये वृक्ष सूख गये हैं। ऐसी दशा में सम्बन्धित चीनी मिल के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।

श्री महन्तु सिंह, निवासी शाहपुर, जनपद सुल्तानपुर की नियुक्ति, समस्त चल सम्पत्ति की कुर्की का दर्ज मुकदमा, आजीवन कारावास की सजा व गिरफ्तार किये जाने की आवश्यक कार्यवाही

१४१—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्तु सिंह उर्फ महन्त सिंह, निवासी शाहपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, जंगल विभाग सुल्तानपुर के अन्तर्गत शाहपुर जंगल में चौकीदार के पद पर या अन्य पद पर नियुक्त हैं ? यदि हां, तो कब से तथा कब तक वेतन लिया है ?

कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जब श्री महन्तु सिंह को नौकरी दी गयी तो इनका चरित्र प्रमाण-पत्र किन-किन लोगों से प्रमाणित कराया गया ? यदि नहीं कराया गया, तो कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री महन्तु सिंह उर्फ महन्त सिंह, निवासी शाहपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर वर्तमान समय में वन विभाग सुल्तानपुर में कार्यरत नहीं हैं।

श्री सिंह की नियुक्ति सुल्तानपुर वन प्रभाग के कादीपुर रेंज में अस्थायी चौकीदार के पद पर दिनांक २७ मई, १९८० को की गयी थी। उन्होंने माह अप्रैल, १९८५ तक का वेतन लिया है।

इनके द्वारा निम्न तीन अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गये थे :—

१—मेडिकल आफिसर, प्रतापपुर, कर्मचा।

२—खण्ड विकास अधिकारी, प्रतापपुर, कर्मचा।

३—अपर जिला अधिकारी, विकास सुल्तानपुर।

१४२—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह, थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर की चल-अचल संपत्ति किस अपराध के अंतर्गत किस दिनांक को कुर्क की गयी है ? यदि की गयी है तो सामग्री (वस्तुओं की संख्या) क्या है, जो पुलिस के कब्जे में है ? क्या महन्तू सिंह अच्छी चाल-चलन का नागरिक है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

महन्तू सिंह उर्फ महन्त राज सिंह, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर की समस्त चल सम्पत्ति की कुर्की जिसकी संख्या ३५ है, दिनांक ३१-५-८५ मुकदमा एस० टी० नं० ८/७१, धारा ३९५/३९६ भा० द० वि० राज्य बनाम मकसूदन थाना मड़ियाहूं, जनपद जौनपुर में आदेशानुसार प्रथम अति० सेशन न्यायालय जौनपुर आजीवन कारावास की सजा से बचने के लिये फरार रहने के कारण चांदा पुलिस द्वारा की गई।

फरारी स्थिति में ग्राम गारीब का पुरवा, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर के श्री गिरजाशंकर मिश्र के पुत्र रमाकान्त मिश्रा को अन्य साथियों सहित बुरी तरह से चोट पहुंचाकर घायल करने पर मु० अ० सं०—८२-ए/८५ धारा १४७, ३२३, ३२५, ३०८ भा० द० वि० में विवेचना के दौरान अचल सम्पत्ति खेत, मकान, बाग, नलकूप आदि दिनांक ११-७-८५ को कुर्क अमीन एवं लेखपाल द्वारा कुर्क की जा चुकी है। महन्तू सिंह कुख्यात किस्म का अपराधी है, अच्छी चाल-चलन का नागरिक नहीं है।

१४३—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह, ग्राम शाहपुर, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर, जिसको आजीवन कारावास हुआ है, जेल से फरार है ? यदि हां, तो उसको कौन-कौन लोग पनाह दे रहे हैं ? क्या पुलिस जानकारी होते हुए भी पनाह देने वालों के घर से बरामद नहीं कर रही है या किसी राजनैतिक व्यक्ति का भय है ? यदि हां, तो कब तक अपने स्तर से जनहित में तत्काल आवश्यक कार्यवाही पनाह देने वालों के विरुद्ध करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

महन्तू सिंह की एक अलग स्क्वाड गठित कराकर सामूहिक रूप से सरगर्मी के साथ तलाश कराई जा रही है।

महन्तू सिंह की तलाश के दौरान ही कतिपय प्रभावशाली एवं राजनैतिक व्यक्तियों के द्वारा उसे गुप्त रूप से प्रश्रय प्रदान करने एवं मदद करने की बात प्रकाश में आई है। परन्तु किसी प्रश्रयदाता के विरुद्ध प्रश्रय देने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण उनको इंगित किया जाना अथवा अन्य कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है। महन्तू सिंह को किसी राजनैतिक भय के कारण अथवा जानकारी में होते हुए पनाह देने वालों के घर से गिरफ्तार न किये जाने की बात असत्य है। जैसे ही किसी प्रश्रय दाता के परिसर में अथवा अन्यत्र महन्तू सिंह की उपस्थिति पाई जायेगी तुरन्त गिरफ्तारी की जा सकती है। इस दिशा में जनपद सुल्तानपुर की पुलिस सतत प्रयासरत है।

१४४—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महन्तू सिंह उर्फ महन्त सिंह पुत्र रामदेव ठाकुर, निवासी शाहपुर, थाना चांदा, सुल्तानपुर को वाद संख्या ८/७१ दिनांक ४-५-७२ को धारा ३९५, ३९६ के अन्तर्गत जिला सत्र न्यायाधीश जौनपुर के न्यायालय से आजीवन कारावास हुआ

हैं जिसकी अपील हाईकोर्ट में हुई ? क्या हाईकोर्ट ने उक्त वाद में लोवर कोर्ट की अपील को बहाल रखा ? यदि बहाल रखा, तो अभियुक्त जेल के अन्दर हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अभियुक्त महन्तु सिंह उर्फ महन्त सिंह पुत्र रामदेव सिंह निवासी शाहपुर, थाना चांदा, जिला सुल्तानपुर को वाद संख्या ८/७१ में दिनांक ३-४-७२ को भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९६ के अपराध में आजीवन कारावास तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा ३९५ में सात वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा का दण्ड जिला सत्र न्यायाधीश, जौनपुर द्वारा दिया गया।

उच्च न्यायालय द्वारा भी अभियुक्त की अपील निरस्त कर दी गई तथा उक्त सजा को बहाल रखा गया परन्तु अभियुक्त महन्तु सिंह उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वह अभी जेल नहीं भेजा जा सका है क्योंकि वह फरार है।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जौनपुर के दिनांक २३-५-८५ के आदेशानुसार उसकी गिरफ्तारी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ८२/८३ के अन्तर्गत थाना चांदा जिला सुल्तानपुर द्वारा दिनांक ३१-५-८५ को उसकी चल व अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गई है।

ऐतिहासिक स्थल धोपाप विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु पुल बनाने की योजना

१४५—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐतिहासिक स्थल धोपाप विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए दिपरा गोमती नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पुल का निर्माण [illegible]त में कब तक कराया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम छतौना से दोमुहा तक पिच कराने की योजना

१४६—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत ग्राम छतौना से दोमुहा पांच किलोमीटर मार्ग शासन के अन्तर्गत पिच कराने की योजना है ? यदि हां, तो जनहित में कब तक इस मार्ग का कार्य पूरा हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। इस नाम का कोई मार्ग नहीं है। सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सुल्तानपुर-परवालौली मार्ग से है, जिसके पांच कि० मी० कंकड़ मार्ग का आधुनिकीकरण लेपन स्तर तक किया जाना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, उक्त कार्य जिला सेक्टर का है तथा जिला योजना वर्ष १९८६-८७ में प्रस्तावित है। शासन स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात तथा थाना चांदा में भवन निर्माण

१४७—श्री शिवनारायण मिश्र—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात थाना चांदा का भवन कब तक निर्माण करायेंगे निर्माण न होने का कारण क्या है ?

क्या भवन का बजट स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक बन जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा क्षेत्र चांदा सुल्तानपुर के अन्तर्गत थाना कोतवाली देहात तथा थाना चांदा में से थाना चांदा के भवन निर्माण हेतु अभी भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है। भूमि के उपलब्ध होने पर ही थाना भवन के निर्माण की कार्यवाही सम्भव हो पाएगी। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण थाना कोतवाली देहात का पूर्ण भवन बनवाना फिलहाल सम्भव नहीं है। लगभग ४२,००० रु० की अनुमानित लागत पर थाने के मुख्य अंशों को चालू वित्तीय वर्ष १९८५-८६ में पूर्ण कराये जाने की योजना है।

विधान सभा क्षेत्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कोथरां कलां से तातो मुरैनी के पास पुल का निर्माण

१४८—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कोथरां कलां से तातो मुरैनी के पास विगत तीन वर्ष से पुल का जो निर्माण हो रहा है, और जो आज तक नहीं पूरा हुआ है जिससे आम व्यक्तियों को भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कब तक इस पुल का निर्माण करा दिया जायगा, बजट कितना स्वीकृत है और आज तक कार्य पूरा न करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पुल का निर्माण दिसम्बर, १९८४ में स्वीकृत हुआ है। इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसका निर्माण दिसम्बर, १९८६ तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस पुल की स्वीकृत अनुमानित लागत रु० ९.६० लाख है। धनाभाव के कारण पुल का निर्माण पहले प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

जनपद फर्रुखाबाद की सड़कों का निर्माण कार्य हाट मिक्स अप मशीन द्वारा कराए जाने की योजना

१४९—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की सड़कों का निर्माण कार्य हाट मिक्स अप मशीन द्वारा कराए जाने की कोई योजना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब से किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसी कोई योजना नहीं स्वीकृत है किन्तु कार्य की गुणवत्ता में सुधार के लिये हाट मिक्स प्लांट एवं पेवर फिनिशर प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ परिसर में श्री सन्त प्रसाद सक्सेना, स्टेनोग्राफर पर बकाया मकान का किराया

१५०—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ परिसर में श्री सन्त प्रसाद सक्सेना, स्टेनोग्राफर कब से निवास करते हैं, उन पर किराए की कुल बकाया धनराशि कितनी है और उसके वसूलयाबी की क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सही है कि श्री सन्त प्रसाद सक्सेना, स्टेनोग्राफर को एडवान्स इंक्रीमेन्ट के रूप में एक दर्जन इंक्रीमेंट नियम के विरुद्ध दे दिए गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में महालेखाकार की आख्या के आधार पर अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध उन्हें एडवान्स इंक्रीमेन्ट दिये गये थे, उन नियन्त्रक पालीटेक्निक के द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या श्री सन्त प्रसाद सक्सेना, के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अगस्त १९६८ से जनवरी १९६९ तक रहे। तत्पश्चात् नवम्बर १९६९ से अब तक रह रहे हैं।

आवास के लिए निर्धारित मानक किराये के अनुसार लगभग रु० २२५० की धनराशि बकाया है जिसकी वसूली के लिए प्राधिकृत नियंत्रक को निर्देश दे दिये गये हैं।

जी हां।

कुछ कर्मचारियों से वसूली की जा रही है तथा कुछ कर्मचारियों ने माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं।

श्री सन्त प्रसाद अनुदानित संस्था के कर्मचारी हैं उनके नियुक्त प्राधिकारी प्रबन्ध समिति है। अतः शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं है। महालेखाकार की सभी आपत्तियों के निराकरण हेतु (जिसमें श्री सन्त प्रसाद सक्सेना का मामला भी सम्मिलित है) संस्था को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रदेश के सभी प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति

१५१—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सभी प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में अधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति किये जाने का क्या कारण है और नियुक्तियां कब की गयीं? नियन्त्रकों द्वारा प्रबन्ध परिषदों की कार्यप्रणाली में अब तक क्या उल्लेखनीय सुधार किये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियन्त्रकों को हटाने का विचार करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रदेश के सभी प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त नहीं किये गये हैं। केवल दो सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थाओं हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ तथा लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ में प्राधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति संस्थाओं में गम्भीर अनियमितताओं के कारण की गयी है। हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति शासनादेश दिनांक १७-६-८२ द्वारा तथा लखनऊ पालीटेक्निक लखनऊ, में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति शासनादेश दिनांक २६-६-८२ द्वारा की गयी है।

प्राधिकृत नियन्त्रकों द्वारा संस्थाओं में पूर्व की अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने, संस्थाओं के अपूर्ण लेखे पूर्ण करने, संस्थाओं में अनुशासन बनाये रखने आदि सुधार किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को छात्रावास की सुविधा दिये जाने की मांग

१५२—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ में तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे ग्यारह सौ छात्रों के लिए आवास सुविधा के रूप में उपलब्ध तीन छात्रावासों में से दो छात्रावास अन्य विभागों को कार्यालय हेतु दे दिए गये हैं? यदि हां, तो छात्रावास की असुविधा में भटकने वाले तकनीकी छात्रों के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

संस्था द्वारा एक छात्रावास को खाली कराने हेतु नोटिस दे दी गयी है।

जनपद फर्रुखाबाद में गंगा नदी के घटिया घाट पर बने लोहिया सेतु के निर्माण पर व्यय

१५३—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के

घटिया घाट पर बने लोहिया सेतु के निर्माण में कितना व्यय आया था ? क्या मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि लोहिया सेतु से आने जाने वाले वाहनों से अब तक कितना पथकर वसूल किया गया है और इस पुल को कब तक पथकर से मुक्त कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में गंगा नदी के घटिया घाट पर बने लोहिया सेतु के निर्माण में पहुंच मार्ग सहित १,२३,८५,८३२.०० रुपये व्यय हुआ है। दिसम्बर, १९८५ तक रुपये ४९,०६,४३७.०० पथकर वसूल हुआ है। शासन की वर्तमान नीति के अनुसार इस पुल को पथकर से मुक्त घोषित किया जाना अभी सम्भव नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनपद आजमगढ़ में मस्टर रोल पर कर्मचारियों को वर्कचार्ज में नियुक्ति, दैनिक वेतन भत्ते पर कर्मचारियों की संख्या

१५४—श्री भीखाराम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सा० नि० वि० जनपद आजमगढ़ में मस्टर रोल पर कुछ कर्मचारियों को वर्कचार्ज में नियुक्त किया गया है और जो नियुक्तियां की गयी हैं उनसे वरिष्ठतम एवं अधिक दिनों से कार्य कर रहे कर्मचारियों को छोड़ कर अनियमित ढंग से नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो अनियमित रूप से नियुक्ति करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

नियुक्तियां नियमानुसार वरिष्ठता के आधार पर की गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

१५५—श्री भीखा राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ सा० नि० वि० में कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भत्ते पर तीन साल से अधिक समय से कार्यरत हैं जिनको अभी तक वर्कचार्ज में नहीं किया गया है, उनकी संख्या क्या है और उनको कब तक किया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ के सार्वजनिक निर्माण विभाग में दैनिक वेतन भत्ते पर ३ साल से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या—५१९ है, जो वर्कचार्ज में नहीं हैं।

यह पद की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री लाल जी सिंह यादव, अवर अभियंता, अस्थायी खण्ड नं० २, सार्वजनिक निर्माण विभाग आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच

१५६—श्री भीखा राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर माननीय सा० नि० राज्य मन्त्री ने दिनांक १९-७-८५ को श्री लाल जी सिंह यादव, अवर अभियन्ता, अस्थायी खण्ड नं० २ सा० नि० वि० आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी जांच का आदेश किया ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

माननीय विधायक से प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है।

पुलिस मेसों में रसोईयों का वेतन

१५७—श्री भीखा राम—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस मेंस में जो कर्मचारी खाना

पकाने के लिए नियुक्त किया गया है उनका वेतन क्या है ? क्या वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

पुलिस लाइनों में मेंसों तथा ५५६ थानों पर स्थापित मेंसों में नियुक्त रसोईयों एवं कहारों को चतुर्थ श्रेणी का वेतन रुपया ३०५—३९० स्वीकृत है। प्रदेश के कुछ थानों पर जहां पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, स्थापित मेंसों में कुछ ऐसे भी रसोइयें तथा कहार हैं, जिन्हें अंशकालिक रूप से नियत वेतन पर नियुक्त किया गया था। रसोइयों को पहले १५०/- रु० तथा कहारों को १००/-रु० प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जाता था लेकिन शासन द्वारा इसे बढ़ाकर ३२५/- तथा २२५/- रु० कर दिया गया था।

चौकी दीदारगंज, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ को थाना बनाये जाने का प्रस्ताव

१५८—श्री भीखा राम—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस चौकी, दीदारगंज थाना सरायमीर जनपद, आजमगढ़ को थाना बनाने का प्रस्ताव ? यदि हां, तो कब तक बनाया जायगा और उसके भवन निर्माण का कार्य कब तक कराया जायगा ! यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चौकी दीदारगंज थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को थाना बनाये जाने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ है। यदि निर्धारित मानक के आधार पर थाना बनाये जाने का औचित्य पाया जायेगा, तो इस थाने की स्वीकृति दी जायेगी।

प्रस्तावित थाना अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, अतः इसके भवन निर्माण का प्रश्न अभी नहीं उठता।

तहसील फूलपुर, जनपद आजमगढ़ की फूलपुर कोतवाली के भवन का निर्माण

१५९—श्री भीखा राम—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ की फूलपुर कोतवाली के भवन का निर्माण कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

तहसील फूलपुर जनपद आजमगढ़ की फूलपुर कोतवाली के भवन का निर्माण कराया जाएगा। सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इसके लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे में प्रधानमंत्री के भाषण हेतु बनाए गए मंच पर व्यय

१६०—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत विधान सभा चुनावों के समय उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे में माननीय प्रधान मंत्री के भाषण करने के लिए बनाए गये मंच (डायस) पर कितना खर्च आया था ? क्या तत्सम्बन्धी ईंट, मौरंग, बालू आदि के बिलों का भुगतान हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार विधान सभा चुनावों के समय उन्नाव जिले के मौरावां कस्बे में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण हेतु सा० नि० वि० द्वारा बनाये गये मंच पर रु० १५,०००/- का व्यय हुआ था तथा इस कार्य से सम्बन्धित समस्त व्यय का भुगतान किया जा चुका है।

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पाक्षिक की सशुल्क और नि:शुल्क प्रसार संख्या

१६१—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सूचना मंत्री यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश पाक्षिक की प्रसार संख्या अलग-अलग सशुल्क और नि:शुल्क कितनी है ? क्या इस प्रकार एकत्रित धनराशि से प्रकाशन पर होने वाला व्यय-भार पूरा हो जाता है ?

श्री प्रमोद कुमार—

सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश, पाक्षिक की सशुल्क प्रसार संख्या ७३,६४६ है तथा नि:शुल्क प्रसार संख्या लगभग ४३९० है।

जी नहीं।

उन्नाव जिले के साप्ताहिक पत्रों की अधिकारियों को भेजी गयी कटिंग तथा जांच

१६२—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सूचना मंत्री यह भी जानकारी देने का कष्ट करेंगे कि उन्नाव जिले के साप्ताहिक पत्रों में से वर्ष १९८४-८५ में जांच हेतु कितनी कटिंग अधिकारियों को भेजी गयीं ? उनमें से कितनी कटिंग की जांच अधिकारियों ने पूरी कर ली है ? सर्वाधिक कटिंग किस साप्ताहिक पत्र को प्रेषित की गयी है ?

श्री प्रमोद कुमार—

जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष १९८४-८५ में उन्नाव जनपद में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्रों की ४०५ कटिंग जांच हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भेजी गयी। प्रेषित कतरनों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा वांछित आवश्यक कार्यवाही की गयी। सर्वाधिक १२१ कतरनें उन्नाव जनपद में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र "काल चिंतन" की थी।

जिला उन्नाव के पुरवा क्षेत्र में पावर हाउस में हुई लूट की कथित घटना

१६३—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव के पुरवा क्षेत्र में थाने से मात्र २ कि० मी० दूर स्थित निर्माणाधीन पावर हाउस में दिनांक ३१ मई, १९८५ की रात हुई लूट की घटना की रपट पुरवा पुलिस स्टेशन पर दर्ज की गयी है ? यदि नहीं, तो कई लोगों के घायल होने और सम्पत्ति लूटे जाने की इस बड़ी घटना की रपट न दर्ज किये जाने के गम्भीर मामले की जांच मंत्री जी करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ३१-५-८५ की प्रश्नगत घटना का घटित होना नहीं पाया गया। इस सम्बन्ध में थाना पुरवा में कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करायी गयी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री डी० एन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव के कार्यकाल में व्यक्तियों की गिरफ्तारी

१६४—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के पुरवा कोतवाली के वर्तमान थानाध्यक्ष्य श्री डी० एन० सिंह के कार्यकाल में धारा १५१ के अन्तर्गत कितने लोग कितने मामले में गिरफ्तार किये गये हैं और गिरफ्तार लोगों में अनुसूचित जाति के लोगों का कितना प्रतिशत है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री डी० एन० सिंह, थानाध्यक्ष, थाना पुरवा जनपद उन्नाव के कार्यकाल में धारा १५१ द० प्र० सं० के अन्तर्गत ५८ मामले पंजीकृत किये गये, जिनमें १७९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। गिरफ्तार व्यक्तियों में अनुसूचित जाति के ५९ व्यक्ति हैं, जिनका प्रतिशत लगभग ३३ है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की गिरफ्तारी अधिकाशत: हरिजन बनाम हरिजन मामलों से सम्बन्धित हैं।

उन्नाव जिले के कस्बों में सम्पादित विकास कार्यों व जन सुविधा की सेवाओं का विवरण

१६५—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच सालों में उन्नाव जिले के चार कस्बों पुरवा, मौंरावां, भगवंतनगर व बीघापुर की जानबूझकर उपेक्षा की गयी है? क्या गत पांच साल में उक्त कस्बों में सम्पादित विकास कार्यों व जन सुविधा की सेवाओं का विवरण देने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

टाउन एरिया पुरवा तथा मौंरावां में जल आपूर्ति की व्यवस्था

१६६—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या नगर विकास मंत्री को यह भी जानकारी है कि जिला उन्नाव में लगभग २०-२० हजार की आबादी वाले कस्बों पुरवा व मौंरावां के जल आपूर्ति की व्यवस्था अव्यवस्थित है? यदि हां, तो जल आपूर्ति को व्यवस्थित किये जाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टाउन एरिया पुरवा जिसकी वर्तमान आबादी लगभग सोलह हजार (१६०००) है, में जलापूर्ति २ नलकूप, ४३५ सार्वजनिक कुओं तथा २० हैण्डपाइपों द्वारा एवं टाउन एरिया मौंरावां जिसकी वर्तमान आबादी लगभग ११००० है, में जलापूर्ति। नलकूप, १७६ सार्वजनिक कुओं तथा ५ हैण्डपाइपों द्वारा की जा रही है।

टाउन एरिया पुरवा तथा मौंरावां की पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता है परन्तु धनाभाव के कारण फिलहाल पुनर्गठन का कार्य किया जाना सम्भव नहीं है।

नगरपालिका फर्रुखाबाद के सिविल इंजीनियर, श्री ताराचन्द्र गुप्ता के कार्यकाल में मऊदरवाजा रोड का निर्माण एवं मरम्मत का कार्य

१६७—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका फर्रुखाबाद के सिविल इंजीनियर श्री ताराचन्द्र गुप्ता, फर्रुखाबाद में कब से कार्यरत हैं और क्या मन्त्री जी को यह भी जानकारी है कि श्री गुप्ता ने अपने कार्यकाल में नगरपालिका, फर्रुखाबाद की मऊदरवाजा रोड का निर्माण एवं मरम्मत कार्य कई बार दिखलाकर लाखों रुपये की हेराफेरी की है जबकि इस सड़क पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और सड़क बुरी तरह से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ी है?

श्रीमती पद्मा सेठ—

नगरपालिका फर्रुखाबाद के सिविल इंजीनियर, श्री ताराचन्द्र गुप्ता फर्रुखाबाद में दिनांक १६-३-१९७८ से कार्यरत हैं। श्री गुप्ता के कार्यकाल में नगरपालिका, फर्रुखाबाद में मऊदरवाजा रोड की मेटलिंग व पेन्टिंग का कार्य वर्ष १९७९ में किया गया था तत्पश्चात् वर्ष १९८१ से इस सड़क पर अतिवृष्टि एवं आवागमन के कारण हुई टूट-फूट की सालाना मरम्मत का कार्य पालिका गैंग द्वारा कराया गया। भारी वाहनों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष १९८५-८६ में इस सड़क को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसके सुधार एवं दो इंच मोटी प्री-मिक्स कार पेटिंग आदि का कार्य कराया जा रहा है जो प्रगति पर है इस सड़क के निर्माण एवं मरम्मत के कार्य में श्री गुप्ता द्वारा हेराफेरी किए जाने के सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं।

राज्य कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की घोषणा

१६८—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को वर्ष १९८४-८५ में मिलने वाले बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो यह घोषणा केन्द्र शासन के अनुरूप कब तक कर दी जायगी और उन्हें कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

जी नहीं।

आवश्यक आदेश दिनांक ४-११-८५ और दिनांक ४-२-८६ को जारी कर दिये गये हैं।

राज्य सम्पत्ति विभाग आवास आवंटन में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

१६९—श्री किरनपाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग आवास आवंटन में पिछड़े वर्ग के लिए १५ प्रतिशत का आरक्षण है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि वर्ष १९८२-८३, १९८३-८४ तथा १९८४-८५ में श्रेणीवार कुल आवंटित आवासों में से कितने आवास पिछड़े वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। दिनांक ३-२-७८ के शासनादेश के अनुसार उक्त आरक्षण का प्राविधान है।

वांछित सूचना वित्तीय वर्षवार संकलित नहीं कराई जाती है।

जल संस्थान द्वारा आलमबाग के कृष्णा नगर वार्ड में उपभोक्ताओं से मीटर चेम्बर हेतु जमा करायी गयी धनराशि तथा बढ़ायी गयी धनराशि

१७०—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान लखनऊ द्वारा आलमबाग के कृष्णा नगर वार्ड में उपभोक्ताओं से मीटर चेम्बर के रुपये १२५ रु० प्रति वाटर कनेक्शन जमा कराए गए थे ? यदि हां, तो १ जनवरी, १९८५ से ३० सितम्बर, १९८५ तक कुल कितने उपभोक्ताओं से चेम्बर के पैसे जमा किए तथा क्या इन्हें २५-१०-८५ तक चेम्बर प्रदान कर दिए गये ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। १ जनवरी, १९८५ से ३० सितम्बर, १९८५ तक कुल २५२ उपभोक्ताओं से मीटर चेम्बर की धनराशि जल संस्थान द्वारा जमा कराई गयी थी तथा इन उपभोक्ताओं को मीटर चेम्बर निर्गत किये जा चुके हैं।

१७१—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चेम्बर के रेट जल संस्थान लखनऊ द्वारा अक्टूबर, १९८५ से १२५ रुपये के स्थान पर १६० रुपये कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो अक्टूबर, १९८५ के पूर्व जिन उपभोक्ताओं के निर्धारित धनराशि जमा कर दी थी क्या उनसे बढ़ोत्तरी का अन्तर जमा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है तथा चेम्बर के दाम बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। जिन उपभोक्ताओं ने अक्टूबर, ८५ से पूर्व निर्धारित धनराशि जमा कर दी थी उनसे बढ़ोत्तरी का अंतर नहीं जमा कराया जा रहा है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का जल संस्थान, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

१७२—श्री शारदा प्रताप—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी,

विधायिका, लखनऊ का महा प्रबन्धक जल संस्थान लखनऊ को आलमबाग के कृष्णा नगर वार्ड में पानी के कनेक्शनों को स्वीकृति न दिए जाने एवं टैक्स का ८ प्रतिशत एडवांस जमा कराए जाने संबंधी शिकायती-पत्र दिनांक १९-१०-८५ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है ? तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। पत्र में लिखा गया है कि आलमबाग के कृष्णानगर वार्ड में नये पानी के कनेक्शनों हेतु सैकड़ों व्यक्तियों ने आवेदन किये हैं। इन आवेदन-कर्ताओं ने समस्त औपचारिकतायें पूरी कर दी हैं एवं देय धनराशि जमा कर दी है। इसके बावजूद जल संस्थान द्वारा इनके घरों में नया पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है तथा फाइलें सैंक्शन नहीं हो रही हैं। फाइलें श्री त्रिपाठी, अधि० अभियन्ता के पास महीनों से पड़ी हुई हैं, जनता से पानी का टैक्स जो कि ८ प्रतिशत होता है एडवांस में जमा कराया जा रहा है एवं इसके बिना नया कनेक्शन सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों ने समस्त पैसा जमा करके नये कनेक्शन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हैं उन्हें तुरन्त नये कनेक्शन स्वीकृत किये जायें एवं कर एडवांस ८ प्रतिशत की वसूली न की जाय।

मा० विधायिका से महा प्रबन्धक द्वारा आवेदन कर्ताओं की सूची उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था किन्तु मा० विधायिका की ओर से महा प्रबन्धक को अब तक कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है। उपभोक्ताओं से ८ प्रतिशत एडवांस के रूप में जमा नहीं कराया जा रहा है बल्कि कनेक्शन स्वीकृत किये जाने से पूर्व उनसे पिछले अवशेषों सहित चालू वर्ष का जलकर जमा कराया जाता है।

गणेश शुगर मिल लि०, आनन्द नगर पर गन्ना समिति एवं गन्ना विकास परिषद् को चेहरी एवं बागापार फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने पर देय कमीशन

१७३—श्री हर्षवर्धन—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र १९८५ के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—१३४ के उत्तर के सन्दर्भ में गणेश शुगर मिल लि०, आनन्दनगर, गोरखपुर पर गन्ना समिति एवं गन्ना विकास परिषद् को चेहरी एवं बागापार फार्म द्वारा आपूर्ति गन्ने पर कितना कमीशन देय है और इसकी वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गणेश शुगर मिल लि०, आनन्दनगर पर गन्ना समिति एवं गन्ना विकास परिषद् को चेहरी एवं बागापार फार्म द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने पर रु० ६६,५२४.३७ का कमीशन देय है।

गणेश शुगर मिल्स लि०, आनन्दनगर, गोरखपुर ने उक्त फार्मों का गन्ना, गन्ना समिति के माध्यम से पूर्ति करने के विरोध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है जो विचाराधीन है।

१७४—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

दि बाजपुर सहकारी चीनी मिल (नैनीताल) के निदेशक द्वारा एक केस ट्रक से जबरदस्ती उतरवाने के विरुद्ध कार्यवाही

१७५—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दि बाजपुर सहकारी चीनी मिल (नैनीताल) की डिस्टलरी यूनिट से दिनांक ३१-८-८५ को जब दिल्ली सप्लाई के ७०० केस ट्रक में लदकर जा रहे थे, उसी बीच

फैक्ट्री के एक निदेशक एक केस ट्रक से उतरवा कर जबरदस्ती ले गये ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा, जिला बरेली हेतु अधिग्रहीत की गई भूमि

१७६—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान सहकारी मिल सेमीखेड़ा, जिला बरेली के लिए जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी उससे प्रभावित सभी व्यक्तियों एवं वारिसों को फैक्ट्री में स्थायी नौकरियां दे ही गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सहकारी चीनी मिल सेमीखेड़ा, जिला बरेली हेतु किसी भी व्यक्ति की जमीन अधिग्रहीत नहीं की गयी है। अतः अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों एवं वारिसों को फैक्ट्री में स्थायी नौकरी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति (क्रमागत)

★श्री नेकचन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी अपने सीने पर एक बिल्ला लगाकर आए हुए हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। सन ७८ में श्री राजनारायण, संसद सदस्य, जब एक बिल्ला लगाकर लोकसभा में आए थे तो व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर अपनी व्यवस्था दी थी कि बिल्ला वह उतार दें और उन्होंने बिल्ला उतार दिया था। इनके इस बिल्ले से साम्प्रदायिकता की लहर फैल रही है और बू आ रही है। इस तरह इनका कल हौसला और बढ़ जाएगा और यह सदन में झण्डा लेकर आएंगे, जिससे सदन की गरिमा ही नहीं गिरेगी, बल्कि सदन का दुरुपयोग होगा। माननीय शाही जी जो बिल्ला लगाए हैं, उस पर आप अपनी व्यवस्था दें, इससे साम्प्रदायिकता फैल रही है। ऐसे ही सदस्यों द्वारा बाहर साम्प्रदायिकता फैलाई गई है। इस बिल्ले के बारे में आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें और आप पहले प्रश्नकाल में दे भी चुके हैं। तो आप अपने ही पहले के निर्देश का पालन करायें।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मैं इस पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था दे रहा हूं। आप बैठ जाइये। सदन में पहले भी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, यह इस सम्बन्ध में है कि माननीय शाही जी ने एक बिल्ला लगा रखा है। मैं अपनी भावना पहले ही व्यक्त कर चुका हूं, सदन में हमेशा यह परिपाटी भी रही है और इस सम्बन्ध में रूलिंग्स भी हैं, जहां अध्यक्ष ने कहा है कि सदन में बिल्ला लगाकर आना सदन की मर्यादा के प्रतिकूल है। तो जो चीज किसी खास चीज की ओर संकेत करती है, ऐसी चीज को सदन में नहीं लगाना चाहिए। तो मैं माननीय शाही जी से अभी निवेदन करता हूं कि वह उस बिल्ले को हटा लें। इस तरह की कोई चीज बिल्ला या झण्डी आदि हाउस में नहीं लगाना चाहिए . . (व्यवधान) आप बिल्ला पहले उतार लें। कोई चीज इस सदन में नहीं आ सकती है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस सम्बन्ध में मैं नियमावली की बात कहना चाहता हूं . . .

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें नियमों की कोई बात नहीं है। कोई बिल्ला हाउस में नहीं चलता है। आप लोग शांत रहें।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है। लेकिन आप मेरी बात सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी चीज का प्रतीक हाउस में नहीं आ सकता। आप लोग शांत रहें, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरी बात सुनें। आपने कहा कि "ऊं" लिखा है तो कोई कुछ और लिखवाने लगे और कहे कि इसमें कुछ और लिखा है। "ऊं" का विरोध कोई नहीं कर रहा है और न ही कोई ऐसी बात है कि सदन में "ऊं" नहीं आ सकता लेकिन जो चिन्ह लगा रखा है जो प्रतीक चिन्ह लगा रखा है वह नहीं आ सकता।

श्री मुहम्मद आजम खां के निवास पर कार्य सूची और प्रश्नों के उत्तर कई दिन से न मिलने तथा आज के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-२ को स्थगित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

★श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या है, कहिये।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जरा सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

एक दफे मैंने उनको इंगित कर दिया तो आपको कहां अधिकार है? पहले उनकी बात आ जाने दें।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आज की कार्यसूची में अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-२ पर मेरा प्रश्न है, जो डिप्टी डायरेक्टर यूनानी के पद के सम्बन्ध में है। हमें प्रश्नों की सूचना मिलने का एक ही जरिया है और वह है कि कार्यसूची और प्रश्न का जवाब हमें मिल जाय। लेकिन पिछले ४-५ रोज से न मुझे कार्यसूची मिल रही है और न प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना मिल रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न होने के बावजूद, चूंकि मुझे इत्तला नहीं थी इसलिये मैं दूसरे काम में मसरूफ हो गया, और यहां न आ सका। अगर मुझे यह सूचना मिली होती तो मैं उस काम के लिये न जाता। लिहाजा मैं इस पर व्यवस्था चाहूंगा कि यह जो मुझे कई रोज से सूचना नहीं मिली है और जो मुझे नुकसान पहुंचा है तो क्या इस प्रश्न पर मजीद बहस करायेंगे या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उठाया है . . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अभी उनकी बात सुनी और उसका जवाब नहीं दिया है और आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप बैठें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है। आपने जो व्यवस्था दी वह शिरोधार्य है कि शाही जी को अपना बिल्ला उतारना चाहिए लेकिन श्रीमन, यह आपकी आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था सारे सदस्यों पर लागू होनी चाहिए। मैं विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अधिकांश सदस्य मंत्री बनने के लिए राजीव गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बिल्ले लगाकर इस हाउस में बैठे हैं। उनके भी बिल्ले उतरवा देने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका इससे कोई वास्ता नहीं है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मेरी भी बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आजम साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है मैं उसका जवाब दे दूं। आजम साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि उनको जवाब नहीं मिला और मेरा सवाल फिर लगा लिया जाय, तो सवाल फिर नहीं लिया जा सकता। उन्होंने शिकायत की कि मुझे कार्यसूची नहीं मिलती तो मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह प्रश्न फिर किसी दिन के लिये लगा दें। यह मेरी गलती नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी जांच कराऊंगा, इसको दिखलवा लूंगा कि क्या कारण है जो ऐसा हुआ ?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इसको किसी और दिन के लिये स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह स्थगित नहीं होगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

निर्णय मैंने दे दिया है।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

[× × ×]

(मेजों की थपथपाहट)

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नियमावली को खूब देख चुका हूं और खूब पढ़ा-लिखा हूं, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निर्णय मैं दे चुका हूं। शाही जी यह पहले बिल्ला आपको उतार लेना चाहिए क्योंकि जो निर्णय हो चुका है, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्ला आप उतार लीजिए। हरीश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं ? (व्यवधान) आप ही अपना समय खो रहे हैं। इसमें कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है। पहले बिल्ला उतरवाईये बाद में कुछ होगा और जो निर्णय हो चुका है, वही रहेगा। श्री राणा जी आप क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, पहले आपकी व्यवस्था का पालन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का पालन होगा, नहीं होगा तो सदन चलेगा कैसे ? अगर हमारी व्यवस्था नहीं चलेगी तो फिर सदन भी नहीं चलेगा।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

एक सदस्य—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था का पालन होना चाहिए, आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं, इस व्यवस्था पर कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए (घोर व्यवधान के मध्य हरिश्चन्द्र, हरीश जी के फिर खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

हरीश जी आप अब बैठ जाइए। मा० राणा जी आप क्या कह रहे हैं, मा० राणा जी को कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आपने इसमें अपनी व्यवस्था दे दी है, इसलिए इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मान्यवर, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं. वह यह है कि . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप किस विषय में बोलना चाहते हैं ?

श्री विजय सिंह राणा—

मैं इसी विषय में बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था हो गयी है, तो इस विषय में क्यों बोलना चाहते हैं आप ? मैं बिल्कुल अब सुनने के लिए तैयार नहीं हूं।

(घोर व्यवधान)

फिर तो यहां पर लोग झंडे लगायेंगे हाउस में।

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

कोई चीज नहीं लिखी जायगी।

(घोर व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आपसे मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आपने जो व्यवस्था दी है वह बिल्ले पर है या रंग पर है ? ओम शब्द पर है या जो कपड़ा है, उस पर है ?

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप सब जानते हैं और आप सब उत्तेजित भी हैं और इसको प्रेस्टिज का ईश्यू बनाये रखना चाहते हैं। इस वक्त जो स्थिति है प्रदेश की कोई ओम लिखेगा। उसके लिए रोक नहीं रहा हूं, अगर किसी ने अंगूठी में ओम लिखवा रखा है।

(व्यवधान)

आप बात तो सुन लीजिए मेरी।

(व्यवधान)

ओम की अंगूठी पहनिये कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से बिल्ला लगा है, उस तरह से वह बिल्ला हाउस में किसी तरह से स्वीकार नहीं होगा। अगर शाही जी इस तरह से बिल्ला लगा कर आवेंगे और दूसरी तरफ कोई काला झंडा लेकर आवेगा, तो यह शोभा नहीं देता। मैं आपको आज्ञा देता हूं कि आप इस बिल्ले को उतार लें।

(श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

ओम की अंगूठी पहनी जा सकती है, लेकिन इस तरह का बिल्ला नहीं लगाया जा सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप क्या इसके बारे में कोई दलील देना चाहते हैं ?

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरे दो शब्द सुन लें, मान्यवर।

(व्यवधान)

आपने स्वयं व्यवस्था दी है आज के संदर्भ में कि बिल्ला लगाना उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

बिल्ला लगाना कभी उचित नहीं है। आज के ही संदर्भ में नहीं, हाउस में कभी भी बिल्ला लगाना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

यह सदन की व्यवस्था का सवाल है।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सूर्य प्रताप शाही अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इस प्रकरण को कार्यवाही का हिस्सा न बनने दिया जाय। आपकी व्यवस्था उचित है। मैं आपकी व्यवस्था से असहमत नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने पहले ही कह दिया था, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

व्यवस्था के प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने व्यवस्था दे दी कि बिल्ला नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार का प्रदर्शन सदन में नहीं होना चाहिए लेकिन यह जो हमारे सामने सदस्य बैठे हैं यह हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। आधे घण्टे से। न तो नेता सदन बोल रहे हैं न आप कुछ कह रहे हैं। क्या हाउस में हुल्लड़बाजी करनी चाहिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

हुल्लड़बाजी किसी को नहीं करनी चाहिए। सदन में हुल्लड़बाजी अच्छी नहीं होती।

श्री मनोहर लाल—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष के ऊपर कोई बात नहीं पूछी जा सकती। इसमें कोई सवाल नहीं। मनोहर लाल जी, आप बैठिए। आप तो पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। अध्यक्ष पीठ के ऊपर कोई बात नहीं उठाई जा सकती।

श्री राम सरन—

मैं प्रश्नों के सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष पीठ पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। आप फिर सवाल उठा रहे हैं। इसकी मैं अनुमति नहीं देता। जो लिखा गया है उसे काट दिया जाय।

श्री राम सरन—

प्रश्नों के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पिछले सत्र में मैंने प्रश्न किये थे और वह स्वीकार हो गये थे और उनको ८वें और १०वें बार पर आना था। जब सदन स्थगित हो गया नारायण दत्त तिवारी जी के जमाने में तो हमारे पास वह प्रश्न पुर्नजीवित के लिये आये। अब की बार उन प्रश्नों को २२वां बार मिला है। इस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, जो इस सत्र में दिये हैं, उनका प्रश्न पहले आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जांच हो जायेगी।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा सदन में बिल्ला लगाकर आने पर आपत्ति सम्बन्धी कार्यवाही के अंश को कार्यवाही से निकाले जाने के आदेश के विषय में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ३०१ के अन्तर्गत २१ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है, मैं उस पर व्यवस्था चाहता हूं। श्री शाही एक बिल्ला लगाकर आये, उस पर सत्ता-पक्ष के लोगों ने आपत्ति की . . .

श्री उपाध्यक्ष—

पूरे प्रकरण को निकाल दिया।

सत्ता पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की। मैंने खुद निर्णय दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने के बाद माननीय सदस्य मैनेजर सिंह, मैं, श्री शाही और अन्य माननीय सदस्य बोलें। आपने उसको कार्यवाही से निकाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे अधिकार है निकालने का, मैंने पूरे प्रकरण को निकाल दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष के नाम पुकारे जाने पर यदि माननीय सदस्य ने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया तो भी क्या उसको निकाला जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल संसदीय भाषा या असंसदीय भाषा का नहीं है। सवाल भावना का है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उसमें कोई ऐसी भावना नहीं है . . .

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि वह कार्यवाही में रहे ताकि लोग समझ सकें कि संसदीय परम्परा में विश्वास रखने वाले . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी रूलिंग रहेगी, वह अंश नहीं रहेगा।

तहसील दातागंज, बदायूं में रामगंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को सरकारी सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

३०१ में २१ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गौरी शंकर भइया, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी, श्री किरनपाल सिंह, श्री जगवीर सिंह की सूचनाएं स्वीकार की गईं, शेष सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अब जो बोल रहे हैं वह भी निकाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

यह नहीं निकाला गया है।

*श्री अवनीश कुमार सिंह—

मैं आपके माध्यम से अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज में माह सितम्बर, १९८५

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को रामगंगा नदी में एकाएक आई बाढ़ से लगभग २५० ग्राम बुरी तरह प्रभावित हो गये हैं। इन ग्रामों की सम्पूर्ण फसलें चौपट हो गयी हैं तथा अधिकांश ग्रामों की भूमि कट गयी है। अथवा खेतों में रेता आ गया है जिससे कि भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है। बाढ़ से हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गये हैं।

ग्राम विजयवापट्टी नावादाबदन, शेरपुर, नगरियाखनू, शेरहापुख्ता, जरतौली, बेला, मौसमपुर आदि ग्राम पूरी तरह से कट गये हैं जिससे कि इन ग्रामों में रहने वाले ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी और मकान का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि दातागंज क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित ग्रामों में शीघ्र गृह अनुदान उपलब्ध कराया जाय, बाढ़ से कटे हुए ग्रामों को दुबारा बसाने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा सब प्रकार के सरकारी ऋण माफ किये जायं।

हरदोई जनपद के प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों को नियुक्त किये जाने में धांधली के संबंध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, हरदोई के बेसिक प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की नियुक्ति में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं से जिले में प्रशिक्षित बी० टी० सी० अभ्यर्थियों में घोर असन्तोष व्याप्त है। अधिकारियों द्वारा जनपदों के अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने का षडयंत्र उद्घाटित हुआ है। फर्जी आवास प्रमाण-पत्र ले लेकर अधिकारियों द्वारा गैर जनपदीय अभ्यर्थियों की भर्ती की जा रही है। जिससे जिले में प्रशिक्षित बी० टी० सी० अभ्यर्थियों का जो वर्षों से बेरोजगार घूम रहे हैं, अधिकार छिन रहा है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।

बलिया जनपद में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में मतभेद के कारण जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शकर भइया—

महोदय, बलिया में पुलिस एव प्रशासनिक अधिकारियों में गम्भीर मतभेद के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपने अधिकारों का प्रयोग शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बिना जिलाधिकारी के आदेश से अतिरिक्त जिलाधिकारी के विरुद्ध धारा ४०९ के मुकदमें में चार्जशीट लगा दिया है तथा एक अन्य मुकदमें में भी चार्जशीट लगाने की तैयारी पूरी कर दी है। नगर पालिका से सम्बन्धित इन मुकदमों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक एव जिलाधिकारी का बयान परस्पर विरोधी है। मतभेद के अन्य कारणों में जिलाधिकारी द्वारा वकील कर्मचारी विवाद में पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शासन को लिखना, शशीकान्त एवं राघव पर फर्जी मीसा लगाना, २६ जनवरी के दिन पुलिस लाइन में झण्डारोहण के अवसर पर जिलाधिकारी के मुख्य अतिथि होने के बावजूद पुलिस अधीक्षक का परेड की सलामी लेना, जिलाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों का पुलिस के एस० पी० द्वारा न मानना तथा आचरण करना मुख्य है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन को नीचा दिखाने की इस प्रवृत्ति के कारण प्रशासन ठप्प पड़ गया है, इससे जनता एवं कर्मचारी संगठनों में सरकार के प्रति क्षोभ एवं अविश्वास की भावना व्याप्त हो गयी है। अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मोहल्ला कर्नलगंज, इलाहाबाद निवासी शीतल हरिजन की पैतृक सम्पत्ति पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि इलाहाबाद शहर, कर्नलगंज मोहल्ले में शीतल हरिजन के पैतृक सम्पत्ति को हड़प कर अनधिकृत निर्माण करा लिया है। मान्यवर, आपको सीताराम ट्रस्ट मकान नं०-८३ के किरायेदार एवं रामनाथ जायसवाल ने जबरन शोरपुश्ती से उक्त शीतल प्रसाद मार्फत शारदा प्रसाद आनन्द भवन का कुआ प्लान न०-८, सीढ़ी, चरही तोड़ कर तथा स्त्रियों के स्नानागार को भी तोड़कर कुए की जगत के पूरब व पश्चिम दोनों तरफ अनधिकृत निर्माण करवा लिया है। आयुक्त एवं सचिव, विकास प्राधिकरण, श्री देवव्रत दीक्षित ने उक्त शीतल प्रसाद हरिजन के पक्ष में निर्णय सुनाकर अनधिकृत निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। परन्तु खेद है कि विपक्षी पार्टी शोरपुश्ती और धन के प्रभाव से उक्त फाइल को प्रशासक श्री जे० एन० द्विवेदी ने अपने पास मंगा लिया है जबकि सचिव के निर्णय के बाद प्रशासक का इसमें हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं बनता। मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभावी आदेश देकर इतने बड़े जुल्म से हरिजन की सम्पत्ति की रक्षा करें।

तहसील बांसी व नौगढ़, जनपद बस्ती में नीलगायों के प्रकोप से फसलों की बर्बादी के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बस्ती जिले के बांसी तथा नौगढ़ तहसीलों में बहुत बड़ी संख्या में नीलगाय खुले खेतों में घूम रही हैं। वह ४०-४०—५०-५० की संख्या में कई झुण्डों में व्यापक क्षेत्र में फैल गयी हैं। ५—१० मिनट में कई एकड़ फसल नष्ट कर डालती हैं। इस समय जबकि रबी की फसल खेतों में खड़ी हैं नीलगायों द्वारा भारी क्षति पहुंच रही है। व्यापक क्षेत्र में किसानों में दुःख और असंतोष व्याप्त है। इन क्षेत्रों में अभी-अभी खरीफ की फसल अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई है और रबी की फसल की भी दुर्दशा देखकर किसान भावी भुखमरी की संभावना से भयभीत हैं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि वह इन नीलगायों को पकड़वाकर जंगल में छोड़वाने का तत्काल प्रबन्ध करें।

प्रदेश के महाविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह—

महोदय, सम्बन्धित लोकमहत्व के विषय पर उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ द्वारा कई लिखित तथा मौखिक प्रार्थना की जा चुकी है। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में तदर्थ शिक्षकों की एक बड़ी संख्या निरन्तर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के नाम पर शासन द्वारा केवल २ जनवरी, १९८४ तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के ही नियमित किये जाने की राजाज्ञा निर्गत की गयी थी परन्तु राजाज्ञा के निर्गमन की तिथि ३ जनवरी, १९८४ से डेढ़ साल बाद की है। इस बीच अनेक तदर्थ शिक्षक निरन्तर कार्य कर चुके हैं तथा बहुत से एक दो वेतन वृद्धि अर्जित कर चुके हैं।

अतः प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से तथा शासन द्वारा राजाज्ञा निर्गमन में अत्यधिक विलम्ब किये जाने की दृष्टि से

राजाज्ञा की तिथि तक नियुक्त इन तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को नियमित किया जाय। इनकी सेवाओं को नियमित किया जाना इसलिए नियमानुकूल होगा क्योंकि इनसे पूर्व शासन की विभिन्न राजाज्ञाओं व अध्यादेशों से ऐसे शिक्षक विनियमितीकरण से लाभांवित हो चुके हैं जिनका कोई वैधानिक या पुष्ट आधार नहीं था। उक्त मांग को लेकर उ० प्र० विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ की ओर से गत दो दिनों से विधान सभा भवन के सामने धरना दिया जा रहा है।

अत: शासन से मांग करता हूं कि संदर्भित तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के कदम उठायें।

जनपद अलीगढ़ के कतिपय सीमान्त ग्रामों की कृषि भूमि का यमुना नदी के कटाव से निकली भूमि पर हरियाणा राज्य के कृषकों द्वारा जबरन कब्जा के सम्बन्ध में नियम ३०१ के अंतर्गत सूचना

*श्री जगवीर सिंह—

महोदय, जनपद अलीगढ़ की खैर तहसील के सीमान्त ग्रामों में यमुना की धारा निरन्तर उत्तर प्रदेश की तरफ प्रत्यावर्तित होने के कारण उत्तर प्रदेश के कई ग्राम जैसे धखरा, पीपली, समसपुर, लालपुर, शेरपुर, नखोरी मालव धाधोली, ऊंटासनी आदि की करीब ५० हजार बीघा भूमि हरियाणा की तरफ कट गई है। इस भूमि पर बलपूर्वक हरियाणा के कृषकों ने वहां की पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। समसपुर ग्राम कटाव से सर्वाधिक प्रभावित है इसकी पूरी भूमि पर हरियाणा के कृषकों ने अधिकार कर लिया है। परन्तु ग्राम की आबादी क्षेत्र को हरियाणा राज्य ने कोई नागरिक सुविधा प्रदान नहीं की है। इस ग्राम की इन्द्रानगर आबादी का न कोई थाना है न जिला है और न कोई उपभोक्ता वस्तुयें मिट्टी का तेल चीनी आदि ही उन्हें प्राप्त होती हैं।

उक्त सभी ग्रामों के कृषक व श्रमिकों की अत्यन्त दयनीय स्थिति को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाकर शासन से कार्यवाही की मांग करता हूं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा औचित्य के प्रश्न लिये जाने पर)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इससे पूर्व कि आप औचित्य के प्रश्न लें, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके यहां जो केन्द्रीय कक्ष है, इसमें जो जलपान गृह है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय पाण्डेय जी बैठें, अभी मैं आपको बुला नहीं रहा हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न है, मैं इसे व्यवस्था के रूप में ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था के रूप में कैसे ले लेंगे ?

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, मैंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना ३०१ के अन्तर्गत दी थी। मान्यवर, वह लिया नहीं गया [× × ×।]

श्री उपाध्यक्ष—

इसको आप आकर पूछ लीजिये चेम्बर में। अन्याय की बात कोई नहीं उठती।

श्री गोपाल दास यादव—

मान्यवर, किसानों की उपेक्षा हो रही है।

[× × ×]

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कमरे में आकर समझ लें कि आपका प्रश्न क्यों स्वीकार नहीं किया गया है। गल्ती आप करते हैं और दोष दूसरों को देते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय श्री गोपाल दास जी ने आपके प्रति अविश्वास की जो बात उठाई है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, कार्यवाही से निकाल देंगे।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका है। उसके बाद मैंने ३०१ को ले लिया है और अब नियम ३०० को लेने जा रहा हूं। अब आप व्यवस्था का प्रश्न, प्रश्नों के सम्बन्ध में उठा रहे हैं। इसकी मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। उसी समय आपको यह प्रश्न उठाना चाहिए था।

आँचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

श्री माता प्रसाद जी ने नियम ३०० के अन्तर्गत कैन्टीन के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। पहली बात तो यह है कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न उठता ही नहीं है। दूसरा यह कि इस कैन्टीन को विधान सभा सचिवालय नहीं चला रहा है, इसे निगम चला रहा है। सरकार उसे देखेगी और उसकी तरफ ध्यान देगी। इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

दूसरा प्रश्न श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने उठाया है। कल कोई विधेयक पास हुआ था, उसके सम्बन्ध में श्री शाही जी ने नियम ३०० के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न नियम ३०० के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह और श्री गोपाल दास यादव जी ने भी नियम ३०० के अन्तर्गत प्रश्न उठाया है। यह भी नियम ३०० के अन्तर्गत नहीं आता है।

★श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न मंत्री परिषद् के एक सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में है। चाहे वह सदन के बाहर हों या सदन के भीतर।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ३०० के अन्तर्गत तो केवल सदन के अन्दर का मामला होता है न कि सदन के बाहर का।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद १६४(२) में साफ लिखा गया है कि "मंत्री परिषद् विधान मण्डल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा।"

श्री उपाध्यक्ष—

जो प्रश्न आपने दिया है, उसमें सदन की व्यवस्था से कहां मतलब है ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मंत्री परिषद् के एक मंत्री ने ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम किया है अपने हाथों। आज तक तो दूकानों और प्रतिष्ठानों का उद्घाटन मंत्री लोग करते

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थे, लेकिन मंत्री जी ने एक पिस्तौल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन से एक आदमी घायल हो गया। ग्राम्य विकास मंत्री श्री श्याम सूरत उपाध्याय ने १५ तारीख को इलाहाबाद . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न सदन की व्यवस्था से संबंधित नहीं है।

(श्री फजलुल बारी को पुकारे जाने पर तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सिंह साहब, आप बैठें, मैंने श्री फजलुल बारी को बुला लिया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मेरी सूचना नियम ३०० में है, मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें, मैंने देख लिया है, आपका नियमों में नहीं आता है। नियम ३०० में आप नहीं उठा सकते, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[× × ×]

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो कुछ आप बोल रहे हैं, कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा।

श्री फजलुल बारी विधायक को रायबरेली शहर में पुलिस द्वारा दो घण्टे हिरासत में रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

★श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, कल शाम के ३-३० बजे जब मैं यहां से रायबरेली जा रहा था तो रायबरेली पहुंचने पर एकदम से पुलिस की एक जीप ने आकर रास्ता रोक लिया। एक आफीसर ने निहायत बदतमीजी से बात की और कहा कि, "आप यहां कैसे चले आये ?" मैंने कहा कि—"न अखबार में, न रेडियो में और न टेलीविजन में ऐसी कोई सूचना प्रसारित की गयी है कि मेरा दाखिला मना है।" इसके बाद जब मेन रोड पर चौराहे पर मुझे ले आये, तो मैंने कहा कि गाड़ी में तेल नहीं है, अगर रुक जायगी, तो मैं लखनऊ वापस नहीं जा पाऊंगा, कल मुझे विधान सभा भी अटेण्ड करनी है और वैसे भी कमजोर आदमी हूं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से तेल लेने की इजाजत दी। इसके बाद पेट्रोल लेने के लिये पेट्रोल पम्प पर गये, वहां कुछ देर हो गयी। जैसे ही वापस आ रहे थे तो मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। गाड़ी रोकी कि नमाज पढ़ लें। ज्यों ही उतरना चाहा, तीन गाड़ियां पुलिस की आकर खड़ी हो गयीं, जैसे मैं कोई चम्बल का डाकू होऊं। उन्होंने मुझको नमाज भी नहीं पढ़ने दी। दो घण्टे इसमें लग गये, तब तक वे मुझे हिरासत में रखे रहे। शाम के ८ बजे चलकर मैं रात्रि में ९-३० बजे लखनऊ पहुंचा। लगभग १० कि० मी० तक उसी घेरे में ले जाकर मुझसे कहा कि आप चले जाइये। क्या भारत का संविधान इसीलिये बना है कि खाकी वर्दी के लोग उसकी धज्जियां उड़ा दें। मेरे ऊपर दफा १४४ तोड़ने के अलावा कोई मुकदमा नहीं चला है।

यह हमारे फण्डामेण्टल राइट्स का जो हनन हुआ है, अगर बाहर कोई रक्षा नहीं मिलती तो आपकी शरण में आये हैं। आप ही बतायें कि रायबरेली के पुलिस अफसरों ने मेरी बेइज्जती अवाम के बीच में की और मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। इसी कारण मैं सुबह से बिल्कुल खामोश बैठा हुआ हूं, एक भी

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्द बोल नहीं रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि संविधान का कार्यान्वयन कहां से कराया जाय? इसलिये मैं समझता हूं कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस सूचना को देखें, यह अकेले मेरी ही बात नहीं है, यह पूरे सदन का अपमान है। हम लोग आज यहां सदन में बैठे हुए हैं, कल हो सकता है कि आप भी हमारी जगह पर हों। यह सरकार मुखतलिफ कानून बना कर ले आ रही है उसका मतलब भी शायद यही है कि इस देश में प्रजातंत्र को खतम करके राजतंत्र को लागू किया जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर कोई न कोई अपना निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है।

श्री कौशिक रमा शंकर—

आप इसे विशेषाधिकार में दे दीजिये। मान्यवर, रायबरेली के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ आप इसे विशेषाधिकार में ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ३०० के अन्तर्गत यह नहीं आता है। विशेषाधिकार के लिये लिख करके दें तो देखा जा सकता है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

माननीय ओझा जी, आप बैठें। नियम ३०० में यह नहीं आता है, और भी नियम बने हैं, आप उसमें इसे लाइये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अभी कौशिक जी ने कहा कि इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय। इस आदरणीय सदन का एक सदस्य अपनी बात को कह रहा है, इसमें लिख कर देने की क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष—

लिख कर देने की बात है। लिख कर देना होगा तभी तो विशेषाधिकार समिति इसकी जांच करेगी।

श्री फजलुल बारी—

पुलिस अधीक्षक और पुलिस कर्मी जिन्होंने मेरे साथ इस तरह की हरकत की है उसे मैंने यहां पर बयान किया है, अगर आप इजाजत दीजिये तो मैं लिख कर भी ले आऊंगा?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति प्राप्त करने के लिये—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९८६

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण संशोधन विधेयक, १९८६ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

जनपद फैजाबाद के कतिपय ग्राम सभाओं में राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका†

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, जनपद फैजाबाद में मया ब्लाक की अमसिन

†छापी नहीं गई।

गांव सभा में, कटेहरी ब्लाक की मंशापुर तथा कटरिया बड़ा गांव, गांव सभा में और भीटी ब्लाक की मिझौंड़ा, बनगांव जदीद, रामनगर करीं तथा पुरे दरबार गांव सभाओं में राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने विषयक श्री कलीम हैदर तथा श्री राम बहोर सिंह, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित, याचिका को उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या ८ के पुकारे जाने पर)—

श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मेरा मद संख्या ६ के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने शुक्रवार को विशेषाधिकार में एक सूचना को दिया था। मान्यवर, आप नियमावली को देख लें, लोक सभा की कार्यवाही को भी आप देख लें। आप तो वहां के सदस्य भी रह चुके हैं लेकिन अब विधान सभा में विशेषाधिकार की सूचनाओं को जिस तरह से लिया जाता है, आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की १९७४ की कार्यवाहियों को उठा कर देख लें जबकि श्री वासुदेव सिंह विधान सभा के अध्यक्ष थे और श्री शिव नाथ सिंह कुशवाहा उस समय उपाध्यक्ष थे। आप उस समय की कार्यवाहियों को उठा कर देख लें कि नियमावली के मुताबिक उस समय जब विशेषाधिकार के भंग की सूचना सदस्यगण देते थे तो माननीय अध्यक्ष उसको यहां पर सबके सामने उसे सुनाते थे और जिस सूचना को वे स्वीकृत करते थे, उसकी ग्राह्यता पर उसे सुनते थे। मैंने भी एक सूचना दी थी जिसके कि १० रोज हो गये हैं। मैंने जब आपसे उसे ग्राह्य करने का अनुरोध किया तो आपने कहा कि मेरे चेम्बर में आ जाइये। फिर आपने कहा कि १६ तारीख को लेंगे। फिर कहा कि आज नहीं, इसे मंगलवार को लेंगे। आज आप मद संख्या ६ को छोड़कर मद संख्या ८ पर जायेंगे तो यह क्या नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, आप सुन लें। इसमें आप देखें, मैं नियमों के बाहर नहीं जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो नियमानुसार बोल रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कार्य स्थगन पर विशेषाधिकार इसलिये रखा गया है। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मैंने परिवहन मंत्री के विरुद्ध दिया है। मैं चौथी पांचवी बार सूचित कर रहा हूं, इसको सदन को सूचित किया जाये। मैंने उसके साथ विधान सभा की पुस्तिका भी प्रेषित की है, उसमें नजीरें हैं कि सदन के अन्दर इसको सुना जाता है लेकिन मान्यवर, उन परम्पराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी विशेषाधिकार की सूचना को सदन में सुनें।

श्री उपाध्यक्ष—

दोपहर के बाद बैठकर कुछ करूंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, २८-९-१९८५ को हमने और किरन पाल सिंह जी ने अमीर आलम खां के बारे में दिया था, उस पर आपका निर्णय हो गया है, केवल हस्ताक्षर होना बाकी है। वह टाइप होकर रखा है और आज हो जायेगा, तो मेरा निवेदन है उसको आप पहले सुन लें।

जनपद गाजीपुर में रिक्शा चालक श्री मुन्ना की पुलिस द्वारा पिटाई से मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब मद संख्या ८ पर आता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौहान)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार . . .

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

[दिनांक १८-१२-८५ को सदर अस्पताल, गाजीपुर से यह सूचना प्राप्त हुई कि मुन्ना नामक, रिक्शा चालक किसी पुलिस कर्मचारी द्वारा पीटे जाने के उपरान्त गम्भीर अवस्था में भर्ती हुआ है यद्यपि उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है । इस सूचना की जांच हेतु एक उप निरीक्षक को अस्पताल भेजा गया । जांच के दौरान श्री मुन्ना के पिता ने बताया कि दिनांक १४-१२-८५ को मुन्ना का रिक्शा एक उप निरीक्षक की मोटर-साइकिल से टकरा गया था जिस पर उप निरीक्षक ने मुन्ना को मारा-पीटा था । प्रारम्भ में मुन्ना का इलाज प्राइवेट रूप से कराया गया किन्तु हालत खराब होने पर दिनांक १८-१२-८५ को अस्पताल में भर्ती किया गया । इस जांच के आधार पर थाना कोतवाली में एक अभियोग अन्तर्गत धारा ३०८ भा० द० वि० एक उप निरीक्षक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । दिनांक १८-१२-८५ को ही मुन्ना की अस्पताल में मृत्यु हो गई । अतः मुकदमा धारा ३०४ भा० द० वि० में परिवर्तित किया गया ।

दिनांक १९-१२-८५ को प्रातः काल जब मुन्ना के शव का पंचायतनामा होना था तब श्री ब्रह्मानंद सिंह एवं अन्य कई नेताओं ने पंचायतनामा नहीं होने दिया । थोड़ी ही देर में श्री ब्रह्मानंद सिंह के नेतृत्व में ५०० व्यक्तियों का एक समूह थाना कोतवाली के सामने एकत्रित हो गया तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाए गए । श्री ब्रह्मानंद सिंह ने विरोधी दलों के पदाधिकारियों के साथ कोतवाली में उप निरीक्षक सालिग राम यादव के विरुद्ध धारा ३०२ भा० द० वि० के अंतर्गत मुकदमा कायम किए जाने, उन्हें तत्काल निलम्बित करके गिरफ्तार किए जाने, मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा कराए जाने एवं मृतक के आश्रितों को तत्काल आर्थिक सहायता दिए जाने व पेंशन की व्यवस्था किए जाने आदि मांगों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक से वार्ता शुरू की । इस बीच भीड़ की संख्या हजारों में पहुंच गयी । उप निरीक्षक की गिरफ्तारी को छोड़कर अन्य मांगें मान लिए जाने की घोषणा भी जनता के समक्ष माइक से की गई किन्तु भीड़ उप निरीक्षक की गिरफ्तारी एवं उसे हथकड़ी लगाकर जनता के समक्ष खड़ा करने की मांग पर अड़ी रही व पुलिस प्रशासन के विरुद्ध नारे लगाती रही । पुलिस प्रशासन द्वारा थाना कोतवाली परिसर में एकत्र समूह को कई बार समझाया गया परन्तु नेताओं पर इसका कोई असर न हुआ । नेताओं ने मृतक मुन्ना का पंचायतनामा भरे जाते समय उनके ही व्यक्तियों को पंच माने जाने का प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा ताकि वे लोग उप निरीक्षक को नामजद कर सकें और उप निरीक्षक की गिरफ्तारी हो सके । जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी यह मांग भी मान ली । इधर उत्तेजनात्मक भाषण के फलस्वरूप उत्तेजित भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया व कोतवाली के पूर्वी गेट व बाहरी परिसर की चहारदीवारी को तोड़कर भीड़ पथराव करती हुई कोतवाली के परिसर में दाखिल हो गई जिसके फलस्वरूप पुलिसकर्मी घायल होने लगे तथा राजकीय वाहन भी क्षतिग्रस्त होने लगे । पुलिस तथा गृह राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पी० ए० सी० के कुल २६ अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए तथा छः वाहन क्षतिग्रस्त हुए जिनमें जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के वाहन भी सम्मिलित हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर-बितर होने के लिए बार-बार कहा गया तत्पश्चात् आंसू गैस के गोले छोड़े गये किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ। तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया परन्तु इसका भी कोई प्रभाव न होने पर पांच राउन्ड गोली चलाई गयी। पुलिस फायरिंग में कुल ८ व्यक्ति घायल हुए जिनमें से एक घायल श्री यादवेन्द्र नारायण प्रधान की मृत्यु सदर अस्पताल गाजीपुर में दिनांक १९-१२-८५ को हो गई।

श्री मुन्ना की मृत्यु तथा कोतवाली पर घटित घटनाओं के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पूरे घटना-क्रम की उच्च स्तरीय जांच उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा करायी जा रही है।

मृतक मुन्ना के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा रुपया १०००/- की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मृतक मुन्ना के पिता श्री शंकर तथा मृतक यादवेन्द्र नारायण प्रधान के पिता श्री पुरुषोत्तम प्रधान को प्रत्येक को रु० १०,०००/- की अनुग्रह धनराशि मुख्य मन्त्री पीड़ित सहायता कोष से स्वीकृत की गई और उसका भुगतान जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा क्रमशः दिनांक २८-१२-८५ तथा ४-१-८६ को कर दिया गया है।

जनपद गाजीपुर तथा पूरे पूर्वान्चल में स्थिति अब सामान्य है तथा किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं है।]

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट मार्टम कब कराया गया और रिपोर्ट क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

१९ की रात को कराया गया। रिपोर्ट में आया कि यह टी० बी० का मरीज था और ४०० सीसी पस निकला और चार डाक्टरों ने इसका पोस्ट मार्टम किया था।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आप अवगत हैं कि पोस्ट मार्टम दिन में होता है, तो इसका पोस्ट मार्टम रात में क्यों कराया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, २४ घन्टे हो चुके थे और बाडी के डिकम्पोजीशन होने की संभावना थी। डी० एम० की परमीशन से पोस्ट-मार्टम रात को हो सकता है, कोई वैधानिक गलती नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के बयान में यह आया है कि भीड़ उत्तेजित हो गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में फायरिंग करनी पड़ी। सब-इंसपेक्टर के विरुद्ध मुकदमा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिये, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता तो यह मामला न होता, भीड़ उत्तेजित न होती और फायरिंग न करनी पड़ती। तो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि सब-इन्सपेक्टर को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, भीड़ की ओर से ४-५ मांगें आयी थीं उनकी सभी मांगें मान ली गयी और यह भी मान लिया गया कि उस दरोगा को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। लेकिन भीड़ यह चाहती थी कि उसको

गिरफ्तार करके परेड करायी जाये, गिरफ्तारी की मांग तो मान ली गयी थी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उत्तर में लिखा है कि जांच करने के उपरान्त धारा ३०८ में मुकदमा पंजीकृत किया गया, इसको माननीय मन्त्री जी स्वीकार करते हैं, उसके शरीर पर चोटें आयीं इसको आपने प्राग्दर्शन में स्वीकार किया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट है ही नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच की है, उस जांच में आपने लिखित में स्वीकारा है, मैं सेनटेंस पढ़कर सुनाता हूं। मान्यवर, आपने लिखा है कि दिनांक १८-१२-८५ को अस्पताल में भर्ती किया गया और जांच के आधार पर थाना कोतवाली में एक अभियोग अन्तर्गत धारा ३०८ भा० द० वि० एक उप निरीक्षक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ। तो इन्होंने मारने पीटने की बात शुरू में स्वीकारी और बाद में स्वीकारी तो मेरा सीधा-सीधा प्रश्न है कि—जब मारने पीटने की बात प्राग्दर्शन में आई तो मुकदमा दर्ज किया गया। १४ तारीख की घटना है और मुकदमा १८ तारीख को लिखा गया, यह प्राग्दर्शन में है। आपने जो परीक्षण कराया उसमें यह पस की बात तो ले आये लेकिन मारने-पीटने की बात आप जांच आख्या में कहते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

यह मैं थोड़े ही ले आया, पुलिस थोड़े ही ले आई। पोस्टमार्टम ४ वरिष्ठ डाक्टरों द्वारा जो डिप्टी सी० एम० ओ० रैंक के थे किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी बाहरी चोट नहीं आई है। यह बात जरूर है कि उन्होंने लिखाया। आपने जो दूसरा सवाल किया कि उसमें आपने मुकदमा कब कायम कराया क्योंकि १४ को यह मार-पीट बतायी जाती है। १८ को जब उसकी हालत ज्यादा खराब हुई, पौने १० बजे वह अस्पताल में भर्ती होता है और ७.१० पर उसकी मृत्यु हो जाती है। वह बेहोशी की अवस्था में भरती हुआ था जैसा कि उसके अनुसार ४ दिन पहले किसी पुलिस कर्मचारी के मारने-पीटने से यह स्थिति हो गयी, यह सूचना थाने में गयी तो एक आई० ओ० अस्पताल पहुंचा, तो इसमें यही परिस्थितियां थीं कि १८ तारीख में एफ० आई० आर० हुई।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा सवाल यह था . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने मैनेजर सिंह को बुलाया है, उनको बोलने दें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा नाम पुकारा गया। मैं पहले से खड़ा हूं। मैनेजर सिंह बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरी मान्यवर,एडवांस बुकिंग कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पूंछ लीजिए, मैनेजर सिंह जी बाद में पूंछ लेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

पहले तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि पुलिस के खिलाफ बात सुनकर उत्तेजित न हों वरना उसकी प्रतिक्रिया हमारे ऊपर भी हो सकती है। मान्यवर, मेरा सवाल है, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है जैसा कि माननीय वर्मा जी ने

शुरुवात की थी। अगर यह हादसा न होता तो जनता में वह उत्तेजना क्यों आती। पुलिस सही रास्ते की ओर काम करें, मैं उस रास्ते की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह मारा गया यह आपने स्वीकार किया। पुलिस सब इन्सपेक्टर की वजह से हादसा हुआ। यह सब जानने के बाद एफ० आई० आर० जो पहले लिखायी गयी, उसमें अज्ञात लिखाने का क्या कारण है? जब पुलिस को जानकारी मिल गई और मेरी भी निजी जानकारी है क्योंकि मुझे वहां के एक कार्यकर्ता ने बताया। जिनकी वहां पर एक कमेटी बनी थी, उनसे मालूम हुआ कि वह मुन्ना नामक व्यक्ति चिल्लाता रहा कि अमुक दरोगा ने मुझे मारा है। जब उस दरोगा का नाम आ गया तो फिर एफ० आई० आर० में नामजद दरोगा का नाम न लिखे जाने का क्या कारण है? उसको नामजद क्यों नहीं किया गया? इसलिये दोषी तो लिखने वाला हो गया जिसने उसका नाम नहीं लिखा। इसलिये पहली बात यह है कि आप उसके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जिसने उसका नाम नहीं लिखा। दूसरी बात यह है कि अब तक उस दरोगा की गिरफ्तारी की गई अथवा नहीं? तीसरी बात यह है कि राजस्व परिषद् के एक सदस्य को इस मामले की जांच की बात इसमें कही गई है उसके टर्म्स आफ रिफरेंस क्या हैं। अगर पहली घटना संदर्भित नहीं हुई है, बाद की घटना संदर्भित हुई है तो पहली घटना का क्या हुआ? टर्म्स आफ रिफरेंस आपके पास होगा, उससे पता चल जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, आपने कहा कि नामजदगी में देरी क्यों हुई। इसका कारण मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं। १४ तारीख को बताया गया कि इस तरह से वह व्यक्ति सब-इन्सपेक्टर की मोटर-साइकिल से टकराया और मार-पीट हुई। १८ तारीख को जब उसकी स्थिति गंभीर हो गई, तभी मामला उठा। इसलिए ४ दिन तक जिक्र नहीं हुआ।. . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने मारना स्वीकार किया। मुन्ना जब वहां गया तो वह चिल्लाता रहा। एफ० आई० आर० का क्या मतलब है? वह चिल्लाता रहा कि अमुक दरोगा ने मारा है तो उसका नाम उसमें क्यों नहीं लिखा गया? . . .

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

ऐसी बात नहीं है। . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। जो सवाल आपने एलाऊ किया था, उसका उत्तर नहीं आया। बीच में इन्टरप्शन हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर आ गया। मैनेजर सिंह को बुलाया है। वे पूछ लें। क्लियर हो जायेगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि रात में पोस्टमार्टम हुआ और कोई अनियमित कार्य नहीं हुआ। आपने यह भी कहा कि उसके अन्दर से पस निकला पोस्टमार्टम में। मैं जानना चाहता हूं हालांकि आपका पुलिस से स्नेहपूर्ण सम्बन्ध है लेकिन अगर आपके साथ कोई घटना हो गई और पुलिस वालों ने आपको रौंद दिया और आपके फ्रेक्चर हो जाय तो क्या चार दिन में फेफड़े में छाती के अन्दर पस नहीं बनेगा? जब घाव बन गया था तो उसमें इतने दिनों तक पस तो पड़ ही जायेगा। अगर आप मेरी इस बात को

नहीं मानते हैं तो किसी दूसरे डाक्टर से पूछ लें और मदद ले लें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के पुलिस के अपराध आपकी कांग्रेस पार्टी में दो दल होने के कारण बढ़ रहे हैं। एक पक्ष तो कहता है कि पुलिस प्रशासन ठीक-ठीक है और दूसरा कहता है कि पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है और पुलिस प्रशासन कहता है कि कांग्रेस पार्टी के एम० पी० तस्कर हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप सवाल करें।

श्री मैनेजर सिंह—

सवाल ही कर रहा हूं। आपकी पार्टी के अन्दरूनी झगड़े के कारण ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसकी आप जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने दो प्रश्न किये। पहला यह कि उसके घाव से पस हो सकता था। मैंने पहले ही बताया कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में बाहरी चोट की बात नहीं कही गई है। जहां तक पस पड़ने का सवाल है, पस शरीर के अन्य भाग में पड़ता है जब कहीं पर चोट हो। शरीर के किसी दूसरे भाग में चोट नहीं है इसलिये फेफड़े में ही पस पड़ा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बार-बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देने नहीं दे रहे हैं। पहले जवाब आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, उत्तर आने देना चाहिए, उत्तर आने से पहले ही खड़े हो जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मैं बैठा भी नहीं हूं, जवाब सुन लीजिए। आपने कहा कि सत्ताधारी पार्टी के बीच कोई भेद था तो ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा है कि अगर कोई दोषी पाया जायेगा तो शासन उसको बिलकुल माफ नहीं करेगा, गलती करने वाले को बख्शा नहीं जायेगा।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

मैं आपके माध्यम से केवल एक बात जानना चाहता हूं कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट क्या है ? वह पढ़कर सुना दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट का प्रश्न तब होता जब किसी बात पर चैलेंज करने की बात होती। वर्ना यह इतनी लम्बी है। आप कोई स्पेसिफिक चीज पूंछें तो उसे मैं बता सकता हूं आपको किस बात पर शंका है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कौशल जी ने पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछा है।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी वकील रहे हैं, उन्होंने पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट देखी भी होंगी, वह कभी लम्बी नहीं होती है। तो वह शुरू से आखिर तक पढ़ दें, वह क्या है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह कोई उत्तर के लिए नहीं था, पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट मेरे पास है। यह तो केवल वक्तव्य था (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह वक्तव्य है, अगर उसमें कभी-कभी माननीय सदस्यों को कोई इन्टरेस्ट होता है तो दो चार, ६ सवाल वह पूछ सकते हैं।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, सारा मामला केवल पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट पर ही निर्भर करता है। इसलिए उसे पढ़वा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह मैं पढ़ा रहा हूं। आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

शरीर पर कहीं चोट नहीं, दाहिना फेफड़ा सूचन, सतह पर फ्री वानिस शैल मौजूद था, बायां फेफड़ा १८० ग्राम सामान्य हृदय सामान्य, मस्तक सामान्य, डा० आर० एन० सिंह, डा० प्रकाश चन्द्र तिवारी (व्यवधान)

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

यह रिपोर्ट नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

जरा सुन लीजिए। इक्सटरनल एक्जामिनेशन दुबला गला शरीर पूरे शरीर में अकड़न।

पहचान के चिन्ह-आंख और मुख बन्द था। हड्डियां सामान्य थीं। उदर सामान्य। कैविटी १६/१६, मुख कैविटी सामान्य। आमाशय गोश्त से भरा हुआ था। छोटी आंत ९०० ग्राम। पाचन रस की थैली सामान्य, ६० ग्राम के भजन के साथ सामान्य।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मंत्री जी पढ़ने में देर लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ने दें, क्योंकि उसमें तो देर लगेगी ही। मामला सी० आई० डी० को दे दिया गया है। जांच हो रही है और जांच के बाद पूरा मामला सामने आ जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मृत्यु का कारण नहीं बताया है और वह पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में लिखा होगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मृत्यु का कारण पुराने फेफड़े में संक्रामक बीमारी। इसलिए दोनों फेफड़ों को सुरक्षित, रिजर्व, किया गया है। मान्यवर, पूरे प्रकरण की सी० आई० डी० जांच हो रही है और वह राजस्व परिषद् के वरिष्ठ सदस्य कर रहे हैं।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मामले को सी० आई० डी० जांच के लिये दे दिया गया है, यह तो ठीक है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट अपूर्ण है। सदन में जो वक्तव्य दिया गया है उसमें मुझे पूछने का अधिकार है और जो तथ्य सामने नहीं आये हैं उनके बारे में हम जान सकें। तो काज आफ डेथ क्या लिखा हुआ है? उसको पढ़ दें।

मान्यवर, दूसरी बात क्या यह सही है कि एस० एस० पी० ने लिखकर भेजा है कि कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य श्री जैनुल बसर का इसमें हाथ है। मैं जानना चाहता हूं कि जो यह तोड़फोड़ की घटना हुई है उसमें किसका हाथ है और उनके नाम क्या हैं?

(व्यवधान)

जब सी० आई० डी० जांच है तो फिर वक्तव्य किस लिए है। आप हमारे प्रश्न का जवाब दिला दीजिए, हमारा स्पेशिफिक सवाल है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

काज आफ डेथ हमने बताया है। उसके फेफड़े सुरक्षित भी हैं। वह टी० बी० का मरीज है। मर्ज से मरा है, इंजरीज नहीं है, उससे नहीं मरा है। साथ ही इसमें संसद सदस्य की कोई बात नहीं है, यह सत्य से परे है।

श्री अफजाल अन्सारी—

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मुन्ना राम रिक्शा चालक की १८ तारीख को कितने बजे मृत्यु हुई और १९ तारीख को कितने बजे भीड़ कोतवाली

पर प्रदर्शन करने पहुंची और कितने बजे उन पर गोली चलाई गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई सवाल नहीं, मैं अगली मद ले रहा हूं। नियम ५६ के अन्तर्गत . . .

(व्यवधान)

आप लोग तो घटना का विवरण देने लगे, सवाल कहा पूछ रहे हैं।

(श्री अफजाल अन्सारी सदन के फ्लोर में जाकर बोलने लगे।)

श्री अफजाल अन्सारी—

मैं वहां मौजूद था, मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं, लेकिन आप हमारी नहीं सुन रहे हैं। यह पूरी रिपोर्ट सच्चाई से बहुत दूर है। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वहां पर अत्याचार हुआ है और यहां भी आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको हमें सुनना पड़ेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है, आप अपने स्थान पर वापस जायें।

(व्यवधान)

श्री अफजाल अन्सारी—

मैं वहां पर मौजूद था, जब पुलिस ने गोली चलाई।

श्री उपाध्यक्ष—

आप पहले अपनी सीट पर बैठें। मैं आपको नहीं सुनता, आप अपनी सीट पर जाइये।

श्री अफजाल अन्सारी—

यह इस तरह से उत्तेजना से काम नहीं चलेगा। यह उत्तेजना आप दिखा रहे हैं।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह व श्री विक्रमादित्य पाण्डेय भी सदन के फ्लोर में श्री अन्सारी के समर्थन में आ गये और उनको बोलने देने की मांग करने लगे तत्पश्चात् श्री मैनेजर सिंह, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, तथा श्री शारदा प्रताप के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

२० सवाल हमने करने दिए। सवाल की इसमें कोई सीमा होती है . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप नाम लीजिए, जिसका नाम लेंगे, वह बोलेगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अफजाल अन्सारी—

मान्यवर, अगर सूचना एकत्रित नहीं की गयी हो तो इसको स्थगित कर दीजिए और दूसरे दिन इसका जवाब दिलवाइये।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

आपने चपरासी बना रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। मैं भी सदन का सदस्य हूं। सदन में ऐसी बात नहीं करना चाहिए, यह अनुचित है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, हम लोग आपकी सुरक्षा चाहते हैं। यह सरकार निरंकुश है, हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकती। इसलिए आपको क्रोधित नहीं होना चाहिए, सरकार तो वैसे ही नाराज रहती है। दूसरी बात यह माननीय सदस्य

गाजीपुर के क्षेत्र का मामला है उनको सवाल कर लेने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहता था। मैंने सवाल पूछने की इजाजत दे दी थी। बीच में तिवारी जी पूछना चाहते थे तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने उनको सवाल पूछने की इजाजत दे दी थी, लेकिन वह सवाल के बजाय भाषण करने लगे तो मैंने कहा कि सवाल पूछिये और वह उसके बाद बेल पर आ गये। तो यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अफजाल अन्सारी—

मैंने फक्चुअल बात पूछी थी। मैंने इधर-उधर की बात नहीं पूछी थी।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कहा इसको लम्बा न करें। मैं किसी पर क्रोधित नहीं होता और न द्वेश भाव रखता हूं। मैं आपसे सवाल पूछवाना चाहता था। मैंने २० सवाल पूछवा लिये लेकिन यह तरीका नहीं कि बेल पर आ जाय।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद—

मान्यवर, हम भी सवाल पूछना चाहेंगे। हम पर चार्ज लगाया गया है।

श्री अफजाल अन्सारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को और कितने बजे मुन्ना राम रिक्शावाले को भर्ती किया गया और कितने घंटे तक वह भर्ती रहा और कितने बजे उसकी मृत्यु हुयी ? मृत्यु होने के बाद दूसरे दिन १९ तारीख को कितने बजे भीड़ प्रदर्शन करती आयी और उसकी मांग क्या थी ? कितने बजे गोली चलवाने के आदेश दिये गये और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलायी गयी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, १८-१२-८५ को बेहोशी की हालत में ५.४५ बजे मुन्ना दाखिल हुआ। ७ बजे हास्पिटल से कोतवाली खबर भेजी गयी और ७.१० पर उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरा सवाल जो है तो १९-१२-८५ को ५०० आदमियों की भीड़ ९ बजे के करीब पहुंची। कोतवाली के दो परिसर हैं। एक परिसर तोड़ दिया गया और जब दूसरा परिसर तोड़ना चाहते थे तो डेढ़ बजे गोली चलाने की नौबत आयी।

श्री हरि शंकर तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता था। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

एक वक्तव्य पर कितने सवाल किये जायेंगे ? यह पहले आप लोग बता दीजिए १० हों या ५ हों। मैं किसी को अब इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, जब रिक्शा चालक भर्ती हुआ था, तो केस डायरी अवश्य बनायी गयी होगी। उस केस डायरी में क्या दर्ज है। उसके बारे में . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं मद संख्या-९ जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान के मध्य) पाण्डे जी आप बैठ जाइये।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, जो डंडे से मारा गया है, उसे १ हजार रु० दिया गया है और जो गोली से मारा गया है उसे १० हजार रु० दिये गये हैं। माननीय मंत्री जी इस संबंध में स्पष्ट रूप से बतायें कि ऐसा किन कारणों से हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तो कह नहीं सकता कि मा० मंत्री जी आपकी इच्छा के अनुसार ही जवाब दें।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

मान्यवर, मैं मा० मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में यह जानकारी चाहता हूं कि इस घटना के लगभग दो माह हुए, हो गये हैं और इस सम्बन्ध में आपने जो अनुसंधान जांच के आदेश व मेम्बर आफ बोर्ड आफ रेवेन्यू को जांच सौंपी है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी? नं० एक और दूसरी बात जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के मेम्बर को इन्क्वायरी सौंपी है। इसमें मुझे दो-तीन दिन से लगातार सूचना मिल रही है कि पुलिस के लोगों ने अपनी गाड़ियों में बैठा-बैठा कर जांच को प्रभावित किया है, क्या इसके खिलाफ भी आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

ऐसे कोई तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं कि जांच प्रभावित हुई है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम ५६ की सूचना ले रहा हूं। आप लोग अपना-अपना आसन ग्रहण कर लीजिए।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपने मा० हरि शंकर तिवारी जी का पहले नाम पुकारा और इसी आधार पर जब वह कई बार अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए तो आपने उन्हें बोलने नहीं दिया। इसलिए मान्यवर, मा० तिवारी जी को भी अब मौका दे दीजिए अपनी बात कहने का।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं तिवारी जी, आपका और सबका आदर करता हूं परन्तु चूंकि तिवारी जी के क्षेत्र से सम्बन्धित मामला नहीं था, इसलिए उन्हें मौका नहीं मिल पाया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम ५६ की सूचनाएं ले रहा हूं। इसमें १७ सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं। पहली सूचना सर्वश्री बेनी प्रसाद वर्मा, राजकिशोर सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, रामचन्द्र बख्श सिंह, चौधरी महाराज सिंह, कमलेश कुमार पाठक तथा गया प्रसाद वर्मा की इटावा में लोकदल के महामंत्री की हत्या के सम्बन्ध में है और दूसरी सूचना भी श्री सरदार सिंह की इसी सम्बन्ध में है। तीसरी और चौथी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश और श्री मनोहर लाल की बनारस में शांति व्यवस्था भंग होने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री राम सरन और श्री रिछपाल सिंह बंसल की मेरठ, लखनऊ, बनारस तथा सुल्तानपुर जनपदों में कर्फ्यू के सम्बन्ध में है और छठी सूचना भी श्री माता प्रसाद पाण्डेय और श्री किरन पाल सिंह की इसी संबंध में है। सातवीं सूचना सर्वश्री राम आसरे वर्मा, हृदय नारायण दीक्षित, राम पाल वर्मा, हरि शंकर तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय तथा श्री काशी सिंह ऐरी की गाजियाबाद में वरिष्ठ पत्रकार के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी व श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा गोली वर्षा एवं एक हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में है और ९वीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और कुंवर भानवेन्द्र सिंह की भी इसी सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना है माननीय सुरेन्द्र पाल वर्मा की जिला जेल बांदा में लाठीचार्ज के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना है माननीय सुरेश प्रताप सिंह गांधी, मान-

नीय जगवीर सिंह, माननीय बदन सिंह, माननीय राजेन्द्र सिंह की, अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ में कत्ल एवं डकैतियों के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना है माननीय देवेन्द्र कुमार सिंह की, ललितपुर में ओला वर्षा से फसल चौपट होने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना है माननीय देव कुमार यादव की, प्रदेश में ओला वृष्टि से फसल खराब होने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना है, माननीय राम नरेश और माननीय शारदा प्रताप की, प्रदेश में आलू की फसल खराब होने के सम्बन्ध में। पंद्रहवीं सूचना है माननीय राकेशधर त्रिपाठी की, इलाहाबाद के प्रतापपुर क्षेत्र में क्रय की गयी रिवाल्वर के उद्घाटन समारोह के अवसर पर एक लड़के के घायल होने के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना है माननीय शारदानन्द अंचल की, बलिया जनपद के ग्राम सभा सुरहीपार के उप प्रधान की मूंछें उखाड़ी जाने के सम्बन्ध में। सत्तरहवीं सूचना है माननीय गौरी शंकर भइया की हरिद्वार में महाकुम्भ के मेला एवं स्नान स्थल पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।

तो मैं पहली सूचना जो है, इटावा में लोकदल के महामन्त्री की हत्या के सम्बन्ध में, उसको लेता हूं। माननीय कमलेश कुमार पाठक जी आप अपनी बात संक्षेप में कहें। ग्राह्यता पर ही आप बोलें। अभी सामान्य बजट पर आपको विस्तार में कहने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

सदन में कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के मौजूद न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय सदन में कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है। अध्यक्ष पीठ से यह पहले व्यवस्था हो चुकी है कि सदन में कोई न कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री अवश्य रहना चाहिए। तो मान्यवर पहले आप सदन में कोई भी कैबिनेट स्तर के मंत्री को बुलवालें, तब आप कार्यवाही शुरू करें।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, अध्यक्ष पीठ से यह व्यवस्थायें भी है कि सदन में एक कैबिनेट स्तर का मंत्री हर समय अवश्य रहेगा। यह शर्म की बात है सरकार के लिए कि इस समय सदन में कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री उपस्थित नहीं है, आज बजट पर चर्चा होगी, कामरोको प्रस्ताव इस समय चल रहा है, परन्तु कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है। मान्यवर, जब तक सदन में कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री न आ जाय, तब तक के लिए आप कार्यवाही रोक दें।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, अभी आप भले ही किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को न बुलवायें, लेकिन भविष्य के लिए आप इसके लिए निर्देशित कर दें कि सदन में कोई न कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री को अवश्य उपस्थित रहना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा तो कोई नियम नहीं है।

(घोर व्यवधान)

कुंवर रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, यह नियम तो नहीं है, लेकिन यह परिपाटी है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रेवती रमण सिंह जी कुछ कह रहे हैं, आप लोग उन्हें बोलने दीजिए।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह नियम तो नहीं है, लेकिन यह सदन की परिपाटी रही है कि

एक कैबिनेट स्तर का मंत्री यहां पर रहता है। इस समय सदन में कोई भी कैबिनेट स्तर का मंत्री नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री राम सरन—

मान्यवर, परम्परायें निभाइये और मार्शल को तुरन्त भेजकर किसी कैबिनेट स्तर के मंत्री को पकड़ कर यहां पर बुलवाइये।

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने के लिए तीन-चार दिनों से आपका यह निर्देश हो रहा है कि सभी कार्य-स्थगनों पर आप सुनेंगे। इस संबंध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप सभी कार्य-स्थगन प्रस्तावों पर सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

सवाल यह है कि कोई नियम नहीं होता है . . .

(व्यवधान)

पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। . . .

(व्यवधान)

कोई नियम इस बात का नहीं होता कि मन्त्री कैबिनेट का रहे लेकिन यह परम्परा रही है कि कैबिनेट स्तर का कोई न कोई मन्त्री सदन में रहा है और रहना चाहिए लेकिन इस वक्त नियम ५६ चल रहा है। उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं और पहले भी मौजूद थे।

श्री बदन सिंह—

मेरा प्रश्न है कि क्या आप सब प्रश्नों को आज लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई आवश्यक नहीं है कि सब प्रश्नों को लिया जाय। मैं जितने चाहूंगा उतने प्रश्नों को लूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, इस समय प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग, राजनैतिक लोगों की सड़कों पर दिन दहाड़े खुले रूप में हत्या हो जाती है। मान्यवर, इसी तरह की एक घटना पिछली १५ फरवरी को इटावा जनपद में घटित हुई। इटावा जनपद में सुनियोजित तरीके से एक लम्बे समय से लोकदल कार्यकर्ता की षड़यंत्र के तहत हत्या की गई। रमेश सिंह चौहान इटावा अपने काम से जा रहे थे। महेबा में अपराधियों ने उनको ट्रक से खींचकर निर्ममतापूर्वक गोलियों से भून दिया। स्वर्गीय रमेश सिंह चौहान लोकदल के उपनेता भी रह चुके हैं। वे श्री बेनी प्रसाद वर्मा और गया-प्रसाद वर्मा जी के साथ गृह सचिव से मिलकर अपनी जान की गुजारिश कर चुके थे लेकिन उसके बाद ४ दिन के बाद ही रमेश सिंह चौहान की अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। हम लोगों ने कई बार शासन से उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहा लेकिन कोई भी इस तरह का काम नहीं किया गया और एक दिन रमेश सिंह चौहान को ट्रक से खींचकर सड़क पर दिन-दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई और आज तक किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। आज कोई भी कार्यवाही करने में सरकार सक्षम नहीं है। आज जनता की सेवा करने वाले लोग अपराधियों के द्वारा इस तरह से मारे जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में समाज सेवा का व्रत लेकर काम करने वाले लोग सड़क पर निकल नहीं पायेंगे। सरकार को इस तरह की व्यवस्था के लिए बाध्य किया जाय कि सार्वजनिक जीवन में कार्य करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हो। आज इटावा जिला ही नहीं बल्कि उसके आस-पास के जिलों में इतना जनाक्रोश पैदा हो गया है कि स्थिति किसी भी समय भयंकर हो सकती है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण सवाल पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की कृपा करें।

★श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय रमेश सिंह चौहान बहुत ही प्रतिष्ठित और राजनैतिक व्यक्ति थे। वे जिला सहकारी बैंक के संचालक रहे तथा इफको के भी सदस्य रहे और ग्राम प्रधान भी रहे। वे ११ तारीख को लखनऊ आये और हमसे मिले। उनसे बातचीत करने से ऐसा लगा कि वह बहुत मुसीबत में हैं। उनको किसी वक्त मारा जा सकता है। पुलिस ने उनकी सुरक्षा का उपाय न करके, उनको मारने का इन्तजाम जरूर किया। एक फर्जी मुकदमा कायम करके उनकी रायफल जमा करा ली। ११ तारीख को मैं और इटावा के विधायक श्री गया प्रसाद वर्मा होम सेक्रेटरी के पास गये, उनको दरख्वास्त दी और कहा कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। श्री रमेश सिंह चौहान की जान को खतरा है। सोमवार को १५ तारीख को जब वह इटावा आये, महेबा कस्बा में ट्रक को रोक कर, उनको गोलियों से मार डाला गया। इस तरह की घटनायें रोज हो रही हैं। सरकार हम लोगों को दुश्मन समझती है। पुलिस का इस्तेमाल राजनीतिक कार्य में किया जा रहा है। इटावा जनपद के हमारे नेता विरोधी दल हैं, इसलिये वहां का प्रशासन लोक दल के लोगों को अपना व्यक्तिगत विरोधी मानता है। यदि श्री रमेश सिंह चौहान की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती, तो उनकी निर्मम हत्या न होती। यदि इस तरह की घटनायें घटती रहीं तो इस प्रदेश में राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों का जिन्दा रहना मुश्किल हो जायेगा। मान्यवर, इस पर दो घंटे की चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री गया प्रसाद वर्मा—

यह मेरे क्षेत्र का मामला है। श्री रमेश सिंह चौहान को यह मालूम हो गया था कि किसी वक्त भी वह मारे जा सकते हैं। वह १५ तारीख को इटावा आ रहे थे, अनन्तराम गांव चूंकि छोटा सा गांव है, वहां बस खड़ी नहीं होती है, वह किसी प्रकार एक ट्रक पर बैठ गये। उसी ट्रक पर कुछ अराजकतत्व पीछे से जबरदस्ती बैठ गये। जब ट्रक महेबा पहुंचा तो उन्होंने अपने पास रखे हुये तमंचों द्वारा ड्राइवर से ट्रक रुकवा दी और दिन में साढ़े १० बजे गोलियां चलाना प्रारम्भ कर दिया। चूंकि योजनाबद्ध तरीके से उनको मारा जाना था इसलिये कुछ और अराजकतत्व वहां आ गये और सबने ८-९ फायर करके श्री रमेश सिंह चौहान को निर्मम तरीके से मार डाला। मैं गृह सचिव से ११ तारीख को उपनेता श्री बेनी प्रसाद वर्मा के साथ श्री चौहान को लेकर मिला था और उनकी सुरक्षा की मांग की थी। अराजकतत्व योजनाबद्ध तरीके से उनको मार कर स्वतंत्रतापूर्वक नहर की तरफ घूमते हुये चले गये, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की गई और न ही श्री रमेश सिंह चौहान के परिवार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर दो-तीन घंटे की चर्चा कराई जाय।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, ११ तारीख को श्री रमेश सिंह चौहान मेरे पास आये, मैंने गृह सचिव को टेलीफोन किया। मैंने कहा हमारी पार्टी के उपनेता श्री बेनी प्रसाद वर्मा और श्री गया प्रसाद वर्मा आपके पास आ रहे हैं। श्री रमेश सिंह चौहान ने बताया कि मेरी किसी भी वक्त हत्या की

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जा सकती है और मुझे मारने के लिये लोगों ने ४० हजार रुपया इकट्ठा कर लिया है। मैंने गृह सचिव से कहा था कि रमेश सिंह चौहान की सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। जब शासन की नोटिस में एक बात ला दी गई, लिखकर दे दिया, गृह सचिव को लिखकर दे दिया, उसके बाद १५ तारीख को श्री रमेश सिंह चौहान की हत्या हो गई। श्री रमेश सिंह चौहान की हत्या की योजना तीन साल से चल रही थी। मैंने इटावा जिला प्रशासन से कहा, श्री गया प्रसाद वर्मा ने कहा, जो हमारे जिले के विधायक हैं। और तीन साल पहले सुनियोजित ढंग से इनकी रायफल जमा कराने के लिये गलत मुकदमें में फंसाया और रायफल जमा करवा ली गयी। उसके बाद हमने इटावा के कलेक्टर और एस० पी० से कहा था कि उनके खिलाफ षड़यंत्र किया जा रहा है और रायफल जमा कराने के पीछे एक गहरी साजिश है और उनकी हत्या की जा सकती है। वह हमारे यहां के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे इफ्को के सदस्य थे, जिला कोआपरेटिव बैंक के संचालक रह चुके थे और प्रधान भी रह चुके थे।

इससे पहले श्री रवीन्द्र सिंह मेहरोत्रा का भी लाइसेंस जमा करा लिया गया था और जैसे ही लाइसेंस जमा कराया गया, वे भी युवा लोक दल के महामंत्री थे, प्रधान थे, उनकी हत्या हो गयी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां के हमारे दल के श्री मुंशीलाल दोहरे, ब्लाक प्रमुख महेवा और श्री भोला सिंह, ब्लाक प्रमुख, अजीतमल की भी हत्या की संभावना है। यह हमारे दल के महामंत्री हैं। वहां पर कई लोगों ने एक ग्रुप बना लिया है, वह राजनीतिक लोग हैं और ब्लाक प्रमुख के चुनाव में जिन लोगों को हराया गया था, वही हत्यायें करा रहे हैं। महेवा में मान्यवर, जो लोग चुनाव में हारे थे उनके लड़कों की इन हत्याओं में साजिश थी। उन्होंने मिलकर ५० हजार रुपये इस कार्य के लिये इकट्ठा किये थे। हमने यह बात वहां के कलेक्टर और एस० पी० को बताई थी। मान्यवर, इसी प्रकार हमारे दल के श्री राम बहादुर मिश्रा, श्री ज्ञान सिंह यादव इन लोगों की भी हत्याएं हुईं। यही नहीं अब तक हत्या करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। राम बहादुर मिश्रा की हत्या करने वाले लोगों के बारे में पता लगा है कि फाइनल रिपोर्ट भी लग गयी है। इससे गम्भीर मसला और हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले जब अफसरों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो उनका जीवन खतरे में हो जाता है और हत्यायें हो जाती हैं। मान्यवर, इस पर आप तत्काल चर्चा करावें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, श्री रमेश सिंह चौहान की हत्या जिस तरह से की गयी, वह बहुत ही गम्भीर है। यह एक राजनीतिक हत्या है और इसके पीछे पुलिस और बदमाशों की साजिश है। उनकी रायफल पहले ही जमा करवा ली गयी थी और उसके बाद वह योजना बनायी गयी। उनकी ट्रक जब महेवा गयी तो वहीं पर उनकी निर्मम हत्या कर दी गयी। यह सारे प्रदेश के लिये एक गम्भीर मसला है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इस प्रकार हत्याएं शुरू हो गयी हैं तो किसी का चलना भी मुश्किल हो जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करावें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, ऐसे मामलों में पहले से ही बात सुनने के बाद व्यवस्था दी जाती रही है। यह इतना गम्भीर मसला है। आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव तो अस्वीकार करता हूं, लेकिन सरकार को वक्तव्य के लिये निर्देश देता हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, बनारस शहर में मान्यवर, मेरा एक निवेदन था कि कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में पहले भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है, अब एक और पेश कर रहा हूं। मा० गृह राज्य मन्त्री जी को इस समय यहां पर होना चाहिये। वैसे तो मन्त्रि-परिषद् में संयुक्त जिम्मेदारी है, लेकिन बेहतर होता कि गृह राज्य मन्त्री जी यहां पर होते, क्योंकि उनको कुछ जानकारी होती।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तक आप ग्राह्यता पर ही बोलेंगे।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं बनारस शहर के बारे में आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, १७-२-८६ के शाम ७ बजे से बनारस में कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह कर्फ्यू अनिश्चित-कालीन लगाया गया है। मान्यवर, बनारस इस समय हादसों और अफवाहों का शहर हो गया है। हर आदमी एक दूसरे को आशंकाओं से देख रहा है वहां पिछले २-३ रोज के अंदर लगभग २-३ हत्यायें हो चुकी हैं। १४ तारीख को सुरेन्द्र कुमार गुप्ता जो कि खोजवां में रहते हैं, जब सरस्वती जी के विसर्जन जुलूस में जा रहे थे, वहां से उनका अप-हरण कर लिया गया और आज तक उनका पता नहीं लग पाया है। १५ तारीख को काशी विद्यापीठ के प्राध्यापक श्री बैकुंठ राय की हत्या कर दी गयी। मान्यवर, १६ तारीख से आज तक बनारस में छुटपुट वारदातें बढ़ रही हैं . . .

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आज सुबह यहां यह बात उठी थी कि कोई ऐसा बिल्ला न लगाया जाय जिससे प्रदेश का वातावरण विषाक्त होता हो। और न कोई ऐसी बात पर विधान सभा में चर्चा हो जिससे वातावरण बिगड़े। मान्यवर, बनारस में ही कर्फ्यू लगा हुआ है, वहां साम्प्रदायिक तनाव है। वहां कल भी तनाव हुआ था। प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इसलिए निवेदन है कि आप इस तरह के विषयों पर फिलहाल चर्चा स्थगित रखें, कृपया आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं बनारस शहर की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मैनेजर सिंह ने ठीक बात उठायी है, घूम फिर कर चर्चा उसी पर आ जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं कोई भी ऐसी बात यहां नहीं कहूंगा, जो साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली हो। मान्यवर, हम खुद चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। मान्यवर, मैं आज ही बनारस से आया हूं वहां के लोगों की मानसिकता बिगड़ गयी है . . .

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने के लिये बुलाया है। मुझे बोल लेने दीजिये। मान्यवर, हम लोग यहां अलग-अलग जनपदों से चुनकर आये हैं। मान्यवर, हम सबकी यह सद्इच्छा है कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे शांत व्यवस्था बनी रहे . . .

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि सदन, सरकार और आप कब तक हकीकतों से आंखें फेरते रहेंगे ? बनारस, मेरठ, लखनऊ, अलीगढ़ इन तमाम जनपदों में तनाव व्याप्त है . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में आप सरकार को निर्देश दें कि वे बनारस की स्थिति की बाबत वक्तव्य दें। बनारस में कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे स्कूल कालेज बन्द हो गये हैं। तोड़-फोड़ की घटनायें हो रही हैं। आदमी को जान का खतरा हो गया है . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, क्या बनारस की कानून व्यवस्था लाठी गोली से तय होगी। क्या हम लोग अपने-अपने जनपदों के बारे में अपनी राय यहां नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, गृह राज्य मन्त्री को तत्काल बनारस जाना चाहिये उन्हें वहां जाकर मौका मुआयना करना चाहिये। मान्यवर, क्या डी० एम० और एस० एस० पी० के आधार पर ही सारी कानून व्यवस्था चलेगी। मान्यवर, दो अफसर वहां दलाली कर रहे हैं, उनके खिलाफ जांच करानी चाहिये।

(व्यवधान)

मान्यवर, वहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको इस विषय पर कहने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, यह केवल बनारस का ही मामला नहीं है, अलीगढ़, लखनऊ और मेरठ का भी मामला इससे जुड़ा हुआ है। इस पर आप माननीय उपाध्यक्ष जी स्पष्ट व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं किसी को भी बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर श्री गुप्त जी को बुलवा लिया है।

★श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरी स्वयं की मान्यता है कि खून चाहे हिन्दू का हो चाहे मुसलमान का हो—दोनों के रंग में कोई फर्क नहीं होता है। कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे उत्तेजना और तनाव फैले। माननीय मैनेजर सिंह जी एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने जो सुझाव रखा है वह इस भावना से प्रेरित होकर रखा है कि हम यहां पर कोई ऐसी चर्चा न करें जिससे साम्प्रदायिकता का उन्माद प्रदेश में बढ़े। मान्यवर, यह बात सही है कि कुछ ताकतें साम्प्रदायिक सद्भावनाओं को नष्ट करने में योजनाबद्ध तरीके से लगी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उस पर सदन में चर्चा हो और उसके लिए मैं एक रास्ता सुझाना चाहता हूं। श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने अपनी बात कही और मुसाफिरखाने में क्या हुआ। इन सब पर बहस हो जायेगी। आज ऐसे पोस्टर लगाये जा रहे हैं, जो शांति-व्यवस्था को भंग कर सकती हैं। मेरे पास वह पोस्टर है, लेकिन मैं यहां पर दिखाना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, पार्लियामेन्ट में भी यह परम्परा रही है और हाउस आफ कामन्स में भी यह परम्परा रही है। आज आप

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सदन की दर्शक लाबियों को खाली करवा दें, अधिकारियों की लाबियों को खाली करवा दें और पत्रकार लाबी को खाली करवा दें और उसके बाद आप एक सीक्रेट मीटिंग यहां पर करवा लें। सभी माननीय सदस्य उस पर खुलकर अपने विचार रखें।

मान्यवर, अब मैं मानसिकता का परिचय देना चाहता हूं। चाहे हिन्दू हो और चाहे मुसलमान—सब आपस में मिलकर रहना चाहते हैं लेकिन कुछ सिरफिरे लोग शांति-व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं क्या हम इसे बरदाश्त कर सकते हैं? भारत एक नर्क है और हम पाकिस्तान चाहते हैं, इस तरह के पोस्टर लगाये गये हैं। इसलिए मान्यवर, मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं कि आप आज सदन की लाबियों को खाली करवाकर एक सीक्रेट मीटिंग यहां पर करा दें?

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आप इस विषय पर चर्चा करवायें। जिन लोगों ने पाकिस्तान लिखा है, उनको भी आप दण्डित करें और जिन लोगों ने यह लिखा है कि "दाढ़ी कटाकर रहना होगा, वन्दे मातरम् कहना होगा, तब हिन्दुस्तान में रहना होगा।" ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाय।

श्री राम नरेश—

मान्यवर, चाहे वाराणसी का मामला हो चाहे अलीगढ़ का हो या मेरठ का हो, प्रदेश के किसी कोने का हो, कर्फ्यू जहां कहीं भी लगा है, किन परिस्थितियों में लगा है, ये सारे प्रश्न यहां पर आ जायेंगे। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था यह चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा ही संवेदनशील है और इधर के लिये भी है और उधर के लिये भी है, समाज के लिये भी है, प्रदेश के लिये भी है और राष्ट्र के लिये भी है। जब ऐसी स्थिति है तो मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि अगर इस तरह से ऐसे प्रश्न पर नियम ५६ के तहत भी चर्चा होगी तो पत्रकार बन्धु और सारे लोग बैठे हैं, तो क्या यह बात बाहर नहीं जायगी? और अगर जायगी, तो क्या बाहर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न होगी और क्या उसका प्रभाव समाज पर नहीं पड़ेगा?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने सवाल उठाया है, यह सवाल ऐसा है कि चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के हों, कोई भी माननीय सदन का सदस्य, प्रदेश की हालत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इसे बिगाड़ना नहीं चाहता है। सरकार भी कहती है कि "चुप रहिये" चुप रहिये। अगर यहां बाकायदा चर्चा हो जायगी तो हमारे सुझाव ऐसे आयेंगे कि प्रदेश का वातावरण खराब न हो। मैं तो चाहता हूं कि चर्चा होनी चाहिये, छिपाने से कैसे काम चलेगा? कोई भी माननीय सदस्य ऐसी बात नहीं कहेगा, प्रदेश और देश सबसे पहले है, देश की एकता सबसे पहले है। एकता बनाकर रखने के लिये ही सुझाव देंगे। जब कर्फ्यू लग गया है, जुल्म की शिकायतें आने लगी हैं तो अब छिपाने की क्या बात है? जितना ही छिपायेंगे, बुरे परिणाम होंगे। आप इस पर चर्चा करा दें। हम ऐसे सुझाव देंगे जिससे प्रदेश में अमन-चैन स्थापित हो सके और साम्प्रदायिक सद्भाव कायम हो।

★संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, सम्मानित नेता राम नरेश जी ने स्पष्ट कहा कि संवेदनशील स्थिति है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इस पर माननीय नेता विरोधी दल ने भी सुझाव दिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में सद्भावना का वातावरण पैदा करना चाहते हैं तो वरीयता देनी पड़ेगी कि प्रदेश में अमन चैन चाहिए या यहां पर सदन में चर्चा का अधिकार चाहिए। अभी कुछ ही क्षण पहले आपके सामने आ गया कि चर्चा का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने आप को कहां तक सीमा में रख सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय गुप्त जी ने उदाहरण दिया, उत्तर दिया मोहम्मद आजम खां ने। इस पर आप विचार कर लें कि इस चर्चा से सद्भावना बढ़ेगी या दूर होगी। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में सद्भावना बनी रहे, तो आज जो स्थिति बनी है, उस पर नियंत्रण करने के लिए सबका सहयोग अपेक्षित है। मेरा कहना यह नहीं है कि हम ज्यादा सद्भावना पैदा करने वाले हैं, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सद्भावना पैदा हो, लेकिन पैदा करने का तरीका चर्चा के माध्यम से होगा या सदन के बाहर अपने साथियों से संयम बरतने के लिए कहने से होगा। मेरा निवेदन यह है कि सद्भावना पैदा करने के लिए जितनी भी जनता है जो गुमराह की जा रही है अवांछित तत्वों के द्वारा, उनको समझाने का प्रयास करें और इस पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

मान्यवर, यह मामला उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मुसाफिरखाना तथा मेरठ में उभर कर सामने आया है और यह निश्चित रूप से गम्भीर मामला है। यह सदन सद्भावना बनाये रखना चाहता है, हम भी चाहते हैं कि सद्भावना बनी रहे, मैं भी इसी बात का समर्थक हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप कम से कम इन तीन स्थानों के लिये जहां पर यह गम्भीर मामले हुए हैं और जहां पर पुलिस नियंत्रण नहीं कर पायी है, असफल रही है। आप इसके लिए इस सदन की तीन कमेटियां बना दें जो कि मौके पर जांय और स्थिति का जायजा लें और सद्भावना को पैदा करने की कोशिश करें और साथ ही स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित करें। इस विषय में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री किरन पाल सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां प्रदेश की स्थिति के बारे में कहा गया, माननीय मंत्री जी ने भी कहा और तमाम विरोधी पक्ष के लोगों ने भी कहा तो इससे मुंह छिपाने से कोई फायदा है नहीं। यह सदन विचार व्यक्त करने के लिये है। आज जो प्रदेश की स्थिति है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, बुजुर्ग लोगों का कहना है कि यह तनाव १९४७ के बाद का सबसे बड़ा तनाव है। मुझे क्या मालूम, यह तो बुजुर्ग लोग ही बतलाते हैं। आज प्रदेश की स्थिति जो है वह किसी से छिपी नहीं है, पत्रकार बन्धु भी इसे जानते हैं और छापते हैं। आज जो हालत प्रदेश के अन्दर पैदा हुई है, इससे ज्यादा गम्भीरता और क्या हो सकती है? यह तो इस सीमा तक आ गयी है जिसे कि चरम सीमा कहते हैं। क्या आप उस समय भी इस विषय पर बोलने की इजाजत नहीं देंगे? जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं इस पर भी दरार पड़ सकती है। यहां सारे जनता के नुमाइन्दे बैठे हुए हैं जो कि जागरूक हैं और अपने कर्त्तव्यों को जानते हैं क्या उनके दायित्व हैं, उसको भी जानते हैं। किस तरह से प्रदेश में सद्भावना बनें,

★ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह वे अच्छी तरह से कर सकते हैं और जानते हैं। आप इजाजत नहीं देंगे इस विषय पर किसी भी वक्त, किसी भी क्षण आपके हिसाब से विचार नहीं हो सकता है। माननीय हुकुम सिंह ने कहा कि सब लोगों को मिल कर शान्ति व्यवस्था कायम करनी चाहिए। आज जो प्रदेश की हालत है इस पर आप बहस कराने की अनुमति नहीं देते हैं। आज प्रदेश की हालत खराब है तो आपको चाहिए कि आप इस सदन को स्थगित कीजिए और सभी सदस्यों से कहिए कि जाकर अपने-अपने क्षेत्रों में दस या पन्द्रह दिन के लिए, वहां भाईचारा उत्पन्न करो। मैं बुलन्दशहर की बात कहता हूं कि हमें आशा है कि वहां भी कुछ ऐसी ही बातें होने वाली हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा काम कीजिए कि जिससे सबका हित हो।

श्री राम सरन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप इजाजत न देते-देते सबको सब कुछ कहलवा रहे हैं और जिनका कार्यस्थगन का प्रस्ताव है वे बेचारे बैठे-बैठे मौज से सुन रहे हैं। आपके ना-ना कहते हुए भी सब अपनी-अपनी बात को कह गये। अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने अपनी बात कही, यदि आपको एतराज था तो उसे आप कार्यवाही से निकलवा देते लेकिन जिनका स्थगन का प्रश्न है उनको तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, दूसरों से सब कहलवा ले रहे हैं। मेरा भी कार्यस्थगन का प्रस्ताव है उस पर जरूर बोलूंगा।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, आपने मुझे पुकारा है इसलिए मैं केवल दो ही बातें कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, आप बैठिये।

(श्री मनोहर लाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने अब सबको सुन लिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आपकी आज्ञा हो तो मैं एक मिनट के लिये कुछ कहना चाहता हूं।

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कहा, हम अच्छा वातावरण बनाये रखने के लिए सहयोग देना चाहते हैं लेकिन वह हमारा सहयोग ले नहीं रहे हैं। यहां पर व्यवस्था के नाम पर रोजाना सदन का समय जाया होता है। मैं नहीं समझता कि चर्चा में क्या परेशानी है। आप चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हैं। मान्यवर, मंहगाई का रोग बड़ा भयंकर हो गया है, बेकारी का रोग बड़ा भयंकर हो गया है और भ्रष्टाचार का रोग बड़ा भयंकर हो गया है। इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार देश को साम्प्रदायिक दंगों में फंसाना चाहती है। पंजाब में हिन्दुओं को लड़ा दिया और आराम से राज्य कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी है कि क्या हो रहा है। आपके गृह राज्य मंत्री को जानकारी है कि क्या हो रहा है, आप के गृह सचिव को जानकारी है कि क्या हो रहा है, डी० एम० और एस० पी० को जानकारी है, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा आरोप है कि यह इस पर यहां पर इसीलिये चर्चा नहीं कराना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर यह चर्चा नहीं कराना चाहते हैं तो क्यों नहीं कराना चाहते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम यहां पर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि सौहार्दता के वातावरण में कोई अन्तर आये। इसलिये आप इस पर चर्चा करा दें।

सकता है या कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाय जैसाकि सभी की मंशा है कि शान्ति व्यवस्था कायम रहे, प्रदेश में तनाव न हो, सामान्य वातावरण रहे या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाय जिससे कि इस वातावरण को और अच्छे ढंग से रखा जा सकता हो। घटना हो गयी, सदस्य वाराणसी को चिन्ता है, सभी को चिन्ता है इस बात की। मात्र सदन में चर्चा कराने से कोई स्थिति को कंट्रोल कर सकता है।

बेहतर तो यही होगा कि आप माननीय नेता सदन से विचार विमर्श करके, माननीय नेता विरोधी दल है, अन्य दल के हमारे माननीय नेतागण हैं, वह एक जगह पर बैठे हैं, इन बातों पर विचार विमर्श कर लें। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेतागणों को अगर वाराणसी के बारे में चिन्ता है तो माननीय नेता सदन के कक्ष में बैठकर विचार विमर्श कर लें कि वहां किस तरह से कंट्रोल हो? कैसे हम उसका सुधार कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करें और उस पर अमूल्य सुझाव दें कि हम उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं? तो इससे एक अच्छा वातावरण होगा। अगर कहीं घटना आदि होती है या होने वाली है तो उसे आप माननीय नेता सदन के साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं इसमें कोई रोक नहीं है। उसमें आप अपना अमूल्य सुझाव देकर एक अच्छा वातावरण दे सकेंगे और उस पर कार्यवाही भी शासन की तरफ से की जा सकती है। तो मेरा सुझाव यह है कि यहां पर चर्चा करने के बजाय माननीय नेता विरोधी-दल या और जो भी माननीय सदस्य हैं घटना से सम्बन्धित प्रतिदिन या जब भी आवश्यकता हो माननीय मुख्यमंत्री जी के कक्ष में बैठकर इस पर चर्चा करके सुझाव दें और स्थिति को बेहतर करने के लिये सहयोग प्रदान करें।

* श्री मनोहर लाल—

उपाध्यक्ष जी, मैंने नियम ५६ के तहत कामरोको प्रस्ताव आपको पेश किया है बिलकुल बनारस की गंगा जी से धुला मेरा प्रस्ताव शुद्ध है, कहीं भी सम्प्रदायिकता की बू हमारे प्रस्ताव में नहीं आती है। बिलकुल साम्प्रदायिकता की भावना से दूर गंगा जल की तरह पवित्र है मेरा प्रस्ताव। उसको आप देख लें और पढ़ लें। उसके बाद सुनवा दें। वह बिलकुल शुद्ध है। पर उसमें कहीं भी साम्प्रदायिकता की बू नहीं है। बनारस का जैसा गंगा जल शुद्ध है वैसे ही शुद्ध हमारा प्रस्ताव है। हमने अपने प्रस्ताव में कहा है कि मौजूदा सरकार इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के कारण जो आज बनारस में ही नहीं प्रदेश के कई जिलों में जिस तरह से आज हालत हो गई है उसके खिलाफ हमने कामरोको प्रस्ताव दिया है। हमने चाहा है कि इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के तहत जो हालत पैदा हो गयी है जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने यह मांग की है। कहीं पर भी साम्प्रदायिकता की बात नहीं कही गई है। हमने साफ-साफ कहा है कि इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चर्चा की हम मांग करते हैं। यह हमारा प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—

हो गई चर्चा की बात। कृपया आसन ग्रहण करें। . . . (व्यवधान)

श्री राम सरन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। आपको भी मौका मिलेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं, चर्चा नहीं कर रहा हूं। इन लोगों को भ्रम है कि हम चर्चा कर रहे हैं। हम इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। मान्यवर, इस वक्त इस प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। इस बात को मुख्य मंत्री भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। बनारस में, मेरठ में, सुल्तानपुर में, लखनऊ में, रोजाना कहीं न कहीं गोली चल रही है, कहीं कर्फ्यू लगा रहे हैं, कहीं स्टेशन पर कोई बात हो रही है। यही नहीं, छोटे-छोटे कस्बों में भी यह गन्दी हवा फैल चुकी है। इस सब पर रोक लगनी चाहिए। इसलिये हम चाहते हैं कि इस पर आप चर्चा करवायें। पुलिस आज निरंकुश हो गई है, इतनी छूट पुलिस को दे दी है कि वह जहां चाहे गोली चला दे, जहां चाहे कुछ कर दे और मढ़ दिया दूसरों के मत्थे ।. . .

(व्यवधान)

एक सदस्य—

क्या माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोल रहे हैं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, ला एन्ड आर्डर की स्थिति प्रदेश में बहुत खराब हो गई है। इन्हें चुप कराइये। . . . (व्यवधान)। वीर बहादुर सिंह जी, इन्हें आप सिखायें। माननीय किरनपाल सिंह जी ने सन् ४७ की बात कही। हमने देखा है सन् ४७। हम जानते हैं कि हम सोशलिस्टों ने उस समय कितना कार्य किया था। ये तब नहीं थे। . . . (व्यवधान)। मान्यवर, इन पर आप अंकुश लगायें। ऐसी स्थिति प्रदेश में पैदा न होने पावे जिससे हमें फिर वही काम करना पड़े। मुख्य मंत्री जी, आप इसको देखें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कपिल साहब, आपको समय दे दूंगा। चर्चा नहीं हो रही है। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं। आप परेशान न हों।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

हम लोगों का सुझाव नहीं सुना जा रहा है और लोगों को आप भाषण देने की इजाजत दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको भी ग्राह्यता पर बोलने का मौका देंगे। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम ५८ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें करीब ७ बिन्दु हैं जिनके आधार पर किसी विषय की ग्राह्यता तय की जाती है। मान्यवर, दो बातें हैं। एक तो यह है ग्राह्यता के बारे में और दूसरी है प्रदेश की स्थिति के बारे में। ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं कि यह विषय ग्राह्यता की सभी शर्तें पूरी करता है। जहां तक प्रदेश की स्थिति का सवाल है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी नीयत बिलकुल साफ है। जिस समय माननीय राम नरेश यादव इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। सत्ता पक्ष के होते हुए भी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और हम लोगों ने एक कार्य-स्थगन का प्रस्ताव बनारस के मामले में, प्रस्तुत किया था। मान्यवर, अलीगढ़ और मुरादाबाद में दंगे हुए थे तो उस समय दंगे होते समय ही चर्चा कराई गयी थी, उस चर्चा से दंगों पर नियंत्रण लगा था। मैं यह मानकर चलता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विधान सभा में बैठकर सवाल तय होने चाहिए, नौकरशाही पर इसका भार न दें तो ज्यादा अच्छा है। जनप्रतिनिधि जो चर्चा करेंगे उससे आपको बल मिलेगा केवल एस० एस० पी०, दरोगा, पी० ए० सी० के बल पर आप तय करना

चाहते हैं वह सम्भव नहीं है। यह कानून व्यवस्था का सवाल दिल और दिमाग से जुड़ा है। जो लोग उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनकी आपको मदद लेनी चाहिए हम सब मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन सत्ता पक्ष के लोग केवल आफिसरों के बल पर इस स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे यह मेरी समझ में नहीं आता है। उनको विरोध पक्ष की भावना को सुनना चाहिए। अगर विधान सभा में ऐसे सवालों पर चर्चा नहीं होगी तो फिर किस पर चर्चा होगी। इसलिए इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका तर्क पूरा हो गया।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत गम्भीर मामला है। हम लोगों को भी जो चिंता है वह वाजिब है। जो प्रदेश की आज स्थिति है, वह गम्भीर है, सरकार इसको स्वीकार करती है। ऐसी स्थिति में जो माननीय उपाध्याय जी ने प्रस्ताव रखा है, वह मैं समझता हूं कि ठीक है। अगर फिर भी जो शंकायें माननीय सदस्यों को हैं उनका निवारण नहीं होता है तब फिर इसको ला सकते हैं। माननीय उपाध्याय जी ने जो प्रस्ताव रखा है, माननीय नेता सदन यहां मौजूद हैं, वह बता दें कब तारीख घोषित कर रहे हैं। उनका जो सुझाव आया है जिसका मैं समर्थन करता हूं उसको माननीय नेता सदन स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री कुछ कह रहे हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, क्यों इस विवाद को बढ़ा रहे हैं। (व्यवधान) मेरा जो सुझाव था उसका क्या हुआ (व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह—

माननीय हुकुम सिंह जी जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका जवाब हम सब के पास है।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, नियम ५८ का हवाला दिया गया। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी बहुत विद्वान सदस्य हैं। उन्होंने कुछ पूर्व के दृष्टांत भी दिये कि जनता पार्टी के शासन काल में सत्ता पक्ष के विधायकों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव रखकर एक नयी परम्परा कायम की थी कि सत्ता पक्ष के लोग कार्य स्थगन प्रस्ताव रखें। हम वह परम्परा नहीं डालना चाहते हैं, हम एक अनुशासित दल के सदस्य हैं। हम जानते हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या होता है और क्या नहीं होता है? इससे पूर्व क्या हुआ था? जनता पार्टी के शासन काल में जितनी घटनायें हुई थीं, जितनी कानून व्यवस्था खराब हुई थी और आपसी खींचतान, परस्पर भेद-भाव के कारण क्या हुआ? उसका उदाहरण कभी आने वाला नहीं है। (व्यवधान) हां, एक बात कही गयी, माननीय उपाध्याय जी ने प्रस्ताव रखा, उसमें माननीय नेता सदन यहां पर बैठे हुए हैं, उस पर वह अपनी बात कहेंगे।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, जो बातें यहां पर रखी गयी और जो आज प्रदेश की स्थिति है वह आप सब को मालूम है। इसमें एक दूसरे का सहयोग चाहिये चाहे किसी सम्प्रदाय के लोग हों, आपस में अच्छा वातावरण बनाकर रहें तो काम को ठीक किया जा सकता है। किसी की आलोचना करके उसे ठीक करने की बात नहीं है। इसमें मैं चाहता हूं कि मान-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नीय उपाध्याय जी ने जो सभी विरोधी दलों के नेताओं के साथ बैठ कर बात करने की बात कही है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे करना है ? और भी कहीं कमी हो तो कैसे उसे ठीक करें ? वैसे तो सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की परेशानी न होने पाये और नियंत्रण पूरी तरह रहे। आज प्रदेश पूरी तरह नियंत्रण में है। मुझे आशा है कि जो आपकी चिन्ता है वह चिन्ता नहीं रहेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, उन्होंने जो जनता पार्टी के शासन काल का सन्दर्भ दिया है, उसको मैं चाहता हूं कि कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको देख लेंगे।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, आज ६ बजे सायं को हम चाहते हैं कि सभी दलों के नेता एक साथ बैठकर आपस में इस मसले पर विचार कर लें, जिससे समस्या का समाधान हो सके।

जहां तक बनारस की बात है, तो वहां कई बातें हैं, जो श्री शतरुद्र प्रकाश जी को मालूम हैं। वहां काशी विद्यापीठ में एक घटना घट गयी और हिन्दू यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है, कुछ थोड़ा सा तनाव आ गया था। इन बातों को देखते हुए उतना वहां वातावरण खराब नहीं है जितना माननीय सदस्य समझते हैं, लेकिन प्रिकाशन लिया गया है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मुख्य मन्त्री जी ने जो एक साथ बैठने की बात कही है, उसमें मेरा निवेदन है कि दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को जिसको वह उचित समझें, बुला लें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

ठीक है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस मसले पर रूलिंग रिजर्व कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी बात तो पहले सुन लें। मैंने बड़े धैर्यपूर्वक दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुना। यह मामला गम्भीर है इसलिये आपको, सरकार को और सभी को चिन्ता है और चिन्ता का विषय भी है। आप लोगों ने चाहा है कि इस पर चर्चा हो। श्री उपाध्याय जी का सुझाव आया कि मुख्य मंत्री सभी नेताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श कर लें और जो समस्या का समाधान हो सकता है, वह तय हो जाये।

श्री राजेन्द्र सिंह—

सदन में ही इस पर विचार हो जाये।

ी उपाध्यक्ष—

सदन में कोई चीज प्रतिबंधित नहीं है लेकिन एक बार कोशिश कर लें और सद्भावना में बैठकर प्रदेश का जिसमें भला हो उस तरह का माहौल तैयार किया जाये।

जहां तक चर्चा की बात है तो जनरल बजट आज है, सभी चीजें खुली हैं, ला-एन्ड-आर्डर की बात आयेगी तो उसमें कह सकते हैं। लेकिन इस ईश्यू पर चर्चा की जाये इसको मैं ज्यादा अच्छा नहीं समझता हूं।

इसलिये इस प्रदेश के हित में और सभी के हित में, चाहे कोई धर्म हो या मजहब हो सभी के हित में है कि एक साथ बैठकर इस समस्या को हल करने का कोई रास्ता निकालें। नेताओं को जनता से अपील करना चाहिए, नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेतागण जैसे श्री कल्यान सिंह, श्री कुंवर

रेवती रमण सिंह, श्री कौशिक रमाशंकर आदि सभी नेता बैठकर एक स्टेटमेंट प्रदेश की जनता को दें तो वह ज्यादा अच्छा होगा ।

अत: चर्चा की मांग को मैं अस्वीकार करता हूं और जो सुझाव आया है, उसके अनुसार सभी नेता एक साथ बैठकर समस्या का हल निकालें ।

एक सूचना श्री राम आसरे वर्मा की है जिसमें पत्रकार का हवाला दिया गया है, इसको मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है । कार्य-स्थगन के रूप में सब को अस्वीकार कर रखा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, गाजियाबाद के एक वरिष्ठ पत्रकार जो गाजियाबाद प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी सूचना के विषय पर मैंने वक्तव्य स्वीकार किया है और अब आप बैठ जाएं ।

(नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियम ५६ में मैंने भी आपको एक सूचना दी थी, ३०० में जब औचित्य का प्रश्न आया था . . . (व्यवधान) उसमें एक मन्त्री का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है, अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष १९८६-८७ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९८६-८७ का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह बजट अवास्तविक आंकड़ों का एक जाल है, और गत वर्ष भी मैंने ८५-८६ के बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में कहा था कि यह बजट कांग्रेस संस्कृति का एक उदाहरण है, नमूना है । उस समय मैंने यह भी कहा था कि प्रदेश को गलत आंकड़े देकर गुमराह किया जा रहा है और प्रदेश के पिछड़ेपन को छिपाया जा रहा है । तो उस पर तत्कालीन मुख्यमन्त्री ने गम्भीर आपत्ति की थी, लेकिन घटनाचक्र ने उन सारी बातों को सही साबित कर दिया है । मैं पुन: कहना चाहता हूं कि यह बजट, जो पेश किया गया है, उसमें सही तथ्यों को सदन के सामने नहीं रखा गया है और प्रदेश का जो पिछड़ापन है, उसको छिपाने का प्रयास किया गया है । मान्यवर, दुर्भाग्यवश कांग्रेस शासन ने एक गलत परम्परा कायम की है, जब बजट पेश किया जाएगा तो उस समय उसमें कोई कर नहीं लगाया जाएगा, और घाटे का बजट पेश कर दिया जाएगा और यही नहीं विधान मंडल की बैठक बुलाई जाती है, किन्तु उससे पहले कीमतें बढ़ा दी जाती हैं । यही केन्द्र की सरकार ने किया है—मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल और अन्य तमाम वस्तुओं के दाम उसने बढ़ाए हैं । इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी सदन को बुलाने के बाद और उसकी बैठक होने से पहले बिजली के दाम बढ़ा दिए और १३५ करोड़ रुपये का भार जनता के ऊपर डाल दिया । तो यह केवल इसलिए किया जाता है कि जब बजट पेश करें तो यह साबित कर सकें कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है । बहुत गलत परम्परा पड़ गई है और इसे मैं खतरनाक मानता हूं ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि किस तरह से सदन को गुमराह किया जाता है । मैं आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं । पिछले बजट में १४६ करोड़ ६० लाख रुपये का अनकवर्ड घाटा था । मैंने उस समय कहा था कि ३१ मार्च, १९८६ तक यह घाटा बढ़कर १००० करोड़

रुपये का हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि अनुपूरक मांगों की पिछली किस्त के बाद यह घाटा ६६० करोड़ रुपये हो गया है। ३१ मार्च, १९८६ तक यह घाटा बढ़कर १००० करोड़ रुपये हो सकता है। तो यह बात मैंने पिछले वर्ष कही थी और वह सही साबित हुयी है। मान्यवर, पूरा प्रदेश जानता है कि तीन महीने से विकास के कार्य ठप्प पड़े हुये हैं। कुछ जिलों में तो कर्मचारियों को २ महीने से तनख्वाह नहीं मिली है और कहीं-कहीं पर ऐसा हो गया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के चेक वापस हो गये हैं और सरकार की साख गिरती चली जा रही है। मान्यवर, आप देखेंगे कि जो अभी अनुपूरक मांग सदन ने स्वीकार की है उसमें भी बड़ी आपाधापी होगी। इन अनुपूरक मांगों का सदुपयोग करने के लिये दिसम्बर में इसकी सदन से अनुमति लेनी चाहिये थी। अब केवल एक महीना बचा है और इस एक महीने के अंदर जो मांगें स्वीकार होकर जिलों को जायेंगी तो उसकी खर्च करने में आपाधापी होगी और गलत बाउचर और फर्जी लगाकर पूरे पैसे का दुरुपयोग किया जायेंगी तो उसको खर्च करने में आपाधापी समाप्त करके भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश यह सरकार चला रही है। इस तरह से सरकार ने वित्तीय अनुशासन की कोई गरिमा नहीं रखी है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं, दूसरी तरफ सरकारी खर्चों में धन का भारी दुरुपयोग होता है। जब बजट पेश होता है तो कहा जाता है कि जो घाटा होगा उसको फिजूलखर्ची रोककर पूरा किया जायगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का जो कारण है, उसको मैं बताना चाहता हूं। दो प्रकार के खर्च होते हैं एक तो प्लान और दूसरा नान-प्लान। एक आयोजनागत और दूसरा आयोजनेत्तर। आज लगातार नान-प्लान का खर्च बढ़ता चला जा रहा है। कहना चाहता हूं कि जब नान-प्लान और प्लान का खर्च आधा-आधा करेंगे और वित्तीय अनुशासन करेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने में कुछ मदद मिले वरना नान-प्लान का खर्च बढ़ते-बढ़ते प्रदेश को दिवालियापन की स्थिति में पहुंचा देगा। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष १९८०-८१ से १९८६-८७ तक आयोजनागत और आयोजनेत्तर खर्च में क्या फर्क आया है। १९८०-८१ में प्लान खर्च ३७३ करोड़ रुपये था और नान-प्लान खर्च १३४४ करोड़ रुपये था। १९८१-८२ में प्लान खर्च ३९४ करोड़ रुपये था और नान-प्लान खर्च १५१२ करोड़ रुपये था। १९८२-८३ में प्लान खर्च ५२० करोड़ रुपये था और नान-प्लान खर्च १८४४ करोड़ रुपये था।

इसी प्रकार से १९८३-८४ में प्लान खर्च ५९३ करोड़ रुपये था और नान-प्लान खर्च १९९८ करोड़ रुपये था। १९८४-८५ में प्लान खर्च ७०३ करोड़ रुपये था और नान-प्लान खर्च २२४८ करोड़ रुपये था। १९८६-८७ में प्लान खर्च १००० करोड़ रुपये हैं और नान-प्लान खर्च ३१०० करोड़ रुपये हैं। तो मान्यवर, आप देखेंगे कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता चला जा रहा है कि १९८०-८१ से १९८६-८७ तक आयोजनागत खर्च में ६२७ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुयी है वहीं पर आयोजनेत्तर में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुयी है, १६०० करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुयी है।

इस तरह आप देखेंगे मान्यवर, कि सरकार घाटे को किसी भी तरह पूरा नहीं कर सकती है और इसके स्वाभाविक परिणाम जो होंगे वह जनता को भारी करों में बढ़ोत्तरी के रूप में होंगे और हो भी यही रहा है और मान्यवर, यही नहीं आदरणीय सदन के सामने कर राजस्व जो बढ़ता चला जा रहा है। कुल राजस्व

की तुलना कर राजस्व से बढ़ती चली जा रही है। इसका ब्यौरा मैं सन् ८० से ८५-८६ तक आपके सामने रखना चाहता हूं।

वित्तीय वर्ष	कुल राजस्व की तुलना में कर राजस्व का प्रतिशत
१९८०-८१	६७.३ प्रतिशत
१९८१-८२	६७.९ प्रतिशत
१९८३-८४	७०.९ प्रतिशत
१९८४-८५	७०.५ प्रतिशत
१९८५-८६	७२.७ प्रतिशत

इस प्रकार राजस्व की तुलना में कर राजस्व में बेतहाशा वृद्धि हुयी है और इस कर की मार आम जनता पर पड़ रही है और मान्यवर, सरकार कुछ भी कहती रहे लेकिन यह मेरा निश्चित मत है कि आम जनता की क्रय क्षमता बिल्कुल समाप्त होती जा रही है और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मान्यवर, आज सरकार जो फिजूलखर्ची कर रही है, उस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा तब तक आप कितना ही प्रयास कर डालिये उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को आप दूर नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, आर्थिक संसाधनों की कमी और सरकार की फिजूलखर्ची में बढ़ोत्तरी में आप देखेंगे कि अभी जो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बयान दिया और अपने बयान में कहा कि साढ़े २१ करोड़ रु० योजना से मिले हैं और बड़े खुश थे कि बहुत ज्यादा ले आए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आप बहुत कम लाए। २३७ करोड़ रु० की मांग थी आपकी, जिसमें से ३७ करोड़ रु० कटौती कर दी गयी। यह कटौती इसलिए कर दी गयी कि सरकार के पास संसाधन जुटाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और दूसरी ओर ३७ करोड़ रु० को लाने के लिए आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे। तो एक तरफ तो संसाधन जुटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप खूब फिजूलखर्ची करते हैं। इसलिये आप ३७ करोड़ रु० प्राप्त नहीं कर पायेंगे। दूसरे मान्यवर, आप देखेंगे कि कमिश्नरों के दफ्तर जो हैं, उनकी सजावट के लिए १ करोड़ २० लाख रु० स्वीकार कर लिये गये हैं। प्रदेश में १२ आयुक्त हैं, हर आयुक्त के दफ्तर की सजावट के लिए १०-१० लाख रु० रखे गये हैं जबकि इनके पास दफ्तर भी हैं पहले से, गाड़ियां भी हैं और सारी सुविधाएं भी हैं।

दूसरी फिजूलखर्ची मान्यवर, आप देखेंगे कि संसद सदस्यों के लिए जीप गाड़ियों की व्यवस्था की जा रही है। यह सिर्फ मा० सांसदों को खुश करने के लिए, अपनी तारीफ कराने के लिए और भविष्य में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए यह एक कोशिश है। जबकि मान्यवर, वित्त मंत्रालय ने इस पर एतराज किया कि ग्राम्य विकास विभाग की जो २०० जीपें हैं, उनके पेट्रोल का इंतजाम कर दीजिए और अपना काम चला लीजिए। लेकिन मा० मुख्य मन्त्री ने कहा कि नहीं नई जीपें खरीदी जानी चाहिए। इसलिए ५७ जीपें खरीदी जानी स्वीकृत हुयी हैं और इन पर ड्राइवर भी होंगे, उनका भी खर्च होगा, पेट्रोल का खर्च होगा। इस तरह प्रत्येक जीप पर ४ हजार रु० और खर्च होंगे इसके अतिरिक्त अन्य खर्चे मिलाकर २ करोड़ रुपया प्रति वर्ष आयेगा। दूसरी तरफ आप संसाधन जुटाने की बात करते हैं लेकिन फिजूलखर्ची करके पूरे प्रदेश के धन को दोनों हाथों से लुटा रहे हैं और मान्यवर, यही नहीं युवा कल्याण परिषद् को सरकार द्वारा वर्ष १९८२-८३ में २ करोड़ रु० का अनुदान दिया गया। इस परिषद् ने इस रुपये को मान्यवर, राज्य सड़क परिवहन निगम को साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से ब्याज पर कर्ज के रूप में दे दिया। इस पैसे से युवा कल्याण परिषद् को २५ लाख रुपया प्रति वर्ष ब्याज मिल रहा

हैं। इस ब्याज के खर्चे का कोई हिसाब नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री वित्त मन्त्री भी हैं। जरा पूछिये कि युवा कल्याण परिषद् ने क्या बनाया। युवा कलाण परिषद् क्या बनिये की दूकान है। इस परिषद् के एक उपाध्यक्ष हैं, श्री शम्भू नाथ सिंह, जब युवा कल्याण परिषद् ने इन्हें गाड़ी नहीं दी, तो इन्होंने टैक्सी किराये पर ले ली। टैक्सी के फर्जी बिल वाउचर आ रहे हैं। यह टैक्सी ४०० किलो मीटर औसतन के हिसाब से प्रति दिन चली है और कभी-कभी तो यह १२०० से लेकर १८०० किलो मीटर प्रति दिन चली है। इस तरह से टी० ए० और पेट्रोल सब फर्जी दिखाये जा रहे हैं।

दूसरा धन का अपव्यय हरिजनों के साथ एक मजाक है। निर्बल वर्ग आवास निगम और अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम सातवीं पंचवर्षीय योजना में हरिजनों के लिए एक लाख आवासों का निर्माण ६०००/- रुपया प्रति आवास के हिसाब से कराने जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण अंदाजा लगा सकते हैं कि ६०००/- रुपये में किस तरह का आवास बनेगा। इसका नतीजा यह हुआ है कि इन आवासों में कोई भी रहने को तैयार नहीं है, और अभी तक जो करोड़ों रुपया इस पर खर्च हो चुका है, वह सब व्यर्थ गया है। ६०००/-रु० कि कीमत से बने मकान में जाकर रहने से किसी भी व्यक्ति के पूरे परिवार का विनाश होने का खतरा बना रहता है, इसलिए इन आवासों पर होने वाला सारा खर्च धन का अपव्यय मात्र है। यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना में १ लाख मकानों के बजाय २५ हजार मकान २५ हजार रुपया प्रति मकान के हिसाब से निर्मित किये गये होते, तो कम से कम इस योजना के अन्त तक २५ हजार परिवार रहने योग्य मकानों में तो पहुंच जाते। इन आवासों के लिए पहले यह व्यवस्था की गयी थी कि ३०००/- रुपया मकान में रहने वाले पर कर्ज के रूप में होगा और ३०००/- रु० सरकार सबसिडी देगी, किन्तु जब कोई भी आदमी इन मकानों में रहने को तैयार नहीं हुआ तो सरकार ने यह मकान मुफ्त देने का निर्णय लिया, जिसके अनुसार सरकार सबसिडी भी देगी और बैंकों का कर्ज भी। सरकार की नासमझी के कारण इस योजना पर होने वाला करोड़ों रुपया बेकार खर्च हो चुका है, और यदि इसमें सुधार न किया गया तो इस योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना में ६० करोड़ रुपया व्यर्थ खर्च हो जायगा। इस धन की बरबादी के के अलावा इन दोनों निगमों के अध्यक्ष जिनमें से एक संत हैं और दूसरा व्यास, शासनादेशों की अवहेलना करते हुए गाड़ियों को हड़प लिये हैं और इन्टरटेनमेंट एलाउन्स भी ले रहे हैं, जिसके कि वे हकदार भी नहीं हैं।

इसी तरह से हरिजन और कमजोर वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम पर धन का भारी अपव्यय हो रहा है। हरिजन और निर्बल वर्ग के लड़कों की पढ़ाई-लिखाई के लिए जितनी सुविधा दे सकते हो दो, लेकिन फर्जी छात्रों का नाम पंजीकृत दिखा कर करोड़ों रुपये का प्रति वर्ष गोलमाल किया जा रहा है। वर्ष १९८४-८५ से पहले यह धन १० करोड़ रुपया सालाना था, जो चुनाव के वर्ष में अर्थात् १९८४-८५ में बढ़ा कर २२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष कर दिया गया है। नियमानुसार इस धनराशि के व्यय किये जाने का उपभोग प्रमाण-पत्र शिक्षा निदेशक के माध्यम से शासन के पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। लोक लेखा समिति ने भी इस पर एतराज किया है और शासन ने जांच कराने पर यह पाया है कि बड़े पैमाने पर छात्रों की फर्जी संख्या दिखा कर छात्रवृत्तियां ले ली जाती हैं और कभी-कभी तो ऐसा भी हो जाता है वास्तविक छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, और नकली छात्रों के रूप में हरिजन कल्याण अधिकारियों और स्कूल कालेज चलाने वाले लोगों की मिली भगत से हर साल करोड़ों

रुपयों की चूना सरकार को लगा दिया जाता है।

दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मेलन, जिसमें १५ करोड़ रुपया इलाहाबाद में बरबाद किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हमारी बड़ी हमदर्दी थी, लेकिन क्या कांग्रेस के ही लोग थे, दूसरे उसमें प्रवेश भी नहीं कर पाये। दिनांक १८-१९ नवम्बर, १९८५ को इलाहाबाद में हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन जो वस्तुत: इंदिरा कांग्रेस का सम्मेलन था, पर लगभग १५ करोड़ रुपया खर्च किया, जो सरकार का ही धन था। २०० सरकारी बसें, पूरा बिजली और पी० डब्ल्यू० डी० विभाग, स्वास्थ्य विभाग का एक विशेष अस्पताल, सब कुछ सरकारी था। यदि सरकार को राज्य के खजाने का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की फिजूल खर्ची से बचा जा सकता था। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन नहीं था, वह पूरा का पूरा कांग्रेस (ई) का सम्मेलन था। उसमें १५ करोड़ रुपया खर्च हुआ।

इसी तरह से सरकारी खर्चे पर कांग्रेस शताब्दी समारोह मनाया गया।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

[× × ×]

श्री मुलायम सिंह यादव—

[× × ×]

इसी तरीके से विष्णु प्रयाग जल विद्युत् परियोजना पर १० करोड़ का अपव्यय हुआ। यह परियोजना १९७७ में शुरू की गई और १९८२ में इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाना चाहिए था। उस समय इस योजना पर १०४ करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का प्राविधान था और इससे २६२ मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य था। यह अलकनन्दा की योजना थी इसको एक नये इन्जीनियर ने बदल दिया और यह कहा कि यह प्रगतिपुरम पर बने। अगर यह योजना बनेगी तो यह कामयाब नहीं होगी। उस पर १० करोड़ रु० खर्च हो गया और कुछ अन्य इन्जीनियरों का कहना है कि अगर प्रगतिपुर में योजना बनेगी तो १० साल लगेंगे। इस योजना में ४०० करोड़ के खर्च का प्राविधान है और इस तरह से इसमें १००० करोड़ रु० का खर्च होगा और यदि पुरानी योजना को क्रियान्वित किया जाता है तो नई योजना पर व्यय हुए १० करोड़ रु० बेकार जायेंगे। आप पता लगायें कि पहले विष्णु प्रयाग पर जल विद्युत् परियोजना की रिपोर्ट बनाई गई फिर उसके स्थान पर नई प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्यों बनाई गई और इस पर १० करोड़ रु० खर्च हो गया तो इस १० करोड़ रु० की बर्बादी के लिये कौन जिम्मेदार है और इन अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की और यदि नहीं की तो क्यों नहीं की?

(इस समय ३ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

इसी तरह मान्यवर, आप देखेंगे कि कोटली बहल परियोजना के तहत गंगा नदी पर लक्ष्मणझूला के आस-पास एक बड़ा बांध बनाने की योजना है; नवम्बर, १९८५ तक इस पर २ करोड़ रु० खर्च हो चुका है और योजना आज तक नहीं शुरू हुई है। इस तरह से फिजूलखर्ची के चलते आपका प्रदेश पिछड़ता चला जायेगा और फिजूलखर्ची करने वाले लोगों पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा। इसी प्रकार आकस्मिकता निधि से भी अनावश्यक खर्चा किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद २६७ की व्यवस्था के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। विशेष परिस्थिति में खर्चों को पूरा करने के लिये राज्यपाल महोदय इसमें से अग्रिम देते हैं। तीन महीने से आकस्मिकता निधि पर यह सरकार चल रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कि भारत में किसी राज्य में इतनी आकस्मिकता निधि नहीं है, ५० करोड़ से अधिक कहीं नहीं है, जबकि हमारे यहां यह राशि दो सौ करोड़ की थी और अब ४ सौ करोड़ हो गई। क्या सदन की स्वीकृति ली गई? क्या यह सदन की जानकारी में है? मान्यवर, १९८६-८७ के बजट परिचय के पृष्ठ दो पर आकस्मिकता निधि दो सौ करोड़ दिखाया गया है और आय-व्ययक के स्मृतिपत्र में इसे ४ सौ करोड़ दिखाया गया है। (मैं जानना चाहता हूं कि यह क्यों दिखाया गया है? सदन की जानकारी में दो सौ करोड़ है और आपने ४ सौ करोड़ कर लिया। मान्यवर, आप देखें यह तथ्यों को छिपाने की कोशिश की जा रही है।

अब मान्यवर, आप देखें भारत के विकास की बात बहुत की जाती है। विकास के बारे में बराबर विज्ञापन भी निकल रहे हैं। यह सरकार विकास का कीर्तन गाती रहती है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से दूसरे देशों के मुकाबले में भारत विकास कर रहा है। दुनिया के सामने हिन्दुस्तान की क्या स्थिति है और हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दुनिया की आमदनी के अनुसार देशों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। १९८२ के आकड़ों के अनुसार विकसित देश जिनकी पर कैपिटा इनकम १६१० अमेरिकन डालर से अधिक थी, दूसरे मध्यम आय वाले विकासशील देश जिनकी पर कैपिटा इनकम ४१० अमेरिकन डालर से अधिक और १६१० अमेरिकन डालर से कम थी, तीसरे निम्न आय वाले विकास शील देश जिनकी पर कैपिटा इनकम वर्ष १९८२ में ४१० अमेरिकन डालर से कम थी।

दुनिया के विभिन्न देशों की कुल आमदनी और जनसंख्या के अनुपात को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कितनी दयनीय है।

१९८० में विकसित देश जिनकी आबादी दुनिया की आबादी का २५ प्रतिशत थी की कुल आमदनी दुनियां के कुल आय का ७९ प्रतिशत थी जबकि मध्यम आय वाले देश जिनकी जनसंख्या दुनिया की कुल जन सख्या की २८ प्रतिशत थी और आमदनी १६ प्रतिशत, ४७ प्रतिशत जन संख्या वाले निम्न आय वाले देशों की कुल आमदनी दुनिया की कुल आमदनी का केवल ५ प्रतिशत है। इसी ५ प्रतिशत हिस्से वाले देशों में भारत का भी स्थान है। दुनिया के १० लाख से ज्यादा आबादी वाले १२६ प्रमुख देशों में भारत का १२३वां नम्बर है। यानी नेपाल और बंगलादेश को छोडकर हम सबसे नीचे हैं। हिन्दुस्तान की यह स्थिति है। इसी के साथ भारत २१वीं सदी में जा रहा है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, मैं इस चीज को आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय योजना मंत्री ने एक अतारांकित प्रश्न नं० ३३०१ के जवाब में १७ अप्रैल, १९८५ को लोक सभा में भारत के अन्दर विभिन्न राज्यों की पर कैपिटा इनकम की स्थिति को १९८०-८१ से १९८३-८४ तक बताया था, वह इस प्रकार है। मैं १९८०-८१ से १९८३-८४ की स्थिति बता रहा हूं। इसमें १९८०-८१ में चालू कीमतों पर पर कैपिटा इनकम आंध्र प्रदेश की १३१४, असम की १२२१, बिहार की ९२९, गुजरात की १८२८, हरियाणा की २३३१, हिमांचल प्रदेश की १५१५, जम्मू एवं कश्मीर की १४५५, केरल की १४२१,

कर्नाटक की १३१२, महाराष्ट्र की २२६१, मध्य प्रदेश की ११४९, पंजाब की २७६०, राजस्थान की १२३८, उत्तर प्रदेश की १२७२, पश्चिम बंगाल की १५४९, दिल्ली की २९०८, गोवा डामन ड्यू की २७९४, पाण्डिचेरी की ३१६०, और अरुणांचल प्रदेश की १३२३ है। तो मान्यवर, यह हालत है।

मान्यवर, आप देखेंगे कि पूरी की पूरी इस तालिका में उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। अब मैं लेटेस्ट स्थिति बताता हूं। आप १९८३-८४ को देख लें। इसमें परकैपिटा इनकम आन्ध्र प्रदेश की १८७८, असम की १७६२, बिहार की ११७४, हरियाणा की ३१४७, हिमांचल प्रदेश की २२३०, जम्मू एण्ड काश्मीर की १८२०, केरल की १७६०, मध्य प्रदेश की १६३६, पंजाब की ३८०१, राजस्थान की १८८१, उत्तर प्रदेश की १५६७, गोवा डमन ड्यू की ३४५८ और पाण्डिचेरी की ३६९३ है। तो मान्यवर, यह लेटेस्ट स्थिति मेरे पास है। आप देखेंगे कि इस तालिका से साफ होता है कि भारत के जितने भी प्रमुख राज्य हैं या केन्द्र शासित प्रदेश हैं, उनको देखते हुए केवल बिहार हमसे पीछे है और हम सबसे पीछे हैं। वर्ष १९८१ में मान्यवर, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान आदि हमसे पीछे थे, लेकिन १९८३-८४ में इन सभी राज्यों ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। यह हालत है उत्तर प्रदेश की।

अब मान्यवर, कृषि की उपेक्षा देखें। कृषि की उपेक्षा हो रही है। भारत एक कृषि प्रधान देश है लेकिन किस तरह से किसानों की उपेक्षा की जा रही है। जब तक इस देश के किसानों की तरक्की नहीं होती है, तब तक भारत की तरक्की नहीं हो सकती है। लेकिन आप देखें कि किस तरह से उपेक्षा हो रही है, हिन्दुस्तान में किसानों की। यह एक कृषि प्रधान देश है लेकिन दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में आप देखेंगे दूसरे देशों की स्थिति में आपके सामने रखना चाहता हूं, कृषि के क्षेत्र में आप देखें। हिन्दुस्तान की स्थिति दुनिया में क्या है। वर्ष १९८४-८५ की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में १९६० में खेती का सकल उत्पादन का ५० प्रतिशत था, जो ८२ में घटकर ३३ प्रतिशत ही रह गया। दुनिया के कुछ प्रमुख देशों का कृषि उत्पादन १९७० से बढ़कर १९८१ में बहुत अधिक हो गया जबकि हिन्दुस्तान में गत १० वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत काफी कम रहा है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ही १९७० और १९८१ में दुनिया के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादक देशों ने कृषि उत्पादन में वृद्धि इस प्रकार की। कनाडा ने १५० प्रतिशत की वृद्धि की, यू० एस० ए० ने ७८ प्रतिशत की, मैक्सिको ने ७०.६ प्रतिशत की, इन्डोनेशिया ने ६६.८ प्रतिशत की, अर्जेन्टीना ने ५४ प्रतिशत की, बाजील ने ३५ प्रतिशत की, चीन ने ४२ प्रतिशत की और भारत ने ३१ प्रतिशत की वृद्धि की। जो चीन हमसे काफी बाद में आजाद हुआ, वह कृषि पैदावार में हमसे आगे निकल गया। दुनिया में भारत में ही कृषि की सबसे ज्यादा उपेक्षा हुई है। अब भारत में उत्तर प्रदेश की हालत को आप देख लें। जो स्थिति भारत की अन्य प्रमुख देशों की तुलना में है, वही स्थिति उत्तर प्रदेश की भारत के अन्य राज्यों की तुलना में है। कम खर्च और गलत नियोजन के कारण उत्तर प्रदेश में मुख्य फसलों की उपज भारत की औसत उपज से भी कम है और अन्य राज्यों से भी कम है। सांख्यकीय डायरी उत्तर प्रदेश १९८३ के अनुसार विभिन्न राज्यों की प्रमुख फसलों की औसत उपज इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

मान्यवर, सांख्यकीय डायरी उत्तर प्रदेश १९८३ के अनुसार विभिन्न राज्यों की प्रमुख फसलों की औसत उपज इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त

है। वर्ष १९८०-८१ उपज कुंटल प्रति हेक्टेयर—आन्ध्र चावल १९.४७, मक्का २२.६३ गन्ना (गुड़) ७८.७४, हरियाणा चावल २६.०२, मक्का ११.२२ गेहूं २३.५९, कर्नाटक चावल २०.०६, मक्का २५.८४ गन्ना (गुड़) ७९.३९, महाराष्ट्र चावल १५.७०, मक्का १७.२०, गन्ना (गुड़) १०१.५२, पंजाब चावल २७.३६, मक्का १६.०१, गेहूं २७.३०, गन्ना (गुड़) ५५.२१, तामिलनाडु चावल १८.६५, मक्का १०.७१, गन्ना (गुड़) १०१.५२ उत्तर प्रदेश चावल १०.५३, मक्का ७.३१, गेहूं १६.५०, गन्ना (गुड़) ४७.०९ पश्चिमी बंगाल १४.४२ चावल, मक्का १०.५७, गेहूं १६.७२, गन्ना (गुड़) ६०.६३।

मान्यवर, मैंने राज्यों की उपज कुन्टल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखी। इसमें उत्तर प्रदेश का देखें कितना कम है।

मान्यवर, इसी तरह से भारत के औसत के हिसाब से देखें—भारत का औसत है चावल १३.३६, उ० प्र० का आ रहा है १०.५३, मक्का में भारत का औसत है ११.५० उ० प्र० का आ रहा है ७.३१, गेहूं में भारत का औसत है १६.३० उ० प्र० का है १६.५०, गन्ना (गुड़) में भारत का औसत है ५०.१४, उ० प्र० का औसत है ४७.०९। मान्यवर, यह कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, आप देखें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना (गुड़) जो भी है, हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले पीछे रह गया है।

मान्यवर, इसी तरह से स्वास्थ्य के मामले में देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भारत की स्वास्थ्य सांख्यकी १९८४ के अनुसार कुछ प्रमुख देशों द्वारा स्वास्थ्य पर अपने कुल बजट का जितना प्रतिशत धन खर्च किया गया है, वह इस प्रकार है—

आस्ट्रेलिया १०.१४ प्रतिशत, ब्राजील में ८.५० प्रतिशत, कनाडा में ७.५६ प्रतिशत, पश्चिमी जर्मनी में १८.९९ प्रतिशत, घाना में ५.९६ प्रतिशत, मलेशिया में ६.४० प्रतिशत, नेपाल में ५.१५ प्रतिशत और भारत में केवल १.६४ प्रतिशत। यह स्वास्थ्य पर खर्च हो रहा है हिन्दुस्तान में। मान्यवर, इस तरह से किसी भी अन्य देश में सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की मान्यवर, इतनी उपेक्षा नहीं की गयी है, जितनी कि हमारी भारत सरकार द्वारा की गयी है।

मान्यवर, इसी तरह से देखें कि हिन्दुस्तान के अन्य सूबों के मुकाबले उ० प्र० में स्वास्थ्य पर कितना खर्च हो रहा है। मान्यवर, जिस तरह से दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले भारत में स्वास्थ्य पर कम खर्च हो रहा है, उसी तरह से हिन्दुस्तान में अन्य सूबों के मुकाबले उ० प्र० में सबसे कम खर्च हो रहा है। मान्यवर, इससे नतीजा क्या निकलेगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अन्य राज्यों में स्वास्थ्य पर खर्चे का प्रतिशत मैं आपके सामने रख रहा हूं। पंजाब में ४.९ प्रतिशत कुल बजट का, महाराष्ट्र में ७.५ प्रतिशत, गुजरात में ५.८ प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में ६.८ प्रतिशत, कर्नाटक में ८.०७ प्रतिशत, तामिलनाडु में ९.१ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में केवल २.३ प्रतिशत। यह हालत है। इतनी ज्यादा स्वास्थ्य की उपेक्षा कहीं नहीं की जा रही है। इसका दुष्परिणाम यह निकला कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में हमारी स्थिति अत्यन्त दयनीय रही। मैं यहां १५ नवम्बर, १९८५ को सम्पन्न हुए राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा जीते गये स्वर्ण पदकों की संख्या को प्रस्तुत कर रहा हूं। महाराष्ट्र ने ५२ स्वर्ण पदक, पंजाब ने ३२, दिल्ली ने २७, कर्नाटक ने १७, मध्य प्रदेश ने १६, पश्चिम बंगाल ने १५, तामिलनाडु ने १२, केरल ने १२, राजस्थान ने ८ और उत्तर प्रदेश ने केवल ६ स्वर्ण पदक जीते। इसका असर मौत और उम्र पर पड़ता है। अमीर और गरीब की उम्र और मौत पर इसका असर पड़ता

हैं। आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि सर्दी से ठिठुर कर इतने लोग मर गये, लू से झुलस कर इतने लोग मर गये, बाढ़ से इतने मरे या मकान ढहने से इतने लोगों की दब कर मृत्यु हो गयी। ये क्या तमाम सर्दी और लू से मरते हैं, ये सब मरते हैं भूख से। जिसकी तन्दुरुस्ती अच्छी होगी उसे न सर्दी लगेगी और न लू।

मान्यवर, मैं यहां माननीय सदन के समक्ष विश्व बैंक की १९८४ की रिपोर्ट के वे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे स्पष्ट है कि मनुष्य की आयु सम्पन्नता के साथ बढ़ जाती है :—पर-कैपिटा अमरीकी डालर के हिसाब से १९८० की पोजीशन में आपके समक्ष रख रहा हूं :—भारत की पर कैपिटा इनकम १९८० में २४० डालर और औसत उम्र ५२ वर्ष, चीन की २९० और उम्र ६४ वर्ष, कोरिया गणतंत्र की १५२० डालर और उम्र ६५ वर्ष, मलेशिया की १६२० डालर और उम्र ६४ वर्ष, रूमानिया की २३४० डालर और उम्र ७१ वर्ष, पुर्तगाल की २३७० डालर और उम्र ७१ वर्ष, ग्रीस की ४२८० डालर और उम्र ७४ वर्ष, सिंगापुर की ४३३० डालर और उम्र ७२ वर्ष, इजरायल की ४५०० डालर और उम्र ७२ वर्ष, रूस की ४५५० डालर और उम्र ७१ वर्ष, नार्वे की १२६५० डालर और उम्र ७५ वर्ष, डेनमार्क की १२९५० डालर और उम्र ७५ वर्ष, स्वीडन की १३५२० डालर और उम्र ७५ वर्ष और स्विटजरलैंड की पर कैपिटा इनकम १६६५० डालर है, और औसत उम्र ७५ वर्ष है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जिस प्रकार अन्य देशों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, उसी अनुपात में उनकी उम्र भी बढ़ी है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सारे सम्पन्न देशों के व्यक्तियों की औसत उम्र ७० वर्ष से ज्यादा है। आज हर क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा पीछे हैं अन्य देशों के मुकाबले।

मान्यवर, अब मैं बिजली पर आना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि बिजली तो रोजाना घटती और बढ़ती रहती है। इसे इसलिए भी रखना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की प्रगति आज सबसे ज्यादा बिजली पर निर्भर करती है। आज जिस प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली अधिक मिल रही है, वही प्रदेश ज्यादा मालदार है। पिछले ३० वर्षों में ऊर्जा की खपत में जैसे-जैसे बढ़ोत्तरी हुई है, राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के बिना इस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती है।

देश और प्रदेश की प्रगति में ऊर्जा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है बल्कि सच बात तो यह है कि पिछले ३० वर्षों में ऊर्जा की खपत में जैसे-जैसे बढ़ोत्तरी हुई है राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये मैं इनका तुलनात्मक विवरण दे रहा हूं—

वर्ष	राष्ट्रीय आय सूचकांक	प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत
१९७०-७१	१००	८९.८ किलो वाट आवर
१९७६-७७	११७.६	११९.४ किलो वाट आवर
१९७८-७९	१२८.३	१३०.५ किलो वाट आवर
१९७९-८०	१३५.५	१३०.९ किलो वाट आवर

जिस तरीके से राष्ट्रीय आय बढ़ती जा रही है, बिजली की खपत ज्यादा होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप भाग—१ में पृष्ठ ३१७ पर देश की १७ राज्यों में तुलनात्मक ऊर्जा खपत प्रति व्यक्ति का जिक्र किया गया है जिसके अनुसार १९८२-८३ में

अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति इस प्रकार थी—

राज्य	प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (वर्ष १९८२-८३)
१—पंजाब	३३६.५२ किलो वाट आवर
२—हरियाणा	२५९.५९ किलो वाट आवर
३—गुजरात	२५२.३५ किलो वाट आवर
४—महाराष्ट्र	२५०.६० किलो वाट आवर
५—तमिलनाडु	१७९.५९ किलो वाट आवर
६—उत्तर प्रदेश	१०६.५२ किलो वाट आवर

आप देखेंगे कि सभी प्रदेशों से कम खपत है उत्तर प्रदेश में। इसका नतीजा आपके सामने है कि सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। मेरा खुला आरोप है कि कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार की वजह से ऊर्जा की यह दुर्गति है। अव्यवस्था है और भ्रष्टाचार में सराबोर है पूरा बिजली विभाग। उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग कितना अक्षम है इसका अनुमान इसी बात पर लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इस समय प्लाण्ट लोड फैक्टर लगभग ४० प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि प्रदेश में बिजली की कुल स्थापित क्षमता का केवल ४० प्रतिशत विद्युत उत्पादन हो रहा है। गत १७ जनवरी, १९८६ को जब केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री श्री बसंत साठे ने ओबरा का दौरा किया तो उन्होंने ओबरा बिजली घर के रख-रखाव और कुव्यवस्था के लिए यहां के अक्षम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। केन्द्रीय राज्य मन्त्री ने तो उस दिन अधिकारियों की एक मीटिंग में यहां तक कहा कि उन्होंने भारत में इतनी खराब स्थिति में किसी भी बिजली घर को नहीं देखा है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री जी ने यह स्वीकार किया है कि आगे आने वाले दिन अन्धकारमय होंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष १९८५-८६ और १९८६-८७ में योजना के प्रारूप के अनुसार उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की मांग और प्राप्ति में ऊर्जा की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग	प्राप्त ऊर्जा
१९८५-८६	४४७० मेगावाट	२८१७ मेगावाट
१९८६-८७	४९२८ मेगावाट	३०९० मेगावाट

इन आंकड़ों के अनुसार प्राप्य ऊर्जा इस समय २८१७ मेगावाट होनी चाहिये थी लेकिन जनवरी १९८६ में बिजली का उत्पादन केवल २००० मेगावाट था। इसके निकट भविष्य में बढ़ने की कोई आशा भी नहीं है क्योंकि १९८५-८६ में क्षमता में वृद्धि शून्य रही। यदि हम यह भी मान लें कि स्थापित क्षमता का शत प्रतिशत उत्पादन करके बिजली का सदुपयोग कर लेंगे तब भी हमें इस वित्तीय वर्ष में ८४४ मेगावाट अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। यदि बहुत अच्छा उत्पादन हम बिजली का मान कर चलें तो कह सकते हैं कि प्लान्ट लोड फैक्टर ६० तक हो सकता है। उस स्थिति में हम २४५० मेगावाट बिजली पैदा कर सकेंगे। जब भी १९८६-८७ के लिये बिजली की जो भी कमी होगी वह लगभग २५०० मेगावाट होगी, इससे यह साफ हो जाता है कि ऊर्जा के सम्बन्ध में हमारी समस्यायें और ज्यादा भयानक होने वाली है।

उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत परिषद् जिसका कि खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है और जिसको हम सफेद हाथी कह सकते हैं, इसकी पूंजी जैसे-जैसे बढ़ती जा रही है, हानि भी वैसे-वैसे ही बढ़ती जा रही है। मैं माननीय सदन के सामने वर्ष १९८०-८१ से लेकर दिसम्बर, १९८५ तक परिषद् में लगी पूंजी और

संचित हानि का उल्लेख कर रहा हूं कि :—

वर्ष	लगी पूंजी	संचित हानि
१९८०-८१	१९ अरब ६८ करोड़ ६ लाख	५ अरब ४० करोड़ ३० लाख
१९८१-८२	२५ अरब २८ करोड़ ७५ लाख	५ अरब ८० करोड़ ९४ लाख
१९८२-८३	२८ अरब ४५ करोड़ २२ लाख	६ अरब २९ करोड़ ६९ लाख
१९८३-८४	३३ अरब १८ करोड़ २५ लाख	७ अरब ४१ करोड़ २५ लाख
१९८४-८५	३३ अरब २४ करोड़ ८८ लाख	८ अरब ५५ करोड़ ८५ लाख

इन से आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य विद्युत परिषद् की हालत बद से बदतर होती जा रही है और हालत इतनी खराब हो गयी है कि वर्ष १९८३-८४ और १९८४-८५ में पूंजी निवेश का अन्तर है ६ करोड़ ५३ लाख का, जबकि संचित हानि में वृद्धि हुई है १ अरब १४ करोड़ ६० लाख की।

एक तरफ आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बिजली बोर्ड लाभ में चल रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चौपट किये दे रहा है। पिछले वर्ष ही इसे ७५ करोड़ ६० लाख रुपये का घाटा हुआ है।

इसी तरह से आप देखेंगे कि बिजली शुल्क के बकाया में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। विद्युत परिषद् का २५० करोड़ रुपया विभिन्न उपभोक्ताओं पर बकाया है। इसमें से केवल १२ करोड़ रुपया जो है उस पर न्यायालयों में मुकदमें विचाराधीन हैं, शेष २३८ करोड़ प्रशासनिक अक्षमता के कारण वसूला नहीं जा रहा है। वर्ष १९८०-८१ से १९८४-८५ तक बकाया की धनराशि जिस तरह से बढ़ी है उसे मैं आपको बतला रहा हूं कि :—

वर्ष	बकाया धनराशि
१९८०-८१ में	८२ करोड़ ३१ लाख रुपये
१९८१-८२ में	९८ करोड़ ६६ लाख रुपये
१९८२-८३ में	१०८ करोड़ ६२ लाख रुपये
१९८४-८५ में	२५० करोड़ रुपये

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने राज्य विद्युत परिषद् के बारे में १९८२-८३ के लिये जो रिपोर्ट दी है, जिसका प्रकाशन अभी हाल में हुआ है, उसके अनुसार विद्युत परिषद् का लगातार बढ़ता हुआ बकाया बोर्ड की निष्क्रियता और अक्षमता का द्योतक है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इतनी बकायेदारी बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार १९८०-८१ में ५०.१ प्रतिशत, १९८१-८२ में ४७.१ प्रतिशत और १९८२-८३ में ४१.४ प्रतिशत उत्पादन बोर्ड की अक्षमता को प्रदर्शित करता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो ऊर्जा मन्त्री हैं ने १४ जनवरी को एक पत्रकार सम्मेलन में बताया था कि विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर दिसम्बर १९८५ में ४८.०२ प्रतिशत था जो जनवरी १९८६ में ४९ प्रतिशत हो गया और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक ५८ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। विद्युत परिषद् के चेयरमैन ने २ जनवरी १९८६ को विभिन्न समाचार पत्रों में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के बढ़ते कदम शीर्षक के अन्तर्गत जो सूचनायें दी उनके अनुसार जून १९८५ से

दिसम्बर १९८५ तक विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर इस प्रकार था—

जून, १९८५	३९.४ प्रतिशत
जुलाई, १९८५	३६ प्रतिशत
अगस्त, १९८५	३० प्रतिशत
सितम्बर, १९८५	२८.५ प्रतिशत
अक्टूबर, १९८५	२९.५ प्रतिशत
नवम्बर, १९८५	३५.६ प्रतिशत
दिसम्बर, १९८५	४०.१ प्रतिशत

माननीय मन्त्री जी के अनुसार दिसम्बर, १९८५ में प्लान्ट लोड फैक्टर था ४८.०२ प्रतिशत और बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार यह ४०.०१ प्रतिशत था। आपके ऊर्जा मन्त्री जी का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक ५८ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। जबकि अध्यक्ष बिजली बोर्ड का कहना है कि ५० प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा। चूंकि विद्युत आपूर्ति में निरन्तर गिरावट आयी है, इसलिये यह बिना संकोच के कहा जा सकता है कि बिजली बोर्ड के अध्यक्ष का कहना सत्यता के ज्यादा नजदीक है और इसलिये मेरा निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान ऊर्जा मंत्री गलत बयानी करके प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी जब आप अपना भाषण दें तो इस बात का उत्तर जरूर दें, यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं जो मेरी बात की पुष्टि करती है। १८ जनवरी, १९८६ के पायनियर की खबर है, जो प्रथम पृष्ठ पर छपी है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उससे वास्तविकता का पता आपको लग जायेगा, तो आप भी कुछ करेंगे। ओबरा की कुल स्थापित क्षमता १५५० मेगावाट है और आपके ऊर्जा मन्त्री जी ने केन्द्रीय मन्त्री से ओबरा में कहा कि १६०० मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना है कि कोई पावर हाउस है वह अपनी क्षमता से अधिक पैदा करता हो, ओबरा की क्षमता १५५० मेगावाट है तो केन्द्रीय मन्त्री को १६०० मेगावाट बता कैसे दिया, तो मैंने पायनियर की खबर को आपके सामने पढ़ा। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले बजट सत्र से पहले माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यह कहा था कि यदि उनसे बिजली विभाग न लिया गया होता तो बिजली की यह दुर्दशा न होती और बिजली की समस्या हल कर देते।

मैंने उस वक्त यही कहा था कि आपकी स्थिति यही बनी रही और कार्य शैली आपके विद्युत परिषद की यही बनी रही तो एक साल नहीं ५ साल और बने रहिये इस पर लेकिन बिजली में कोई सुधार होने वाला नहीं है। यही मैंने पिछले साल कहा था, और आपके सामने यह बात आ गयी। विद्युत परिषद में जो भयानक भ्रष्टाचार और आपाधापी है उसके एक दो उदाहरण रखना चाहता हूं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९८२-८३ के अनुसार वर्ष १९८०-८१ से १९८२-८३ तक के ३ वर्षों में एक ही क्षमता के ट्रान्सफारमर वाले सब स्टेशनों में बिजली के खर्चे में जबरदस्त असमानता आई है, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १३२ के० वी० सब-स्टेशन मरुआडीह वाराणसी पर बिजली खर्च ५ लाख ५६ हजार यूनिट से ६ लाख १० हजार यूनिट तक हुआ। जब कि दूसरा १३२ के० वी० का ही कसया देवरिया का है, इसमें २ लाख ३ हजार यूनिट से २ लाख ३५ हजार यूनिट बिजली का खर्च हुआ और देवरिया में इसी क्षमता के सब स्टेशन पर एक लाख ६ हजार यूनिट से १ लाख ३५ हजार यूनिट खर्च हुई। जब कि बस्ती में केवल ३१ हजार यूनिट से लेकर ५७ हजार यूनिट बिजली खर्च हुई, जब कि ट्रान्सफारमर एक ही क्षमता का है। यह रिपोर्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षक की है कि सब स्टेशन एक ही जैसे हैं तो यह अन्तर क्यों है? अगर अन्तर आपने देखा नहीं है तो देख लें, और अगर देखा है तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? बिजली की लोग चोरी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। आप देखेंगे

कि बस्ती की अपेक्षा मरुआडीह में १५ गुना ज्यादा बिजली की खपत हुई, जब कि एक जैसे ही से सब स्टेशन हैं। यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक है। आपने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है? इससे साफ जाहिर है कि सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं और मंत्रिमंडल के लोग भी इसमें शामिल हैं।

मान्यवर, मुख्य अभियन्ताओं और अधीक्षण अभियन्ताओं की एक बैठक लखनऊ में हुई और देखा गया कि बरेली जोन में लाइन लासेस ३१ प्रतिशत था और मुरादाबाद में लाइन लासेज ५० प्रतिशत था। मान्यवर, मुख्य अभियन्ता और अधीक्षण अभियन्ता बैठे और लखनऊ में बैठक हुई। दोनों ने परीक्षण किया और नतीजा यह निकला कि लाइन लासेज ३१ प्रतिशत बरेली में और ५० प्रतिशत मुरादाबाद में। आप बताइये कि क्या कार्यवाही आपने की? इस बिजली की पालिसी से दो बातें हो रही हैं, एक तो उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है और दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा जर्जर होता चला जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

इसलिए तो यह अध्यादेश लाया गया था कि बिजली की चोरी को रोका जा सके।

श्री मुलायम सिंह यादव—

इस प्रकार के कानून आते हैं अपनी बेवकूफी को छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब को छोड़ दीजिए केवल बिजली का सुधार कर दीजिए तो प्रदेश का कल्याण हो सकता है, लेकिन वह भी आपकी क्षमता से बाहर है। आपके यह सार्वजनिक निगम क्या कर रहे हैं? मैंने पिछली बार भी कहा था, चर्चा भी हुई लेकिन बराबर निगमों ने आपकी आर्थिक स्थिति को चौपट किया है। आप देखेंगे कि दिसम्बर १९८५ तक उत्तर प्रदेश के समस्त सार्वजनिक निगमों की पूंजी ४६ अरब १९ करोड़ ११ लाख ६६ हजार रुपये थी जबकि संचित हानि ११ अरब २८ करोड़ ३० लाख और ८८ हजार रुपये थी। यह तो लास हो चुका है। पिछले वर्ष की तुलना में घाटे में वृद्धि हुई है, यह घाटे में वृद्धि की दर पिछले साल से और बढ़ गई, इस सदन में चर्चा होने के बाद भी। मान्यवर, १९८२-८३ की तुलना में १९८३-८४ में पूंजी में वृद्धि हुई है ५ प्रतिशत जब कि घाटा बढ़ा है २६ प्रतिशत। यानी आपने पूंजी और दी, ५ प्रतिशत पूंजी बढ़ाई और २६ प्रतिशत की हानि हो गई। तो जिस रफ्तार से घाटा बढ़ रहा है उसी रफ्तार से ये निगम प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चौपट कर रहे हैं। मैं सरकार को स्पष्ट बता देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से कि इस प्रदेश में ४ सबसे बड़े सार्वजनिक निगम हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम। इन चारों में ४० अरब ३१ करोड़ रुपये से भी अधिक की पूंजी लगी हुई है। तो जब समस्त सार्वजनिक निगमों पर ४७ अरब रुपये की पूंजी लगी है जिसमें से केवल इन चार निगमों में ही ४१ अरब की पूंजी लगी है तो बाकी निगमों के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन चार निगमों की संचित हानि १० अरब रुपया है तो शेष निगमों की लाभ और हानि का कोई अर्थ ही नहीं होता। जब ४१ अरब रुपया इन चार निगमों में लगा है तो शेष निगमों के लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

दूसरी तरफ जो प्रदेश के ३६ निगम हैं इनमें आपने आई० ए० एस० के अधिकारियों को बिठा दिया है जो उनके आरामगाह बने हुये हैं। उनके परिवार के लिये, उनके बच्चों के लिये, उनके

सम्बन्धियों के लिये आराम के स्थान बना दिये गये हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि वे सब के सब घाटे में जा रहे हैं। इन ३६ निगमों में जो आई० ए० एस० अधिकारी अध्यक्ष पद पर आसीन हैं उनमें से ३३ अल्पकालिक रूप से तैनात हैं। नियमानुसार जो पूंजी उनमें लगी हुई है उसमें से १० प्रतिशत लाभांश सरकार को मिलना चाहिए। इसके अनुसार ४ अरब ६० करोड़ रुपया सरकार को प्राप्त होना चाहिए। किन्तु इन निगमों को जिन्दा रखने के लिये ३ अरब से भी अधिक रुपया सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। इस तरह ये निगम सरकार को साढ़े सात अरब रुपये का घाटा पहुंचा रहे हैं और अगर इसमें संचित हानि भी जोड़ दी जाय तो आज ये निगम २० अरब रुपये का घाटा सरकार को दे रहे हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की लापरवाही आप देखें। २० अरब रुपये का घाटा हो रहा है। नियमानुसार इस ब्यूरो को प्रति तिमाही रिपोर्ट देनी चाहिए, स्थिति का आंकलन करना चाहिए, हानि लाभ का ब्योरा देना चाहिए। लेकिन कौन दोषी है। इनका उससे कोई वास्ता नहीं रह गया है, यह सब कुछ नहीं किया जाता है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा सरकार को बार-बार स्थिति से अवगत कराये जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रदेश का एक निगम है उत्तर प्रदेश राज्य नलकूप निगम। इस निगम के पास इस समय कोई काम नहीं रह गया है। इस निगम को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये उसे महाराष्ट्र में १०० नलकूप बनाने का ठेका ले लिया है। क्या जरूरत है? आप नलकूप के मन्त्री भी रह चुके हैं। इस निगम के पास यहां पर कोई काम नहीं है तो आपने महाराष्ट्र में १०० नलकूप बनाने के लिये ठेका दिला दिया। इसमें ९० लाख रुपये का घाटा हो चुका है। इसमें ४ करोड़ ९० लाख रुपये की पूंजी लगी हुई है। इसलिये मेरी राय है कि इस निगम को खतम करके इसे आप अपने विभाग में समायोजित कर दें। यह प्रदेश को बरबाद कर रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है।

एक और बात कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को बुरा लग जाता है। जो आपका कांग्रेस शताब्दी समारोह बम्बई में हुआ उसमें आपने नुमाइश लगाई। आपने ठीक किया। आपका व्यापार था। आप व्यापार करने के लिये उसमें चले गये। उस कांग्रेस शताब्दी समारोह में प्रदर्शनी के लिये ३ लाख वर्ग फुट क्षेत्र १५० रुपया प्रति वर्ग फुट के हिसाब से १६ राज्य सरकारों के ३९ सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और ३६ निजी कम्पनियों ने किराये पर इस जमीन को लिया और समारोह से एक सप्ताह पहले ही इन ९२ हिस्सेदारों से ११ करोड़ रुपया प्राप्त कर लिया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार के निगमों ने हिस्सा लिया था तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अपेक्षा करूंगा कि उस प्रदर्शनी से होने वाले लाभ हानि का ब्योरा भी सामने रख दें।

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी और पूंजीपतियों की समर्थक है, यह आरोप मैं बराबर लगाता आया हूं। किस तरह से किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम कम और किस तरह से पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित चीजों के दाम अधिक होते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। किसान की चीजों के दाम लागत से कम होते जाते हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के बुलेटिन अप्रैल १९८५ के अनुसार अक्टूबर, १९८४ के अंत और अप्रैल १९८५ के अन्त के बीच विभिन्न वस्तुओं के थोक मूल्यों में परिवर्तन को देख कर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है या

किसानों की समर्थक हैं। मैं वस्तुओं के नाम पढ़ देता हूं—

वस्तुओं के नाम	अक्टूबर, ८४ के मूल्यों की तुलना में अप्रैल, ८५, के अंत में मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि (धनात्मक या कमी ऋणात्मक)
चावल	+ ०.६
गेहूं	— ०.७
ज्वार	— ५.२
दालें	— ७.०
दूध तथा दूध से बनी चीजें	— २.१
रूई	—११.१
जूट	—१०.१
गुड़	— २.९
शक्कर	+१०.३

तो आपने देखा कि शक्कर के दाम बढ़े हैं। इसी तरह चावल के दाम बढ़े हैं लेकिन जब किसान के हाथ में धान था, तब दाम घटे हैं। जो चीजें पूंजीपति के हांथ में गयी उसके दाम बढ़ गये। आगे आप देखें

चमड़ा और चमड़े की चीजें	+१५.५
रबर और रबर से बनी चीजें	+ ४.२
कैमिकल्स	+ ४.४
धातु की बनी चीजें	+१०.२

तो मान्यवर, इन आंकड़ों से साबित हो गया है उन सारी चीजों के दाम घटे हैं जो किसान पैदा करता है और उन सारी चीजों के दाम बढ़े हैं, जिनको मिल मालिक या पूंजीपति पैदा करता है। गन्ने से जो किसान गुड़ पैदा करता है उसके दाम गिरे हैं और गन्ने से जो मिल मालिक चीनी बनाता है उसके दाम बढ़े हैं। जब तक धान किसान के हांथ में था दाम घटे और जब मिल मालिक के हांथ में वह गया, चावल के दाम बढ़े। तो किसान के सभी उत्पादनों के दाम घटे हैं तो इससे जाहिर है कि यह सरकार पूंजीपति समर्थक और किसान विरोधी है।

अब मैं काला धन की तरफ आता हूं। यों तो सारे देश में काला धन की एक समानान्तर अर्थ व्यवस्था चल रही है और वह उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। यह सरकार और पूंजीपतियों की मिली भगत से हो रहा है। इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें बहुत सारे कारण दिये हैं। मैं उन सब में नहीं जाऊंगा क्योंकि वह काफी लम्बी सूची है। इस काले धन ने एक अलग समान अर्थ व्यवस्था कायम की है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा प्रायोजित और राजा चेलैया के निर्देशन में काले धन पर तैयार की गयी रिपोर्ट जो भारत सरकार को मार्च ८५ में मिली है उसके कुछ निष्कर्ष मैं माननीय सदन के सम्मुख रखना जरूरी समझता हूं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि काले धन की उत्पत्ति कैसे और कहां से होती है। उसमें कई कारण उन्होंने दिये हैं उसमें से केवल ४, ५ कारण ही बताना चाहता हूं। रिपोर्ट में काले धन की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि—

(१) केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी परमिट, कोटा और लाइसेंस देने की प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करते हैं। चूंकि इस धन का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, इसलिये यह काला-धन है।

(२) निर्माण कार्यों में कम कार्य को अधिक दिखाकर, घटिया सामान लगाकर और बिलों को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करके बड़े पैमाने पर काला धन पैदा किया जाता है।

(३) बड़ी-बड़ी मशीनों और रक्षा संबंधी यंत्रों को खरीदने में अधिकारी और मंत्री कमीशन के रूप में बड़ी धनराशि लेकर काला धन पैदा करते हैं।

(४) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों जैसे आई० आर० डी० पी० के लिए खर्च होने वाले धन का बहुत बड़ा हिस्सा जनता तक न पहुंच कर जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिली भगत से काले धन के रूप में बदल जाता है।

तो मान्यवर, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट है और राजा चेलैया की रिपोर्ट है।

मान्यवर, बीस साल पहले सन्थानम कमेटी ने तमाम छानबीन के बाद यह रिपोर्ट दी थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में उस समय ११ प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता था। जो अधिशासी अभियन्ता से लेकर मिस्त्री तक में बांट लिया जाता था। चेलैया रिपोर्ट ने राबर्ट वेड के १९८२ के एक आर्टिकल को उद्धृत करते हुए यह जानकारी दी कि १९७० में एक अधिशासी अभियंता एक साल में २.६० लाख रुपये और सहायक अभियंता ८० हजार रुपये काले धन के रूप में पैदा करता था। अधिशासी अभियंता अपनी मनचाही जगह पर पोस्टिंग के लिये ५० हजार रुपये से लेकर ४ लाख रुपया तक रिश्वत देता था, और एक सहायक अभियंता २५ हजार रुपये से ५० हजार रुपये तक देता था। यह सारी रिश्वत काला धन हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं कारणों से वर्ष १९६७-६८ से लेकर १९७८-७९ तक काले धन में १५०० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मान्यवर, राजा चेलैया रिपोर्ट के अनुसार १९७५-७६ में भारत में कुल काला धन ११९ अरब रुपये था जो कुल राष्ट्रीय आय का १८ प्रतिशत था। वर्ष १९८०-८१ में काला धन बढ़कर २३७ अरब रुपया हो गया जो कुल राष्ट्रीय आय का २१ प्रतिशत था।

इस तरह से पूरे देश में १९८४-८५ में काला धन ५०० अरब रुपया होना चाहिये। इतना काला धन तो तब है जब हम राजा चेलैया रिपोर्ट के अनुसार इसे कुल राष्ट्रीय आय का केवल २१ प्रतिशत मान रहे हैं।

मान्यवर, प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुये यह कहा कि भारत में कुल काला धन समस्त राष्ट्रीय उत्पादन का ४० से ५० प्रतिशत तक है। इन अनुमानों के अनुसार भारत में काला धन होना चाहिए लगभग १२०० अरब रुपये। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में वर्ष १९८३-८४ में कुल आय १ खरब ८६ अरब ३३ करोड़ रुपये थी तो २१ प्रतिशत काले धन के अनुसार हमारे यहां कुल काला धन वर्ष १९८३-८४ में ३६ अरब रुपये होना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में काला धन राज्य की कुल आय का लगभग ४० प्रतिशत होगा और इस हिसाब से वर्ष १९८३-८४ में उत्तर प्रदेश में ७० अरब रुपया काले धन के रूप में है। यह काला धन १९८५ में बढ़कर अनुमानतः ८० अरब रुपये से भी अधिक हो गया है। जबकि नकली करेन्सी को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और मुद्रा प्रसार को यह लगातार बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार सरकार और सरकारी मशीनरी का उद्देश्य काला धन पैदा करना हो गया है। इससे अर्थ-व्यवस्था चौपट हो रही है।

मान्यवर, इन सारी चीजों को देखकर मैं कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों की आय काले धन के बल पर बढ़ती जा रही है। ७५ से ८३ तक की इन बड़े पूंजीपति घरानों की सम्पत्ति को आप देखें, १९७५ में टाटा की सम्पत्ति थी ११०२ करोड़ और बिड़ला की ११७१ करोड़। सन् ७८ में टाटा की सम्पत्ति थी १४३२ करोड़ रुपया और बिड़ला की थी १६०० करोड़। उसी प्रकार ८३ में टाटा की सम्पत्ति थी २६९२ करोड़ रुपया और बिड़ला की सम्पत्ति थी २८३० करोड़। इस तरह आप देखेंगे कि एक तरफ मजदूर और किसान की आमदनी गिरती जा

रही है और दूसरी तरफ टाटा, बिड़ला, मुफ्तलाल, सिंहानिया और किर्लोस्कर जैसे पूंजीपतियों की सम्पत्ति नित्य प्रति दिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। यह तय है कि आप मंहगाई पर तो रोक लगा नहीं सकते हैं, जब तक काला धन है। आज पूरे देश में मंहगाई बढ़ती चली जा रही है और धन का अपव्यय होता चला जा रहा है। इसका कारण है आपकी गलत नीतियां, इसके चलते गरीब और गरीब तथा अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ती चली जा रही है।

भ्रष्टाचार से आप सराबोर हैं और यह तो रूकनेवाला नहीं है। भ्रष्टाचार का तो अर्थ ही सरकार की नजर में बदल गया है, उसकी नजर में वह भ्रष्टाचार नहीं सदाचार है। जरूरी चीजों के आपने दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल इनकी महंगाई बढ़ी और आपने अपने यहां बिजली के दाम बढ़ा दिये। जबकि दुनियां के दूसरे देशों में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम सस्ते हो रहे हैं। इसके लिए आप कहते हैं कि सरकारी अधिष्ठानों में और बड़े बड़े उद्ययोगों में ज्यादा पेट्रोल खर्च न हो, इसलिए हमने महंगाई बढ़ाई है। अब आप बताएं कि कितने अफसरों, मंत्रियों की गाड़ियां रुक गई हैं, किन औद्योगिक घरानों के लोगों की गाड़ियों पर रोक लग गई है। आपकी कार रुकी नहीं है, केवल मिट्टी का तेल बढ़ाकर आपने गरीब के घर में अंधेरा जरूर कर दिया है। इसी तरह से आपने १३५ करोड़ बिजली के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर आपने भार डाला है और किसान का जो गेंहू है, वह आपने केवल ५ पैसे प्रति किलो बढ़ाया है और उपभोक्ताओं के लिए उसका दाम१८ पैसे प्रति किलो आपने बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं आपने किसान के उपयोग की यूरिया पर २०० रुपया प्रति टन बढ़ा दिया है और डी० ए० पी० खादों पर २५० रुपया प्रति टन बढ़ा दिया है। किसान के गेहूं का दाम केवल आपने ५० रुपया प्रति टन ही बढ़ाया है और खादों का दाम इतना बढ़ा दिया है, जबकि उपभोक्ताओं के लिए दाम एक दम से १८ पैसा प्रति किलो बढ़ा दिया है। इतना अन्तर करके आपने केवल बीच के बिचौलियों को लाभ पहुंचा दिया है। जिस रेश्यो में आपने खाद के दाम बढ़ाये हैं, उस रेश्यो में गेंहू के दाम नहीं बढ़ाये हैं और उपभोक्ताओं के दाम भी नहीं घटाये हैं।

भ्रष्टाचार की बात को तो मैं छोड़ता हूं, केवल दो-एक बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सद्बुद्धि परमात्मा आपको दे तो प्रदेश के लिए आप उसे कर दें। आप कितना ले रहे हैं, यह पता नहीं लग पा रहा है, किन्तु प्रौढ़ शिक्षा और बालाहार की जो योजना चल रही है, उसमें आप देखें क्या हो रहा है। कितना अधिक भ्रष्टाचार और लूट हो रही है। ८५-८६ में प्रौढ़ शिक्षा पर अनुमानित व्यय १,३१,५१,००० रुपये था। इस धन का एक प्रतिशत रुपया भी कहीं वास्तव में इस पर खर्च नहीं हुआ है। कहीं किसी स्कूल में चले जाइये, बच्चों की जो बालाहार योजना है, जो पंजीरी बंटती है, उसको भी आपने खा लिया है। आप कहीं चले जांय, किसी स्कूल में चले जांय तो वहां की स्थिति देख सकते हैं। मुख्य मंत्री जी, आपको तकलीफ तो होगी, दूर न जाकर लखनऊ के किसी स्कूल में चले जाइये। सारे रजिस्टर फर्जी बने हुये हैं, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं भी बालाहार योजना में फल नहीं दिये जा रहे हैं। यह भ्रष्टाचार आपके सामने है, आप देखना चाहें तो देख लीजिये। कल गाड़ी उठाइये और चले जाइये, एक घंटे के अंदर देख आइयेगा। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र को देख लें सारी कागज पर लिखा पढ़ी होती है और पूरा रुपया बरबाद हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इनको बंद कर दें।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास योजनाओं में भारी लूट हो रही है। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या इधर के हों, यह शिकायतें रोजाना आती हैं कि जो योजनायें ग्राम्य विकास के नाम पर चलायी जा रही हैं उनमें भारी भ्रष्टाचार है। सदन का हर एक विधायक समझता है कि ग्राम्य विकास के नाम पर रुपया लूटा गया है। जो पुरानी सड़कें बनी थीं हम लोगों के जमाने में, उनकी अगर कहीं से मिट्टी कट गयी और वह नीची हो गयीं तो उन्हीं को नयी सड़कें दिखाकर पेमेंट हो गया है। पिछले सामान्य बजट की चर्चा में मैंने कहा था कि इसका सत्यापन कराया जाय तो तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने वायदा किया था कि मंडलीय स्तर पर और जिला स्तर पर इसकी जांच करायेंगे। लेकिन उसके बाद आप आये और आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिये दृढ़संकल्प हैं तो आप इसका सत्यापन करायें, सड़कों की जांच करायें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

आपने बता दिया है, देख लेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

बताया तो पिछले साल भी था लेकिन नहीं किया गया। इसी तरह से भ्रष्टाचार का नमूना मैं देना चाहता हूं कि निःशुल्क बोरिंग कराने की योजना में करोड़ों रुपयों की लूट की गयी है। यह योजना जो गांव गांव चलायी जा रही है तो इसमें ३ हजार रुपये प्रति बोरिंग के हिसाब से खर्च किया जाना चाहिये लेकिन प्रति बोरिंग १५०० रुपये से ज्यादा का सामान प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। कहीं पर भी आप पाइप उखाड़ कर देख लीजिये तो पता चलेगा कि १५ सौ रुपये से ज्यादा का सामान किसी बोरिंग में किसी गांव में नहीं लगा है। यह हालत भ्रष्टाचार की है। इसमें जांच की क्या जरूरत है कहीं पर भी आप पाइप उखाड़ कर देख लें स्थिति सामने आ जायगी। मान्यवर, मैं अब यह बताना चाहता हूं कि यह राज्य कुल मिलाकर हर योजना के साथ और पिछड़ता चला जा रहा है। मैं यह इसलिये कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली गये थे नवम्बर में राष्ट्रीय विकास परिषद् में भाग लेने तो वहां पर जो आपने भाषण दिया था वह "दैनिक जागरण" जो अखबार है उसमें छपा है। उसका कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम कह रहे हैं कि प्रदेश पिछड़ता जा रहा है और आप कहेंगे कि बढ़ता चला जा रहा है तो आपके ही भाषण से साबित हो जायगा कि पिछड़ता चला जा रहा है। इसलिये जब आप जवाब देंगे तो दोनों भाषणों को पढ़कर दें। आपने कहा है कि उन्हें विरासत में एक ऐसे प्रदेश का शासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, जहां कुछ भी नहीं है, सभी कुछ नये सिरे से शुरू करने की जरूरत है। २५ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जातियों, जनजातियों की है, जिसमें से ७५ प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे कराह रही है। यह अफसोस की ही नहीं बल्कि शर्म की बात है कि प्रदेश में साक्षरता २७ प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह ३६ प्रतिशत से भी अधिक है। इनमें से प्रदेश के वे साक्षर भी शामिल हैं, जिन्हें सिर्फ अपना नाम ही लिखना आता है।

प्रति एक लाख जनसंख्या पर अस्पतालों में केवल ४६ शैय्यायें हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत ७४ का है। प्रति एक लाख जनसंख्या की स्वास्थ्य सेवाओं के लिये २२ पंजीकृत स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत ४० स्वास्थ्य अधिकारियों का है। एक लाख जनसंख्या पर सिर्फ ६३ किलो मीटर लम्बी सड़कें हैं जबकि राष्ट्रीय औसत १०१ किलो मीटर लम्बी पक्की सड़कों का है। यह मान्यवर, आपका भाषण है। राज्य संसाधनों पर आपने स्वीकार किया है कि अब हमें इस प्रदेश में सब कुछ नये

सिरे से करना है और उत्तर प्रदेश में हमको कुछ भी नहीं मिला है। इसलिए कल जब आप भाषण दें तो इसको याद रखना तब भाषण देना वरना फंस जायेंगे आप।

मान्यवर, लगातार यह कहा जा रहा है कि वर्ष १९८६-८७ के लिए उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर सबसे ज्यादा मिला है और हमें ही सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है। ऐसा नहीं है, वास्तविकता यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक किसी भी योजना में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम पैसा आपको मिला है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश को प्रथम पंचवर्षीय योजना में २५ प्रतिशत और पूरे देश का औसत प्रति व्यक्ति परिव्यय ३८ प्रतिशत, द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में ३२ प्रतिशत और पूरे देश का औसत प्रति व्यक्ति ५१, तृतीय पंच वर्षीय योजना में उ० प्र० को ७२ प्रति० और उसमें ९२ प्रति०, चतुर्थ योजना में १३२ प्रतिशत और इसमें १४२, पांचवी पंचवर्षीय योजना में उ० प्र० को ४४८ और पूरे देश का औसत प्रति व्यक्ति परिव्यय ४८५ प्रतिशत इसी प्रकार छठी पंच वर्षीय योजना में १९८४ तक उ० प्र० को ४१४ और उसमें ५२१ प्रतिशत। कहां आप को ज्यादा मिला किस हिसाब से आपको ज्यादा मिला। जबकि वर्ष १९८६-८७ के लिए सारे राज्यों का कुल योजना परिव्यय है। १४७६० करोड़ रुपया, और पंजाब इसमें नहीं है। इस प्रकार छठवां भाग होता है २४६० करोड़ रुपया और जब कुल योजना में पंजाब की योजना भी शामिल हो जायेगी तब यह आपका हिस्सा कम से कम २१५० करोड़ रु० का होगा। तो आपको कहां ज्यादा मिला? दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से आपको ज्यादा मिला तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सवा छः करोड़ जनसंख्या वाले महाराष्ट्र की योजना २१०० करोड़ की जबकि १२ करोड़ जन-संख्या वाले उ० प्र० की केवल २१५० करोड़ की। आप स्वयं बताइये कि आपको कहां से ज्यादा मिला? आपको सबसे कम मिला है इस ७वीं पंचवर्षीय योजना में। इसलिए यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है।

इसके पिछड़े होने के और भी दो-तीन कारण हैं। एक तो आपकी गलत नीतियां हैं, दूसरे भ्रष्टाचार और तीसरे उत्तर प्रदेश के जो बड़े-बड़े नेता हुए हैं और यहीं से सबसे ज्यादा चुनकर जा रहे हैं। इन लोगों ने अपनी जनता पर सदैव अन्याय किया है। इसलिए यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है जैसे अन्य प्रदेश पिछड़े हैं। योजना आयोग ने बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में रखा है। इन सारे राज्यों से भारत की लोक सभा में ५१ प्रतिशत सदस्य चुनकर पहुंचते हैं और अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश से ही २५ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व तो पूरे देश में हमेशा रहा है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैं यह प्रश्न उठाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने अपने विराट प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद अन्य राज्यों के समान तरक्की क्यों नहीं की और अन्य राज्यों से इतना क्यों पिछड़ा रहा जबकि इतने प्राकृतिक संसाधन किसी भी दूसरे सूबे में नहीं हैं, जितने कि आपके पास हैं और उसके बाद भी पिछड़ता चला जा रहा है सूबा और जब यह पिछड़ा सूबा है, तो जो प्रतिनिधि यहां से चुन कर गये हैं, उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया। आप जीपें दे दो इन एम० पी० लोगों को, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश की कोई चिन्ता नहीं है। जीपें देकर हो सकता है कि कुछ दिनों तक वह आपकी सिफारिश करते रहें कि आप मुख्य मन्त्री बने रहें, इसके अलावा और कुछ नहीं है जीप देने का मतलब। यह जीप देकर आपने गलत काम किया है। उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के सदस्य भी जीपें मांगेंगे, तो

आप कहां से देंगे ? माननीय मुख्य मंत्री आप कुछ भी कहते रहिये, फिजूलखर्ची आपके जमाने में बढ़ी है और बढ़ती चली जा रही है। इतना किसी भी मुख्य मन्त्री के जमाने में फिजूलखर्ची नहीं बढ़ी थी। आप ५ नलकूप उनको दे देंगे और विधायकों को क्या दे देंगे ? जो एम० पी० बतायेंगे, वहीं नलकूप लगायेंगे। आप लालच देकर मुख्य मन्त्री बने रहना चाहते हैं। आप कृपा दृष्टि से कितने दिनों तक मुख्य मन्त्री बनना चाहते हैं। आप किसी की कृपा पर एक दिन भी मुख्य मन्त्री न बने रहें। आप एक मिसाल कायम करें। आप अपने को एक स्वच्छ मुख्य मन्त्री साबित करने की कोशिश करें। आप अपने को कहते हैं सख्त, लेकिन आपके कोई भी सख्त आर्डर नहीं होते हैं। आप कहते कुछ हैं, और करते कुछ हैं। मुख्य मन्त्री के मुंह से जो बात निकले, हमारे जैसे नेताओं से जो बात करें, वह सही करें और जो बात कहें उसको करें। लेकिन आप गलत परम्परा डालना चाहते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री बन गये, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो।

मैं आपको राय देना चाहता हूं, कारण स्पष्ट है कि देश एवं प्रदेश के नेतृत्व की लापरवाही के कारण और गलत नीतियों के कारण बड़े उद्योगों को प्राथमिकता और छोटे एवं कुटीर उद्योगों तथा कृषि की उपेक्षा के कारण उत्तर प्रदेश और पिछड़ता जा रहा है।

योजनाओं पर खर्च होने वाला पैसा बढ़ता जा रहा है, और गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अन्तर्राज्यीय विषमतायें बढ़ रही हैं, सम्पन्न राज्य सम्पन्न हो रहे हैं, गरीब राज्य और गरीब हो रहे हैं।

क्या यही हाल रहेगा, और रहेगा तो क्यों ? इसका क्या निदान है ? इसी संदर्भ में मैं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "बिजिनेस स्टैंडर्ड" के २४ सितम्बर, १९८४ के सम्पादकीय के कुछ अंश प्रस्तुत कर रहा हूं—

"विकास की दिशा से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नीति निर्माता चाहे जो करें आधा भारत गरीब और गरीब होता जायेगा या पिछड़े राज्यों के लोगों में कोई कमी है बुद्धि की, कौशल की या बेहतर जीवन को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति की।"

भारी उद्योगों में पूंजी निवेश से गरीब राज्यों की जनता की आय बढ़ेगी यह आवश्यक नहीं है। वास्तव में इन राज्यों में इस तरह की पूंजी निवेश (बड़े उद्योगों में) बहुत कम प्रभावी सिद्ध होगा। विकास का ज्यादा विश्वस्त तरीका है इन राज्यों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना। यही बात गांधी जी कहते थे, सरदार पटेल कहते थे और चौधरी चरण सिंह कहते हैं, किन्तु नीति निर्माताओं ने हमेशा इसकी उपेक्षा की, जिसका परिणाम है यह पिछड़ापन।

अगर हमने चौधरी साहब का नाम ले लिया तो कान फट गया। चौधरी साहब कहते हैं कि कुटीर उद्योग धंधे लगाइये। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

अब आपने बजट पेश किया है ८८ करोड़ रुपये के घाटे का, आपने ८६-८७ का अनुमानित घाटा ८८ करोड़ ८४ लाख रु० का बताया है जब कि यह २०३२ करोड़ रु० का है। आप जाल बट्टा कितना करते हैं। मैं माननीय सदन के समक्ष प्रदेश की वास्तविक आर्थिक तस्वीर को प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी के अनुसार ८६-८७ की कुल राजस्व प्राप्तियां ४ हजार ३ करोड़ रु० तथा पूंजी लेखे की प्राप्तियां लगभग १९ सौ ९८ करोड़ रु० की। इस प्रकार कुल प्राप्तियों को लगभग ६ हजार करोड़ रु० दिखाया गया है। माननीय

सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूंजी लेखे की प्राप्तियों में से १९४२ करोड़ रु० की प्राप्तियां कर्जे की प्राप्तियां हैं। यानी हमारी सरकार एक तरफ कर्जा लेकर उससे कुल प्राप्तियों के आकार को बड़ा करके दिखा रही है और दूसरी तरफ इसी कर्जे के आधार पर बजट के घाटे को कम करके दिखा रही है। यदि कर्जे की प्राप्तियों को कम करके वास्तविक प्राप्तियों को देखें तो कुल प्राप्तियां ४०५८ करोड़ की होती हैं। चूंकि राजस्व एवं पूंजीगत लेखे का कुल व्यय ६,३४५ करोड़ रु० है, इस कारण संचित निधि के अन्तर्गत कुल घाटा २,२८७ करोड़ रु० का होता है। जिसमें यदि लोक लेखा के अन्तर्गत प्राप्त २५५ करोड़ रु० कम कर दिया जाय तो कुल २,०३२ करोड़ रु० का घाटा रह जाता है और आपने घाटा बताया है ८८ करोड़ का। इस तरह आप गलत आंकड़े पेश करके सदन को, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह से आप प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जनता के सामने सही तस्वीर रखिये। इस तरह से आप प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं कर सकते हैं।

इसी तरह से कम खर्चे और बकायों की वसूली से घाटा पूरा करने की आपकी बात व्यर्थ है और असत्य है। सरकार हमेशा यह कहती है कि धन के अपव्यय को रोका जायेगा। इस बजट में योजनागत खर्चा केवल १,००५ करोड़ रु० का है जब कि आयोजनेतर खर्चा ३,१३१ करोड़ रु० का है। इसी तरह से सरकार हमेशा यह कहती है कि बकाया की वसूली तेज करके घाटा कम किया जायेगा लेकिन बकाया भी लगातार बढ़ रहा है। दिनांक १ अप्रैल, १९८४ को कुल बकाया १,७९७ करोड़ रु० का था जब कि १ अप्रैल, १९८५ को बकाया बढ़कर १,८८३ करोड़ रु० हो गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि धन के अपव्यय में वृद्धि हो रही है और करों का बकाया भी निरन्तर बढ़ रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि ३१ मार्च, १९८६ को प्रदेश पर ८० अरब रु० का कर्जा हो जायेगा। पिछले वर्ष मैंने कहा था कि वर्ष ८५-८६ के अन्तर्गत प्रदेश सरकार पर कर्जा बढ़कर ७५ अरब रु० का हो जायेगा लेकिन अब ३१ मार्च, ८६ को यह ८० अरब रु० हो जायेगा।

मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ३१ मार्च, १९८७ तक उत्तर प्रदेश का कर्जा बढ़कर ८९ अरब ३७ करोड़ रुपये होने की पूरी सम्भावना है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले मुख्य मन्त्री तो बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि मेरा भी कर्जा है। आप भी कहेंगे कि मेरा कर्जा है। लेकिन आपका कर्जा है कहां सरकारी निगमों पर है। आपका कर्जा ४८ अरब के बराबर है जिसमें एक निगम विद्युत परिषद है। विद्युत परिषद पर ३९ अरब कर्जा है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति आपकी नीतियों के कारण सम्पूर्ण दिवालियेपन की हो गई है। आपके क्रियाकलाप से गम्भीर आर्थिक संकट उत्तर प्रदेश में होगा। इसलिये वर्ष १९८७ में अर्थात् ३१ मार्च ८७ तक यह कर्जा ८८-८९ अरब होगा।

इसलिये संक्षिप्त में मैं थोड़े सुझाव रखना चाहता हूं। शायद आप मेरे सुझावों को मानें और प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें। पहला सुझाव है कि जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वह सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिये विधान सभा की एक समिति बना दीजिये, लोक लेखा समिति की तरह एक समिति और बना दीजिये और उसका नाम सत्यापन समिति रख दें। उसकी रिपोर्ट जब सरकार को मिले तो सरकार उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिये मजबूर हो। यह प्राविधान कर दीजिये। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति हो और उसका अध्यक्ष लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की भांति विपक्ष का हो।

अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी सचमुच आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो एक समिति बनाइये। दूसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि खेती का धंधा अलाभकर सिद्ध हो चुका है। जो लोग खेती में लगे हैं, उनकी आमदनी की सीमा आपने बांध दी है, १८ एकड़ से अधिक सिंचित जमीन नहीं रख सकता है। आप इसी तरह से उद्योगों पर पूंजीपतियों की पूंजी की सीमा बांध दीजिये। इससे जो काला धन है वह बाहर आयेगा और उससे विकास होगा।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि बिना लघु उद्योगों के, बिना कुटीर उद्योगों के प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं होगा। मान्यवर, मैं बढ़ती हुई जनसंख्या की बात स्वीकार करता हूं और पिछले साल भी मैंने कहा था। चौधरी साहब की एक किताब लेकर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उदाहरण दिया था। मैं यह मानता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या सारी योजनाओं को विफल कर देगी। लेकिन इसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये। आप एक कानून बना दीजिये कि एक, दो या तीन बच्चे से अधिक पर टैक्स लगेगा। जोर जबरदस्ती नसबन्दी न की जाय, इससे आप इसको नहीं रोक पायेंगे। आप कानून बना दीजिये। इन सुझावों के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का पिछड़ापन और दिवालियापन सरकार की गलत नीतियों के कारण है, यह मेरा आरोप है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं बिहारी का एक दोहा कहना चाहता हूं "जा तन की झांई पड़े, श्याम हरित दुति होय।"

श्री अध्यक्ष—

आगे के लिये यह व्यवस्था है कि नेताओं के लिये २० मिनट का समय निर्धारित कर दिया जाय, अन्य सदस्यगण के लिये १० मिनट का, मंत्रीगण के लिये २० मिनट का तथा नेता, सदन के लिये कोई समय का प्रतिबंध नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पिछले सत्र में बजट पर चर्चा चार दिन की थी, तो यह व्यवस्था हुई थी कि बजट पर चर्चा जबसे शुरू हो, उसके बाद कम से कम चार घंटे होगी। मेरा आग्रह है कि वही व्यवस्था इस वर्ष भी लागू कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माता प्रसाद जी, आपका सहयोग चाहता हूं। आप जीरो आवर एक-दो बजे तक समाप्त कर दीजिये तो चार घंटे का समय स्वयं मिल जायगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, तीन बजे समाप्त हो तो बजट पर चर्चा सात बजे समाप्त होनी चाहिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, नेताओं के लिये पिछले वर्ष २५ मिनट का समय रखा गया था, जबकि इस वर्ष २० मिनट है। इस वर्ष भी २५ मिनट हो।

श्री अध्यक्ष—

चलिये आपकी बात मंजूर है।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, पिछले सत्र में यह सही है कि आपने मंत्रियों के बोलने का समय निश्चित कर दिया था, लेकिन जो सदस्यों के लिये समय निश्चित किया था, तो ऐसी स्थिति हो गयी थी कि १० मिनट से घटाकर उसे ७ मिनट, ५ मिनट और फिर ४ मिनट कर दिया गया था। तो १० मिनट से कम समय नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

क्या आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं तो समझा आप बोलने के लिये खड़े हुए हैं।

श्री नरेश चन्द्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अमिताभ अनिल दुबे—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस सामान्य बजट की चर्चा में, जो माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है, बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिये आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो क्रांतिकारी बजट रखा है, कर मुक्त बजट को पेश किया है, उसके लिये हम धन्यवाद देते हैं। अभी हमारे नेता विरोधी दल ने बजट पर विस्तार से चर्चा की, लेकिन उनको पूरा सुनने के बाद मुझे यह दुख हुआ कि हमारी सरकार द्वारा जो भी अच्छे काम किये जाते हैं, उसमें कोई यह नहीं कह सकता अच्छा काम नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूंगा अपने माननीय विरोधी नेताओं से कि जो अच्छा काम हो उसे अच्छा काम कहें। जो कमियां समझ में आएं, उन पर अवश्य प्रकाश डालें। हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इस शासन में प्रदेश के अन्दर जो विकास हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, इस कांग्रेस की नीतियों के कारण ही हुआ है। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हुआ है। देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया स्थिरता के लिये, विकास के लिये, एकता और अखण्डता के लिये। हमारी सरकार की कथनी और करनी एक है। इसको सिद्ध कर दिया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखण्डता के लिये कुर्बानी देकर। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो घाटे की बात कही, आप गरीबों को ऊपर उठाने की बात कहते हैं। उनको ऊपर उठाएंगे तो बजट घाटा तो होगा ही। हमारी सरकार ने सुदृढ़ संकल्प लिया है, मितव्ययता करने का और बजट योजनाओं के द्वारा लक्ष्यों को पूरा करने का। इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी की और इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही, वह यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ६०० करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से, योजना आयोग से विचार विमर्श के बाद बढ़ाए हैं। यह एक उपलब्धि है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु ३३४ लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, खाद्य के उत्पादन का जो लक्ष्य रखा गया है, मान्यवर, उससे विकास की नीति का आभास मिलता है। ५८ हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। करीब मान्यवर, ३० हजार निजी नलकूपों के उर्जीकरण की बात कही गयी है। मान्यवर, निश्चय ही इससे प्रदेश विकास के पथ पर आगे जायेगा। मान्यवर, एक अरब २२ करोड़ ४० लाख छोटे ग्रामीण उद्योग के लिये रखा गया है। माननीय नेता विरोधी दल अपने भाषण में ग्रामीण उद्योग की बात कह रहे थे, उनको कदाचित जानकारी नहीं थी। मान्यवर, ग्रामीण उद्योग और छोटे उद्योगों को ऊपर उठाने के लिये इस बजट में व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो मण्डलायुक्तों को अधिकार दिये हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से मण्डलायुक्तों को अधिक अधिकार देने से और विकेन्द्रीकरण की नीति से विकास योजनाओं के कार्यान्वियन में गति आयेगी और प्रभावी ढंग से इन योजनाओं का कार्यान्वियन हो जायेगा। मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने जो नयी शिक्षा नीति का मसविदा पेश कराया है, उससे शिक्षा जगत में निश्चय ही एक नयापन आयेगा। इसके अतिरिक्त मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात कही है, इसके लिये मैं प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं गाजीपुर जनपद से आता हूं उसकी ओर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर,

गाजीपुर जनपद पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला है। मान्यवर, पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये एक बार हमारे मरहूम नेता सांसद श्री विश्वनाथ सिंह गेहमरी ने पार्लियामेन्ट में आवाज उठायी थी। उन्होंने वहां के पिछड़ेपन का चित्रण किया था कि किस प्रकार लोग अनाज खाते हैं और किस प्रकार से जीवनयापन करते हैं। लेकिन, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज वहां यह स्थिति नहीं है, जो पहले कही गयी थी।

मान्यवर, इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि पटेल आयोग का गठन किया गया था, उसमें जो सुझाव दिये गये थे, आज भी उन संस्तुतियों के अनुसार पूरा काम नहीं हुआ है। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि इस बदले हुए माहौल के अन्तर्गत आज एक सर्वे कराया जाय, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो संस्तुतियां की गयी हैं, जो काम होने हैं, उनको किया जाय। मान्यवर, मैं गाजीपुर शहर से नुमाइंदगी करता हूं, वहां की कुछ विशेष समस्याओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बनारस में यह स्वीकार किया कि पूर्वांचल में विश्वविद्यालय देंगे। मैं मांग करता हूं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय गाजीपुर में खोला जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त गंगा प्रदूषण की सफाई की जो योजना चल रही है उसकी तरफ भी ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान्यवर, काशी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घाट गाजीपुर में हैं। वहां घाटों के रख-रखाव की ओर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो वहां सबसे बड़ी फैक्ट्री अफीम की है, मान्यवर, उसके गन्दे पानी की वजह से गंगा प्रदूषित हो रही है मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में शुद्धिकरण योजना में गाजीपुर जनपद को भी शामिल करके वहां कार्य किया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि यहां के लिये जो प्रस्तावित स्टील प्लांट है, उसकी अभी कोई प्रगति भी नहीं हुई है, कृपया उसकी ओर भी ध्यान देकर उसे स्थापित कराया जाय। इसके साथ ही गाजीपुर के विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर उद्योगों की स्थापना की जाय। बड़े पैमाने पर औद्योगिक आस्थान का निर्माण कराया जाये। इसके साथ ही वहां पर जो सबसे बड़ी ज्वलन्त समस्या है, वह है गन्दे पानी की निकासी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि गन्दे पानी के निकासी के लिए वहां पर एक प्लान बनाया जाय, जिससे गन्दे पानी की निकासी हो सके। गाजीपुर की एक और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि परमेटा पर एक पुल स्वीकृत हुआ था, जिसके लिए पैसा भी मंजूर हो गया था, लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, मेरी मांग है कि वहां पर काम शुरू करा दिया जाय। धरमपुर और जमानिया को पीपे के पुल से जोड़ा जाय। इसी के साथ ही समर्थन करते हुये माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस परिचर्चा पर बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अंतर्गत मुझे ९ सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से मैंने केवल एक सूचना को स्वीकार किया है और वह सूचना श्री विजय सिंह राणा जी की है। जो आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

अब हम उठते हैं, कल ११-०० बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
१८ फरवरी, १९८६ उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ.....21....पर)

क्षेत्राधिकारी मोहनलाल गंज द्वारा जांच के दौरान जिन-जिन व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं उनके नाम एवं पता निम्न प्रकार है :—

1—श्री देवान पुत्र चरन निवासी ग्राम बरकौता थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

2—श्रीमती जनक दुलारी पत्नी किशनलाल ग्राम बरकौता थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

3—श्रीमती राम पती पत्नी हरिश चन्द्र ग्राम बरकौता थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

4—श्री माता प्रसाद उर्फ बाबूलाल निवासी ग्राम रतौली थाना बंथरा

5—श्री मुन्नी लाल पुत्र नन्हें ,, ,,

6—श्री श्रीपाल ,, ,,

7—श्री विश्राम ,, ,,

8—श्री विनोद कुमार पुत्र श्री पी0 के0 दीक्षित निवासी सोहावा थाना बंथरा

9—श्री सुबरार्ती खां पुत्र कल्लू खां निवासी बिल्लोचगढ़ी।

10—श्री जमील खां पुत्र मुंशी खां ,, ,,

11—श्री सज्जाद पुत्र मददू खां ,, ,,

12—श्री रामेश्वर पुत्र पूरन ,, लोनहा ,,

13—श्री मैकू पुत्र मंसाराम धानुक ,, लोनहा ,,

14—श्री अंगनू पुत्र राम भरोसे बढ़ई ,, ,, ,,

15—श्री छोटे लाल पुत्र मैकू ,, ,, ,,

16—श्री बाबूलाल ग्राम प्रधान ,, ,, ,,

17—श्री रमेश पुत्र रिक्खा लाल ,, ,, ,,

18—श्री हरीराम भूतपर्व प्रधान ,, ,, ,,

19—श्री विजय शंकर तिवारी पुत्र रामसुख निवासी हरौनी थाना बथरा।

20—श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र देशराज सिंह ,, ,,

21—श्री हरी शंकर पुत्र शत्रोहन सिंह ,, ,,

22—श्री हरी शंकर शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष बंथरा, जनपद लखनऊ।

23—श्री रहीसुल हसन जाफरी, उप निरीक्षक ,, ,,

24—श्री दलबीर सिंह ,, ,, ,,

25—हे0 का0 राम प्रताप नरायन लाल श्रीवास्तव हे0 मो0 थाना बंथरा।

26—का0 ना0 पु0 दुर्गेश गिरी थाना बंथरा जनपद लखनऊ।

27—का0 ड्राइवर विजय प्रताप सिंह ,, ,,

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0—4 का उत्तर पीछे पृष्ठ . . . 29 . . पर।)

सूची

क्षेत्र का नाम	संशोधन का विवरण
1—लखनऊ—कानपुर रोड . .	ग्रीन बेल्ट से औद्योगिक
2—लखनऊ—फैजाबाद मार्ग . .	आवासीय से औद्योगिक
3—तालकटोरा मार्ग पर . .	आवासीय से बस ट्रक टरमिनल
	औद्योगिक से आवासीय
	आवासीय से औद्योगिक
	अवासीय से प्रस्तावित सड़क
	सड़क से आवासीय
	सड़क से औद्योगिक
4—अशोक मार्ग . .	आवासीय से सरकारी कार्यालय
5—लखनऊ सीतापुर रोड . .	वाणिज्यिक से आवासीय
	आवासीय से वाणिज्यिक
	आवासीय से वाणिज्यिक
	आवासीय से वाणिज्यिक
	आवासीय से वाणिज्यिक
6—1 सरोजनी नायडू मार्ग (हैवलक हाउस)	आवासीय से प्रशासकीय कार्यालय
7—विधान सभा मार्ग (रायल होटल के सामने)	आवासीय से वाणिज्यिक
8—गौतमबुद्ध मार्ग (लाटूश रोड)	आवासीय से व्यापारिक
9—महात्मा गांधी मार्ग . .	शैक्षिक से वाणिज्यिक
10—वाटर वर्कस् रोड . .	आवासीय से व्यावसायिक (सिनेमा)
11—महानगर (रहीमनगर) . .	सामुदायिक से वाणिज्यिक सुविधा
12—मच्छी भवन (चौक) . .	डिस्ट्रिक्ट पार्क से व्यावसायिक
13—ताल कटोरा मार्ग . .	औद्योगिक से आवासीय।
14—विधान सभा मार्ग पर सहकारिता भवन।	आवासीय से वाणिज्यिक

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0—113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 64 पर।)

मलिन बस्तियों के नाम

1——रहपुरा चौधरी
2——मथुरापुर
3——सनिया धानसिंह
4——सैदपुर हाकिस
5——तुलापुर
6——परतापुर चौधरी
7——बेनीपुर चौधरी
8——हरूनगला
9——छोटी बिहार
10——मठ कमल नैनपुर
11——शेरपुर
1 ——नन्दोसी
13——रोहटा मुस्तकिल
14——कंजा दासपुर
15——विधौलिया
16——सरनिया
17——गरगईया गोकुल नगर
18——परतापुर जीवन सहाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 128 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67 पर।)

डा0 दिनेश जौहरी द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 128 के उत्तर का संलग्नक

क्र0 सं0	नाम तथा पद			किस तिथि से कार्यरत है
1	2		3	4
	I–दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी			
1	श्री राम प्रसाद	..	चपरासी	जनवरी, 1977
2	श्री त्रिभुवन	..	पत्रवाहक	1–5–81
3	श्री सहीम खान	..	ड्राइवर	अगस्त, 1977
4	श्री प्रेम शंकर चौहान	..	स्टेनो -कम-टाइपिस्ट	1–9–81
5	श्री जगदीश चन्द्र	..	ड्राइवर	1–5–78
6	श्री सूरज सिंह	..	ड्राइवर	1–1–83
7	श्री रोशन लाल	..	चौकीदार	1–8–84
8	कु0 राज रानी	..	टाइपिस्ट-कम-क्लर्क	1–8–85
	II—नियमित कर्मचारी			
1	श्री सत्यदेव	..	महाप्रबन्धक	1–12–78
2	श्री के0 आर0 नागल	..	स्थानिक अभियन्ता (वि)	2–8–79
3	श्री बी0 के0 अग्रवाल	..	सहायक स्थानिक अभियन्ता।	1–8–79
4	श्री आर0 के0 वर्मा	..	स्थानिक अभियन्ता	सितम्बर, 1985
5	श्री मो0 समी	..	उप अभियन्ता	2–2–84
6	श्री ए0 पी0 वर्मा	..	सहायक लेखा अधिकारी	9–7–82
7	श्री शिव कुमार	..	लेखा सहायक	27–5–85
8	श्री एन0 एन0 जोशी	..	वरिष्ठ स्टेनो	2–11–79
9	श्री एस0 पी0 सिंह	..	लेखाकार (निलम्बित)	16–10–85
10	श्री पी0 के0 गर्ग	..	अपर परियोजना प्रबन्धक	22–10–81
11	श्री पी0 के0 अग्रवाल	..	सहायक स्थानिक अभियन्ता	12–12–81

1	2		3	4
12	श्री एस0 सी0 अग्रवाल	..	सहायक स्थानिक अभियन्ता	1–9–83
13	श्री एच0 एन0 मिश्रा	..	वरिष्ठ उप अभियन्ता	7–6–83
14	श्री पी0 के0 अरोरा	..	उप अभियन्ता	सितम्बर, 1985
15	श्री एच0 के0 आबिदी	..	स्थानिक अभियन्ता	अप्रैल, 1985
16	श्री जी0 डी0 गुप्ता	..	लेखाकार	9–11–84
17	श्री अशोक कुमार	..	उप अभियन्ता (निलम्बित)	9–12–80
18	श्री आर0 सी0 श्रीवास्तव	..	स्टोर कीपर	1–12–80
19	श्री डी0 के0 घोष	..	स्टोर कीपर	19–6–82
20	श्री डी0 के0 चक्रवर्ती	..	स्टोर कीपर	दिसम्बर, 1984

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 7 वि0 सभा–16–5–86–(398)–1986–813–(हि0)।